(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] पंचम् विधान सभा के सप्तम् सत्र का 27वां दिवस [संख्या 20

शनिवार,

15 मार्च, 1975

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित-प्रश्नोत्तर

(सहकारी, पंचायत, वन, राजस्व, खादी एवं ग्रामोद्योग, स्वायत्त शासन, अकाल सहायता, नगर आयोजना एवं कृषि विभाग)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न।

श्री मनोहरलाल।

राजस्थान इन्डस्ट्रियल को-आपरेटिव बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध दर्ज मामले

512. **श्री मनोहरलाल** (कामां): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान इन्डस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद पर श्री हरिनारायण राठी कितने वर्षों तक रहे?

(2) क्या यह सही है कि इन्डस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक की अनेकों अनियमितताओं के मामले उनके खिलाफ विभाग में दर्ज हैं? यदि हां, तो उनका विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इन्डस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक की कुछ धनराशि उनके खिलाफ निकलती है? यदि हां, तो विभाग ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

(4) क्या यह सही है कि विभाग के कुछ अधिकारी राजनीतिक दबावों के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने से कतराते हैं? इस सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही की गई है उनका विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी): (1) राजस्थान इन्डस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद पर श्री हरिनारायण राठी तीन वर्ष ग्यारह माह तक रहे।

(2) श्री हरिनारायण राठी से सम्बन्धित अनियमितताओं के मामलों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(श्री रामनारायण चौधरी)

(3) श्री हरिनारायण राठी द्वारा राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक, जयपुर से लिये गये प्लेज लोन की रकम की बकाया निकलती है। राजस्थान सहकारी अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत श्री राठी के विरुद्ध कार्यवाही चालू है।

(4) जी नहीं। की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री मनोहरलाल: यह कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी और कितनी रकम के नोटिस उनको दिये गये हैं?

श्री रामनारायण चौधरी : उनके खिलाफ दो प्रकार की रकमें निकलती हैं। एक तो चालीस हजार की है और दूसरी रकम भी लगभग इसी के करीब है। राजस्थान को-ऑपरेटिव एक्ट की धारा 74 के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही उनके खिलाफ जारी है।

श्री मनोहरलाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह कब तक पूरी हो जायेगी?

श्री रामनारायण चौधरी : नियमों के अन्तर्गत जो प्रक्रिया है वह तो पूरी करनी पड़ेगी। आप स्वयं कानून के जानकार हैं। नोटिस की तामील होती है और बातें होती हैं।

श्री अध्यक्ष : जल्दी करा दीजिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : जो रकम आपको उनसे वसूल करनी है उसके बारे में कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर करने की कार्यवाही की है? यह गबन का मामला है या अन्य किसी प्रकार का मामला है?

श्री रामनारायण चौधरी : श्री हरिनारायण राठी की दो संस्थाएं थीं, एक जयपुर पॉटरीज के नाम से और दूसरी अन्य किसी नाम से। इन दोनों कम्पनियों को माल के अगेन्स्ट रुपया दिया गया है। पर माल जो उन्होंने बैंक में रखा वह कम कीमत का था। उस रकम में से ही बकाया करीब-करीब चालीस-चालीस हजार निकलती है।

श्री अध्यक्ष : श्री दलपत सिंह।

श्री दलपतसिंह (खारची): दलपतसिंह, सर।

माननीय मंत्री यह बताएं कि यह कितनी रकम बकाया निकलती है और जो प्लेज किया हुआ माल था वह नीलाम किया गया या नहीं? अगर नीलाम किया गया, तो कितनी रकम उससे वसूल हुई?

श्री अध्यक्ष : (श्री मूलचन्द सामरिया से) आप भी पूछ लीजिये।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : किसी माल की कम कीमत हो और कोई अधिक कीमत बता कर प्लेज कर ले और इस तरह से धोखाधड़ी से ज्यादा राशि विथड्रा कर ले, तो क्या यह क्रिमिनल ऑफेन्स धोखाधड़ी का नहीं बनता? और क्या सरकार को इस रकम की वसूली के लिये क्रिमिनल केस दर्ज नहीं करना चाहिये था?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय श्री दलपत सिंहजी के प्रश्न के उत्तर में निवेदन है कि श्री हरिनारायण राठी के खिलाफ करीब 80 हजार निकलते हैं, और उसकी वसूली के सम्बन्ध में, जैसा मैंने बताया है, कार्यवाही चालू है। आपने कहा कि जो माल उनका प्लेज था उसकी नीलामी की गई या नहीं। जो माल प्लेज था उसकी नीलामी से जितनी रकम बनी, वह बांट कर बाकी जो रकम उनके प्रति निकलती है वह करीब 80 हजार है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामलाल।

श्री मूलचन्द सामरिया : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : अब तो दूसरा प्रश्न ले लिया।

श्री मूलचन्द सामरिया : गबन के मामले में 420 का केस क्यों नहीं चलाया?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट! श्री राम लाल (बाड़ी)।

पंचायत समिति, बाडी के भूतपूर्व विकास अधिकारी के विरुद्ध जांच

513. **श्री राम लाल (बाड़ी) :** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि बाड़ी पंचायत समिति के भूतपूर्व विकास अधिकारी श्री ऋषि नारायण त्रिपाठी के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा घोटालों के आरोपों की जांच की गई है? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी ने की तथा जांच का क्या परिणाम रहा?

(2) क्या यह सच है कि उक्त अधिकारी पर दुरुपयोग के हजारों मामले प्रमाणिक होने के बाद भी इसे पदोन्नत किया गया है?

पंचायत मंत्री (श्री राम नारायण चौधरी) : (1) जी हां। जांच अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, भरतपुर द्वारा की गई। जांच के आधार पर श्री ऋषि नारायण त्रिपाठी को नियमों के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जा चुका है।

(2) कृषि विभाग द्वारा पदोन्नति दी गई है।

श्री रामलाल : अध्यक्ष महोदय, विकास अधिकारी के खिलाफ एनक्वायरी जिला विकास अधिकारी ने की थी वह सही तरीके से नहीं की गई। इस सम्बन्ध में मैंने कई दफा विभाग से लिखापढ़ी की। उन्होंने कम से कम चार लाख रुपये पंचायत समिति के लिये। इसकी सही एन्क्वायरी की जाये और विभाग द्वारा इसको सस्पेंड किया जाये। एनक्वायरी क्या पूरी हो गई? और अगर अधूरी है, तो वह बता दें।

श्री रावत राम (छापर) : मेरा प्रश्न यह है कि जिस अधिकारी के खिलाफ इस तरह के गम्भीर आरोप हों और उसके खिलाफ जांच चल रही हो, उस अधिकारी

(श्री रावतराम)
को आप प्रमोट करते हैं, क्या यह गलत तरीका नहीं है ?

श्री राम गोपाल (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया और माननीय प्रश्नकर्ता ने जो जानकारी दी, उन दोनों में कान्ट्राडिक्शन है। प्रश्नकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस अधिकारी के खिलाफ जांच सही तरह से नहीं हुई, तो क्या मंत्री महोदय दुवारा इसको जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सम्बन्धित अधिकारी जब विकास अधिकारी था तब माननीय प्रश्नकर्ता द्वारा उनके खिलाफ शिकायत की गई। ए. डी. एम., भरतपुर से जांच कराई और जांच के दौरान यह पाया गया कि इसमें गम्भीर अनियमितताए हुई हैं, उसके आधार पर उनको चार्जशीट दी गई है और उसका उत्तर अभी अपेक्षित है। इसके दरमियान कृषि विभाग में उनका प्रमोशन हो गया जो कि दूसरा विभाग है। प्रिलिमिनरी जांच के बाद उनको सुनना आवश्यक था और बाद में डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी करने की प्रक्रिया है।

श्री रावत राम : उस अधिकारी का प्रमोशन हुआ है।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट ने जब प्रमोशन दिया तब सहकारी विभाग ने यह नहीं लिखा कि उसके खिलाफ जांच चल रही है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : यह प्रमोशन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आने के पहले हुआ या बाद में ? दूसरा, आपने माना है कि भयंकर अनियमितताए हुई हैं, तो कितनी रकम इन्वाल्व्ड है ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, जब उनके खिलाफ चार्जशीट दी गयी है, नोटिस भी जारी कर दिया गया है तो उनको आप सस्पेन्ड क्यों नहीं करते ? अगर आप सस्पेन्ड कर देते, तो यह प्रमोशन तो नहीं मिलता।

श्री राम गोपाल : मैं यह पूछना चाहता हूं कि प्रश्नकर्ता यह कह रहे हैं......

श्री अध्यक्ष : आप क्या कह रहे हैं ?

श्री राम गोपाल : उन्होंने कहा है कि पूर्व जांच में उनको सन्देह है और वह गलत हुई है। तो इसको आधार मान कर मंत्रीजी पुनः उसकी जांच करवायेंगे ?

श्रीमती जमुना सोलंकी (केकड़ी) : मैं पूछना चाहती हूं, जब तक इन्क्वायरी चलती है, इस अधिकारी का प्रमोशन आगे के लिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, रुकवा सकेंगे ?

श्री जयकिशन लाल तोसावडा (फागी) : ऐसे अधिकारी, जिसका प्रमोशन कर दिया गया है, के ऊपर स्पष्ट रूप से जांच चल रही है, वह दोषी है तो क्या उसको रिवर्ट करने का आदेश फर्मायेंगे ?

एक माननीय सदस्य : कभी नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय प्रश्नकर्ता ने सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछा है, उन्हें जांच से संतोष नहीं है। अगर संतोष नहीं

(श्री रामनारायण चौधरी)

है और कोई नई बात या नया मुद्दा रह गया है जिस पर उन्हें संतोष नहीं है तो वह चाहेंगे तो दुबारा जिलाधीश, भरतपुर से जांच करवा ली जायगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री रामसिंह।

श्री गुमानमल लोढा : उत्तर पूरा आ जाय।

श्री मोहनराज (बाली) : प्रश्न के उत्तर मे आपने फर्माया कि जो जांच की गई है, उससे स्पष्ट जाहिर है। उन विकास अधिकारी के खिलाफ गम्भीर अनियमितताएं जांच के दौरान साबित हो चुकी हैं, उनको उस चार्जशीट के मुतल्लिक नोटिस भी दिया जा चुका है। जब प्रारम्भिक जांच से उनके खिलाफ गम्भीर अनियमितता की सारी बात साबित हो चुकी है, उसके बावजूद भी उन्हें सस्पेन्ड नहीं किया जाकर प्रमोट कर दिया गया है। मंत्री महोदय कहते हैं, विभाग दूसरा था जिसने प्रमोट कर दिया। यह सरकार की जॉइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है और राजस्थान सर्विस के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ इस तरह एक्शन न लेकर दूसरे विभाग द्वारा प्रमोशन प्राप्त कर लेना, यह मेरे ख्याल में गम्भीर मामला है और सरकार को इस मुतल्लिक तत्काल कोई न कोई कार्यवाही करनी चाहिए, वरना चिड़िया चुग गई खेत, बाद में कोई परिणाम नहीं निकलेगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) : जांच दुबारा कराने का परिणाम यह होगा कि पहले वाली रफा दफा हो जायगी, इसलिए जांच दुबारा क्यों हो ?

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : जांच हो गई है और उसके खिलाफ गम्भीर आरोप हैं तो आप सदन को आश्वस्त कीजिये कि कार्यवाही की जा रही है या नहीं ?

श्री रामनारायण चौधरी : प्रश्नकर्ता चाहते हैं कि कुछ आरोप हैं जिनके बारे में जांच नहीं हुई है और सारे तथ्य सामने नहीं आये हैं। माननीय सदस्य वह तथ्य प्रस्तुत करें तो उसमें जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक जांच हुई है और उसमें जो चार्जेज सामने आये हैं, उनके बारे में आरोप-पत्र दिया गया है, उसका उत्तर आने के बाद यह महसूस किया गया कि आरोप-पत्र गम्भीर है जिस पर एक्शन लेना जरूरी है तो एक्शन लिया जायगा, और सस्पेन्ड किया जाना जरूरी हुआ तो सस्पेन्ड करने में आपत्ति नहीं है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : चार्जेज क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दिया है।

प्रश्न संख्या 514

श्री रामसिंह कुड़ी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्रीमती उषा प्रकाश।

भरतपुर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक द्वारा दिया गया ऋण

515. **श्रीमती उषा प्रकाश (वैर) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) भरतपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक ने सन् 1974 का अल्पावधि ऋण

(श्रीमती उषा प्रकाश)
किस-किस महीने में कितना-कितना बांटा ?

(2) माह सितम्बर, 1974 में उपरोक्त ऋण की कितनी कितनी राशि किस तारीख को किनको बांटी गई ? कृपया ऋण प्राप्तकर्त्ताओं की वल्दियत एवं गांव के नाम दर्शाते हुये सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) भरतपुर जिला भूमि विकास बैंक ने सितम्बर, 74 में कितनी राशि किन-किन लोगों से किन-किन तारीखों में वसूल की ? कृपया सम्पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि ऋण प्राप्तकर्त्ताओं ने अल्पावधि ऋण का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिये किया ?

सहकारिता मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में काफी जानकारी चाही गई है, इसलिए समय लगने की सम्भावना है। आपसे अनुरोध है कि इसको स्थगित करने की कृपा करें।

श्रीमती उषा प्रकाश : इस सत्र में तो जवाब आ जायगा इस प्रश्न का ?

श्री रामनारायण चौधरी : आ जायगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसी सत्र में आ जाय इसका उत्तर। यह प्रश्न टाला जाता रहा है सरकार की तरफ से।

श्री अध्यक्ष : वाजिब बात है। इसी सत्र में जवाब आ जाना चाहिए।

प्रश्न संख्या 516

श्री अजीतसिंह !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 517

श्री रामचन्द्र रोत !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रामसिंह (लूनी)।

पंचायत समिति, मंडोर क्षेत्र के किसानों को अवाप्त भूमि का मुआवजा

518. **श्री रामसिंह (लूनी)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र जाझीवाल कला, पंचायत समिति मंडोर (जोधपुर) के किसानों की कृषि योग्य जमीन मिलिट्री क्षेत्र के लिये एक्वायर की है ? अगर हां, तो कितने काश्तकारों को कितनी बीघा भूमि व ग्राम पंचायत क्षेत्र की उक्त गोचर व ओरण आदि भूमि अवाप्त की है ? सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) क्या यह सही है कि तीन वर्ष हो जाने के बावजूद भी आज दिन तक उन्हें न तो जमीन का किराया ही दिया गया और न मुआवजा ही मिला ? अगर हां, तो इतनी देरी हो जाने के क्या कारण रहे ?

(3) क्या यह सही है कि जमीन एक्वायर हो जाने से उन गांवों की ढाणियों में बसे काश्तकारों को आने-जाने के रास्ते

(श्री रामसिंह)

तालाब के पानी व पढ़ने के लिये स्कूल में माने में तीन चार मील का चक्कर काट के आना पडता है ? अगर हां, तो इसके लिए राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उस गांव के पिछड़ी जाति व सवर्ण लोगों की जमीन एक्वायर हो जाने से वे बेकार हो गये हैं तथा उन्हें मिलिट्री में नौकरी तक नहीं प्राप्त हो सकी है जब कि कई बार इसके लिए जिलाधीश के माध्यम से प्रयत्न किये ? अगर हां, तो राज्य सरकार इसके लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा): (1) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। 53 काश्तकार जिन पर सैनिक अधिकारियों ने 26–3–73 को कब्जा कर लिया था व उन काश्तकारों को किराया 26–3–73 से ही दिलवाने की कार्यवाही चल रही है।

(2) जी नहीं। कुछ को किराया व मुआवजा दिया जा चुका है व कुछ का सुरक्षा विभाग की स्वीकृति के अभाव में बकाया है।

(3) जी हां। आवागमन की समस्या को आपसी बातचीत से तय किया जा रहा है।

(4) यह पूर्णतया सही नहीं है। 9 व्यक्तियों को नौकरी दी गई है। शेष को स्थान रिक्त होने पर प्राथमिकता के आधार पर नौकरी पर लेने का आश्वासन सैनिक अधिकारियों द्वारा दिया गया है। इस विषय में दिनांक 3-4-74 को मुख्य सचिव ने भी सैनिक अधिकारियों से बातचीत की जिसमें प्रभावित परिवारों में से कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी पर लेने का आश्वासन दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामसिंह : आज से बारह महीने पहले आश्वासन दिया था और आज जो कुछ कह रहे हैं उसमें फर्क है क्या ? एक तो यह, दूसरा मेरा आपसे प्रश्न यह है कि कितने व्यक्तियों को किराया अथवा मुआवजा दिया गया और कितनों का बकाया है ? तीसरा, क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस मुतल्लिक कुछ पत्र-व्यवहार किया है ? अगर किया है, तो क्या प्रोग्रेस है ? चौथा, इनको जहां तक नौकरी देने का प्रश्न है, यह सही है कि एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू नौकरी दी जाती है, उसमें शहर के लोग ज्यादा आते हैं और गांव के नहीं आते हैं-इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? क्या यह सही है कि काश्तकारों को रास्ते, तालाब के पानी व स्कूल के लिए तीन चार मील का चक्कर काट कर जाना पड़ता है····

श्री अध्यक्ष : इतने प्रश्न याद नहीं रहेंगे।

श्री रामसिंह : पूछ लूं, यह बहुत पुराना मामला है।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न का उत्तर परसरामजी देंगे।

श्री अध्यक्ष : दो सप्लीमेन्ट्री एक दफा पूछ लें, दो दूसरी दफा पूछ लें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर): मंत्री महोदय की तरफ से भी जवाब इतना लम्बा आ जाय।

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): अध्यक्ष महोदय, पिछले साल के सत्र में 11-3-74 को प्रश्न पूछा गया था, उस वक्त के बाद प्रगति हुई है, वह इस प्रकार है। जिस वक्त पिछली साल प्रश्न पूछा, उस वक्त किराया किसी को नहीं मिला। अब 30 व्यक्तियों को 35 हजार किराया मिला है। यह पहली प्रगति है। उस वक्त किसी व्यक्ति को नौकरी में नहीं लिया गया था। अब 9 व्यक्तियों को नौकरी में ले लिया गया है। यह दूसरी प्रगति है। तीसरी प्रगति यह है, जो पिछले साल प्रश्न पूछा था, 33 व्यक्तियों की 699 बीघा भूमि के ऊपर आर्मी आॅथोरिटीज द्वारा बिना रिक्वीजीशनिग के कलेक्टर के आर्डर के कब्जा कर लिया गया था। उस सम्बन्ध में उसके रिक्वीजीशनिग के समय हमने जवाब तलब किया कि आर्मी आथोरिटी को इस तरह जो बेड है, गैर-खातेदार जमीन है तो भी कब्जा नहीं करना चाहिए। इस सम्बन्ध में लिखा पढ़ी के बाद कहा कि हमने सामरिक तरह के अस्त्र शस्त्र रखने के लिए इस एरिया को कब्जे में लिया है। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसको मान कर अब रिक्वीजिशनिग के कुछ महीने पहले, फरवरी 25, 1975 को यह भी आदेश दे दिये गये हैं कि इन 33 व्यक्तियों को भी 66 रुपीज पर-बीघा के हिसाब से किराया मिलेगा। माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं, यह कानून, सेन्ट्रल एक्ट बना हुआ है उसमें रिक्वीजिशनिग या एक्वीजिशनिग आफ इम्मूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट, 1952- यह जो पहली पार्लियामेन्ट का दूसरा कानून बनाया था, प्रथम लोक सभा ने और राज्य सभा ने इस कानून में इस बात का प्रावधान है, आर्मी अथोरिटी को किसी प्रॉपर्टी की आवश्यकता है, आर्मी आॅथोरिटी रिक्वीजीशन करेगी पहले एक्वीजीशन की कार्यवाही बाद में चलेगी, रिक्वीजीशन की कार्यवाही के पीरियेड में वह किराया देगी। जैसा कि लूनी से आने वाले माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं, 1963-64 में रिक्वीजीशनिग किया था, उस वक्त किराया 10 रुपये प्रति बीघा दिया गया था। अब किराया तय किया गया है काम्पीटेंट आॅथोरिटी इस एक्ट के जरिये, नोटिफिकेशन के जरिये सब कलेक्टर्स को काम्पीटेंट आॅथोरिटी भारत सरकार ने बना दिया है, उसमें मुआवजे और किराये का प्रश्न है, वह 66 रुपये प्रति बीघा किराया दिया है, कम्पेन्सेशन का सवाल है वह बाद में आ जायगा। 53 व्यक्तियों, जिनकी 699 बीघा भूमि एक्वायर कर ली गई थी अनॉथोराइज्ड तरीके से, उसके लिए सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि रिक्वीजीशन मानते हुए 66 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से रिक्वीजिशनिंग का किराया दिया जाना चाहिए। यह चौथी प्रगति है। मैं समझता हूं कि पिछले साल में काफी प्रगति हुई है। यह मानता हूं कि यह मानवीय समस्या है, जिस तरह इस मामले को लिया गया, माननीय सदस्य जानते हैं कि वर्तमान मुख्य मंत्री ने स्वयं इसमें आदेश दिये हैं, आर्मी में किन्हीं की जमीन चली जाय, तो उनको रिहेबिलिटेट करने का, बसाने का मामला है, दूसरा मामला है, वह तय

(श्री परसराम मदेरणा)

किया जाना चाहिए। उसके बाद ब्रिगेडियर के साथ, सब एरिया ऑफिसर है, उसके साथ चीफ सेक्रेटरी की बहुत बात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया, सारे परिवार, 83 और 53 परिवार मिला कर, इनमें से एक एक व्यक्ति को, जहां तक सम्भव हो सकेगा, आर्मी में सर्विस देंगे, प्रोवाइडेड फिजिकली फिट हों, और ऐज ग्रुप में आते हों। उन्होंने 9 व्यक्तियों को लिया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने डिफेन्स मिनिस्ट्री को लिखा है कि परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दें। उसके बाद भी माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं, वे स्वयं जानते हैं, जोधपुर के पास डिस्पलेस कर दिया जाता है और लोग भारस्टीज बने रहते हैं, ज्यादातर वह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं। हम डिफेन्स मिनिस्ट्री को लिख रहे हैं कि अभी तक जिनका किराया नहीं चुका है, वह इसलिए नहीं चुकाया है क्योंकि विवाद चल रहा है। डिफेन्स मिनिस्ट्री का यह कहना है कि सन् 1963–64 में तो दस रुपया बीघा पर ईयर किराया रखा और अब आप बीस रुपये करते तो कोई बात नहीं लेकिन आपने तो एक बीघा का एक साल का किराया 66 रुपया कर दिया है। इस बारे में डिस्प्यूट चल रहा है। उन्होंने 20 रुपये पर-बीघा के हिसाब से 1700 बीघा जमीन के 36000 रुपये नहीं 35000 रुपये 30 व्यक्तियों को तो किराया दे दिया है।

एक माननीय सदस्य : एक साथ इतने बोल रहे हैं। आप सभी का जवाब दे रहे हैं क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : आप सुनिये। आपको मालूम नहीं है यह डिस्प्लेस्ड पर्सन्स का मामला है हरिजनों का मामला है। हरिजन डिस्प्लेस्ड हो गये हैं। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए लिख रहा हूं कि···

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : आपने तो एक ही सवाल के जवाब में सभी को स्तब्ध कर दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : आपने कहा था कि मिनिस्टर साहब एक ही साथ इतने सप्लीमेंट्री का जवाब कैसे देंगे ? एक साथ 5–6 सवाल पूछ लिये हैं। अब आप सुनिये। हमेशा आप ही लोग बोलते हैं। कभी तो ट्रेजरी बेन्चेज को बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप फरमाइये।

श्री परसराम मदेरणा : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैं अब डिफेन्स मिनिस्ट्री को पत्र लिख रहा हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपने गांवों में गोचर भूमि और ओरण भूमि की जो अवाप्ति की है उसमें इन्डिविजुअल को बता दिया लेकिन जो वहां पर गोचर भूमि और ओरण भूमि अवाप्त नहीं की गयी है उसके बारे में सरकार का क्या कहना है ?

श्री परसराम मदेरणा : वहां पर जो भूमि गोचर और ओरण कन्टीग्यूअस थी उसका तो मैंने बता दिया, लेकिन उसके लिये अब दूसरा आलटरनेटिव क्या होगा, उसके बारे में भी अभी कुछ नहीं कह सकता। अभी मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री दलपत सिंह : आपने जो बताया कि 66 रुपये प्रति बीघा पर इयर किराया दे दिया गया है लेकिन इसका आधार किराये का क्या था ? किस आधार पर 66 रुपया किराया तय किया गया था ?

श्री परसराम मदेरणा : इसमें कलेक्टर कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी है। उस जमीन का एक साल का क्या रैवेन्यू होता उसके अनुसार ही कलेक्टर ने किराया तय किया। यह तो किराया अभी दिया। मुआवजा अभी उन लोगों को मिला नहीं है। चूंकि यह किस तरह से तय किया है इसके बारे में, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि यह तो ज्युडिशियल एवार्ड है। लेकिन अभी तक यह मामला पूरी तरह से तय नहीं है, मिलिट्री ऑथोरिटीज और कलेक्टर के बीच में इस बारे में डिस्प्यूट चल रहा है।

श्री रामसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने मूल प्रश्न में यह पूछा कि यह जमीन एक्वायर हो जाने से उन गांवों की ढाणियों में बसे काश्तकारों को आने-जाने के रास्ते, तालाब के पानी व पढ़ने के लिए स्कूल में आने में तीन-चार मील का चक्कर काट के आना पड़ता है उसके लिए क्या व्यवस्था की है ? उन्होंने तो पाबन्दी लगादी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मन्त्री महोदय प्रश्न यह है कि बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, गांवों वाले तालाब से पानी लावें, उसमें दूरी ज्यादा हो गयी है जिससे कि लोगों को कठिनाई पैदा हो रही है उसके लिये क्या उपाय राज्य सरकार ने किया है ?

श्री परसराम मदेरणा : आर्मी ऑथोरिटी ने और जिला एडमिनिस्ट्रेशन के बीच बात हुई तो उन्होंने वहां पर एक पाइप लाइन तालाब से निकाल कर बाहर करदी है। यह प्रोग्रेस है।

श्री रामसिंह : यह पाइप लाइन आप जो कह रहे है उससे तो गांवों की ढाणियों से पानी लाने में करीब 4-5 मील का चक्कर काट कर आना पड़ता है। दूसरे बच्चों के स्कूल जाने में भी तकलीफ है। वहां पर आप अगर कोई दूसरी व्यवस्था कर देते नजदीक में तो ठीक रहता। वैसे पाइप उसके लिए ढाणियों तक पहुंचने के लिये करीब 6–7 हजार फीट चाहिये वह कहां से गांव वाले लावें ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य जो कह रहे है वह तो ठीक है लेकिन मैं अभी वहां सिचुएशन को तह में नहीं जा सका हूं। मेरी जानकारी में नहीं है कि वहां पर क्या स्थिति है वैसे, जहां तक मुझे जानकारी है उन्होंने बाहर से एक पाइप लाइन लगाने को कहा है।

श्री रामसिंह : बाहर नहीं है अन्दर से कह रहे हैं। इससे तो ढाणियों में रहने वाले लोगों को चार-पांच मील का चक्कर काटना पड़ेगा। आप इस बारे मे कलेक्टर से बात करने की व्यवस्था करें। जिससे कि कलेक्टर वहां के मिलिट्री कमान्डेन्ट से बात करे।

श्री परसराम मदेरणा : वहां से जो मुझे जानकारी मिली उसके अनुसार कह रहा हूं बाहर का कहा गया है।

श्री रामसिंह : वह बाहर का नहीं है अन्दर से कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : चूंकि वहां पर अगर रास्ता दे दें तो मिलिट्री का सामान पड़ा है जिससे बच्चों को स्कूल जाने आने में खतरा हो सकता है इसलिए बाहर से रास्ता रखा होगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुआ।

प्रश्न संख्या 519

नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्रीमती निर्मला कुमारी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री गिरधारीलाल भार्गव ; श्री श्रीराम गोटेवाला, श्री राजेन्द्र भारतीय।

जयपुर में ट्रक स्टेण्ड योजना

520. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा-महल, जयपुर) श्री श्रीराम गोटेवाला, (किशनपोल जयपुर) श्री राजेन्द्र भारतीय, (बूंदी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या जयपुर नगर की यातायात व्यवस्था में सुधार लाने हेतु ट्रक स्टेण्ड योजना बनी थी।

(2) क्या यह सही है कि इस योजना को शीघ्र लागू किये जाने के आश्वासन राजस्थान विधान सभा में दिया गया था ? यदि हां, तो यह योजना कब पूरी होकर लागू हो जायेगी ? एक निश्चित तिथि की घोषणा करें।

(3) क्या यह सही है कि ट्रक स्टेण्ड योजना में अभी तक किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है ? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी : (1) जी हां।

(2) न्यास द्वारा आगरा रोड पर ट्रक स्टेण्ड योजना पूर्ण रूप से विकसित की जा चुकी है। तथा राज्य सरकार ने हाल ही में ट्रक आपरेटर्स एसोसियेशन से वार्ता के पश्चात् ट्रक आपरेटर्स को इस योजना में भूमि के आवन्टन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया है तथा यह शर्त अंकित की है कि ट्रक आपरेटर्स द्वारा दिनांक 31-8-75 तक गोदामों का निर्माण पूर्ण कर लिया जावेगा।

(3) जी नहीं। ट्रक स्टेण्ड, आगरा रोड में सड़कें, खाली ट्रकों के खड़े रहने हेतु स्टेट प्लेटफार्म तथा बिजली की सुविधायें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई नोटिफिकेशन ट्रक आपरेटर को दिये। कि वह परटीक्यूलर तारीख तक अपने गोदामों का निर्माण करें ?

श्री रामनारायण चौधरी : 31-8-75 तक का समय पहले ट्रक आपरेटर्स को दिया गया था।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय वहां पर अभी तक कोई ट्रक वालों ने अपने गोदाम नहीं बनाये हैं और अब आपने उनको शायद एक महीने की और छूट दे दी है वह तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक वहां कुछ भी नहीं है तो क्या

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

उनके पास अलादीन का चिराग है कि वह तीन महीने के अन्दर अन्दर गोदाम बना लेंगे? इसलिए मेरा कहना यह है कि कोई ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटीज द्वारा, कलेक्टर द्वारा और नगरपालिका द्वारा ट्रक आपरेटर्स को दिया गया है कि उक्त समय में वह अपने गोदाम बनालें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से एक-दो सवाल हैं पहला, क्या राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री मोहनलाल सुखाड़िया साहब ने ट्रक मालिकों को यह आश्वासन दिया था कि राज्य सरकार ट्रक ऑपरेटर्स को जमीन व बिजली उपलब्ध करायेगी ? और उसके लिये उन्होंने जमीन की रेट्स भी तय करने को कहा था ? पर वह जमीन अभी तक उन्हें नहीं मिली है और न ही वहां पर बिजली है और न ही आज तक वहां पर जमीन किस रेट पर उन्हें दी जायेगी यह तय हो पाया है । इसके अलावा दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या ट्रक ऑपरेटर्स ने राज्य सरकार से यह मांग की है कि जब तक उन्हें जमीन नहीं मिले तब तक उन्हें शहर के भीतर होकर ट्रक ले जाने की परमीशन दी जाय ? इसके अलावा मैं राज्य सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक वहां पर बिजली की भी व्यवस्था नहीं हुई है न ही वहां पर सड़क बनी हुई है तथा वहां पर अभी मिट्टी के टीले खड़े हैं। इसकी व्यवस्था कब तक हो जायेगी।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहूंगा कि नगरपालिका और ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटीज द्वारा नोटिफिकेशन्स निकाल दिये गये हैं जिससे कि ट्रक ऑपरेटर्स को पाबन्द कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद ट्रक ऑपरेटर्स की यूनियन ने आकर राज्य सरकार के सामने यह निवेदन किया कि जब तक उन्हें जमीन नहीं मिल जाये तब तक के लिये उन्हें रिलेक्सेशन दिया जाय । अब वहां पर जमीन की रेट्स फिक्स हो गयी है और वह रेट 35 रुपये गज रखी है । इसलिये अब मैं समझता हूं कि वह लोग वहां पर जमीन खरीद कर निर्माण गोदामों का करना शुरू कर देंगे । इस सम्बन्ध में जो कुछ भी प्रक्रिया थी वह चालू की जा चुकी है लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है मकान वगैरह बनाने में । अतः राज्य सरकार ने एक माह की अवधि और आगे बढ़ा दी है । यह रिलेक्सेशन उन्हें दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

श्रीजनार्दनसिंह गहलोत(गांधीनगर जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि इन्होंने अपने प्रश्न के जवाब में दोनों ही उत्तर अलग अलग दिये हैं। एक में तो इन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने करीब करीब सारी व्यवस्थायें ट्रक ऑपरेटर्स को बिजली जमीन और सड़क आदि की करदी है, लेकिन दुबारा उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य सरकार ने हाल ही में ट्रक ऑपरेटर्स की एसोसियेशन से वार्ता के पश्चात् आपने इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने की बात की है, तथा साथ में उसमें शर्त अंकित की है कि ट्रक ऑपरेटर्स द्वारा दिनांक 31-8-75 तक गोदामों का निर्माण पूर्ण कर लिया जावेगा । तो इसके क्या मतलब ? क्या यह एज इट इज व्यवस्था रहेगी ? आपने ही

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)
प्रश्न के उत्तर में दो जवाब दो बार दिये। कब तक यह व्यवस्था पूरी हो जावेगी? क्योंकि यह मामला कई वर्षों से विचाराधीन है। भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी सुखाड़ियाजी के टाइम से पेन्डिंग है। पानी की व्यवस्था नहीं है, टंकी वहां पर पूरी बनी हुई नहीं है। लगता है कि दो साल में जाकर यह पूरी होगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री राम नारायण चौधरी : माननीय सदस्य को समझने में भ्रम हुआ है। ये सुविधायें, सड़क, पानी, ट्रकों को खड़ा करने के लिये प्लेटफार्म और बिजली की सुविधायें, उपलब्ध हैं यह कहा। ट्रकों को खड़ा करने व गोदामों का भी प्रश्न है उसके साथ। यह व्यवस्था नहीं की है। यू. आई. टी. और ट्रक आपरेटर्स के बीच में जमीन का प्रश्न था। तो 35) रुपये के हिसाब से जमीन दे दी है। 31–8–75 तक का समय दिया गया है, ऑफिसेज, गोडाउन्स बना लें और ट्रक वहां पर खड़ी करें।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : क्या 31-8-75 तक का समय पर्याप्त है कि वे इस समय में अपने गोदाम वगैरा बना लें? क्या इस प्रकार का समय अनेक बार नहीं दिया जा चुका है? क्या आप रीजनेबल टाइम में ही पूरा करायेंगे बजाय इसके कि इस तरह के नोटिसेज निकालें कि ट्रक्स न आयें। ट्रकों से ही एक्सीडेन्ट्स ज्यादा होते हैं, अपने आपमें एक बड़ा भारी यह प्रश्न है। मेक्सिमम एक्सीडेन्ट्स इन ट्रक्स से ही होते हैं। क्या आप इस प्रकार की कोई गारन्टी करेंगे क्योंकि पहले भी आश्वासन दिये गये थे, अब और अधिक समय नहीं दिया जावेगा?

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पूर्व) : आवंटन के क्या आधार हैं यह बता दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 31-8-75 की डेट आपने कायम कर दी। सीधा सादा निवेदन करना यह है कि न तो वहां पर पानी है, न बिजली है और न ही टीबों को लेवल कराया गया है। समतल नहीं हुए हैं। दो-ढाई महीना बाकी बचता है, आपने स्वयं ने सदन में पिछली बार आश्वासन दिया था, मुख्य मंत्रीजी ने भी दिया था, उनको ये सुविधायें कब तक मिल जावेंगी? रेट्स कायम करके कब्जा दे दिया जाय तब तो यह होगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह सारे काम हो चुके हैं। टीलों का लेवलिंग हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं भूलता हूं तो आपके जमाने की स्कीम है। वर्षों से पड़ी हुई है। रेट्स फाइनल कर दी है तो 31-8-75 की लास्ट डेट दी है तो मंत्रीजी अधिकारियों को आदेश दें कि यह लास्ट डेट होगी और आगे कोई छूट नहीं दी जावेगी।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय मंत्रीजी यह बता दें कि अधिकारीगण नयी नयी पेचीदगियां पैदा नहीं करेंगे तो संतोष हो जायगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप कहते हैं सुविधायें हैं लेकिन वहां सुविधायें नहीं हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सुविधायें हैं

श्री गिरधारीलाल भार्गव : टीले पड़े हुए हैं। निर्माण कार्य कब पूरा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आपस में क्यों बहस करते हैं ?

श्री शंकरलाल : उनके आपस में तो पहले तय हो जाय।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : माननीय मंत्रीजी से मैं जानना चाहूंगा कि जयपुर में ही यह समस्या नहीं है, लेकिन अन्य स्थानों पर भी है जहां पर ट्रकों का बहुत बड़ा आवागमन होता है। जोधपुर का उदाहरण ले लीजिये, क्या इसी प्रकार के स्टैंड अन्य शहरों में भी, जोधपुर या अन्य स्थानों पर, करवाने की योजना रखते हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : अन्तिम तिथि तय करने की बात थी तो ट्रक मालिकों से बात करके और जमीन की कीमत तय करने की बात थी और उसके बाद यह तय हुआ कि 31-8-75 तक इसको पूरा करें। माननीय सदस्यों को यह उत्सुकता है कि क्या 31-8-75 तक गोदामों का निर्माण कर लेंगे और जो तारीख दी है तब तक यह सारी कार्यवाही पूरी हो जायगी, मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार इसको सतर्कता से देखेगी कि 31-8-75 की तारीख है उस तक निर्माण कार्य पूरा करें।

जहां तक जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य का प्रश्न है कि जयपुर की तरह ही अन्य शहरों की भी यही समस्या है तो वहां क्या विचार है, उसके लिये निवेदन करूंगा कि फिलहाल तो जयपुर के लिये ही है और आगे जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर के लिये भी यह सुविधायें उपलब्ध हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री दीपंकर।

श्री मूलचन्द सामरिया : कौन बनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न, इतना समय देने के बाद ही ले रहा हूं।

श्री दीपंकर!

बारानी कांकड़ नावां की भूमि

521. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि 7 सितम्बर, 1973 को पेशे से काश्तकार श्री दुर्गाप्रसाद साहू ने अराजी खसरा नं. 163 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा बारानी कांकड़ नावां में स्थित जमीन को अपनी कब्जा शुदा खातेदारी की भूमि बताते हुए अपने ही चहेते श्री भंवरलाल पुत्र श्री लादूराम चेजारा निवासी नावां को एक हजार रुपये में बेच दिया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जमीन कस्टोडियन विभाग की मिलकियत है क्योंकि मालिक पाकिस्तान जा चुका है ? अगर हां, तो फिर इस तथाकथित काश्तकार ने अपनी खातेदारी बता कर कैसे इस जमीन को बेच दिया ? इस धोखाधड़ी के लिये सरकार उक्त काश्तकार के विरुद्ध क्या

(श्री दीपंकर)

कार्यवाही करने जा रही है ? अब तक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा):
(1) जी हां।

(2) यह सही है कि उक्त भूमि का खातेदार अहमद खां रहमान खां, हुसैन बख्श पिता करीमबख्श मुसलमान साकिन नावां था, जो पाकिस्तान चला गया इस आधार पर भूमि कस्टोडियन विभाग की होनी चाहिये। मगर जो सूची कस्टोडियन विभाग से आई उसमें यह भूमि निष्कान्त सम्पत्ति दर्ज नहीं है। इस भूमि को 1000) रु. में श्री दुर्गाप्रसाद पुत्र कन्हैयालाल साबू को श्री फुलुमल पुत्र रेहूमल सिंधी निवासी सांभर ने बेचान रजिस्ट्री कराई इसलिये यह तो नहीं कहा जा सकता कि श्री दुर्गाप्रसाद ने धोखाधड़ी करके यह भूमि भंवरलाल चेजारा को बेची, मगर फुलुमल ने किस आधार पर बेची क्या कस्टोडियन विभाग ने उक्त भूमिभाग उसको हस्तांतरित की या नहीं इसकी जांच करने पर ही मालूम हो सकता है। इसके लिये सम्बन्धित विभाग से जानकारी मांगी जा रही है उसके बाद में ही अगर फुलुमल द्वारा गलत आधार पर बेचान किया जाना पाया गया तो का बिजान के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न नं. 1 में यह निवेदन किया है कि दुर्गाप्रसाद साबू ने आराजी बेची है वह गलत बेची है और माननीय मंत्री महोदय ने माना है दरअसल पाकिस्तान गये व्यक्ति की भूमि कस्टोडियन की लिस्ट में आनी चाहिये थी लेकिन उस लिस्ट में वह नहीं है। नोटिस में लाना था कि सही जानकारी प्राप्त करें, बड़े बड़े शहरों में तो मकानात, बिल्डिंग्स, लेकिन गांवों में तो खेती की जमीनें हैं जिसके सम्बन्ध में अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, न तो बेच कर गये और न ही बता कर गये, मनमाने ढंग से लोग मालिक बन गये। जो जमीन का मालिक नहीं था उसने बेच दी। क्या सरकार 420 का मुकदमा चलाने का इरादा रखती है ? भूमि का मालिक नहीं था तो उसको कैसे उसने बेच दिया ? साबू के बारे में प्रश्न दिये हैं कि क्या क्या गड़बड़ियां की हैं। दुर्भाग्य से आगे नम्बर आये नहीं। सीधा सा प्रश्न है, किसी का खेत बेच दें........

श्री अध्यक्ष : कृपा करके पूरक प्रश्न पूछें।

श्री दीपंकर : यह पूछ रहा हूं कि सरकार निश्चित रूप से बताये कि जो आदमी भूमि का मालिक नहीं था वह भूमि बेच गया क्या उसके खिलाफ मुकद्दमा चलाने का इरादा रखती है ?

श्री मूलचन्द मीणा : जहां तक प्रश्न से सम्बन्धित विषय है वह यह है कि यह जमीन अभी तक जिस खातेदार के नाम दर्ज थी वह पाकिस्तान चला गया। अब सवाल रहा बेचान का, फुलुमल ने साबू को बेचा। जिसकी रजिस्ट्री हुई है। अब इसमें फुलूमल का किस तरह से अधिकार था, उसमें किस तरह से बेचान की,

(श्री मूलचन्द मीणा)
इसकी जांच हो रही है और कस्टोडियन डिपार्टमेंट को लिखा जा रहा है कि वह इसकी पूरी जांच करके लिस्ट दें। उसमें इसका सही पता होने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी। वैसे अभी तक फुल्लूमल ने और श्री साधु ने अपने नामान्तरण के लिए बराबर आवेदन किए हैं लेकिन अब तक नामान्तरण उनके नाम पर नहीं हुए हैं।

श्री दीपंकर : जब यह नामान्तरण उनके नाम पर नहीं हुआ तो उन्होंने भूमि का बेचान कैसे कर दिया और बेचने का अधिकार उनको कैसे हो गया ? इसमें निश्चित रूप से धोखाधड़ी हुई है, चार सौ बीसी हुई है। कोई भी आदमी किसी का खाता नहीं बदल सकता जब तक उसका खाता नहीं बदला उसको अपनी मिल्कियत मान कर बेच नहीं सकता।

श्रीमती उषा प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, कस्टोडियन की जमीन से सम्बन्धित और भी मामले जयपुर जिले में हमारे सामने हैं। क्या सरकार यह विचार रखती है कि इस तरह के केसेज की जिसमें जमीन की मिल्कियत कस्टोडियन की है उसकी दुबारा जांच करावें और उसके बाद उनका वितरण करा दें या उस जमीन का जिसको एलॉटमेंट करना चाहिए उसको एलॉटमेंट कर दिया जावे ताकि फर्जी बेचान और फर्जी कब्जे जो हो रहे हैं वह आगे रुक जावें।

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): माननीय सदस्या ने जो सप्लीमेंट्री पूछा वह प्रश्न इस मामले से सम्बन्धित नहीं है। कस्टोडियन के पास जो भूमि आ गई है उस सम्बन्ध में मेनेजमेंट और एलॉटमेंट करने की बात है, यह प्रश्न दूसरा है।

यहां प्रश्न यह है कि कस्टोडियन जनरल के सेंट्रल पूल में एवेक्यू प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान चले गए उनकी जमीनें एवेक्यू प्रोपर्टी एक्ट के तहत यह प्रॉपर्टी एवेक्यू है या नहीं, यह मालूम कर रहे हैं, और क्योंकि यह खातेदार पाकिस्तान चला गया और कस्टोडियन जनरल ने जो रिफ्यूजी भेजा है उसमें यह एवेक्यू प्रापर्टी नहीं है और खातेदारी के नाम से दर्ज है। फुल्लूमल ने इसे दुर्गाप्रसाद को बेचा और दुर्गाप्रसाद ने भंवरलाल को बेचा। अब आप कहते हैं कि दुर्गाप्रसाद ने अपने बहते और मजिदान भंवरलाल को कैसे बेच दिया तो प्रश्न यह है कि फुल्लूमल ने यह रजिस्ट्री कैसे करा ली और फुल्लूमल का क्या क्लेम था या वह डिस्प्लेस्ड परसन है ? क्या है ? इस बात की जानकारी की जा रही है और इस बात की भी जानकारी की जा रही है कि इवेक्यू प्रापर्टी क्यों नहीं घोषित की गई जब कि इसका खातेदार पाकिस्तान चला गया ? इसकी भी जांच की जा रही है कि क्या धोखा धड़ी है ?

श्री दीपंकर : मंत्री महोदय जब इसको स्वीकार कर चुके हैं और अब राजस्व मंत्री महोदय भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि इस जमीन का मालिक पाकिस्तान चला गया तो वह एवेक्यू प्रोपर्टी हो गई। अब लिखने में गलती रह गई और आपके नोटिस में ला दिया गया है कि यह जमीन पाकिस्तान जाने वाले की है तो आप कार्यवाही क्यों नहीं कर सकते हैं ?

(व्यवस्था सूचक घण्टी)-(व्यवधान-अश्रव्य)

(श्री दीपंकर)

दरअसल में उनके खिलाफ कार्यवाही करवाइये और...

श्री केदारनाथ : प्रश्न यह है कि जब तक यह प्रोपर्टी डिस्प्यूटेड है, आप रिसिवर क्यों नहीं बिठा देते हैं। आप जमीन को रिसिवर के अण्डर दे दें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : एक प्रश्न और पूछूंगा अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सही है कि क्या...

श्री गुमानमल लोढा : क्या दीपंकरजी का जजमेंट ही पर्याप्त नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: जब यह लिस्ट में नहीं है तो राज्य सरकार इस भूमि को एवेक्यू डिक्लेयर क्यों नहीं कर देती ?

श्री गुमानमल लोढा : दीपंकर जी का जजमेंट पर्याप्त नहीं है क्या ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : एवेक्यू डिक्लेयर नहीं हो सकती है तो आपको कोई अधिकार नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : आप ठीक कहते हैं। हम तो कस्टोडियन जनरल को पूछ सकते हैं कि यह एवेक्यू है या नहीं और फुल्लूमल का टाइटल क्या है, बेचने का उसको क्या अधिकार है। दोनों प्रश्नों के मामले में उनसे बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह राठौड।

मजदूरों की बकाया राशि

522. श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि आलमास, तहसील मांडल, जिला भीलवाड़ा, में गांव के पास के तालाब पर सन् 67 में अकाल कार्य चला था ? यदि हां, तो उसकी मजदूरी अभी तक नहीं चुकाई गई है ?

राज्य मंत्री, अकाल सहायता (श्री गुलाबसिंह शक्तावत): जी हां, मजदूरी चुका दी गई गई है।

श्री विजयसिंह राठौड : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह खेदजनक विषय है कि माननीय मंत्री महोदय जो जवाब दे रहे हैं जैसे हमें कोई वाकफियत ही नहीं हो और ख्वामख्वाह प्रश्न उठाते हों। वहां पर आठ साल से कोई मजदूरी का पेमेंट नहीं किया गया है, केवल झगड़ा इस बात का था कि जहां पर, जिस तालाव पर काम चला उसके बाद में प्रश्न उठा था टाइटल का। टाइटिल का विवाद उठ जाने के बाद में काम नहीं चला लेकिन एक महीने तक मजदूरों से काम लिया गया और फिर दूसरी तरफ काम चलाया। जितने मजदूर थे उनका मस्टर रोल तैयार हुआ था और पंचायत समिति में वह मस्टर रोल आठ साल से पड़े हुए हैं, उनका पेमेंट नहीं हुआ है...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मेरा प्रश्न यह है...

श्री अध्यक्ष : पहले एक का प्रश्न तो पूरा हो जावे।

श्री विजयसिंह राठौड : क्या आप इसके लिए किसी विशेष अधिकारी से या किसी व्यक्ति को नियुक्त करके जांच

(श्री विजयसिंह राठौड़)
करवायेंगे कि वास्तव में पेमेंट हुआ है या नहीं ? पंचायत समिति के अन्दर मस्टर रोल पड़े हुए हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मेरे प्रश्न का भी उत्तर दे दें। माननीय मंत्रीजी, क्या आप अपनी आंखों से देखकर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं या आंखें बन्द करके अधिकारियों की आंखों से देखे हुए प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : यहां आठ साल से पेमेंट नहीं हुआ तो कौन दोषी है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है गरीबों को भूखों मारने के लिए ?

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं भी एक प्रश्न कर लूं साहब।

श्री अध्यक्ष : हां हां, आप भी।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप यह बतादें कि आपने भुगतान किया तो कौन सी तारीख को किया और कितने कितने रुपयों का किया और कितने साल बाद किया ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इस तालाब पर अकाल राहत कार्यों के तहत केवल 12–2–70 से 13–2–70 तक अकाल सहायता के अन्तर्गत कार्य कराया गया जिसकी कुल मजदूरी 239.35 पैसे हुई जिसका चुकारा कर दिया गया है ....

श्री दीपंकर : कब किया, माननीय मंत्रीजी बता दें।

श्री शंकरलाल : चुकारा कौन सी तारीख को किया।

श्री अध्यक्ष : पहले उत्तर तो पूरा सुन लीजिए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अब इसमें माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इस पर बहुत दिनों तक काम हुआ और मस्टर रोल पंचायत समिति में पड़े हुए हैं और पंचायत समिति ने न उसको पेमेंट के लिए भेजा और न ही पेमेंट किया है। माननीय सदस्य ने जैसी सूचना मुझे यहां दी है उसके आधार पर दुबारा जांच करवा लूंगा और अगर पेमेंट करना होगा तो चुकारा करा दिया जावेगा।

स्थगित प्रश्न सं. 180,

(दिनांक 25–2–75)

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

स्थगित प्रश्न सं. 280

(दिनांक 3–3–75)

श्री केशरीमल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

स्थगित प्रश्नों में दोनों ही नहीं हैं। नाऊ अगेन रिपीट।

प्रश्न संख्या 523

श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मेरे पास आज की अथोरिटी है।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास तो नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मेरे पास है आज की।

श्री अध्यक्ष : आपके पास होने से मुझे कैसे मदद मिलेगी ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मेरे पास 15, 16 और 17 की प्रयोरिटी है।

श्री अध्यक्ष : आज की नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : 14, 15, 16 की प्रयोरिटी है और आज तो 15 ही है। 16 को इतवार है और 17 की भी है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बेनिफिट आफ डाउट देता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : प्रश्न सं. 523, अध्यक्ष महोदय, आज इस प्रश्न के ऊपर माननीय सदस्य रामकिशन जी का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, मैं चाहूंगा कि इस समय व्यर्थ सदन का समय नष्ट नहीं करके उस समय आप मुझे भी कहने का मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष : बहुत अक्लमन्दी की बात कही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं तो सदा ही अक्लमन्दी की बात करता हूं।

(व्यवधान-अश्रव्य)

आपका सही चेला होने के नाते मैं तो हमेशा अक्लमन्दी की ही बात करता हूं।

श्री केदारनाथ : प्रश्न का उत्तर तो आ जाय।

श्री अध्यक्ष : आपकी इनायत का शुक्रिया।

श्री शंकरलाल (पाली) : अध्यक्ष महोदय, आप इनको चेला स्वीकार करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : वह क्लेम करते हैं तो मैं डिनाई क्यों करूं ?

श्री भानुकुमार शास्त्री।

नीमच माता कालोनी स्कीम, उदयपुर

524. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नीमच माता कालोनी स्कीम, उदयपुर में बनवासी, पिछड़े हुए तथा अन्य लोगों को कितने रिहायशी प्लाट नगर प्रन्यास द्वारा आवंटित किये गये और किन किन व्यक्तियों को किस किस कीमत पर दिये गये ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही हैं कि नगर प्रन्यास, उदयपुर से रिहायशी प्लाट आवंटित करने के लिए नीमच माता गृह निर्माण समिति बनाई गई जिसका नाम बदल कर देवी गृह निर्माण समिति कर दिया गया ? यदि हां, तो उस तथाकथित समिति के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, कानूनी सलाहकार तथा संरक्षक के नाम सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि नगर प्रन्यास, उदयपुर ने नीमच माता स्कीम में जिन बनवासियों तथा अन्य व्यक्तियों को रिहायशी

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
प्लाट आवंटित किये–उन प्लाटों से संबंधित कागजात सम्बन्धित व्यक्तियों को न देकर तथाकथित समिति के पदाधिकारियों को दिये गये ?

(4) क्या यह सही है कि तथाकथित समिति के पदाधिकारियों ने नगर प्रन्यास से प्लॉट आवंटित करवा कर सम्बन्धित व्यक्तियों को निर्धारित मूल्य से अधिक राशि लेकर प्लॉट आवंटित किये ? क्या इस प्रकार की कोई शिकायत वहां के निवासियों से जिलाधीश को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह सही है कि नीमच माता कालोनी में ऐसे भी बनवासी हैं जिनके नाम से तो रिहायशी प्लॉट आवंटित हो गये किन्तु वे ही प्लॉट किन्हीं अन्य व्यक्तियों को 4000 रु. की अधिक कीमत पर बेच दिये गये ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(6) नीमच माता स्कीम में ऐसे कितने प्लॉट आवंटित किये गये जिनके लिए नगर प्रन्यास, उदयपुर में न तो आवेदन-पत्र हैं और न किसी भी व्यक्ति का शपथ-पत्र है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(7) नीमच माता व गाडरियावास में रहने वाले ऐसे कितने अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति हैं, जिन्होंने नगर प्रन्यास में मकान के लिए भूमि आवंटित करने के लिए प्रार्थना-पत्र दे रखे हैं, और उन्हें भूमि आवंटित नहीं की गई है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

नगर आयोजन मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : इस प्रश्न में सूचना एकत्रित करने में समय लगने की सम्भावना है, इसे फिलहाल स्थगित करने की प्रार्थना है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसी सदन में इसका उत्तर दिला दिया जावे। इसमें काफी गबन और घोटाले हैं इसलिए इसी सदन में आ जायं तो उचित हो।

श्री अध्यक्ष : इसी सत्र में या सदन में।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसी सत्र से तात्पर्य है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री जान मोहम्मद खां।

पटवारियों की होम तहसीलों में नियुक्ति

525. **श्री हाजी जान मोहम्मद खां** (पिडावा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने पटवारियों के लिए ऐसा आदेश जारी किया है कि होम तहसील में वहां का पटवारी नहीं रह सकता ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार ने इस आदेश का पालन किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या गिरदावर, कानूनगो, तहसीलदार और दूसरे अन्य राजस्व कर्मचारियों पर होम तहसील का आदेश लागू होगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूल चन्द मीणा) : (1) जी हां, प्रशासनिक दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है।

(श्री मूलचन्द मीणा)

(2) आदेशानुसार पालना की जा रही है।

(3) ये आदेश गिरदावर, कानूनगो, नायब तहसीलदार व तहसीलदार पर लागू होंगे। अन्य राजस्व कर्मचारियों पर नहीं।

श्री शंकरलाल (पाली) : अध्यक्ष महोदय, इस आदेश के पीछे आधार क्या है? इस आज्ञा के पीछे आधार क्या है?

हाजी श्री जान मोहम्मद खां : यह इन बेचारे पटवारियों को देश निकाला क्यों दिया गया है? जैसे अंग्रेजों के जमाने में होता था कि किसी को सजा देनी होती थी तो उसको काले पानी भेज दिया जाता था और नाराज होने पर भी काला पानी भेज दिया करते थे। हमारी सरकार ने या हमारे मंत्रीमण्डल ने या रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने यह क्यों आदेश निकाला कि पटवारी अपने घर पर नहीं रह सकते? क्या आपने इसी प्रकार के कदम गिरदावर, कानूनगो, इंस्पेक्टरों के खिलाफ भी उठाये हैं?

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): यह कानून होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगाने का बनाया तो क्या उच्च अधिकारियों के लिए भी यह कानून बनाया है या नहीं जैसे कलेक्टर है, असिस्टेन्ट कलेक्टर है ? क्या अजमेर में जो आज कलेक्टर है वह उसी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है?

हाजी श्री जान मोहम्मद खां : यह पटवारियों की बात है। क्या आप ऐसा करते हैं?

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि राजस्थान पटवार संघ के सालाना अधिवेशन में........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पटवारी कलेक्टर से ज्यादा हैसियत रखता है।

श्री केदारनाथ : माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने होम डिस्ट्रिक्ट की पाबन्दी को हटाने का आश्वासन दिया था?

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि कुछ विभाग के अधिकारी जो गजेटेड आफिसर हैं जैसे सब-इन्सपेक्टर आफ पुलिस हैं और तहसीलदार हैं यह होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहेंगे और पटवारियों के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, यह निर्णय लिया गया था, जिसकी जानकारी आपको है, उस समय के तत्कालीन राजस्व मंत्री थे उन्होंने यह निर्णय लिया था कि उन्हें राजकीय हित में, प्रशासनिक दृष्टि से और एडमिनिस्ट्रेशन के सुधार के हित में और जनहित में होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रखा जाये और यह भी निर्णय लिया था कि गिरदावर और नायब तहसीलदारों को भी होम तहसील में नहीं रखा जाये और तहसीलदार को जिले में नहीं रखा जाये। इसकी अनुपालना में मैं समझता हूं कि सभी विभागों की तरफ से मैं उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि यह जानकारी मेरे पास नहीं है, और इसका जवाब तो डिपार्टमेन्ट आफ परसोनल ही दे सकता है, लेकिन जहां तक पटवार संघ का मेरे सामने सुझाव रखा था जब गंगानगर में उनका अधिवेशन हुआ था उस समय तो उन्होंने कहा था कि उस सर्किल में नहीं रखा जाये क्योंकि बड़ी परेशानी होती है और लो–पेड एम्पलाइज हैं और उसी पंचायत समिति के क्षेत्र में बी. एल. डब्लू. और दूसरे लोग रह रहे हैं तो हमको तहसील से

(श्री परसराम मदेरणा)
बाहर दूसरी तहसील में स्थानान्तरण करने का जो राज्य सरकार ने आदेश दिया है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए और पुनर्विचार करने के लिए उस समय यह बात कही थी। राज्य सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है।

हाजी श्री जान मोहम्मद खां : मैं आपके सामने मिसाल पेश करता हूं कि हमारे यहां पटवारी है और वह बहुत परेशान है तो क्या ऐसे मामले में आप किसी तरह का गौर करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा करने का इरादा नहीं है।

श्री किशन मोटवानी : कलेक्टर राजस्व का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे उच्च अधिकारी है और आपके मातहत है।

श्री परसराम मदेरणा : कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई आफिसर है, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट आफिसर है, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर कोई प्रोजेक्ट हो तो उसका डाइरेक्टर और प्रोजेक्ट आफिसर भी है, इसलिए जिनके पोस्टिंग और ट्रान्सफर्स डिपार्टमेंट आफ परसोनल से होते हैं वह मुझसे सम्बन्धित नहीं हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, दो प्रकार के पटवारी हैं जिनका सीधा सम्बन्ध माननीय मन्त्री महोदय आपसे है और वह आपके अन्दर में हैं—एक तो राजस्व के पटवारी और दूसरे कालोनाइजेशन के पटवारी। उस सम्बन्ध में तो आपको यहां निश्चित उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। पालना हुई या नहीं लेकिन इर्रीगेशन पटवारी का सम्बन्ध है। क्या आपकी और इर्रीगेशन डिपार्टमेंट की दोनों की ओपीनियन एक ही है इस सम्बन्ध में—यह मैं जानकारी चाहूंगा और इर्रीगेशन पटवारियों को होम तहसील में नहीं रखा जाय इस प्रकार का भी निर्णय हो गया है और चौथे पटवारी जो कलेक्शन करते हैं उनके सम्बन्ध में क्या निर्णय है यह बताने का कष्ट करें। अन्तिम प्रश्न यह है कि पटवारी जो डेमेज करते हैं वह तो कोई दूसरा सोसाइटी को नहीं करता। आपके इस निर्णय में डिले होने के क्या कारण हैं ? उनका होम तहसील से ट्रान्सफर कर दो।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो फेस प्रोग्राम में करने का था। 1973 में इस प्रकार के आदेश दिये उसी से ट्रांसफर्स हो रहे हैं।

हाजी श्री जान मोहम्मद खां : ठीक है, पटवारी खराब होते हैं लेकिन खराब पटवारी को सजा दी जा सकती है और यह करना आपके और मंत्री मण्डल का काम है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, जो सरकार ने पहले निर्णय लिया था पटवारियों के बारे में कि उनको होम तहसील में नहीं रखा जाये, गिरदावर और कानूनगो के बारे में, नायब तहसीलदार के बारे में और तहसीलदार के बारे में यह निर्णय लिया था यह बहुत सोच समझकर लिया था और सही निर्णय लिया था और इसका हमने स्वागत किया था तो फिर पटवारियों के लिए क्यों पुनर्विचार कर रहे हैं, यह प्रश्न है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : (श्री हाजी जान मोहम्मद खां के बोलने पर) तशरीफ रखिये, काफी आपने कह दिया।

श्री लूणाराम !

पंचायत समितियों का वर्गीकरण

526. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों का वर्गीकरण सही ढंग से न होने के कारण भिन्न भिन्न पंचायत समितियों, जिला परिषदों व जिलाधीश द्वारा प्रस्ताव एवं ऐतराज राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो जिन पंचायत समितियों, जिला परिषदों व जिलाधीशों द्वारा एतराज आए हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भिन्न भिन्न प्रस्तावों पर कब कब क्या क्या निर्णय लिए गए ?

(3) क्या सरकार अब भी वर्गीकरण की दुरुस्ती करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

पंचायत मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी हां, मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) वर्गीकरण के सम्बन्ध में मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि विचाराधीन मामले का निर्णय कब तक हो जायेगा ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि क्या पंचायत समितियां जो पहले 3 भागों में विभाजित थीं उनको तोड़कर कृषि और पशुपालन, दो, में ही रखा गया है ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, विचाराधीन मामले का राज्य सरकार शीघ्र ही निर्णय करेगी। आपके सप्लीमेन्टरी नम्बर दो का उत्तर यह है कि पहले पंचायत समितियां तीन भागों में विभाजित थीं ऐसा पूछा गया तो "जी हां" वह 'अ' 'ब' 'स' में विभाजित थी। अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा गठित निदेशक सामुदायिक विकास व पंचायत समिति ने इस वर्गीकरण पर विचार कर सिफारिश दी है कि पंचायत समितियों का वर्गीकरण (अ) और (ब) में, जो कृषि प्रधान हैं और जिनका कृषि से ताल्लुक है उनको (अ) ब्लाक में, और जिनमें पशुपालन का काम है उनको (ब) ब्लाक में रखने की राज्य सरकार को सिफारिश की है। (अ) श्रेणी में 190 पंचायत समितियां हैं और (ब) में 99 पंचायत समितियां आती हैं।

श्री दीपंकर : जिन पंचायत समितियों को आप पशुपालन के रूप में मानते रहे हैं उन पंचायत समितियों में अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने सर्वे देकर और काम स्टार्ट करके यह साबित कर दिया है कि यहां न केवल पशुपालन का ही काम हो सकता है बल्कि कृषि का भी हो सकता है और वहां पर कम से कम हजारों मन नाज पैदा होने लगा है, ऐसी पंचायत समितियों के बारे में सरकार क्या करने जा रही है, इसके बारे

(श्री दीपंकर)
में कोई स्पष्ट घोषणा हो जाय तो हम गांव के लोगों को कुछ कह सकें।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की पंचायत समितियां हैं जिनके प्रस्ताव आये हैं कि कृषि के अन्दर वे सक्षम हैं। तो उनको निवेदन किया जाय कि अपनी पंचायत समिति में प्रस्ताव पास करके अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी को भेज दें और अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी अपनी रिपोर्ट जिलाधीश को भेजेंगे। जिलाधीश अपनी रिपोर्ट के साथ जिले के कृषि और पशुपालन अधिकारी को भेजेंगे और वे अपनी सिफारिश के साथ जिला परिषद् को भेजेंगे और जिला परिषद् इसको राज्य सरकार के पास भेजेगी। राज्य सरकार के यहां पर इसके लिए एक कमेटी गठित की हुई है जिसमें डाइरेक्टर एग्रीकल्चर और एनीमल हस्बेन्ड्री इसके सदस्य है। वे इसकी जांच करके अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेंगे और राज्य सरकार इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर शीघ्र ही उचित निर्णय करेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम पांचोडी का वन क्षेत्र

514. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या वन मंत्री यह बताने कृपा की करेंगे:—

(1) नागौर तहसील के गांव पांचोड़ी में क्या कोई वन-क्षेत्र स्थापित है ? यदि हां, तो यह वन क्षेत्र कब स्थापित किया गया एवं इस क्षेत्र के चारों तरफ तारबंदी हेतु व्यवस्था कब की गई ?

(2) पांचोड़ी वन क्षेत्र के चारों तरफ तारबंदी हेतु एंगलें एवं तार कब व किस रेट पर किस फर्म से कितने रुपयों के खरीदे गये ?

(3) पांचोड़ी वन-क्षेत्र की तारबंदी हेतु खरीदे गये सामान की चोरी चले जाने का कब पता चला एवं सामान कब चोरी गया ?

(4) पांचोड़ी में स्थित वन-क्षेत्र की तारबंदी हेतु खरीदे गये सामान की चोरी चले जाने की घटना में क्या किसी अधिकारी की सुपरवाइजरी नेग्लीजेन्स के लिये किसी के खिलाफ विभाग ने क्या अब तक कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों एवं क्या अब भी ऐसे सुपरवाइजरी स्टाफ के विरुद्ध कार्यवाही करने की सरकार की मंशा है ? क्या इस चोरी में ऊपर के अधिकारियों की मिली भगत नहीं है ?

उत्तर

(1) जी हां, नागौर जिले के ग्राम पांचोडी में 1972–73 में वन क्षेत्र स्थापित किया गया था। इसकी तारबंदी की व्यवस्था वर्ष 1973–74 में प्रारम्भ की गई थी।

(2) पांचोडी वन क्षेत्र के चारों तरफ तारबंदी हेतु (1) एंगल आयरन

(वन मंत्री)

रु. 9.37 प्रति नग की दर से मै. दुसाद पेन एजेन्सीज, जयपुर से वर्ष 1973 में खरीदा गया था । (2) इस कार्य हेतु कांटेदार तार खरीद नहीं किया गया था ।

(3) पांचोडी वन क्षेत्र की तारबंदी हेतु खरीद किए गए सामान एंगल आयरन के सामान की चोरी का पता दिनांक 17–12–74 को लगा ।

(4) जी हां । चोरी गए एंगल आयरन के केस में वहां तैनात सहायक वन पाल को तत्काल निलम्बित कर दिया गया था व पुलिस में केस दर्ज करवा दिया गया था । सुपरवाईजरी नेगलीजेन्स के लिये क्षेत्रीय वन अधिकारी, नागौर के खिलाफ राजस्थान सिविल सर्विसेज क्लासीफिकेशन कन्ट्रोल व अपील रूल्स के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

उनियारा तहसील का स्थानान्तरण

516. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि उनियारा तहसील जिला टोंक का मुख्यालय उनियारे में नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार अलीगढ़ से तहसील कार्यालय उनियारा में स्थानान्तरण करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी हां । मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

डूंगरपुर जिले में सी. डी. और टी. डी. के अन्तर्गत कार्य

517. श्री रामचन्द्र रोत (चौरासी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डूंगरपुर जिले में सी. डी. और टी. डी. के अन्तर्गत कितने निर्माण कार्य अधूरे हैं ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सत्य है कि सी.डी. बन्द होगया है तथा टी. डी. का कार्य 28-2-75 को समाप्त होने जा रहा है व कर्मचारियों को हटाया जा रहा है ? यदि हां, तो अधूरे कार्यों को पूरे करने की क्या व्यवस्था है और वे कब तक पूरे हो जायेंगे ? यदि नहीं तो आगामी वर्ष किन किन अधूरे कार्यों को पूरा कर लिया जायगा ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में सी. डी. और टी. डी. के अन्तर्गत कुल 218 निर्माण कार्य अधूरे हैं पंचायत समिति वार अधूरे कार्यों की सूची निम्न प्रकार है:—

पंचायत समिति का नाम	सी. डी. कार्य	टी. डी. कार्य	योग
1. डूंगरपुर	–	28	28
2. आसपुर	8	10	18
3. बिच्छीवाड़ा	6	46	52
4. सागवाड़ा	–	–	81
5. सीमलवाड़ा	14	25	39

(2) सी. डी. व टी. डी. दोनों ही निर्माण कार्य 28–2–75 से बन्द हो गये

(पंचायत मंत्री)

हैं लेकिन पंचायत समिति, सीमलवाड़ा व बिच्छीवाड़ा में सी. डी. के अन्तर्गत कार्य चल रहे हैं। बाकी के विषय में शीघ्र निर्णय लिया जा रहा है।

राज्य में गोबर गैस संयंत्र

519. श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितने गोबर गैस संयंत्र अब तक लगा दिये गये ? कृपया जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितने संयंत्र सफलतापूर्वक चल रहे हैं ?

(3) किसानों को यह संयंत्र लगाने में क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और कब तक यह सुविधा दी जाती रहेगी ?

(4) क्या इसके प्रदर्शन की प्रत्येक जिले में डिमोन्स्ट्रेशन की सुविधा है ? यदि नहीं, तो कब तक प्रत्येक जिले में इसके डिमांस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) राज्य में खादी ग्रामोद्योग योजना के अन्तर्गत अब तक 89 गोबर गैस संयंत्र लगाये गये हैं। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) 70 संयंत्र सफलता पूर्वक चल रहे हैं।

(3) किसान एवं इच्छुक व्यक्तियों को गोबर गैस संयंत्र लगाने में खादी ग्रामोद्योग आयोग से तकनीकी एवं 900 रु. तक की वित्तीय सहायता 31–3–75 तक देय रहेगी।

(4) जी नहीं। प्रत्येक जिले में डिमोंस्ट्रेशन इकाई स्थापित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि लगाये गये तथा लगाये जा रहे संयंत्र ही प्रदर्शन इकाई का कार्य सम्पन्न करेंगे।

(कृपया परिशिष्ट–3 देखिये)

भरतपुर सेंच्युरी के इर्द गिर्द पक्की दीवार

523. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर सेन्च्युरी में लगभग 400–500 आवारा गाएं हजारों नील गाय, सूअर आदि जंगली जानवर हैं जो कि सेन्च्युरी के पास 8–10 मील तक के गांवों की फसलों को नष्ट कर देती है ?

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में भरतपुर जिला किसान सभा ने सितम्बर, 1973 में तत्कालीन मुख्य मंत्री को एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया था ?

(3) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार के पर्यटन विभाग ने इस सैंच्युरी के इर्द-गिर्द पक्की दीवार बनाने के लिए लगभग 15 लाख रुपया स्वीकार किया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध मे क्या कार्यवाही कर रही है ?

(वन मंत्री)

उत्तर

(1) भरतपुर सेन्च्युरी क्षेत्र में 200-250 आवारा गायें तथा लगभग 800 नील गाय, सुअर, चीतल, हिरन, सांभर आदि वन्य जीव हैं। 8–10 मील तक के गांवों की फसलों को इन वन्य पशुओं द्वारा नष्ट किये जाने की जानकारी वन विभाग को नहीं हैं।

(2) वन विभाग को जानकारी नहीं है।

(3) जी नहीं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 25-2-75)

चूरू जिले में भू-खण्डों का आवंटन

130. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं भूमिहीन श्रमिकों को आवासीय भू-खण्ड के पट्टे वितरित करने में कुछेक जिलों में मात्र आंकड़ों की दृष्टि से ही खानापूर्ति की गई है ? यदि हां, तो किन-किन जिलों और स्थानों पर ऐसा हुआ है ? यदि नहीं, तो चूरू जिले में ऐसे कितने नए परिवारों को भू-खण्डों का आवंटन किया गया है ?

उत्तर

यह सही नहीं है कि पट्टे वितरण में आंकड़ों की खाना पूर्ति की गई है। चूरू जिले में वास्तव में पट्टे वितरण की कार्यवाही सही रूप से की गई है तथा वस्तुतः 28754 अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को पट्टे वितरण किये जाकर आवासीय भू-खण्ड प्रदान किये गये हैं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 3-3-75)

अजमेर जिले में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत शुरू किये गये कार्य

280. श्री केशरीमल (ब्यावर): क्या कृषि मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे:––

(1) क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत अजमेर जिले को केन्द्र से कितनी राशि सन् 73 और 74 में प्राप्त हुई है ?

(2) उक्त जिले की प्रत्येक पंचायत में सन् 73 और 74 में कितना-कितना पैसा उक्त प्रोग्राम में खर्च हुआ ? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उक्त मद में मिला पैसा हर वर्ष काम में लिया गया या पैसा बिना खर्च किये लेप्स हो गया ? यदि लेप्स हुआ, तो कितना और किस अधिकारी की वजह से और उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) राज्य के प्रत्येक जिले में सन् 71–72 और 73 में इस मद में कितना पैसा दिया गया तथा कितना खर्च हुआ ?

Page No 28

(28)

श्री केशरीमल)

(5) क्रेश प्रोग्राम के तहत लगे श्रमिकों की कितनी मजदूरी बकाया है और वह कब तक दे दी जायेगी ?

(6) क्या यह सही है कि क्रेश प्रोग्राम के तहत शुरू किये गये बहुत से कार्य अधूरे पड़े हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इन अधूरे कार्यों को पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्ष 1971–72, 72–73, 73–74 में 12.56, 24.12 व 17.04 लाख रुपये आवंटित किये गये।

(2) राशि का आवंटन जिलेवार किया जाता है, पंचायतवार नहीं।

(3) इस जिले में राशि लेप्स होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जिलेवार तीनों वर्षों का खर्च का ब्यौरा परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(5) इस जिले में कोई राशि बाकी देय नहीं है।

(6) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पशुओं की चराई के नियम

291. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वन विभाग के क्षेत्र में पशुओं की चराई के क्या नियम हैं ? किस्म चौपायेवार बतलाने का कष्ट करें। इन क्षेत्रों में चराने के लिये कौन कौन से चौपाये वर्जित हैं ? यह नियम कब से लागू हैं ?

(2) क्या अकाल के समय इन क्षेत्रों में पशुओं को चराने के लिये नियमों में छूट या रियायत दी गई थी ? यदि हां, तो कब कब और किन किन स्थानों के लिये ?

उत्तर

(1) नियम संलग्न हैं। सामान्यत: आरक्षित वनों में भेड़ बकरी व ऊंट चराना तथा वृक्षारोपण क्षेत्र, गत 10 वर्षों से कटे हुए कूप घास के बीड और रक्षित क्षेत्र में सभी प्रकार मवेशियों की चराई वर्जित रहती है। आरक्षित वन नियम सन् 1957 तथा रक्षित वन नियम सन् 1957 के अन्तर्गत चराई नियम दिनांक 2-7-59 से लागू हैं।

(2) राज्य सरकार की नीति एवं निर्देशानुसार वन क्षेत्रों में चराई की सुविधा प्रदान की जाती है। तथा विभागीय तौर पर घास एकत्रीकरण का कार्य किया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

जयपुर जिले के पटवारी

292. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में कुल कितने

Page No 29

(29)

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)
पटवारी हैं ? तहसील वाइज सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इस समय कितने पटवारी निलंबित हैं ? तहसील वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) उक्त पटवारियों के निलम्बित होने के क्या कारण हैं ? यह कब से निलम्बित हैं और इनकी जांच कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले की पन्द्रह तहसीलों में कुल 695 पटवारी हैं, जिनमें 630 हल्कों पर 15 सहायक आफिस कानूनगो एवं 50 लीव रिजर्व हैं । तहसीलवार सूची संलग्न है ।

(2) जयपुर जिले में इस समय 57 पटवारी निलम्बित हैं । तहसीलवार सूची संलग्न है ।

(3) इस संबंध में आइटम नं. 2 के साथ सूची के कालम नं. 3, 5, 6 व 7 में विस्तृत सूचना अंकित है। जांच शीघ्र पूर्ण करने के लिये जांच अधिकारियों को समय समय पर जिलाधीश द्वारा आवश्यक अर्द्ध शासकीय पत्र लिखे जाते हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर जिले में जमाबन्दी का कार्य

293. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में कौन कौन से सन् तक की जमाबन्दियां तैयार हो चुकी हैं ? तहसीलवाइज सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) जयपुर जिले में सन् 1974 तक की कितनी जमाबन्दियां बाकी हैं ? सूची सदन की मेज पर तहसीलवाइज रखें ।

(3) उक्त जमाबन्दियां कब तक तैयार हो जावेंगी ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में सम्वत् 2016 से 2030 (सन् 1974) तक की जमाबंदियां तैयार हो चुकी हैं । सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जयपुर जिले में सन् 1974 तक की 355 जमाबंदियां बाकी हैं । सूची 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) सन् 1975 के अन्त तक तैयार होने की संभावना है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भूतपूर्व नरेशों की भूमि

294. श्री मोहनराज (बाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भू.पू. नरेशों की भूमि अवाप्ति सम्बन्धी आर्डिनेन्स लागू होने के पश्चात् कुल कितनी भूमि राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली है ? कृपया प्रत्येक नरेश से प्राप्त

(श्री मोहनराज)

होने वाली भूमि का ब्योरा देते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस प्रकार अब तक जो भूमि प्राप्त हुई है उसका ब्योरा भी नामवार सूची के साथ देने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार सीलिंग कानून की अनुपालना के कटु अनुभवों को ध्यान में रखते हुए भू.पू. नरेशों से भूमि अवाप्ति एवं इस प्रकार अवाप्त हुई भूमि के समुचित वितरण हेतु स्थानीय राजस्व अधिकारियों के अलावा एक विशेष सक्षम दल बनाने का विचार रखती है जिससे कि यह उक्त कार्य सर्वत्र एक ही ढंग से शीघ्र सम्पन्न किया जा सके?

उत्तर

(1) भूतपूर्व नरेशों की भूमि अवाप्ति सम्बन्धी आर्डीनेन्स लागू होने के पश्चात् 66,912-89 एकड़ भूमि राज्य सरकार को प्राप्त होने की सम्भावना है। प्राप्त होने वाली भूमि की सूची संलग्न है।

(2) इस आर्डीनेन्स के लागू होने के पश्चात् दिनांक 1-9-64 से भू-सम्पदा राज्य सरकार में निहित हो गई है जिसकी सूचना प्रश्न के भाग 1 के उत्तर के साथ संलग्न सूची में उपलब्ध है।

(3) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

फोज्या (बावड़ी) टौंक की भूमि

295. श्री अजीतसिंह (टौंक) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) टौंक नगरपालिका की सीमा में फोज्या (बावड़ी) के पास खसरा नं. 46 किस के खाते में कब से दर्ज है? तथा किस आदेश से किस पटवारी द्वारा इस भूमि को खाते में दर्ज किया गया?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि न कभी काश्त हुई न कभी अलाट हुई और सारी कार्यवाही फर्जी दर्ज है? यदि हां, तो सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) टौंक नगरपालिका सीमा में फोज्या (बावड़ी) नाम की कोई बावड़ी नहीं है। वरन् खोजा बावड़ी नाम की बावड़ी अवश्य है। किन्तु उस बावड़ी के पास ख. नं. 46 नहीं है लेकिन खसरा नं. 46 ओंकार पुत्र लछमना कीर निवासी बम्बा जानबाज टौंक की खातेदारी व कब्जे में है। उक्त खसरा नं. गत बन्दोबस्त से ही ओंकार पुत्र लछमना कीर की खातेदारी में चला आ रहा है।

(2) जी नहीं। उक्त भूमि सदैव काश्त होती रही है तथा पिछले बन्दोबस्त से ही खातेदारी में होने के कारण अलाट होने का प्रश्न नहीं होता और न ही उक्त खसरा नम्बर के सम्बन्ध में कोई फर्जी कार्यवाही हुई है। अतः जांच कराने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

फागी एवं चाकसू तहसील के पटवार घर

296. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

(1) तहसील फागी तथा चाकसू में कहां-कहां पर पटवार घर बने हुये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील फागी तथा चाकसू में कौन-कौन से पटवार हैडक्वार्टर पर पटवार घर नहीं बने हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील फागी में 11 पटवार मंडलों में तथा तहसील चाकसू में 9 पटवार मंडलों में पटवार भवन बने हुये हैं। सूची संलग्न है।

(2) तहसील फागी में 39 पटवार मण्डलों में तथा तहसील चाकसू में 34 पटवार मण्डलों में पटवार भवन बने हुये नहीं हैं। सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

तहसील छत्तरगढ की भूमि का मामला

897. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि तहसील छत्रगढ़ में करीब 12 हजार बीघा भूमि का झगड़ा पुर्नसंस्थान विभाग भारत सरकार व उपनिवेशन विभाग राजस्थान के बीच चल रहा है?

(2) क्या यह सच है कि उपरोक्त मामले में उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त भूमि को आवण्टन के संबंध में स्थगन आदेश जारी हो चुके हैं जिसके कारण उस भूमि पर चोरी छिपे काश्त हो रही है या वह खाली पड़त पड़ी है?

(3) क्या यह सच है कि यदि सरकार उपरोक्त भूमि का आवण्टन उसी आधार पर, जिस आधार पर रिहेबिलीटेशन डिपार्टमेंट ने आवण्टित की है, करदे तो उससे उन भूमिहीनों को या बिला भूमि के भूमिहीनों को भूमि मिल जाएगी और कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके पास पहले से सीमा से अधिक भूमि है, उनकी भूमि सरकार अपने कब्जे में ले सकेगी और दोनों उपरोक्त पार्टियां खर्चे से भी बच सकेंगी?

(4) क्या यह सच है कि उपरोक्त झगड़े के कारण बहुत से रिफ्यूजी 30–32 मुरब्बे तक काश्त कर रहे हैं और उससे नाजायज लाभ उठा रहे हैं और वे चाहते हैं कि मामला उच्च न्यायालय में अधिक समय तक चले और वे इसी तरह नाजायज लाभ उठाते रहें?

(5) उक्त क्षेत्र में किस-किस व्यक्ति द्वारा कितनी-कितनी भूमि चाही गई है जिसके संबंध में उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा है वह कितनी-कितनी किस-किस तहसील किस-किस जिले की है और किस-किस के नाम पर आवंटित है? वह कुल कितनी है और यह भूमि उच्चतम सीमा के अन्तर्गत सरकारी कब्जे में ली जाकर उन्हें कितनी दी जा सकेगी? और कितनी सरकारी कब्जे में बच पायेगी?

(स्थगित किया गया)

नाहरी का नाका स्थित शिव मंदिर की भूमि

298. श्री भानु कुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अतारांकित प्रश्न संख्या 240 (3081क्र.मं.) दिनांक 15-3-73 के उत्तर में यह बताया गया था कि जयपुर स्थित नाहरी का नाका की जलदाय विभाग की भूमि में स्थित शिव मंदिर का क्षेत्रफल करीब 90 वर्गगज था इसे अवैध रूप से करीब 910 वर्गगज बढ़ा लिया है और सरकार द्वारा निर्मित अर्द्ध गोलाकार कम्पाउण्ड वाल के आसपास 12 लकड़ी की थड़ियां व अवैध निर्माण करीब 400 वर्गगज सरकारी जमीन में है ? यदि हां, तो क्या पौने दो वर्ष की अवधि में इस अवैध निर्माण को हटाने के लिये कोई प्रभावकारी कदम उठाया गया है ? यदि हां, तो क्या, और नहीं, तो किस कारण ?

(2) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (1) में वर्णित विधान सभा प्रश्न के पश्चात् कई लकड़ी की थड़ियों के स्थान पर पक्की दुकानें बन गई हैं ? यदि हां, तो अब कितनी पक्की दुकानें हैं और कितनी लकड़ी की थड़ियां हैं और इस अवैध निर्माण को न रोकने और न हटाने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (1) में वर्णित सरकारी जमीन में अवैध रूप से रक्खी गई थड़ियों व पक्की बनाई हुई दुकान का माहवारी किराया सरकार न लेकर ग्राम सेवक समाज के नाम से कोई व्यक्ति विशेष वसूल कर रहा है ? यदि हां, तो किस-किस थड़ी वाले व पक्की दुकान वालों से कितना-कितना रुपया मासिक किराये के रूप में कब से कब तक कथित व्यक्ति ने वसूल किया है ? क्या सरकार ने शिकायतें प्राप्त होने पर इसकी जांच कराई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, जयपुर ने प्रश्न के भाग (1) में वर्णित थड़ियों व पक्की दुकानवालों को अतिक्रमण एक निश्चित अवधि में हटा लेने हेतु नोटिस दिये थे ? यदि हां, तो कब व कितने व्यक्तियों को इस प्रकार के नोटिस दिये गये थे ? और निश्चित अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी अतिक्रमण न हटाने के पश्चात् भी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अवैध निर्माणकर्ताओं को नियमानुसार नोटिसेज जारी कर दिये गए हैं तथा निर्माण एवं अतिक्रमण को हटाने को कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में 8 दुकानें बनी हुई है तथा 11 लकड़ी की थड़ियां है। अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) इस विषय में विवरण उपलब्ध नहीं है। पर जो शिकायत है उसके समाधान के लिए जांच करा रहे हैं।

(4) अतिक्रमणकारी जिन्हें नोटिसेज दिये गए उनकी सूची संलग्न है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

Page No 33

(33)

ग्राम पंचायत हिण्डोली के सरपंच के विरुद्ध जांच

299. श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिण्डोली): क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत हिण्डोली के सरपंच के विरुद्ध जिलाधीश बूंदी के यहां कुछ अनियमितताओं के फलस्वरूप इन्क्वायरी चल रही है? यदि हां, तो किस-किस प्रकार के आरोप उन पर लगाये गये हैं? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) जिलाधीश बूंदी ने उपरोक्त अनियमितताओं के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) जी हां। भूमि विक्रय में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति नहीं प्राप्त कर नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही जैसे सूचना पत्र जारी नहीं करना एवं सचिव पर नियन्त्रण नहीं रखना जिससे सचिव ने सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर बना लिये और सरपंच ने कोई ऐतराज नहीं किया, शिकायतें हैं।

(2) जिलाधीश ने जांच कर रिपोर्ट विकास विभाग को धारा 17 (4) पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने एवं सरपंच को आदेश देने को सचिव के विरुद्ध कार्यवाही करें, भेज दी गई है। राज्य सरकार ने सरपंच से स्पष्टीकरण मांगा है। सरपंच का उत्तर अभी प्राप्त हुआ है जिस पर आगे कार्यवाही जारी है।

ग्राम पंचायत छोटी उदेई की भूमि

300. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सन् 1966 में ग्राम पंचायत छोटी उदेई तहसील गंगापुर जिला सवाईमाधोपुर को करीबन 15 बीघा भूमि आवंटित हुई थी?

(2) उक्त आवंटित भूमि की खातेदारी किसके नाम है तथा कौन काश्त कर रहा है? तहसील गंगापुर के द्वारा 1966 से अब तक की गिरदावरी की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सत्य है कि निलम्बित सरपंच श्री शिवलाल मीणा ने तत्कालीन तहसीलदार श्री बाबू लाल मित्तल का एक पत्र जिसमें कि उक्त आवंटित भूमि का स्तीफा देने के संबंध में पेश किया है जो कि निलम्बित सरपंच को फाइल में लगाया है? अगर हां, तो उस पत्र की प्रति सदन का मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत छोटी उदेई ने उक्त आवंटित भूमि का स्तीफा तहसील गंगापुर में प्रस्तुत कर दिया था? अगर हां, तो कौन सी तारीख एवम् स्तीफा की नकल सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। 14 बीघा 16 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी।

(2) सम्वत् 2023 में खातेदारी पंचायत छोटी उदेई के नाम दिखाई गई है।

(पंचायत मंत्री)
व काश्त अक्टूबर 66 में ज्वार की दिखाई गई है। मार्च, 1967 में काश्त तिल को दिखाई है। सम्वत् 2024 से 2027 तक खातेदारी ग्राम पंचायत के नाम रही है, परन्तु सम्वत् 2026 में सर्वश्री मनीराम पुत्र चताऊ, मोती पुत्र गोपी, पन्ना पुत्र गोपी, मूला पुत्र गोपी, मूलचन्द पुत्र चिरंजीव, रतन लाल पुत्र कल्ला, बन्जीलाल पुत्र रतनलाल, बरकत पुत्र हरहू का कब्जा दिखाया गया है। सम्वत् 2024 में पड़त रही है। सम्वत् 2025 में तीन बीघे में ज्वार की काश्त हुई। सम्वत् 2026 में अनाधिकृत कब्जेदारों द्वारा 6 बीघे 16 बिस्वे पर ज्वार की काश्त करना बताया गया और बाकी आठ बीघे में भी ज्वार को काश्त बताई है। सम्वत् 2027 में कुल भूमि में तिल बताया गया। सम्वत् 2028 से 2030 तक भी खातेदारी पंचायत उदेई के नाम दिखाई गई है।

सम्वत् 2028 में ज्वार व चना सम्वत् 2029 में अलसी व सरसों व 2030 में ज्वार को काश्त बताई है।

(3) जी हां। परन्तु यह प्रमाणित नहीं है। प्रतिलिपि संलग्न है।

(4) इसका रेकार्ड अभी उपलब्ध नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

बाड़मेर जिले में अकाल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत दिया गया सामान

301. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में सन् 1967-68 से लेकर आज तक जो अकाल सहायता कार्य खोले गये उन अकाल सहायता कार्य स्थलों पर कितना 2 सामान कितनी राशि का किस प्रकार का अभी तक पड़ा हुआ है? प्रत्येक सहायता कार्य स्थल पर पड़े सामान को अलग से सूची देने की कृपा करें।

(2) उक्त सामान की देखरेख के लिए किस विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की गई है।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 3-3-75)

श्री गंगानगर जिले में भू. पू. जागीरदारों को खुदकाश्त की जमीन

136. श्री चुन्नी लाल इन्दलिया (नोखा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जागीर पुनर्ग्रहण के उपरान्त भूतपूर्व जागीरदारों ने खुदकाश्त की जमीन न होना बतला कर सरकार से गंगानगर जिले में नहरी भूमि लेने की मांग की? यदि हां, तो किस किस को खुदकाश्त के लिये भूमि दी गई? कृपया सूची सदन की मेज पर मय नाम जागीरदार, जागीर तहसील, जिला व निवास स्थान दर्शाते हुए रखें।

(2) गंगानगर जिले के किस-किस ग्राम व तहसील, चक नम्बर में कितनी कितनी भूमि सिंचित या असिंचित किस-किस जागीरदार को दी गई? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No 35

35

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) जी हाँ, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण, विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 3-3-75)

पंचायतों के पंचायत घर

142. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अभी तक अनेकों ग्राम पंचायतों के पास निजी पंचायत भवन नहीं हैं? यदि हाँ, तो राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों के पास निज का पंचायत घर है और कितनों के पास नहीं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सरकार जिन पंचायतों के पास पंचायत घर नहीं हैं उन पंचायतों को निजी पंचायत भवन बनाने के लिए अनुदान उपलब्ध करवायेगी? यदि हाँ, तो इस वर्ष कितने भवनों को अनुदान दिये जाने का प्रावधान जिलेवार किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हाँ, सूची संलग्न है।

(2) इस वर्ष कोई राशि इस कार्य हेतु नहीं रखी गयी है।

(कृपया परिशिष्ट-9 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4-3-75)

ग्राम पंचायत 23 बी. बी. में भूमि का आवंटन

155. श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भांगली ग्राम पंचायत 23 बी. बी. (बेरा) में पिछले छः महीनों में पक्की सड़क के साथ साथ कितने अहाते अलाट किये गये? उनके प्रार्थना-पत्र कौन कौन सी तारीख को पेश हुये? एक महीने की अवधि का नोटिस कब कब दिया गया और रकम कौन सी तारीख को दाखिल हुई?

(2) क्या यह सत्य है कि दिसम्बर, 1970 में जब पंचायतों से ग्राम की भूमि के वितरण के अधिकार वापिस लिये गये तो उसके बाद पक्की सड़क के साथ साथ पिछली तारीखों में भूमि का आवण्टन किया गया है?

(3) क्या सरकार उपरोक्त मामले की जांच करवायेगी? अगर हाँ, तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत ने 18 अहाते आवंटित किये जिनके आवेदन-पत्र दिनांक 8-8-73

(पंचायत मंत्री)

को पंचायत में पेश हुए थे जिसके लिये आपत्ति नोटिस दिनांक 5-8-73 को ही जारी कर दिये। इनका अनुमोदन सक्षम अधिकारी द्वारा होने पर उक्त अहातों की धनराशि पंचायत द्वारा दिनांक 20-12-74 को प्राप्त की गई।

(2) जी नहीं। दिसम्बर, 70 में इस प्रकार के कोई आदेश इस क्षेत्र के लिए नहीं हुए।

(3) जांच का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4-3-75)

पंचायत समिति, सांचोर के प्राथमिक पाठशालाओं के भवन

157. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति, सांचोर में कई प्राथमिक पाठशाला भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं? अगर हां, तो ऐसे कितने हैं? गांववार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन पाठशाला भवनों की मरम्मत कब तक करवा दी जावेगी?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उक्त पंचायत समितियों में कई प्राथमिक पाठशाला भवन पिछली भयंकर बाढ़ के कारण पानी में बह गये थे? अगर हां, तो कहां कहां पर? उन भवनों का पुनर्निर्माण किस प्रकार करवाया गया है? अगर अब तक नहीं किया गया हो तो उनका पुनर्निर्माण कब तक करवा दिया जावेगा?

(4) क्या यह सत्य है कि उक्त पंचायत समिति में कई स्थानों पर प्राथमिक पाठशाला भवन बिल्कुल नहीं है? अगर हां, तो कितनी पाठशालों के भवन बने हुये नहीं हैं? उन पाठशालाओं के भवन निर्माण कब तक करवा दिये जावेंगे?

(5) क्या यह सत्य है कि उक्त पंचायत में कई प्राथमिक पाठशालाओं में कोई आवश्यक सामान स्कूल चलाने के लिये उपलब्ध नहीं है? अगर हां, तो कितनी पाठशालाओं में क्या क्या सामान उपलब्ध नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करावें। उक्त सामान की पूर्ति उक्त पाठशालाओं में क्या सरकार करना चाहती है? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ऐसी 15 प्राथमिक पाठशालाएं हैं। सूची संलग्न है।

(2) इनमें से अधिकांश भवन कच्चे बने हुए हैं तथा इनकी मरम्मत पंचायत द्वारा कराई जाती है। पंचायतों व ग्रामवासियों से प्रयत्न किये जा रहे हैं किन्तु इस वक्त अकाल के कारण ऐसा नहीं हो सका है।

(3) प्राथमिक शाला पारणावास, वोरसी, कमारियों की ढाणी, चारणीम, पादरड़ी (मूठवां) खतेड़ी वाली के भवन पिछली भयंकर बाढ़ से बह गये या गिर गये।

(पंचायत मंत्री)

(4) सासरणी, बैरोल, कराबड़ी, जानूर्सन, साकरिया, अडोसिया, बेंउया के ग्रामों में शाला भवन बने हुए नहीं हैं। पाठशाला भवन बनाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत एवं ग्रामवासियों की है।

(5) जी हां, विकास अधिकारी ने सामान की पूर्ति की आवश्यक धनराशि के प्रस्ताव जिला विकास अधिकारी को स्वीकृति के लिये भेज दिये हैं।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:–

(1) श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 12 मार्च को एक बाईस वर्षीय युवक सुरजनसिंह द्वारा जो कि राजस्थान में डिप्लोमा होल्डर बताया जाता है, बेकारी के कारण रेल से कटकर आत्महत्या कर लेने के विषय में,

इस प्रश्न पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(2) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में नये राशन कार्ड बनाने व राशन कार्डों में नाम परिवर्तन कराने आदि के सम्बन्ध में होने वाली असुविधा के विषय में,

(3) श्री बेगाराम चौहान, सदस्य विधान सभा की ओर से तहसील रायसिंहनगर में 6 माह से चीनी का वितरण न होने के विषय में,

(4) श्री गुमानमल लोढ़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तान द्वारा राजस्थान के अन्दर पाक गुप्तचरों के ट्रेनिंग कैम्पों से व पाक गुप्तचरों की गतिविधियों से राजस्थान में सुरक्षा खतरा पैदा हो गया है, इस विषय में,

ये सब प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्व की हाल की किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तान के प्रशिक्षण शिविर इस देश के अन्दर सुरक्षा को खतरा पैदा करने के लिए और भारत पाक संघर्ष होने की स्थिति में यहां के सामरिक महत्व के हवाई अड्डों अथवा हमारी सेना की गतिविधियों की सूचना देने के लिये एक जासूसी का काम हो रहा है, मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर कोई लोकमहत्व...

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव था वह नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : अभी पहुंचा नहीं होगा, कल आ जायगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्या प्रश्न नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, देश की सीमा की सुरक्षा और देश के सामरिक महत्व की गतिविधियों की सूचना पाकिस्तान

Page No 38

(38)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

को न मिले लेकिन इसके बारे में सरकार जागरुक नहीं रहे और मुझे मालूम हुआ है, औऋसी की वजह से नहीं कहूंगा, मुझे क्षमा करेंगे, परन्तु आज के आपकी इस आज्ञा से कि यह प्रश्न लोक महत्व का नहीं है···

श्री अध्यक्ष : "इमीजिएट पब्लिक इम्पोरटेंस"

श्री गुमानमल लोढ़ा : देश की राज्य सभा में यह विचार हो रहा है कि राजस्थान सामरिक महत्व की गतिविधियों की सूचना पाकिस्तान में भेज रहा है और इस प्रकार की चर्चा पहले भी कई बार इस सदन में और राज्य सभा में हो चुकी है, सन् 1971 में भी इसी प्रकार की घटना हुई थी जोधपुर का हवाई अड्डा बर्बाद होते होते बच गया था, उनको मालूम ही नहीं था और लोग वहां पर खाना खा रहे थे। मैं समझता हूं कि हमारी सीमा की सुरक्षा के बारे में इस प्रकार का इन्डिफरेन्स या कहूं कि हम पहले की भूलों को दोहरायें, यह बहुत ही खेदजनक बात है। इसलिये मैं आपके मार्फत राज्य सरकार से प्रार्थना करूंगा कि राज्य सभा में इस पर गम्भीरता से विचार हो रहा है और राज्य सभा के अन्दर, केन्द्रीय सरकार तक से इस बात को स्वीकार किया गया है कि इस प्रकार की जानकारी मिली है कि राजस्थान की सीमा के ऊपर पाकिस्तान के शासन की ओर से जासूसी के प्रशिक्षण शिविर की ट्रेन्ड करके तस्करी के नाते या और किसी नाते से भेज रहो है। वहां अध्यक्ष महोदय, मैं शासन से और राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर 18 से 40 वर्ष के युवक और युवतियों को जासूसी में ट्रेन्ड किया जा रहा है और शायद आपको पता ही है कि सेना की गतिविधियां बढ़ चुकी हैं, सीमा पर पाकिस्तान ने टैंक और फौजी सामान जमा कर दिया है और वहां पर बीस बीस मील तक नागरिकों को हटाया जा चुका है और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से इस पर विचार किया जाय। साथ ही, लेकिन मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर राजस्थान सरकार से जानकारी लें कि राजस्थान सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है, अध्यक्ष महोदय, हम इस बात को नहीं भूलें कि इस सम्बन्ध में इस सदन में बार बार चर्चा हुई है पहले भी और ऐसी गतिविधियों के बारे में सीमावर्ती क्षेत्रों में कई लोगों को वहां के पंचों सरपंचों और प्रधानों को और जनता के कई प्रमुख आदमियों को डी. आई. आर. में रखा गया था क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की मदद की थी और हमारे केन्द्रीय सरकार की आज्ञा के ऊपर डी. आई. आर. के अन्तर्गत कई लोगों को पकड़ा गया था। इसलिए मैं शासन की ओर से राज्य सरकार से निवेदन करूंगा और आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमको इस पर विचार करना चाहिए और एक बार फिर प्रार्थना करूंगा कि आप उस पर निर्णय लेवें कि किस प्रकार से उसको सदन में विचार करने के लिये लाया जाय, यह दूसरी बात है। लेकिन कम से कम राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में जानकारी तो ली जाय और वे सतर्क और सचेत रहें और यह तो कहें कि अगर कोई हमारी सीमा में आयेगा तो उसके साथ दुश्मन का बर्ताव किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

निवेदन करना चाहता हूं कि बंगला देश बनने के बाद राजस्थान की सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। राजस्थान का सारे भारत वर्ष से सम्बन्ध है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो जासूसी के प्रशिक्षण शिविर का प्रश्न है आज राजस्थान के बोर्डर पर बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर की सीमा पर पाकिस्तान जासूसों की गतिविधियों को रोकने के लिये राज्य सरकार सतर्कता से काम कर रही है, कम से कम इस पर विचार किया जाकर, एक बार वहां जाकर तो देखें, मैं अध्यक्ष महोदय, प्रार्थना करूंगा कि राज्य सरकार से इसकी जानकारी ली जाय और आज सुरक्षा का प्रश्न राजस्थान का ही नहीं है, देश का ही नहीं है हमारे अस्तित्व का भी प्रश्न है, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाय और यदि यह प्रश्न लोक महत्व का प्रश्न नहीं है, जिससे हमारे अस्तित्व को खतरा पैदा हो, हमारी सीमा की सुरक्षा खतरे में हो, मैं समझता हूं यह हमारे एग्जिस्टेंस का प्रश्न है, हमारे जीवन-मरण का प्रश्न है। मैं तो यहां तक कहूंगा, मुझे क्षमा करेंगे, यदि कोई व्यक्ति सुनेगा कि राजस्थान की विधान सभा में इस प्रश्न को लोक महत्व का प्रश्न नहीं समझा जाता है तो क्या विचार किया जायगा। इसलिए कम से कम हमारी हल्की नहीं लगे इसलिए राजस्थान की विधान सभा सजग रहे, और सावधान है और इस प्रश्न को बहुत महत्वपूर्ण समझती है, इस प्रकार की भूमिका बन सके, इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि वह सजग होकर कार्यवाही करेगी और यदि राज्य सरकार या विधान सभा ध्यान नहीं देगी तो मैं जनता से प्रार्थना करूंगा और विधान सभा में विचार नहीं कर सकते तो जनता से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार से जासूसी करने वालों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाये और जिनके कारण देश की अखंडता के ऊपर आंच आवे उसके साथ वही सलूक किया जाय जो दुश्मन के साथ किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव पर आपने जानकारी प्राप्त करने के आदेश दिये हैं। सुरजनसिंह नाम का एक लड़का जो बेकार था, डिप्लोमा होल्डर था और पिछले तीन साल से उसको किसी प्रकार का स्टाइपण्ड भी नहीं मिला था और लगातार तीन साल तक कोशिश करने के बाद भी उसको नौकरी नहीं दी राज्य सरकार ने। ऐसे 8 हजार आदमी मेन पावर में हैं। सारे राजस्थान में दो लाख 22 हजार पढ़े लिखे बेकार हैं। तीन साल से नौकरी नहीं मिले तो आत्म हत्या करना स्वाभाविक है। आज यह टेन्डेन्सी नौ जवानों में पैदा हो रही है। या तो राज्य सरकार स्टाइपिण्ड दें और मान्यवर आज की कीमतों में यह स्टाइपेन्ड बहुत कम है। आज न नौकरी मिलती है न उनके कोई प्रासपेक्ट्स हैं। जितने इंजीनियर हैं वे बेकार हैं, उनको नौकरी दें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव लोक महत्व का इसलिये है कि जयपुर शहर में जो पहले राशन कार्ड

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

बने थे तो उस समय राशन कार्ड बनाने का काम सिविल डिफेन्स के लोगों द्वारा किया गया था। पर उसके बाद वह काम उनसे लेकर जिला रसद अधिकारी के पास आ गया। इसके बाद जो लोग यहां पर रह गये उनके नये राशन कार्ड जिला रसद अधिकारी द्वारा नहीं बनाये जा रहे हैं और यही नहीं अध्यक्ष महोदय, यदि कोई व्यक्ति राशन कार्ड में नाम बढ़ाना चाहे, किसी का नया जन्म हुआ हो या नई पुत्र वधु का आगमन हुआ हो वह नया नाम भी राशन कार्ड में नहीं बढ़ा सकता है या कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाय या बाहर चला जाय उसका नाम घटाना चाहे तो वह भी नहीं घटा सकता है। पहले जयपुर में अलग-अलग एरिया थे—अलग अलग एरिया में जयपुर शहर विभक्त था। अब केवल जयपुर शहर के तीन एरिया बना दिये गये हैं। तीन कुल एरिया डिवाइडेड हैं। तो मैं निवेदन करूंगा प्रार्थी जब उन एरियाज में जाये तो अधिकारी मिलते नहीं, नया राशन कार्ड बनाना चाहे तो वह बना नहीं सकता।

मैं समझता हूं यह व्यवस्था ही नहीं है बल्कि आज राज्य सरकार के सदन के जो नेता है मुख्य मंत्री महोदय और कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसी प्रकार का अभियान चलाया गया था कि जो यूनिट नहीं है उसको खतम किया जाय लेकिन वह अभियान भी नहीं चला और आज एक भी यूनिट खतम नहीं हुआ। कोई मेहमान दो दो महीने के लिये आये तो अस्थाई राशन कार्ड मिलने की सम्भावना थी। यदि इस राजस्थान में टैम्परेरी तौर पर स्टुडेन्ट्स आते हैं और वे राशन कार्ड बनाना चाहें तो वह भी नहीं बन सकता है। उनको टैम्परेरी राशन कार्ड के लिए एक फार्म मिलेगा। उस फार्म पर किसी एम. एल. ए. के दस्तखत होंगे या किसी राजपत्रित अधिकारी के दस्तखत होने चाहिये···

श्री अध्यक्ष : थोड़े में।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं थोड़े में ही निवेदन करूंगा। ओथ कमिश्नर से सर्टिफिकेट लेगा, तीन तरह के फार्म खरीदेगा उनको टाइप करावेगा और वह बेचारा ओथ कमिश्नर को जानता नहीं, ओथ कमिश्नर के कभी उस बेचारे ने दर्शन किये नहीं। अब अध्यक्ष महोदय, फार्म भरने के बाद जो तीन एरिया है वहां जायेगा और जाने पर उसको जवाब मिलेगा एक महीने बाद आना तुम्हारा राशन कार्ड बनवा देंगे। उन तीन एरिया में दो दो इन्सपेक्टर हैं उन इन्सपेक्टरों का काम है जितने दुकानदार हैं उनको समय पर अनाज मिलता है या नहीं, चीनी समय पर मिलती है या नहीं। मैं यह पहले भी निवेदन कर चुका हूं। अनाज भली प्रकार आया कि नहीं और आया तो वह अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं, ज्वार आई कि नहीं, आई तो अच्छी क्वालिटी की है कि नहीं, चावल अच्छी क्वालिटि का आया कि नहीं। मेरा निवेदन है आपके जो इन्सपेक्टर हैं, इस मामले में बिलकुल निष्क्रिय हैं जयपुर शहर में एक भी क्वालिटी इन्सपेक्टर काम नहीं कर रहा है। खाद्य निगम ने किस प्रकार का अनाज भेजा है वह खाने योग्य है या नहीं उसका सेम्पल है या नहीं और अगर सेम्पल है तो उसके अनुसार दुकानदार लाया या नहीं मैं समझता हूं क्वालिटी इन्सपेक्टर को इसकी कोई चिन्ता नहीं है।

Page No 41

(५१)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

राशन कार्ड बनाने घर पर गये और कोई व्यक्ति घर पर नहीं मिले तो उसका राशन कार्ड केन्सिल कर दिया, किसी आदमी ने मकान बदल दिया तो उसका भी राशन कार्ड केन्सिल कर दिया और इस प्रकार सैकड़ों गलत चैकिंग हुई हैं। दुकानदार सही ढंग से वितरण कर रहा है या नहीं, इसलिये अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है जयपुर शहर में नये राशन कार्ड भली प्रकार बन सकें। नये नाम जुड़वा सकें, या घटा सकें, अस्थाई लोगों के राशन कार्ड समय पर बन जायं जिन लोगों को राशन कार्ड नहीं मिल रहे हैं उनका भी शीघ्र निपटारा करें तो मैं निवेदन करना चाहता हूं जयपुर की जनता के लिये कुछ समस्या हल होगी।

आज जयपुर की जनता को सीमेन्ट कहां से मिले, चीनी कहां से मिले, अनाज कहां से मिले इस प्रकार की भी कोई व्यवस्था नहीं है। आज जयपुर की जनता के लिये राशन कार्ड गोपीनाथजी और गोविन्द देवजी से भी बढ़कर हो गये हैं। उनके दर्शन तो समय पर उपलब्ध हो जाते हैं लेकिन राशन कार्ड के दर्शन करने में महीनों का समय लग जाता है। सीमेन्ट की, कपड़े की, मिट्टी के तेल की जिस प्रकार गोपीनाथजी को कोई प्रार्थना की जाती है उसी प्रकार आज जनता इनके लिये प्रार्थना करती है कि हमें कब कपड़ा मिलेगा, कब सीमेन्ट मिलेगी और चीनी के कब तक दर्शन हो जायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है राज्य सरकार को गंभीरता से इस पर ध्यान देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री बेगाराम (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है। रायसिंहनगर तहसील में, गांवों में 6 माह से चीनी नहीं मिली है। जो चीनी का कोटा आता है सरे आम बाजार में बेचते हैं। इसके अलावा चार-चार माह से गेहूं नहीं दिया गया। जो गेहूं आता है वह भी बीकानेर भेज देते हैं या और कहीं बेच देते हैं और वह भी ब्लेक में। यह वास्तव में बात सही है हमारे यहां का योगेन्द्रनाथ हाण्डा भी बैठा है। हमारे यहां हरिजनों को इतनी तकलीफ है न उनको गेहूं देते हैं न उनको चीनी देते हैं। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, उनको जमीन के लिये खाद भी नहीं देते हैं। खाद के लिये हजार-हजार रुपया मांगते हैं।

श्री अध्यक्ष : थोड़े में बोलिये!

श्री बेगाराम : दो मिनिट बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, उनका नोट लिया हुआ मेरे पास है। सदन की मेज पर रखता हूं। खाद्य मंत्री विराजमान हैं। एस. डी. एम. हजार-हजार रुपये मांगता है। इसका मेरा क्वेश्चन भी आया था। रायसिंहनगर तहसील में 4762 घरों ने लेवी दी है इसमें से अभी तक केवल 536 घरों को सीमेन्ट दी गई है बाकी 4226 घरों को सीमेंट भी नहीं दी गई है, उनकी बाकी पड़ी है। एक सीमेन्ट का कट्टा उनको नहीं दिया वे लेवी कैसे देंगे। मैं निवेदन करूंगा लेवी दिलाने के विषय में। खाद्य मंत्री जी विराजमान हैं उनको सीमेन्ट दिलाई जाय।

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करें।

श्री बेगाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा इसके अलावा एक छोटी सी बात और कहूंगा खाद्य मंत्रीजी हमारे रायसिंहनगर में खाद का जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी तरफ भी ध्यान दें। जो आपकी सरकार खाद का कट्टा 28 रु. में देती है वह कट्टा रायसिंहनगर में 65-70 रु. में दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपने तो खाद, चीनी, सीमेन्ट, गेहूं सभी ले लिये...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, कभी कभी बोलते हैं बहुत अरमान घुटे हुये हैं।

श्री बेगा राम : ये बीकानेर में खाद को ब्लेक से बेच देते हैं। खाद के कट्टे भी सील किये गये लेकिन अध्यक्ष महोदय, उनसे रिश्वत खाकर छोड़ दिया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं इसकी जांच करवायें। हमारे लोगों ने लेवी दी है उनको सीमेन्ट क्यों नहीं मिलता है। हमारे जिले में खाद नहीं मिलता है उसकी भी ठीक व्यवस्था करवायें यह मैं निवेदन करूंगा।

यह निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय अगर इसकी जांच नहीं हुई तो वहां का. एस. डी. एम. जो हरिजनों को लूट कर खा रहा है उसका ट्रान्सफर किया जाये। वह हमारे हरिजनों को नोटिस देता है जिनके पास 21 बीघा जमीन है और जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, उनको कोई नोटिस नहीं देता है। इसकी जांच होनी चाहिये। यह मैं सदन की मेज पर रखता हूं.........

एक माननीय सदस्य : गुड़ की चाय पी लीजिये।

श्री अध्यक्ष : चीनी क्यों नहीं ? आप चीनी की पीयेंगे....

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

प्रतिवेदन

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की बीसवीं रिपोर्ट वर्ष 1970—71 सदन की मेज पर रखता हूं।

एक माननीय सदस्य : बहस कब होगी।

श्री लक्ष्मणसिंह : यह 1970—71 की रिपोर्ट अब रखी जा रही है। इस पर क्या बहस होगी और कब इसका अध्ययन किया जा सकता है। यह अवास्तविक है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, 70-71 की रिपोर्ट सन् 75 में रखी जा रही है। 71-72, 72-73, 73-74 और 74-75 की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखा जाना शेष है। इतनी देरी से रिपोर्ट का रखने का क्या अभिप्राय है ? दूसरे, इस पर कब विचार होगा ? इसके लिए कोई समय नियत नहीं है। केवल रिपोर्ट रखना अपर्याप्त है। इस पर विचार भी होना चाहिये।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, सरकार को यह रिपोर्ट कब मिली और इतनी देरी से रखने का क्या कारण है ? राज्य सरकार की ओर से देरी क्यों हुई ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सदन में पहले भी एक रिपोर्ट पेश हुई थी और उस पर बहस अधूरी हो रह गई थी राज्य सरकार द्वारा हरिजनों के कल्याण के लिए अनेक

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
घोषणायें की जाती हैं और इधर राज्य सरकार उनके आयुक्त की रिपोर्ट सदन में रखने में देरी करती है; उस पर बहस अधूरी रखती है। इसलिए यह बात गम्भीरता से सदन को लेनी चाहिये और एक दिन इस पर बहस के लिए मुकर्रर किया जाना चाहिए वरना यह हरिजनों के प्रति घोर अन्याय होगा।

श्री मीठा लाल : अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट देरी से पेश हुई है, यह सही है। आपने अब यह रिपोर्ट पेश कर दी है। पहले की बहस इस पर अधूरी है। जहां तक मुझे जानकारी है, इस सत्र में इस पर कोई समय नियत नहीं किया गया है। इसलिये यह बतायें कि इसके लिए कौनसा समय बहस के लिये तय कर रहे हैं और नहीं, तो क्यों ?

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री महोदय रिपोर्ट को छपा नहीं सके हैं तो इसको साइक्लोस्टाइल करवा कर सदस्यों को वितरित करवानी चाहिये ...

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि यह परम्परा रही है कि हर साल इस विषय पर जो कि महत्वपूर्ण है उस पर फूल ड्रेस डिबेट हो। जो शासनारूढ़ दल के सम्मानीय सदस्य हैं, आदिम जाति और जन-जाति के, उनकी भी यह भावना है परन्तु शासनारूढ़ दल के व्हीप द्वारा उनके मुंह पर सवा मन का ताला लगा दिया गया है। इसलिए विरोधी पक्ष के लोगों का कम से कम यह अधिकार तो है कि वे इस महत्वपूर्ण विषय पर फूल ड्रेस डिबेट करावें इस रिपोर्ट पर। राज्य सरकार द्वारा लाखों, करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, तो फिर यह रिपोर्ट सदन के सदस्यों को क्यों नहीं देते, क्यों नहीं इस पर विचार के लिए, बहस के लिए समय नियत करें, यह सरकार के सोचने की बात है। एक सामान्य बात है। और तो क्या आरोप लगाऊं ...

श्री दीपंकर : यह आरोप झूंठा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ...

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय मैं यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं यह 70–71 की रिपोर्ट देरी से प्रस्तुत हुई है उसके लिए तो क्षमा चाहता हूं। आगे समय पर पेश हो इसके लिए मैं विभाग के मंत्री महोदय को निवेदन कर दूंगा। जहां तक डिबेट का प्रश्न है उस पर विचार अभी नहीं तो अगले सत्र में विचार कर लेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह : यहां हम गैर सरकारी संकल्प पर भी विचार कर रहे हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इस पर प्रावधान रखा है परन्तु इसके ऊपर कुछ नहीं कहा है। यह शोचनीय बात है सरकार इस सम्बन्ध में जो कुछ भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को गाइड करना चाहती है, परन्तु विरोधीपक्ष का तो यह सुझाव देने का कर्त्तव्य है, यह महत्वपूर्ण विषय है बनिस्बत गैर सरकारी संकल्प के। इसको लिया जाना चाहिये। मंत्री महोदय आप भी इस पर विचार करें तो उचित होगा और चाहे तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के कार्यक्रम में उचित संशोधन किया जाये और इस रिपोर्ट पर गैर सरकारी दिन जो

(श्री लक्ष्मणसिंह)
नियत किया गया है, उस दिन विचार किया जाये।....

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो क्षमा याचना की है सदन से, यह तो बचने का एक रास्ता है। उन्होंने अगले सत्र में इस पर विचार करने को कहा है, यह सत्र तो 6 महीने में होगा। हरिजनों के कल्याण के सम्बन्ध में आप बात सुनना चाहते हैं, तो सदन में इसी सत्र पर विचार होना चाहिये और पंचवर्षीय योजना में हरिजनों के कल्याण के लिए जो प्रावधान रखे जा रहे हैं, उसमें और प्रावधान कराने में सरकार को इस बहस से सहायता मिलेगी। हरिजन सदस्य भी इस सम्बन्ध में सुझाव देंगे। इसलिए सरकार अपने पक्ष को दिल्ली में अच्छी तरह से रख सकेगी। इस पर विचार करने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलायें इस सत्र में ही बहस के लिए कोई समय निश्चित करें, यह मेरा अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्षीय व्यवस्था।

विशेषाधिकार के प्रश्न पर अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि दिनांक 18 फरवरी, 1975 को सर्व श्री रामकिशन और केदारनाथ, सदस्य विधान सभा ने एक विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसमें यह कहा गया था कि गत विधान सभा सत्र में पंचायत मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि पंचायत राज्य संस्थाओं के चुनाव अवश्य करा दिये जायेंगे तथा उनकी अवधि नहीं बढ़ाई जावेगी। किन्तु उसके बावजूद एक अध्यादेश द्वारा इन संस्थाओं की अवधि 31 दिसम्बर, 1977 तक बढ़ा दी गई। इस प्रकार पंचायत एवं विकास मंत्री ने सदन को गुमराह किया है।

इस सम्बन्ध में यह तो स्पष्ट है कि विधान सभा द्वारा उपरोक्त अध्यादेश के स्थान पर एक विधेयक पारित कर देने के पश्चात् विधान सभा पंचायत राज संस्थाओं की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकारी नीति का अनुमोदन कर चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रश्न केवल यह रह जाता है कि क्या आश्वासन दिये जाने के पश्चात् उसका पालन न करने से क्या किसी प्रकार का विशेषाधिकार हनन का प्रश्न बनता है?

माननीय सदस्य जानते हैं कि सदन में अनेक बार अनेक आश्वासन दिये जाते हैं और उनकी पूर्ति करना यद्यपि राज्य सरकार का नैतिक दायित्व है, फिर भी कई कारणों से ऐसे अवसर आये हैं कि उनकी पूर्ति राज्य सरकार द्वारा नहीं हो पायी है। ऐसे आश्वासनों की अग्रेतर जांच करने के सम्बन्ध में विधान सभा की एक समिति सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के नाम से गठित है जो प्रत्येक आश्वासन को इस दृष्टि से जांच करती है कि यदि कोई आश्वासन समय पर पूरा नहीं किया गया तो ऐसा किन कारणों से हुआ और उस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जानी चाहिए।

साथ ही साथ संसदीय परम्पराओं की दृष्टि से भी यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों की पूर्ति न करना अथवा समय पर न करना किसी विशेषा-

(श्री अध्यक्ष)

धिकार हनन की संज्ञा में नहीं आता। इस प्रकार की व्यवस्था अन्य राज्यों की विधान सभाओं तथा हाल ही में लोक सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा गत 2 दिसम्बर को आयात लाइसेन्स प्रकरण के सिलसिले में दी गई थी। उस व्यवस्था का एक अंश इस प्रकार है :

"There may be a dispute that the assurance was not implemented fully or in due time, and it can only be resolved by a debate in the House. House knows that it has various remedies available to it to call the Government to account and secure compliance with its directions, but inadequate compliance of an assurance or delay in its fulfilment will not constitute a breach of privilege."

चूंकि इस मामले में तो सदन द्वारा भी पंचायत राज संस्थाओं की अवधि बढ़ाने सम्बन्धी विधेयक पारित किया जा चुका है अतः उपरोक्त आश्वासन की अग्रेतर जांच करने या उसकी पूर्ति न होने के विषय में अन्य कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। ऐसी स्थिति में, मैं इस विशेषाधिकार प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री अध्यक्षः ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बात पर निवेदन करना चाहूंगा। आपने जो व्यवस्था दी है उसके खिलाफ तो मुझे कुछ नही कहना है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था में जो बातें कही गई हैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान मे जब पंचायतों के चुनाव का समय बढ़ाने के लिए बहस हो रही थी सदन में तो पंचायत मंत्री जी ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि अब सदन में अवधि बढ़ाने के लिए नहीं आयेंगे। अध्यक्ष महोदय, आश्वासन आपने इसको बनाया है जब कि यह आश्वासन नहीं है और सरकार की खुद की घोषणा है कि दुबारा समय नहीं बढ़ायेंगे इस दृष्टि से, अगर सरकार यह कहती है कि समय दुबारा बढ़ाने के लिए आ सकते हैं तो सदन में बहस का रुख ही दूसरा होता और सरकार के खिलाफ दूसरी बातें हो सकती थीं। इसलिए मंत्री महोदय ने आश्वासन नहीं दिया बल्कि सदन को धोखा देने के लिए और सदन को गुमराह करने के लिए यह कहा था। इसलिए यह आश्वासन की श्रेणी में नहीं आता है। आश्वासन पहली बार होता है और आश्वासन का इम्प्लीमेन्टेशन नहीं कर सके तो वह आश्वासन की श्रेणी बनती है। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वतः जानते हैं कि सरकार ने पंचायतों की अवधि समाप्त होने पर एक बार नहीं पांच-पांच बार उनका टाइम बढ़ाया है। पहले चार किया, फिर पांच किया, फिर सात किया, फिर आठ किया, फिर दस किया और फिर 12 कर दिया गया। तो, माननीय अध्यक्ष, इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि यह आश्वासन नहीं जानबूझकर सदन को धोखा देने के लिए सरकार का यह प्रयत्न है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी और पंचायत मंत्रीजी के आश्वासन का यह मामला आश्वासन समिति में जायगा तो कमेटी इस

(श्री रामकिशन)
पर विचार नहीं कर सकती है और विचार करेगी भी तो न तो यह उसके परव्यू में आता है।

इसका दूसरा पक्ष, अध्यक्ष महोदय, यह भी है कि हमारे मंत्रियों को प्रतिभा बढ़े और उनकी वाणी की वकत हो उसकी मुझे ज्यादा चिन्ता है। आज हमारे देश में स्थिति यह बन गई है कि सरकारी पार्टी के नेताओं की बात का कोई भरोसा नहीं करते हैं। आज सारे देश में जो असन्तोष है, जो नाराजगी है, जो असन्तोष की भावना है इसके पीछे केवल एक ही कारण है कि मंत्री लोग कुछ कहते हैं तो आम जनता यह समझती है कि इनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। सदन के हित के लिए और सरकारी पार्टी के हित के लिए इनकी वाणी और कर्म में एकरूपता होना चाहिये।

जहां तक संसद की बात है, लाइसेंस काण्ड को इसके साथ नहीं मिलाया जा सकता है। जिस संदर्भ में यह व्यवस्था वहां पर दी गई तो पांच स्टेजेज पास हो चुकी थीं, और जो आश्वासन दिया था उसको फेस करने के लिये उसके संदर्भ में दूसरी बात थी। यह एक कानून और सारी राजस्थान की जनता का सवाल है। आपकी व्यवस्था का विरोध नहीं करते हुए और विशेष प्रकार की चर्चा नहीं करते हुए, मैं यह मानता हूं कि किसी भी दृष्टि से सदन को गुमराह करने की कोशिश है। आप माननीय मंत्रीजी को आदेश दें और यह सारे राजस्थान के हित के लिए घोषणा करवा दें कि हमने सदन को धोखा दिया है और धोखा दिया है इसलिए आगे धोखा नहीं देंगे और राज्य सरकार को और कोई मंत्री को अधिकार नहीं है। इससे, अध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा बढ़ेगी और राज्य सरकार में विश्वास बढ़ेगा, और सदन का राज्य सरकार पर नियन्त्रण है यह भावना आयेगी। आपने व्यवस्था दी इसलिए उसका विरोध नहीं करते हुए भी यह चाहूंगा कि उनको खड़ा करके उनसे कहलायेंगे।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। (श्री रामकिशन से) आप मूव करना चाहते हैं ?

श्री रामकिशन : आप खड़ा नहीं करना चाहते ?

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : जब बिल ही पास हो गया तो ...

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपने पहले यह फरमाया था ...

श्री अध्यक्ष : अध्यादेश पास हो गया है।

श्री रामकिशन : अगर चोरी हो और अगर चोरी बाद में पकड़ी जाय तो फर्क नहीं पड़ता है।

श्री फूलचन्द जैन : चोरी नहीं थी। खुली बात थी। आप उस वक्त बोले नहीं होंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, इसको प्रिविलेज का प्रश्न भले ही न मानें

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
उसके पश्चात् भी क्या यह घोषणा नहीं थी और उसमें गुमराह नहीं किया गया था ?

श्री अध्यक्ष : रेफर तो इसलिए नहीं किया गया कि आर्डिनेन्स की स्टेज पर था वह ला बन गया और आपने एक्सेप्ट कर लिया। जैसी चीज होना चाहिए थी उसको आप पास कर चुके हैं। उस पर अब क्या कहना है। यह एक नई परम्परा आज आप डाल रहे हैं रूलिंग पर इस तरह डिसकशन करने की तो यह मेरे लिए मुश्किल होगी। यदि कोई बात करना है तो वह कर सकते हैं। यह भी एक नई परम्परा है लेकिन चूंकि उनका प्रिविलेज मोशन था इसलिए कह दिया। वह आगे नहीं चल सकती है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : ठीक है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

भरतपुर स्थित पक्षी विहार के संबंध में

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 131 के तहत भरतपुर बर्ड सेन्चुअरी की एक विशेष समस्या के सम्बन्ध में माननीय वन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में और दुनियां में एक बहुत प्रसिद्ध बर्ड सेन्चुअरी भरतपुर में है, और वहां पर अधिकतर विदेशी एक्सपर्ट देखने आते हैं और तरह-तरह के आमोद-प्रमोद के लिए भी लोग जाते हैं...

श्री अध्यक्ष : इस समय स्पीच नहीं देंगे।

श्री रामकिशन : मैं मंत्रीजी के लिए तीन-चार बातें कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपको यही कहना है कि मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हैं। उनका स्टेटमेन्ट आ जायेगा उसके बाद आप फर्मा दें।

श्री रामकिशन : मुझे पता है नियमों का पहले ही।

श्री अध्यक्ष : आपका ध्यानाकर्षण किया हुआ मान लिया जाय ?

श्री परसराम मदेरणा (वन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है उस संबंध में राज्य सरकार द्वारा स्टेटमेन्ट इस प्रकार है :—

घाना केवलादेव सेन्चुरी जिसकी परिधि करीब 25 किलो मीटर है इसके चारों ओर भरतपुर स्टेट के समय से ही तार की फेंसिंग हो रही है, जो पुरानी होने से जीर्ण स्थिति में है तथा अनेकों स्थान पर टूट गई है इस कारण इस सेन्चुअरी के जंगली जानवर व वन गायें टूटी हुई फेंसिंग के रास्ते से बाहर निकल कर ग्रामवासियों की खेती को हानि पहुंचाते है। सेंक्चुअरी में मुख्यतया नीलगाय, चीतल, सूअर पाये जाते हैं जो खेती को नुकसान करते हैं।

वर्ष 1971-72 से 1973-74 तक कृषकों की खेती को नुकसान से बचाने के लिए क्रेश योजना के अन्तर्गत लगभग 16 किलोमीटर लम्बी खाई की खुदाई फेंसिंग

(श्री परसराम मदेरणा)

के प्रयोजनार्थ की गई थी। जिस पर लगभग 65,000) रु. का व्यय हुआ। वर्ष 1972–73 में बाढ़ आ जाने के कारण पूर्व में खुदी हुई खाई काफी स्थानों पर भर गई एवं अनुपयुक्त हो गई है।

वर्ष 1973–74 में बाढ़ राहत योजना के अन्तर्गत अघापुर दरवाजा के पास से लगभग एक किलोमीटर लम्बी 6 फुट ऊंची ईंट की पक्की दीवार खेतों को नुकसान से बचाने हेतु व सेन्क्चुअरी की सुरक्षा हेतु बनवाई गई जिस पर लगभग 70,000) रु. का व्यय हुआ है।

प्रधान मंत्री एवं मुख्य मंत्री राजस्थान के बीच हुए पत्र-व्यवहार के फलस्वरूप राज्य सरकार ने एक योजना...

सुनिये आप।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं सुन रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : आपसे नहीं जिन्होंने ध्यान आकर्षण किया है उनको कह रहा हूं।

प्रधान मंत्री एवं मुख्य मंत्री, राजस्थान के बीच हुए पत्र-व्यवहार के फलस्वरूप राज्य सरकार ने एक योजना कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में घाना सेन्चुअरी के विकास हेतु...

(12.37 म. प.) (श्री रामसिंह उपाध्यक्ष, पीठासीन)

...दिनांक 15–3–74 द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसमें घाना के चारों ओर पक्की दीवार बनाने के लिए साढ़े सत्ताईस लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। यह योजना अभी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। जब तक उक्त योजना के आधार पर वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं कराये जाते तब तक दीवार बनाने का कार्य पूरा कराना जाना सम्भव नहीं है। फिर भी विभागीय बजट में से 20,000) रु. की राशि निकाल कर चालू वित्तीय वर्ष में दीवार बनाने का कार्य पुनः आरम्भ किया गया है।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है मैं समझता हूं कि राज्य सरकार की जो क्षमता थी उसके अनुसार हो है। मंत्रीजी की जो मन्शा है उसका कोई विरोध करता हो यह नहीं है। लेकिन एक स्थिति यह है कि आपको जो जानकारी दी गई है वह गलत जानकारी दी गई है। वहां पर जो फेंसिंग थी वह करीब-करीब सारी समाप्त हो चुकी है और वहां पर कोई फेंसिंग नहीं है। और दूसरी स्थिति, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि जंगली जानवर जिसका आपने जिक्र किया है यह खेती का नुकसान नहीं करते हैं। नील गाय वगैरह नहीं बल्कि जो गंवारू गायें हैं जिनकी तादाद 700–800 के करीब है।

अध्यक्ष महोदय, वह रात के टाइम में वह आती हैं। पूरी रात किसान सो नहीं पाते हैं। इस सारे इलाके में पानी भरा रहता है। रात को गायों का चार, चार, पांच, पांच सौ इकट्ठा झुण्ड आता है। किसान की खड़ी हुई फसल को बरबाद कर देता है। उपाध्यक्ष महोदय, चाहे वह केन्द्रीय सरकार का काम हो, चाहे वह राज्य सरकार का काम हो। आप जहां एक-एक योजना पर 70 करोड़ खर्च कर रहे हैं, वहां

(श्री राम किशन)

यह 25–30 हजार रु. की योजना से 25 किलोमीटर की दीवार बनानी है थोड़ी सी बनादी गई, यह समस्या का समाधान नहीं है। इस बारे में मुख्य मन्त्री से पत्र व्यवहार हुआ है। वहां पर अगर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई तो उसके दो परिणाम निकलेंगे। एक उसका यह परिणाम निकलने वाला है कि जो खेती करने वाले लोग हैं, वह इससे बहुत दुखी और परेशान हैं। इतने क्रोधित हैं कि वह जंगल को काट देंगे। मैंने उनको समझाया था। इसका परिणाम यह होगा कि आपकी यह बर्ड सेंचुअरी बरबाद हो जायेगी। और, यह भी हो सकता है कि वहां पर इतनी व्यापक हिंसा और मारपीट हो जिसका सामना आपको करना पड़ेगा। 20–25 साल से भरतपुर का किसान बरबाद है। राज्य सरकार उसको वित्तीय प्रश्न बनाकर उसको तालाकूंची बनाती रही है। चाहे राजस्थान सरकार इसके लिए विशेष रूप से कर्जा ले। इसे एक विशेष योजना के तहत में 25 लाख रु. इसके लिए कर सकते हैं। वहां जो मौके पर आफीसर हैं, उनका कहना है कि अगर 12–15 लाख हो जाये तो भी कुछ किया जा सकता है। आप फेंसिंग व्यवस्था करें। एक खाई थी। पहले जो स्टेट टाइम में व्यवस्था थी, खाई की उससे गायें वगैरह निकल नहीं सकती थीं। नील गायें, हिरन वगैरह तो कूद जाते हैं। रुकते नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं। आपकी मंशा होते हुये भी, क्योंकि चुनाव के दिनों में आप वहां रहे थे। रात को वहां विश्राम करते थे। तो आपको पता होगा कि किसानों को कितना कष्ट होगा। इसलिए जिस स्थान पर आपने निवास किया है। इसलिए स्वाभाविक हो जाता है कि उस स्थान के मामले को समझ कर, चाहे यह राज्य सरकार कराने के लिए तैयार हो या केन्द्रीय योजना हो, हम किसी योजना के तहत 20–25 लाख का प्रावधान कर सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा, अभी भी फसल बोने से पहले पहले राज्य सरकार को इसका प्रावधान करना चाहिए। अन्यथा इससे आपकी वित्तीय हालत पर भी असर पड़ता है। किसान भी असन्तुष्ट हैं। इसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय, एसर्ट करें और यह आश्वासन दें कि यह निश्चित रूप से काम कर दिया जायेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बाद में कह लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो प्रश्न सदन में प्रस्तुत है, मैं उसके पोजिटिव फीचर्स के बारे में पूछना चाहता हूं। आपकी राज्य सरकार की तरफ से जो प्रयत्न किया है, गायों, नील गायों, हिरनों और सूअरों के बारे में जो कि बहुत बड़ा खतरा है। सूअर तो गन्ने की फसल को छोड़ता ही नहीं है। उधर हिरन के लिए आप चाहें कितनी ही बड़ी खाई खोद दें। 71–72 में हजारों रुपया लगाकर खाई खोदी। उस समय से लेकर इन 5 वर्षों में 3, 4 बार बाढ़ आ चुकी है। विशेष कर चीतल, हिरन और नील गायों के लिये यह जो 70 हजार रुपये

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

लगाकर जो खाई खोदी गई है, 15–20 किलो मीटर, वह कितनी खुद सकी है। वह तो खाई के नाम से मजाक था। इससे कोई हल होने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने फेंसिंग करीब 20–25 हजार रुपये की की है। इतने से किस प्रकार फेंसिंग की है। आप कोई वायर नहीं लगा सकते हैं। कांटे की करें तो जैसा कि डेजर्ट एरिया में होता है, तो वह भी नहीं हो सकता है। शायद मन्त्री महोदय, जैसलमेर की तरफ कोई फेंसिंग करने वाली कल्पना करें तो वह कांटों से कुछ होने वाला नहीं है। यह बर्ड सेंचुअरी है। यहां पर इण्टरनेशनल बर्ड्स आते हैं। जो सेण्ट्रल गवर्नमेंट का पर्यटन विभाग है, उसका भी कुछ दखल है। जहां तक मेरी सूचना है, सेण्ट्रल गवर्नमेन्ट का जो पर्यटन विभाग है, वह 15 लाख रुपया तुरन्त देने को तैयार है। आपने उसका उपयोग नहीं किया है। आपके मुख्यमंत्री ने प्रधान मन्त्री से निगोसिएशन किया है। 20–25 लाख का। यह सही है कि इससे पहले यह पर्यटन विभाग से कमिटमेण्ट हो चुका है। वह 15 लाख रुपया खर्च करने के लिए तैयार हैं। आपको ध्यान होगा, सन् 1973 में किसानों ने ज्ञापन दिया था। उस समय यह कमिट–मेण्ट था कि यह काम हो जायेगा। इसको दो वर्ष हो गये हैं। अन्त में, मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा, इसको वह एमरजेंसी तरीके से करें। दस–दस और पन्द्रह, पन्द्रह मील तक वह निर्ममता से फसल नष्ट कर दें। पौधे निकल भी नहीं पाये कि सारी फ़सल को वह डैमेज कर दें। किसान रात दिन जागकर रखवाली करते हैं। दो–दो हजार पशुओं को हर्ड दस पन्द्रह मील के अन्दर उनका हर्ड विचरण करता है। रात को ढोल बजा बजा कर 24 घण्टे वह पहरा दिया करते हैं। फिर भी वह अपनी खेती को बचा नहीं पाते हैं। इसलिए मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वहां के किसान यह अत्याचार सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर या तो यह सेंचुअरी काट डाली जायेगी। यह सेंचुअरी रहने वाली नहीं है। यह एक्जिस्ट नहीं करने दी जायेगी। चाहे पर्यटन विभाग से पैसा लो। या भारत सरकार से पैसा लो वहां पर फेंसिंग की जाये। किसानों के असन्तोष को दूर किया जाये नहीं तो किसान कठोर कदम उठायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : महारावल लक्ष्मण सिंह।

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य रामकिशन जी ने जो मुद्दा उठाया है, केवलादेव घाना के सम्बन्ध में, मैं उसका विशेष महत्व समझता हूं। यह केवला देव घाना, शायद एशिया में कोई ऐसी सेंचुअरी नहीं है। अफ्रिका फ्रांस, इंगलैंड और इटली के लोग उत्सुक हैं, इस केवला देव घाना को देखने के लिए। लेकिन इसमें किसानों को संघर्ष उठाना पड़ता है। एक तरफ राज्य सरकार और भारत सर–कार की यह इच्छा है कि वह सेंचुअरी रखी जाये। इन दोनों के सम्मिश्रण से कोई हल नहीं निकालेंगे तब तक 1975 में यह रह सके, यह मैं सम्भव नहीं मानता हूं। मंत्री महोदय ने कहा कि हम फेंसिंग करेंगे, या खाई लगायेंगे, दीवार लगायेंगे, मंत्री महोदय, वास्तविक चीज तो यह है कि वहां के जंगली जानवर है उनका तो बिल्कुल ह्रास सा हो रहा है। अब तो ब्लेक बक जैसी विख्यात और

(श्री लक्ष्मणसिंह)

सुन्दर बर्ड और जानवर यहां बराये नाम रह गये हैं। सात सौ, आठ सौ, माननीय रामकिशन जी ने कहा, वहां गाय हैं। यह गेम्स सेंक्चुअरी है या कैटल सेंक्चुअरी है। यहां कैटल को गेम्स सेंक्चुअरी में रखना चाहते हैं तो गेम्स सेंक्चुरी नहीं रह सकती है–यह हास्यास्पद स्थिति हो जायगी। भूतपूर्व भरतपुर राज्य ने मवेशियों के इस सेंक्चुअरी एरिया में आने से रुकावट की थी, यह व्यवस्था सुन्दर की थी जिससे मवेशी भूखे नहीं मरें और गेम्स सेंक्चुरी का प्रिजरवेशन हो। अब मवेशी इतने हो गये हैं कि बेचारी नील गाय और ब्लेक पक का पता नहीं लगता है। रामकिशन जी ने जैसा कहा, इनके बाहर आने में रुकावट नहीं हुई, नीलगाय, गाय को प्रिवेंट नहीं किया, रुकावट नहीं हुई तो लोगों में इतना आक्रोश बढ़ता है कि यह कहते हैं कि हम इन सब पेड़ों को काट देंगे। इससे नीलगाय, ब्लेक पक, कार्बोरेट बर्ड–इनका ब्रीडिंग ग्राउन्ड नष्ट हो जायगा। अब भारत सरकार वाल बनायेंगे, मवेशियों के सम्बन्ध में कल आप कुछ करेंगे व्यवस्था, वह व्यवस्था भी भंग हो जायेगी। इसलिए यह सैंकड़ों वर्षों की सेंक्चुअरी है इसको सेंक्चुअरी के रूप में प्रिजर्व करना चाहिए। टूरिज्म का स्पोट कायम रखना चाहते हैं, और फारिन एक्सचेंज के लिए राज्य सरकार उत्सुक है तो कोई न कोई व्यवस्था आप ऐसी करें कि जानवर और मवेशी भी चर सकें। आप दो कम्पार्टमेंट में इस सेक्चुअरी को डिवाइड करें, एक में वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर एक हिस्से में रहें, और दूसरे कम्पार्टमेंट में मवेशियों को चरने को मिलना चाहिये। वहां इतनी पापूलेशन है, घनी आबादी है और खेत ही खेत हैं। मवेशियों को चराने के लिए कोई चरागाह चाहिए। वहां की गाय बहुत अच्छी हैं, दूध भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए मवेशियों के लिए आप व्यवस्था कीजिये शीघ्रातिशीघ्र, और जितना भी पैसा खर्च हो सके, वह करके वाल बना कर, एन्क्लोजर करके सेंक्चुअरी एरिया को प्रिजर्व करें, ताकि ब्लेक पक, नील गाय का प्रिजर्वेशन हो, ऐसी वाल्स रखने से नाना प्रकार के कार्बोरेट, स्टार्क परिन्दे हैं उनके प्रिजर्वेशन के बारे में व्यवस्था हो सकती है। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उषा प्रकाश।

श्रीमती उषा प्रकाश (बैर) : उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर को घाना बर्ड सेंचुअरी है वह आज की तारीख में, जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने पहले निवेदन किया, एक टूरिस्ट आकर्षण का बहुत बड़ा केन्द्र है। उसके साथ ही अगर हम इसके इतिहास में जायं तो घाना की बर्ड सेंक्च्यूअरी के साथ, पुराने जमाने में जो बेगार ली जाती थी गरीबों से, उसका एक दुखद इतिहास जुड़ा हुआ है। उस बेगार को मिटाने के लिए भरतपुर जिले में व्यापक रूप से आन्दोलन भी हुआ, उस बेगार के उन्मूलन करने का एक काम हुआ उससे कम महत्व का काम यह घाना बर्ड सेंचुअरी प्रिजर्वेशन का नहीं होगा–ऐसा मेरा मानना है क्योंकि आस पास के बीस गाँव हैं उनके खेतों में कड़कती सर्दी के दिनों में, यह जो बदनसीब और जंगली गाय बस गई हैं–हम नहीं कह सकते–यह प्रश्न विचारणीय है, जंगली गाय इतनी मात्रा में पैदा कैसे हो गई, इनका निवास कैसे हो गया,

(श्रीमती उषा प्रकाश)

–यह जंगली गाय आस पास के किसानों पर कहर बरसा रही हैं–यह काफी व्यापक है, काफी दुखद है। और पिछले दिनों जब मुख्य मंत्री जी के सामने वहां के किसानों ने दर्दनाक तरीके से यह सब बातें रखीं कि किस तरह उनके खेतों को नष्ट किया जाता है, गायों के कारण किस तरह से रात को नगाड़े बजाने पड़ते हैं, रात भर घूमना पड़ता है, तब मुख्य मंत्री ने दर्द महसूस किया था। उसके तुरंत बाद में मौका लगा तो अपने हाथ में इस काम को लिया। हाइएस्ट लेवल पर इस काम को देख रहे हैं जिससे जल्दी पैसा आवंटित हो, जल्दी पैसा मिल जाय और दीवार बन जाय आपकी मार्फत मैं इतना ही सरकार से निवेदन करूंगी, घना में आपके टूरिस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत बड़ा आवास गृह बन रहा है पर्यटकों के लिये। मेरा यह निवेदन है सरकार से, फण्ड्स में चाहे, आवास जो पर्यटकों के लिए बन रहा है, उसको एक साल बाद बना दिया जाय, पहले प्रावधान दीवार को बनाने के लिए किया जाय ताकि आस पास के किसानों को राहत पहुंचे और मुख्य मंत्री ने जो वहां के किसानों को अपने दौरे के दौरान एक हमदर्दी दिखाई थी, उसका नतीजा है वह नतीजा काश्तकारों को मिले।

श्री उपाध्यक्ष : श्री करण सिंह।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह बढ़िया रहा। पुत्र उत्पन्न हुआ नहीं, नामकरण संस्कार हो गया।

श्री रामकिशन : बारह में से रह नहीं जाय इस टाइम पर।

श्री करण सिंह (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, आने वाली फसल तक किसानों को कैसे राहत मिले इसमें दो राय नहीं है। ऐसा है, किसान जिनको भली भांति जानते हैं, की पूरी फसल नष्ट कर बैठते है। इसका मेन कारण है वह यह वन गाय हैं, वन गाय कहां से आयीं? यह कोई जंगली गाय नहीं है। बूढ़ी और कमजोर गाय, जो किसानों ने जंगल में छोड़ दी थीं, उनकी उत्पत्ति हुई है। इस सम्बन्ध में एक दो सुझाव मैं माननीय मंत्री को देना चाहूंगा। जब जंगली हाथी पकड़े जा सकते है, शेरों को पकड़ सकते हैं तो इन गायों को पकड़ कर गऊशाला में भिजवा दीजिये तो तत्काल राहत मिल सकती हैं। दूसरे जंगली जानवर हैं वह इतना नुकसान नहीं करते हैं। यह गाय बीस पच्चीस मील के एरिया को बिल्कुल चौपट कर देती हैं। इसके लिए दीवार बनाने में समय लगेगा और दीवार में दिक्कत आ सकती है। मेरा सुझाव है, इन गायों को पकड़ कर गऊशाला में भिजवा दिया जाय, जैसा जमींदार और, और लोगों ने किया था। इसमें किसान भी मदद करने को तैयार हैं। घाना सैंचुअरी में उनको घुसने की इजाजत नहीं है, और यह परेशानी उनके सामने आती है। जैसा निवेदन किया, यह बर्ड सैंचुअरी खराब हो जायगी। वह बर्ड सैंचुअरी आबरेढी दो विभागों में बंटी हुई है। एक विभाग में पानी भर जाता है वहां बर्ड्स रहती हैं जो साइबेरिया से आती हैं। दूसरा एरिया खुश्क रहता है, वहां जंगली जानवर, सूअर रहते हैं। वह इतनी मिकदार में नहीं है कि नुकसान हो। इसलिए अगली फसल तक तब ही किसानों को राहत मिल सकती है जब कि गायों को

(श्री करण सिंह)
पकड़ कर गऊशाला में भिजवा दिया जाय। यह मेरा सुझाव है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष जी, घाना की सैंचुअरी केटिल सेन्च्यूरी नहीं है, बर्ड सैंचुअरी है···

श्री लक्ष्मण सिंह : वास्तव में तो केटिल सैंचुअरी है।

श्री परसराम मदेरणा : संसार का माना हुआ पक्षी विहार। भिन्न भिन्न स्पेशीज के पक्षी वहां पर हैं। उसमें से करीब 102 स्पेशीज माइग्रेटरी हैं जो संसार के कई देशों मन्चूरिया, चीन, साइबेरिया, यूरोप और कई देशों से आते हैं और 209 या 210 के आसपास रेजीडेन्शल बर्ड्स हैं। आज के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि वह उन नील गायों के संबंध में नहीं है। डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि नील गायें बहुत नुकसान कर रही हैं और खास तौर से सूरतगढ़ से आने वाले माननीय कह रहे थे कि नील गायें बहुत नुकसान कर रही हैं। भरतपुर वालों का ऐसा अनुभव नहीं है। नील गायें नुकसान नहीं करती, सूअर भी इतना नुकसान नहीं कर रहा है, न हिरन नुकसान कर रहा है। एक खाई के लिए कहा गया है कि वह लांघ रहे हैं ब्लेक बक, स्पाटेड डोयर। उनकी शिकायत यह है कि जैसे भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, मैंने भी उस सैंचुअरी को देखा है जब भरतपुर में उप-चुनाव हुआ था, एक दिन वहां जाने का अवसर मिला था। वहां जंगली गाय हैं अवारा गाय हैं। यह कई वर्षों से हैं। वैर से आने वाली माननीय सदस्या···

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जन संघ के लिए यह चिंता का विषय है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपकी ओर ही व्याख्या कर रहा हूं। वैर से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थी कि जंगली गाय बर्डस सैन्च्युरी में कैसे पैदा हो गई। इसका इतिहास है। यह कई सालों से गाय है। किन लोगों ने आवारा छोड़ दी होंगी, धीरे धीरे उनकी हैबिट्स चैंज होती गई, कई बार यह ब्याही और कैसे ब्याही यह बायोलोजीकल फेनामेना है, मैं उसके विश्लेषण में नहीं जाना चाहता लेकिन यह बात आवश्यक है कि वह करीब करीब ऐसी आवारा हो गई हैं कि पकड़ में नहीं आती हैं और अगर इनसान उनको पकड़ने की कोशिश करता है तो वे मारने के लिए दौड़ती हैं। उन गायों के झुंड को मैंने देखा है। डाक्टर का मुझे आदेश था कि शाम और सुबह मुझे घूमना चाहिए तो मैं गायों का झुंड देखता था कोई हजार या दो हजार गायें नहीं हैं, करीब 250 गायें हैं बछड़े वगैरह मिलाकर कुल 400 हैं···

श्री राम किशन : 700।

श्री परसराम मदेरणा : मैं केवल उन गायों के लिए कहता हूं जो आवारा हैं। नील गायें 200 हैं।

श्री गुमान मल लोढ़ा : आपका चुनाव चिन्ह कौनसी गाय है। नील गाय या आवारा गाय या दुधारू गाय ?

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान में कितनी ही अच्छी नस्ल और पेडिगिरी की गायें होती हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि रेगिस्तानी इलाके में गायें हैं। हिंदुस्तान में सबसे अच्छी गाय वहां होती है। हरियाणा को छोड़ दिया जाए, बाकी देश में सबसे अच्छी गाय की नस्ल है तो जैसे गिर हुआ, राठी, काकरेज और थरपारकर की बढ़िया नसल है तो राजस्थान के पश्चिमी इलाके में है। इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन यह गाय जो जंगली गाय या आवारा समझिए, खेती को नुकसान करती है, धाणियां और खेत सैंचुअरी के चारों तरफ गायें हैं, उनको…

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : इनको वाइल्ड कौज कह सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आवारा गाय कहकर मैं चलता हूं। मैंने इस बारे में सोचा है। वाइल्ड लाइफ के संबंध में काफी अध्ययन किया हुआ है, इनको जंगली नहीं कह सकते। आवारा गाय की बहुत समस्या बनी हुई है, सेंक्चुअरी के चारों तरफ किसान खेती करते हैं, उनकी फसल को नुकसान करती हैं, इसमें दो राय नहीं। इसलिए पहले यह आपकी खाई खुदवाई जाती थी और फेन्सिंग थी उस समय गायों की संख्या कम थी अब ज्यादा है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि अब जो लोग से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जब हाथी को पकड़ सकते हैं, शेर को पिंजरे में डाला जा सकता है तो गाय को क्यों नहीं। शेर किस पर आता है उस पर बोइल हो जाए तो गोली से उसको उड़ाया जा सकता है लेकिन गाय को गोली से उड़ाते हैं तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। आपको ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में यह बात लिखी है। जहां तक वहां के लोगों द्वारा सहयोग देने का प्रश्न है, वे लोग आए थे कि हम इन गायों को पकड़ सकते हैं, जिलाधीश से मिले, जिलाधीश ने ऐसा परामर्श वन विभाग को दिया। उसने आदेश दिया कि जो गाय बाहर निकलती हैं और पकड़ना चाहते हैं तो राज्य सरकार को कतई एतराज नहीं है। 4–4, 5–5 गायें पकड़ी भी हैं लेकिन पकड़ने के बाद इस गाय को रखना आसान नहीं है इसलिए जिन लोगों ने इनको पकड़ा था, उनको छोड़ दिया या वे भाग जाती हैं। सैंक्चुअरी में ऐसे आती हैं जैसे इनका कोई परमानेन्ट अबोड हो। आपने देखा होगा कि एक ऊंटनी 400 मील चली जाती है, फिर अपनी जगह पर वापस आ जाती है। पाकिस्तान चली जाती है और वापस हिन्दुस्तान आ जाती है फिर चली जाती हैं, इस तरह ये गायें वापस सेंचुअरी में आती हैं बाहर अगर रही तो लोगों का पीटने का बर्ताव रहेगा। आवारा होते हुए भी दीवार को लांघ जाती हैं, इनमें थोड़ीसी वाइल्डनेस आ गई। राज्य सरकार पकड़ने की कोशिश करेगी। इसलिए मैंने आज सुबह सभी उच्च अधिकारियों को बुलाया था सी.सी.एफ., चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डिन, कन्जरवेटर, डी.एफ.ओ. व बर्ड्स सैन्च्युरी इन्चार्ज। मैंने उनसे पूछा कि आखिर इनको पकडने की कोशिश की जा सकती है क्या? उन्होंने बताया कि ट्रैन्कुइलाइजर है, उसको दूसरे तरीके से खुलवा दें तो फिर उनको टेप किया जा सकता है, एक बार बांध दिया जाए, भूखा

(श्री परसराम मदेरणा)

रखा जाए फिर उनको अलग अलग जगह छोड़ दिया जाए। इस ओर राज्य सरकार प्रयास करेगी। ये जो 3-4 पकड़ी गई हैं कई दिन भूखी रखने के बाद सब छोड़ कर वापस आ गईं। इस आवारा गाय की वहां पर समस्या है। मैं स्वीकार करता हूं कि जब बाढ़ आई थी तो जो खाई कच्ची खोदी गई थी सी. एस. आर. ई. स्कीम के अन्तर्गत लोगों को मजदूरी देने के लिए, उस खाई में रेत आ गई इसलिए वह तो हो गई बेकार, बाद में जो एसिस्टेंस मिली, राज्य सरकार पर खर्चा होता है उससे 70,000)रु. की केवल एक किलोमीटर दीवार बनाई गई। उस संबंध में जो नेशनल पार्क बनाने की योजना चल रही थी कि भारत सरकार को दिया जाए या नहीं, उसके लिए प्रधान मंत्री और हमारे मुख्य मंत्री के बीच जो खतो किताब हुआ था उसमें निर्णय हुआ कि अगर इन बर्ड्स के स्पेशीज को प्रिजर्व रखना है, ब्लैक और दूसरे वन्य पशुओं को जिंदा रखना है तो आवश्यक है कि चारों तरफ दीवार बनाई जाए ताकि किसानों की खेती का नुकसान न हो और जानवरों का पोचिंग न हो। यह 42 लाख रुपये की योजना है जिसमें से 27 लाख केवल दीवार बनाने के लिए है। दीवार पर एंगल्स लगाकर ऊपर वायर लगाने का है, 6 फुट की दीवार है। अभी मार्च 1974 में हमने पूरी स्कीम बनाकर भेजी थी इस स्कीम के अन्दर 27॥ लाख रुपया केवल दीवार के लिए रखे हैं। भारत सरकार ने इसमें एक प्रश्न हमारे सामने यह रखा था कि इस पर जो रेकरिंग खर्चा होगा पहले 12 लाख था बाद में मैंने कहा कुछ कम होगा, तो उन्होंने कहा कि यह रेकरिंग खर्चा अगर राज्य सरकार वहन करने को तैयार है पांचवीं योजना में तो हम उस स्कीम के ऊपर विचार कर रहे हैं। हम इस ओर प्रयत्नशील नहीं हैं वह बात सही नहीं है। अभी इसके लिए प्लानिंग डिपार्टमेन्ट और फाईनेन्स डिपार्टमेन्ट में बात हो गयी है और उस स्कीम की स्वीकृति मिल गयी है। अब वह जल्दी ही एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट में सेंक्शन आते ही राजस्थान सरकार भारत सरकार के पास इसके लिये तीन चार दिन में ही स्कीम को भेज देगी और मैं समझता हूं जल्दी इसके ऊपर स्वीकृति होकर कार्य शुरू हो जावेगा। वैसे मैं माननीय सदस्य भरतपुर से आते हैं उन्हें निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे चीफ कंजरवेटिव आफ फारेस्ट रेवेन्यू सेक्रेट्री और चीफ वाइल्ड लाइफ आफिसर इसके लिये समय समय पर भारत सरकार के पास जाकर इसके लिये बातचीत करते हैं। जून, में जुलाई में, अगस्त 74 में तथा दिसम्बर 74 में भी गये थे। हमारे अधिकारियों की भारत सरकार से बार बार बातचीत हो रही है। लेकिन अब चूंकि हमें आशा बन गयी है कि इसमें हमें जल्दी सफलता मिलने वाली है ऐसी मैं आशा करके चलता हूं। इसके साथ साथ में यह भी माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये 1975-76 में 27 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान है उसे हम इसी साल कुछ अन्य मदों से पैसे निकाल कर हम वहां पर दीवार बनाने जा रहे हैं। अब वहां पर बाढ़ से काम चलने वाला नहीं है। बढ़ती हुई आबादी और दूसरे भैंसे वगैरहा वहां पर चरते हैं और वह कई बार सड़क पर आ जाते हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

इसलिये इसके चारों तरफ दीवार बनायी जायेगी और जो सड़क बीच में पड़ती है उसको वहां पर बन्द करके एक दूसरी सड़क बाईपास बनायेंगे। इसके लिए स्वीकृति प्रदान करदी गयी है। यह सड़क जितनी भी है हम जो कि अन्दाज चार किलोमीटर है पूरी कर देंगे। वहां जो अन्दर रोड है वह हमें बन्द करना पड़ता है। नहीं तो वहां पर ट्रैफिक ज्यादा रहता है जिससे पक्षियों को विचरने में काफी दिक्कत आती है और जानवर भी वहां पर विचरते हैं उन्हें भी विचरने की दिक्कत होती है। इसलिए राज्य सरकार ने बाई पास सड़क बनाने की कार्यवाही शुरू करने का इरादा किया है। वैसे दीवार बननी भी शुरू हो गई है। इसके लिये फिलहाल 20 हजार रुपये राज्य सरकार ने दूसरे मदों से पैसे निकाल कर काम शुरू किया है। वैसे एक किलोमीटर में 70 हजार रुपये दीवार के लगे थे। लेकिन जब तक कि स्कीम भारत सरकार से पास होकर इस मद के पैसे भारत सरकार से प्राप्त नहीं होते हैं तब तक के लिए काम राज्य सरकार कर रही है। अब अगर हम दीवार नहीं बनायेंगे तो जानवर भी काफी होशियार हो गये हैं वहां पर खाई और बाड़ को तो वह फांद जाते हैं। काफी एक्सपर्ट हो गये हैं। हाई जम्प कर जाते हैं। इसलिए दीवार बनाना जरूरी हो गया है। मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें दो मत नहीं हैं। जहां तक गेम्स सेन्चुअरी बनाने का सवाल है बर्ड्स सेंचुअरी बनाने का सवाल है राजस्थान गवर्नमेन्ट जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश में है। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार से स्वीकृति आते ही हम इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करने में लगे हुए हैं। वैसे हमारे अधिकारी वर्ग इस ओर फालोअप में लगे हुए हैं। निरन्तर प्रयास हो रहे हैं। मैं सदन के माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि यह जल्दी बनेगी। क्योंकि एक तरफ तो भारत सरकार वाइल्ड लाइफ की ओर ज्यादा इम्पोर्टेन्स देती है दूसरे, इसकी वजह से हमारे यहां पर फोरन टूरिस्ट भी आते हैं। इसके अलावा प्रधान मन्त्रीजी खुद इसमें परसनल इन्टरेस्ट ले रही हैं और उसने इसके लिये खतोकिताबत भी किये हैं। वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिये खास तौर से यह स्कीम बनायी गयी है और मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत सरकार से सेंक्शन आते ही जो कि निश्चित तौर से आयेगी हम इस स्कीम को पूरा करवायेंगे ऐसा मैं सदन को आश्वासन देना चाहूंगा।

अनुदान की मांगें

मांग सं. 35 व 29 का पुरःस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर सामान्य वाद-विवाद। श्री सहकारी मन्त्री जी।

श्री रामनारायण चौधरी (सहकारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 35 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,05,33,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 29 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महो-

(श्री रामनारायण चौधरी)

दय को 49,59,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 35 एवं 29 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर)

श्री बलवन्त सामरिया (दौसा)

श्री मनोहरलाल (कामा)

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर)

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट)

1. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 498 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उपभोक्ता सहकारी भण्डारों में विनियोजित राशि का उचित फल प्राप्त नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 698 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य सहकारी बैंक को दिये जाने वाले ऋण की अपर्याप्तता पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 498 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जातियों की सहकारी उपभोक्ता समितियों को उचित सहायता नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी बाजार, जयपुर के बन्द किये जाने व कर्मचारियों के बकाया भुगतान के प्रश्न पर चर्चा के लिये)।

6. श्री मनोहरलाल (कामा): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता के आधार पर डीग, कामां, पहाड़ी, जुरहरा, सीकरी नगर, गोपालगढ़ में सरसों का तेल निकालने की मिल लगाने हेतु चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कामां में बुनकर सहकारी समिति को सहायता देकर पुनर्जीवित करने हेतु चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर विकास न्यास, जयपुर ने आबादियों के बीच में श्मशान बना देने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सभी नगरपालिकाओं के क्षेत्रों में नगर विकास न्यास स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये)।

10. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर विकास प्रन्यास को

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर विकास न्यास उदयपुर को अनुदान हेतु प्रावधान न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यू मण्डावा हाउस स्कीम, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर में नगर विकास न्यास द्वारा आवासीय प्लाट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार द्वारा कामर्शियल में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

13. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों की चुनाव प्रणाली को बदलने की आवश्यकता एवं चुनाव आयोग द्वारा ही चुनाव कराये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 698 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर केन्द्रीय सहकारी बैंक में सहकारी कर्मचारियों का हस्तक्षेप करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 698 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों को समय पर ऋण प्राप्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर विकास के लिये गांवों की भूमी लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

17. श्री जय किशन लाल तोसावडा (फागी): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाकसू एवं फागी तहसीलों में सहकारिता के आधार पर कोई प्रगति नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहित करने हेतु चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 698 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी एवं चाकसू तहसील में सहकारी समितियों को ऋण देने हेतु चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम दिया जाय (राजस्थान में नगर विकास न्यास को अनुदान नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

21. श्री दीपंकर (लाडनूं): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 498 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

Page No 59

(59)

(श्री दीपंकर)
(मारकेटिंग सोसाइटी लाडनूं में बीज गोदाम भवन व्यवस्था हेतु चर्चा के लिए)।

22. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हरिजन सोसाइटी की ओर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी बैंकों की व्यवस्था से जनता को उचित लाभ नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिकाओं को सड़कें-फुटपाथ की व्यवस्था करने हेतु सहायता देने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिकाओं को प्रति व्यक्ति के अनुपात से अनुदान की राशि बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये)।

26. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभागीय ऋणदायी सहकारी समितियों को सहकारी विभाग द्वारा बैंक से ऋण दिलाने में होने वाली अनावश्यक देरी पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिकाओं, निगमों आदि को सहायता हेतु बहुत कम प्रावधान रखे जाने पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (जयपुर नगर विकास न्यास को अनुदान देने के औचित्य पर चर्चा के लिए)।

29. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 698 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रिक्शा चालकों की सहकारी समितियों को ऋण देने हेतु कोई प्रावधान नहीं रखे जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

30. श्री ओंकार लाल चौहान : मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता से छोटे कर्जे की व्यवस्था अधिक कराने हेतु चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिकाओं को विकास की दृष्टि से पूरा कार्य करने हेतु सामान्य अनुदान कम दिये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

32. श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : (चित्तौड़गढ़): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान परिस्थितियों के आधार से राजस्थान में सहकारी संस्थाओं के चुनाव की प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकताओं पर चर्चा के लिये)।

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

33. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में नगर विकास न्यास को अनुदान हेतु कम राशि देने के बारे में चर्चा के लिये)।

34. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक व केन्द्रीय सहकारी संस्थाओं की चुनाव व्यवस्था में आमूल परिवर्तन पर चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 35 मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमि., मालासर पंचायत समिति, बीकानेर के इच्छुक चार सौ नये सदस्यों की भर्ती करके बाद में ही चुनाव कराने की व्यवस्था न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान भूमि विकास बैंक द्वारा सिफारिश के बावजूद ऊंट गाड़ी मय 4 हलों के) रेगिस्तानी क्षेत्रों के छोटे काश्तकारों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु कृषि कार्यों के लिए रिजर्व बैंक द्वारा दी जाने वाली ऋण सुविधायें स्वीकृत कराने हेतु दीर्घकालीन आधार पर सरकार द्वारा पहल न कर सकने पर चर्चा के लिये)।

37. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर प्लास्टिक इन्डस्ट्रियल सहकारी समिति लिमिटेड, बीकानेर को आर. बी. आई. के निर्देशानुसार केन्द्रीय सहकारी बैंक के निजी फण्ड से विभाग द्वारा ऋण दिलाने में समिति का आवेदन-पत्र होते हुए सहयोग न दिया गया इस हेतु चर्चा के लिए)।

38. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-खण्ड आवंटन हेतु अनुसूचित जाति के सदस्यों की गृह निर्माण समिति को प्राथमिकता देने पर चर्चा के लिये)।

39. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले की सहकारी समितियों को प्रोत्साहन न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिये जाय (बीकानेर व चूरू जिले की हाऊसिंग सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन किए जाने के बावजूद भी आज तक गृह निर्माण के लिए कोई धनराशि नहीं दी गई जिससे ग्रामीण लोगों में काफी असंतोष है, इस पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सेवा सहकारी समिति, बादनू के गरीब अनुसूचित जाति के लोगों से इस घोर अकाल में नाजायज दबाव देकर ऋण वसूली कर रहे हैं जब

(श्री मनीराम इन्दलिया)

कि सम्पन्न परिवारों की वसूली के लिये कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्रामीण जनता के शोषण को रोकने पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये (ग्राम नाल, मोटावता, तेजरासर, रिडमलसर, सुजानदेसर आदि गांवों में वृहद् निर्माण सहकारी समितियों को स्थानीय हरिजनों ने अपनी हिस्सा पूंजी नियमानुसार जमा भी करा रखी है पर उक्त सहकारी समितियों को आज तक किसी प्रकार का ऋण नहीं दिया गया, इस पर चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील श्री डूंगरगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में हाउसिंग सोसाइटियों का पंजीकरण किया भी जा चुका है लेकिन उन्हें किसी प्रकार का हाउसिंग लोन नहीं मिला है, जिससे बड़ा असंतोष है, इस पर चर्चा के लिए)।

45. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम कपूरीसर, तहसील लूणकरण की ग्राम सेवा सहकारी समिति के विरुद्ध माह सितम्बर, 1974 में सदस्यगणों द्वारा सम्बन्धित पदाधिकारियों के विरुद्ध सहायक रजिस्ट्रार बीकानेर को की गई शिकायत की जांच जो कि तहसीलदार लूणकरणसर द्वारा की गई जांच के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम कुम्भाणा तहसील लूणकरणसर की ग्राम सेवा सहकारी समिति में कृषि ऋण के सम्बन्ध में हुई गड़बड़ी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील लूणकरणसर में भूतपूर्व मार्केटिंग सोसाइटी के डाईरेक्टर के विरुद्ध बकाया होने के बावजूद भी पुनः उन्हें ही डाइरेक्टर बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में शहरी क्षेत्रों में पिछड़ी जाति के परिवारों को आवासीय भूखण्ड दिलाने, नगर विकासों को अनुदान दिलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शार्दूल गंज जय व्यास, मघाराम, बीकानेर शहर की कोलोनियों में किसी भी हरिजन वर्ग के लोगों को प्लाट आवंटित नहीं किया है, इस पर चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शहरी क्षेत्रों में हरिजन

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

व पिछड़ी जाति के लोगों के मोहल्लों में नालियां, बिजली, ट्यूब लाईट, सड़कें व पानी के स्टेण्ड लगाने हेतु नगरपालिकाओं को दिये जाने वाले अनुदान में कम राशि होने पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर की किसी भी बस्ती में नई प्रस्तावित कालोनियों में पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति के लोगों को किसी भी प्रकार का प्लाट दिये जाने हेतु अनुदान पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर औद्योगिक में क्षेत्र प्रस्तावित बुनकर बस्ती (अनुसूचित जाति के लोगों की) में नल व बिजली सड़कें आदि बनाने पर चर्चा के लिये)।

53. श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

54. श्री झाबरमल सुण्डा (फतेहपुर): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निरीक्षकों का कार्यालय में नहीं मिलने से होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 98 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहायक रजिस्ट्रार को-आपरेटिव कार्यालय में निरीक्षक की अनुपस्थिति से राज्य कार्य में अनुचित बाधा पर चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 698 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता विभाग द्वारा जारी किये गये ऋणों की वसूली न होने पर चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिकाओं को दिये जाने वाले अनुदान में भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिये)।

58. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदार शहर, जोधपुर) मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन को गति प्रदान न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर को एनविरायनमेंटल इम्प्रूवमेन्ट के लिये कम धनराशि आवण्टन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर में घंटाघर-ओवरब्रिज रोड़ को शीघ्र पूर्ण करने हेतु नगरपालिका को विशेष अनुदान दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

61. श्री रामगोपाल (किशनगंज) : मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (सहकारिता आन्दोलन की प्रगति एवं विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)

62. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां क्रय विक्रय सहकारी समिति में मैनेजर का रिक्त स्थान होने से समिति में पैदा होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (सहकारी विभाग में होने वाले चुनावों में विभागीय अधिकारियों द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यवधान, पर चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 35 मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग के व्यवस्थापक व ऋण निरीक्षकों द्वारा किसानों को धोखा देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मार्केटिंग सोसाइटी बारां जिला कोटा का अविलम्ब चुनाव कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के नगरों के विकास हेतु अनुदान दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (राजस्थान में नगर विकास न्यासों के शीघ्र गठन पर चर्चा के लिये)।

68. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (सहकारिता को हमारे जीवन निर्वाह का आधार बनाने में विभाग असफल रहा, इस पर चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग को अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरों में बढ़ती अनियमित बस्तियों के सुधार हेतु नगर विकास न्यासों को विशेष अनुदान देने पर चर्चा के लिये)

71. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर विकास कार्यक्रम को जीवन उपयोगी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

72. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग सहकारिता को हमारे जीवन निर्वाह का आधार बनाने में असफल रहा इस पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी बाजार जयपुर के बन्द किये जाने व कर्मचारियों के बकाया भुगतान के प्रश्न पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार नगर विकास की योजना हरिजनों व झुग्गी झोपड़ी के पक्ष में बनाने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये)।

75. श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता के लक्ष्य पूरे न होने पर चर्चा के लिये)।

76. श्री गोपीलाल (पीपल्दा) : मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व चुनाव सम्बन्धी अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

77. श्री करणसिंह (डीग) : मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता के विस्तार एवं सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर विकास न्यास के कार्य में सुधार लाने हेतु बजट में प्रावधान न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

79. श्री सूनाराम सारण (डूंगरगढ़) : मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हाउसिंग सोसाइटीयों को कर्ज देने हेतु प्रावधान नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भण्डार व्यवस्था निगम की सुचारु व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनधिकृत कब्जों को हटाने के लिये नगर विकास न्यासों को राशि आवण्टन नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

82. श्री नारायणसिंह चौधरी (दांता-रामगढ़) : मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 698 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों को ऋण समय पर न मिलने पर चर्चा के लिये)।

83. श्री प्रवीत सिंह (टोंक) : मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत

(श्री मजोतसिंह)
मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों का लाभ वितरण हर साल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भ्रष्ट सहकारी समितियों को तुरन्त समाप्त कर देने हेतु चर्चा के लिये)।

85. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता के नाम पर होने वाले घोटालों पर चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नगरपालिकाओं के विकास हेतु नीति निर्धारण न होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

87. श्री चेतराम (टोडाभीम) : मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में सहकारिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर नगर के विकास के लिये नगरपालिका को अनुदान के लिये सम्मिलित नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

89. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (सहकारिता आन्दोलन की असफलता पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता के आधार पर औद्योगिक सहकारी समितियों की विफलता पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में सहकारिता विभाग, जिला को-ओपरेटिव बैंक, जिला भूमि विकास बैंक में लगे अधिकांश कर्मचारियों द्वारा राजनीति में सक्रिय भाग लेने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिला को-आपरेटिव बैंक द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों को ऋण वितरण करने में पक्षपात बरतने पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में श्रमिक ठेका सहकारी समितियों द्वारा बोगस समितियां बना कर कुछ खास व्यक्तियों

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
द्वारा अनुचित लाभ उठाने के कारण सहकारिता आन्दोलन की असफलता पर चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में औद्योगिक सहकारी समितियों की असफलता पर चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी समितियों में चुनाव कराने की प्रणाली निष्पक्ष नहीं है, अतः समितियों के चुनाव, चुनाव विभाग द्वारा कराये जाने के लिये चर्चा के लिये)।

96. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा नियन्त्रित शक्कर के व्यवसाय में भ्रष्टाचार करने के विषय पर चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर विकास के लिये स्वायत्त शासन विभाग द्वारा उदासीनता अपनाने पर चर्चा के लिये)।

98. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड भूमि विकास बैंक द्वारा क्रेडिट लिमिट स्वीकृत न करने के कारण चार लघु सिंचाई योजनाओं के बन्द हो जाने पर चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 35 मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड में रठलाई व आंवली कलां आदि पंचायतों की सहकारी समितियों में व्याप्त अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड में सहकारी सभाओं के अध्यक्ष सचिव, आदि द्वारा रकम का गबन एवं अनियमिततायें करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुदान के अभाव में झालरापाटन नगरपालिका द्वारा विकास कार्य न कराने की चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्वायत्त शासन विभाग द्वारा झालरापाटन नगरपालिका की चुंगी दरों को बढ़ाने वाली अधिसूचना का शुद्धि-पत्र जारी न करने से व्यापारियों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

103. श्री नानालाल (राजसमंद) : मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों को विकसित होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

104. श्री गोपाल जोशी (बीकानेर): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उपभोक्ता सहकारी समितियों में पदाधिकारियों द्वारा की जा रही गड़बड़ियों व समय पर प्रोफिट आदि न होने व सरकार की ओर से सम्पूर्ण सहायता न मिलने पर चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में सहकारी समितियों को सफल बनाने में सरकार की ओर से पूरा सहयोग न मिलने पर चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीमावर्ती जिला बीकानेर की नगरपालिकाओं को रोड लाईट, सड़क व सफाई नयी बस्तियों का नये ढंग से निर्माण कराने हेतु विशेष अनुदान स्वीकृत कराने हेतु चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिये जाय (बीकानेर के जयनारायण व्यास नगर का जिस ढंग से तेजी से विकास होना चाहिये वो नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर के भीतरी भाग का नये ढंग से विकास होना चाहिये था जो अब तक नहीं हुआ, इस पर चर्चा के लिये)।

109. श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों में होने वाली अनियमितता तथा धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिकाओं को झुग्गी झोपड़ियों को स्थायी रूप से बसाने हेतु अनुदान स्वीकृत कराने पर चर्चा के लिये)।

111. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दी कोटा सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के निर्धारित चुनाव क्षेत्रों के अनुसार चुनाव न कराए जाने एवं अंता क्षेत्र को कोटा सहायक रजि. क्षेत्र में मिला देने के बाद भी अन्ता क्षेत्र वालों का प्रतिनिधित्व करना न्याय संगत नहीं है, पर चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दी कोटा सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के चुनाव समय पर न कराये जाने बाबत चर्चा के लिये)।

113. श्री मनफूलाल बैरवा (पाहन): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के

(श्री नन्दलाल बैरवा)

अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील केशवराय पाटन की ग्रामीण सहकारी समिति रेबारपुरा में अवैधानिक तरीके से हुए निर्वाचन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छोटे कृषकों को ग्रामीण सहकारी समिति में प्राथमिकता के आधार पर सदस्य नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में भवन निर्माण सहकारी समितियों को समय पर ऋण हेतु प्रावधान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में फैले भ्रष्टाचार से व्याप्त स्थिति पर चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी क्रय-विक्रय सहकारी समिति का चुनाव समय पर नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये (राजस्थान के शहरों में बने नगर विकास न्यास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के परिवारों को आवासीय भू-खण्डों का समानता के आधार पर भू-खण्ड आवंटन कराये जाने हेतु प्रावधान न रखने पर चर्चा के लिये)।

119. श्रीमती उषा प्रकाश (बैर): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता आन्दोलन में व्याप्त अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये (सहकारिता आन्दोलन को अधिक व्यापक बनाने के विषय पर चर्चा के लिये)।

121. श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक पर अजमेर कलेक्टर को चेयरमैन नियुक्त कर चुने हुये डाइरेक्टर्स के अवहेलना पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर परिषद् अजमेर की दयनीय स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए कचरा ढोने के लिये व मैला ले जाने के लिये साधन उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रावधान पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री किशन मोटवानी)
कम कर दिया जाय (मिनीमम नीड पूर्ति प्रोग्राम के तहत मिली राशि का आवण्टन त्रुटिपूर्ण होने पर चर्चा के लिये)।

124. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को ऋण सुविधा देने में होने वाली परेशानी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर विकास न्यास को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य व कच्ची बस्तियों के गरीब लोगों की परेशानी पर चर्चा के लिये)।

126. श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में सहकारी आन्दोलन की मंथर गति पर चर्चा के लिये)।

127. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा में नगर विकास न्यास की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा टेम्पल टाउन स्थापना की उपयोगिता और आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

129. श्री रमेशचन्द्र सैनिक (सिलोली): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले की सहकारी व्यवस्था की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

130. श्री रणजीत सिंह (धौमियां) : मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी बैंक ऋण उपलब्ध कराने में असफल रहे इस पर चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर विकास न्यासों को दिये जाने वाले अनुदानों के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

132. श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) : मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी संस्थाओं को अधिक सक्षम बनाने एवं उनका पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

133. श्री नत्थीसिंह यादव (नदबई): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भरतपुर में सहकारिता समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

134. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भरतपुर की नगर पालिकाओं की समस्याओं पर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा ध्यान नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

135. श्री भैरूलाल (भकलेरा) : मांग संख्या 35 मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता के माध्यम से उचित प्रोत्साहन न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

136. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों को बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण में अधिकारियों के विशेष हस्तक्षेप से आने वाली कठिनाईयों पर चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्यों को हिस्सा पूंजी की रकम जमा करा देने पर भी ऋण न मिलने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा सहकारिता के आधार पर किये जाने वाले उद्योगों को और सुविधा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

139. श्री राजेन्द्र भारतीय (बूंदी): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले में कोआपरेटिव शुगर मिल केशोरायपाटन हेतु बजट में प्रावधान नहीं रखे जाने हेतु चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में से कोआपरेटिव बैंक में व्याप्त भारी अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक की जिला शाखाओं के मैनेजरों द्वारा मनमानी करने पर जिले में उत्पन्न भारी आक्रोश के विषय में चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की असफलता के विषय में चर्चा के लिये)।

143. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान हाउसिंग सहकारी समितियों को ऋण देने हेतु कोई प्रावधान नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

144. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी शहर में नगर विकास न्यास बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के समस्त जिला मुख्यालयों पर नगर विकास न्यास की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

146. श्री गौरी शंकर (खानपुर) : मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियां निष्क्रिय हैं, जिन्हें सुधारने हेतु चर्चा के लिये)।

147. श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले में हाउसिंग सोसाइटियों को ऋण देने हेतु कोई प्रावधान नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

148. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी संस्थाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुये भ्रष्टाचार को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समस्त नगर सुधार न्यासों को समाप्त करके नगर पालिका में सम्मिलित कराने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

150. श्री रतीराम यादव (तिजारा) : मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

151. मांग सं. 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार के नामजद अधिकारियों को समिति के चुनावों में मताधिकार के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

152. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दयोलाभपुरा बुनकर गृह निर्माण सहकारी समिति अलवर के कार्य में नौकरशाही द्वारा अनुचित हस्तक्षेप पर चर्चा के लिये)।

153. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नौकरशाही द्वारा सहकारी समितियों के कार्य में अनुचित हस्तक्षेप और पक्षपात करने पर चर्चा के लिये)।

154. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों में घुसे हुए भ्रष्ट लोगों के खिलाफ एक्शन लेने में सरकारी उदासीनता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

155. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूद खोरों को सहकारी समितियों की कार्यकारिणी से नहीं हटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

156. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया

(72)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
जाय (जिला सहकारी संगठन को मजबूत बनाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

157. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सेवा सहकारी संस्थाओं एवं सहकारी बैंकों की चुनाव की दूषित प्रणाली की चर्चा के लिये)।

158. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों को पद धारण करने की अवधि निर्धारित करने की चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं भूमि विकास बैंक की धीमी प्रगति पर चर्चा के लिये)।

160. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी संस्थाओं के चुनाव की स्वतंत्र चुनाव प्रणाली की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में क्रय-विक्रय सहकारी समितियों की आर्थिक हालत सुधारने हेतु चर्चा के लिये)।

162. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में सहकारी उपभोक्ता भंडारों की स्थापना कराने हेतु चर्चा के लिये)।

163. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में कृषि सहकारी समितियां बोगस होने एवं उनकी दयनीय आर्थिक हालत पर चर्चा के लिये)।

164. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं भूमि विकास बैंक की आर्थिक हालत सुधारने के चर्चा लिये)।

165. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सेवा सहकारी समितियां जिला जालोर की वित्तीय स्थितियों के बारे में चर्चा के लिये)।

166. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सेवा सहकारी समितियां, जालोर जिला को वायबल युनिट्स बनाने की चर्चा के लिये)।

167. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में सहकारी आन्दोलन सफल न होने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

168. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कम कर दिया जाय (सहकारिता आन्दोलन को सफल बनाने में सरकार की घोर उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

169. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में सहकारी ऋण की वसूली करने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकार बन्धुओं को प्रशिक्षण देने में सरकार की घोर उपेक्षा की चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी आन्दोलन सफल बनाने के बारे में सरकार की नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

172. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 698 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में सहकारी समितियों को ऋण देने में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

173. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 698 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर की सहकारी क्रय विक्रय समितियों को ऋण देने में सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में आवास गृह सहकारी समितियों के पंजीयन करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

175. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी बैंकों द्वारा केवल धनी किसानों को ऋण दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

176. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी बाजार जयपुर के बन्द किये जाने व कर्मचारियों के बकाया भुगतान के प्रश्न पर चर्चा के लिये)।

177. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के नगरों में स्थित कच्ची झुग्गी झोंपड़ियों की समस्या के निवारण हेतु स्वायत शासन विभाग द्वारा कोई योजना नहीं बनाने पर चर्चा के लिये)।

178. श्री विजय सिंह राठौड़ (मांडल): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों के

(श्री विजयसिंह राठोड़)
चुनाव समय पर कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

179. श्री हाजी जान मोहम्मद (पिडावा): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सेवा सहकारी समिति ओडिया खेडी हिम्मतगढ जिला झालावाड में हुए गबन पर चर्चा के लिये)।

180. श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार व सरकारी रकम के भयंकर दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

181. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर की सड़कों की दयनीय स्थिति, घटाकर और ब्रिज योजना हेतु अनुदान दिलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

182. श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (बानसूर): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में सहकारी संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के लिये अधिकार प्राप्त कमीशन की नियुक्ति पर चर्चा के लिये)।

183. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के लिये एक कमीशन नियुक्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

184. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों में फैले भ्रष्टाचार को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

185. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों के माध्यम से आवश्यक वस्तुयें वितरण करने में विभाग द्वारा पहल नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

186. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य की नगरपालिकाओं का वर्गीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

187. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली नगरपालिका की सीमा वृद्धि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

188. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिकाओं की दयनीय आर्थिक स्थिति के निराकरण हेतु अनुदान देने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

189. श्री जियंग (कुशलगढ़): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 698 के अन्तर्गत

(श्री जिंगिग)
मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय: (जिला बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में वाह्य सेवा सहकारी समिति टुमठ का अवैधानिक चुनाव कराने के बारे में चर्चा के लिये)।

190. श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता को जन आन्दोलन बनाने में सरकारी अधिकारियों द्वारा पैदा की जाने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

191. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शहरों की भांति अन्य जगह नगर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा के लिये)।

192. श्री केशरीमल (ब्यावर): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के चुनाव व आपसी झगड़े से फैली अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

193. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता आन्दोलन को ढिलाईपन पर चर्चा के लिये)।

194. श्री किशोरीलाल शर्मा (सलूम्बर): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी संस्थाओं के ठीक प्रकार से कार्य न करने पर चर्चा के लिये)।

195. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों में व्याप्त अव्यवस्था एवं कमियों से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

196. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग में ऋणों की वसूली करने में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

197. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर विकास न्यास को दिये जाने वाले अनुदान पर चर्चा के लिये)।

198. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगरपालिकाओं को दिये जाने वाले अनुदान की राशि कम होने पर चर्चा के लिये)।

199. श्री रामकिशन (भरतपुर): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी बाजार, जयपुर के बन्द किये जाने व कर्मचारियों के बकाया के भुगतान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

200. श्री रावतराम आर्य (डूंगर): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गृह निर्माण सहकारी समितियों की प्रक्रिया का सरलीकरण करने में विभाग

(76)

(श्री रावतराम आर्य)
की असफलता पर चर्चा के लिये)।

201. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (यू. आई. टीज एवं नगरपालिकाओं में जमीनों की बिक्री नहीं होने से नाजायज कब्जों को रोकने में स्वायत्त शासन विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

202. श्री भरतलाल (बामनवास): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में सोसाइटियों के चुनाव समय पर न कराने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

203. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में हरिजन व आदिवासियों को सदस्य न बनाये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

204. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि विकास बैंक सवाई माधोपुर के अध्यक्ष द्वारा बैंक के धन का दुरुपयोग करने के कारण व्याप्त असंतोष के क्रम में चर्चा के लिये)।

205. श्री शंकर लाल (पाली): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में गृह निर्माण सहकारी समितियों को ऋण की सुविधा समय पर न देने की चर्चा के लिये)।

206. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता के आधार पर ग्रामीण उद्योगों को पनपाने हेतु चर्चा के लिये)।

207. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता को जन आन्दोलन बनाने हेतु सहकारी शिक्षा का समुचित कार्यक्रम बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

208. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी बैंकों की सेवाओं में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

209. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली नगर के विकास हेतु योजनाबद्ध कार्यक्रम अपनाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

210. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले के सहकारी बैंक की अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

211. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता के बिगड़ते हुये ढांचे को सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

212. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत

(श्री गुरुदयालसिंह संधु)
मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सेवा सहकारी समिति 1—जे.जे.के. के चुनाव कराने पर चर्चा के लिये)।

213. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सेवा सहकारी समिति 1 जे. जे. 82 के सदस्यों को बिना किसी कारण के हटा देने पर चर्चा के लिये)।

214. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्ग मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दी गोविन्द ऋण दात्री समिति तामकोट जिसके मैनेजर की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती थी को मैनेजर पंचायत समिति पदमपुर से साझ-बाझ करके सहकारी समिति की सम्पति को खुर्दबुर्द करके 1963 में पंजाब को भाग गया उसके विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये)।

215. श्री मोहरसिंह (सादूलपुर): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता आन्दोलन सफल नहीं हो रहा है, पर चर्चा के लिये)।

216. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूखण्डों के वितरण में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

217. श्री गोवर्धनसिंह (सीकर): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर होलसेल उपभोक्ता भण्डार का चुनाव न किया जाकर मनमाने ढंग से नाजायज फायदे उठाये जा रहे हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

218. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर शहर में उपभोक्ता भण्डार द्वारा कन्ट्रोल वस्तुओं की काला बाजारी करने पर चर्चा के लिये)

219 मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर उपभोक्ता भन्डार द्वारा विदेशी सामग्री का वितरण उपभोक्ताओं को पूरा न किया जाकर उसके दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

220. श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा): मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिये जाय (नगरपालिकाओं को दी जाने वाली सामान्य अनुदान में बरते जाने वाले भेद-भाव पर चर्चा के लिये)।

221. श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़): मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (नगरपालिकाओं की चिन्ताजनक वित्तीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

222. श्री रामलाल (बाड़ी): मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाडी में नगर विकास हेतु नगरपालिका को अनुदान देने पर चर्चा के लिये)।

223. श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व) : मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर विकास न्यास को दिये जाने वाले अनुदान पर चर्चा के लिये)।

224. श्री गोकुलचन्द (कठूमर) : मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को सरकार द्वारा भू-खण्डों का निर्धारित प्रतिशत दिये जाने हेतु अनुदान दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 35 व 29 पर विचार एवं पारण

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज नगर विकास सहकारिता संबंधी मांगों पर मन्त्री महोदय ने सदन के सम्मुख अपनी मांग प्रस्तुत की है। उपाध्यक्ष महोदय नगरों के विकास का काम राजस्थान में पिछले कई वर्षों से अवरुद्ध है। उपाध्यक्ष महोदय में कुछ अपने विचार नगर विकास के संबंध में रखना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान नगर पालिका अधिनियम और राजस्थान नगर सुधार न्यास ये दो कानून हमारे राजस्थान में नगरों के विकास के लिये दो माध्यम से कार्य करते हैं। एक तो है नगरपालिकाओं द्वारा और दूसरे हैं अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे यहां पर इन दोनों में इतना कनफिलक्ट है कि जिससे आपकी लाल फीताशाही को काफी लाभ मिला है। और इस कनफिलकट के कारण ही हमारे राजस्थान में नगरों का योजनाबद्ध विकास बन्द हो रहा है। वहां पर समस्या यह है कि न तो नगर विकास न्यास ही उन जगहों का विकास कर रही है और नहीं नगरपालिकायें ही उस ओर ध्यान दे रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय मैं जोधपुर का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं हमारे जोधपुर में पोलो ग्राउन्ड था वहां पर पहले जमीन बेच दी गयी और प्लाट्स कट कट कर वहां पर मकान बन गये। लेकिन अब वहां पर ऐसी स्थिति है कि न तो कोई सड़क की व्यवस्था है और न बिजली की कोई व्यवस्था है और न ही कोई ड्रेनेज की व्यवस्था वहां पर है। जब वहां पर इन चीजों के इन्तजाम की बात वहां पर रहने वाले लोग करते हैं तो यू. आई. टी. तो कहती है कि वहां पर विकास करने का काम नगरपालिका का है और नगरपालिका यह कहती हैं कि यह हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है। इस तरह से काफी नुकसान वहां पर रहने वाले लोगों को हो रहा है उन ऐरिया का कोई विकास नहीं हो पा रहा है। आज पिछले 15–20 सालों से यही स्थिति वहां पर बनी हुई है उपाध्यक्ष महोदय न सड़क है न गटर लाईन है और न ही बिजली की कोई व्यवस्था हो है। इसके अलावा जो जमीन वहां पर बेकार पड़ी है उस पर दोनों ही अपने क्लेम कर रहे हैं। अब वहां का हाउस टैक्स कौन ले, वहां की जमीन को बेचे तो कौन बेचें और वह पैसा किसको मिले यह वहां पर यू.आई.टी. और नगरपालिका के बीच में संघर्ष बना हुआ है। अभी तक यह फाईनल नहीं हुआ है कि उनका विकास कौन करें। इसलिये अब यह जमीनें वहां

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

पर लावारिस पड़ी हुई है। उनका अब कोई विकास होने की इस कानून से तो नजर आती नहीं है इसलिये मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय इसमें ध्यान दें।

उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं के संबंध में मैं आपको यह सूचित करना चाहूंगा कि आज हमारे राजस्थान में नगरपालिकायें बनना और वापिस उसे नगरपालिकायें नहीं रहने देने की भी एक नीति हो गयी है क्योंकि आज जो नगरपालिकायें नहीं हैं उन्हें जब तक आप राजनैतिक दबाव नहीं डालोगे या जब तक कि राज्य सरकार पक्षपात नहीं करे तब तक नई नगरपालिकायें न तो बन सकती हैं और न ही समाप्त की जा सकती हैं। मैं आपके सामने इसके दो उदाहरण पेश करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे राजस्थान नगरपालिका कानून के अन्तर्गत नगरपालिका बनने का जो प्रावधान है वह राजनैतिक दबाव के कारण या और किसी पक्षपात के कारण नगरपालिकायें नहीं बन सकीं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत अगर किसी गांव की आबादी 8 हजार से ज्यादा हो जाती है तो वहां पर नगरपालिका बना दी जाती है तो इसके लिये किसी जगह नगरपालिका बना दी गयी क्योंकि उस जगह की आबादी 8 हजार से अधिक हो गयी थी। लेकिन वहां पर पोलिटिकल प्रेशर से कहिये या और किसी दबाव के कारण वहां पर नगरपालिका बनने का नोटिफिकेशन वापिस ले लिया गया। इससे आज वहां की जनता का विकास होना बन्द हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय इसके लिये मैं सर्वप्रथम उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा वह है सोजत रोड ग्राम का जहां कि राजनैतिक दबाव के कारण उस जगह को नगरपालिका घोषित करने के बाद वापिस उसे नगरपालिका नहीं रहने दिया। एक बार ही नहीं, नगरपालिका बनने का और खतम होने के लिये तीन तीन बार नोटिफिकेशन निकले। तो इस तरह आज जनता को फुटबाल बनाया जा रहा है और इसलिये सोजत रोड का विकास अवरुद्ध हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय सोजत रोड पहले पंचायत थी और सन् 1962 में इसे नगरपालिका घोषित किया गया। सन् 1961 की जन गणना के अनुसार सोजत रोड की पोपूलेशन 8 हजार से अधिक हो गयी थी तो उसे सन् 1962 में नगरपालिका बनाने का नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने निकाला लेकिन चूंकि वहां पर धनी लोगों के चूने के भट्टे वगैरह हैं उन लोगों ने जो नोटिफिकेशन 25–7–62 को निकला था वह 5 फरवरी 1963 को उन धनी सेठों की वजह से वापिस ले लिया गया और उसके बाद 27–5–69 को वापिस नोटिफिकेशन निकला कि उसे म्युनिसिपैलिटी घोषित कर दिया गया उसके बाद में उसके विपरीत राज्य सरकार ने राजनैतिक दबाव में आकर उसे नगरपालिका होने के नोटिफिकेशन विथड्रा कर लिये इसके बाद 14 अक्टूबर, सन् 1974 को फिर नोटिफिकेशन निकला कि सोजत रोड को नगरपालिका घोषित किया जाता है। उसके बाद में वापिस जिन लोगों के वहां पर चूने के भट्टे वगैरह, हैं उन्होंने कहीं उन्हें हाउस टैक्स नहीं देना पड़े, ओक्ट्राय नहीं देना पड़े राज्य सरकार के पास दबाव डाला और अभी जब आपका कांग्रेस का

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

शिविर लगा था तो उन धन्ना सेठों ने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को हलवा, लड्डू वगैरह खिलाये और उसको नगरपालिका नहीं घोषित की जाने के नोटिफिकेशन इश्यू कराने में सफलता प्राप्त करली।

श्री दलपतसिंह : हमने तो हलवा, लड्डू नहीं उड़ाये हमारे जेब से पैसे दिये थे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : धन्यवाद धन्यवाद, तो उपाध्यक्ष महोदय तीन बार सोजत रोड को नगरपालिका बनायी और उसे नगरपालिका नहीं रहने दिया। उपाध्यक्ष महोदय राज्य सरकार ने 1974 के 14 अक्टूबर को नोटिफिकेशन निकाला कि सोजत रोड नगरपालिका घोषित की जाती है और 18-2-75 को वहां नगरपालिका के एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की घोषणा हुई और उसने 1-3-75 को ज्वाइन किया लेकिन इसी बीच में आपका वहां 14-2- से लेकर 16-2- तक कांग्रेस शिविर हुआ जिसमें आपके शेरसिंह जी कांग्रेस सीनियर मेम्बर जो कि पहले मिनिस्टर थे वह और हमारे मुख्य मंत्रीजी भी वहीं थे तो वहां उन धनी सेठों ने राजनैतिक दबाव डाल कर वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा था उपाध्यक्ष, वहां पर नगरपालिका बन्द हो गयी। यह क्या बात हुई आप एक ही जगह को नगरपालिका तीन बार बनाते हैं और वापिस उसे मिटा देते हैं सिर्फ इसलिये कि वहां के धन्ना सेठों को ओक्ट्राई नहीं देना पड़े, उसे टैक्स नहीं देना पड़े और दूसरे जो भी म्युनिसिपैलिटी टैक्स लगावे उन्हें नहीं देना पड़े। आज 1962 से 1975 तक वह नगरपालिका तीन बार नगरपालिका बनी और बाद में नगरपालिका नहीं रह सकी। इसके लिये मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि कौन से कानून से आपने उसे नगरपालिका बनायी और ऐसे क्या कारण थे कि उसको वापिस नगरपालिका नहीं रहने दिया क्या इस प्रकार से आपका प्रशासन सिर्फ राजनैतिक दबाव से और प्रेशर्स से ही चलता है? आपने ऐसे क्या कारण थे कि जिस स्थान को नगरपालिका बनाया, नोटिफिकेशन निकाला और बाद में उसे आपने 1975 में ही नगरपालिका होने का नोटिफिकेशन को विथड्रा कर लिया और वहां पर एक्जीक्यूटिव ओफिसर ने जाकर ज्वाइन कर लिया, काम प्रारम्भ कर दिया, लेकिन उसको टेलीग्राफिक आदेश बुलाने के लिये किये गये।

बिलाड़ा के अन्दर भी यही किया गया। एक बार वहां पर नगरपालिका बनाने के नोटिसेज जारी किये, फाइनल होने का प्रश्न आया तो उनको दबाव से रोक दिया गया। इसके बारे में लिटिगेशन हुए, आदेश गये सरकार के, पंचायत और नगरपालिका को, नगरपालिका और पंचायत को बिगाड़ने के लिये, यह एक राजनैतिक षड़यन्त्र है उन लोगों का जो मंत्रीजी के साथ लगे हुए हैं और इस कारण वह दुरुपयोग करते हैं। इसलिये मैं कहूंगा कि कानून में इस प्रकार का प्रावधान रखना चाहिये कि किसी प्रकार से मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में अधिकार न रहे कि जहां चाहें बना दें। इस प्रकार बिलाड़ा और सोजत दो के उदाहरण मैंने आपको

(श्री गुमान मल लोढ़ा)

दिये। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इनके बारे में अपना स्पष्टीकरण दें।

इतना ही नहीं, इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि नगरपालिका-नगरपालिका में भेदभाव बरता जाता है। जोधपुर की नगरपालिका को ले लीजिये। अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को ले लीजिये और वहां डेवलपमेन्ट को ले लीजिये, अरबन इम्प्रूवमेंट द्वारा घंटाघर की स्कीम को लिया गया था। दो तीन मील का एरिया होगा। सन् 1952 से पहले यह स्कीम बनी हुई थी, जोधपुर महाराजा के द्वारा बनी हुई थी, घंटाघर से लेकर, एक मार्केट बनाने वाले थे, वह सारी स्कीम यों की यों ही पड़ी हुई है। राजस्थान कैनाल और यह स्कीम एक सन् की बनी हुई हैं, राजस्थान कैनाल की तरह इसके लिये भी वर्ल्ड बैंक में लोन के लिये जाना पड़ेगा शायद इसको पूरा करने के लिये। जहां मनुष्य चन्द्रमा में जाकर प्लाट खरीद कर मकान बनाना चाहता है वहां हमारी सरकार इतनी निकम्मी है, इतनी अकर्मण्य है, नगरपालिकाओं को अनुदान बिना दिये, नौकरशाही को हावी करके, एक स्कीम 1952 की बनी हुई भी पूरी न कर सके, इससे अधिक शर्मनाक बात क्या होगी। माउन्ट आबू में देखें। जहां राजस्थान सरकार 20-25 वर्ष में भी सोच नहीं सकी उस स्कीम को पूरा करने के लिये वहां बद्रीनारायण की सड़क को देख लीजिये। जहां मोटर से बद्रीनारायण जा नहीं सकते थे वहां डिफेन्स आर्गेनाइजेशन ने ऋषिकेश से बद्रीनारायण तक दो तीन साल के अन्दर सड़क बना दी। आराम से जीप से जा सकते हैं। मोटर से जा सकते हैं। हमारी निकम्मी सरकार मंथर गति से चले तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है। बार बार कहने पर कहा जाता है कि नगरपालिका के काम में रुकावट आती है। यह हालत क्यों है? इसलिये कि जो साधन सम्पन्न लोग हैं, जो नये महाराजा हैं, मंत्रीगण हैं, उनके साथ में रहने वाले लोग, भूतपूर्व मंत्री हो या वर्तमान हो उनको प्लाट दिये जाते हैं और अलाटमेन्ट किये जाते हैं, लेकिन आज गरीब इन्सान, उसी प्रकार से सिसक रहा है। जोधपुर का मैं आपको उदाहरण दूं। जालोरी गेट है, सोजतीगेट को देख लीजिये, वे सांसी जो सदियों से पीड़ित जाति के हैं, दूसरों को उनको बड़े-बड़े भवन, अट्टालिकायें दिखायी देती है लेकिन उनको अपना सिर छिपाने के लिये छप्पर तक नहीं है। वे नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, झोंपड़ी नहीं है, बिच्छू निकलते हैं, जिनको सड़कों पर पड़े रहना पड़ता है, गंदे मकान तो दूर न, बिजली है और न पानी, न किसी प्रकार के साधन। दूसरी ओर शास्त्रीनगर देखिये। मैं निवेदन करूंगा कि शास्त्रीनगर नयी स्कीम बनायी गयी जोधपुर में। सेक्टर बी और ए में सारे के सारे प्लाट या अधिकांश प्लाट उन अधिकारियों ने जो वहां पर थे या तो स्वयं ने ले लिये या राजनेताओं को दे दिये 6) रु. वर्ग गज में। 60) रु. 50) रु. जिन प्लाट्स की कीमत है, वह 6) रु. वर्गगज में देकर आपने प्लाट्स लूटा दिये। इस तरह से पक्षपात हो तो नगरों का विकास कैसे होगा? सेक्टर ए में शास्त्री नगर में यू. आई. टी. के एस. पी. भार्गव जो एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर थे उन्होंने ले लिया, एक प्लाट एस. एम. जोशी ने ले लिया।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कलेक्टर प्रकाशचन्द्र माथुर थे, सेक्टर श्री में उन्होंने ले लिया और बाकी के प्लाट फर्जी प्रोक्शन बता कर राजनेताओं को अलाट कर दिये। जोधपुर में स्टेडियम के सामने दुकानें थीं। एक एक दुकान को कीमतन बेचा जाय तो 300), 400) 500) रुपये स्क्वायर गज पर जा सकती हैं। 40) स्क्वा. गज के हिसाब से दुर्गाचन्दजी माथुर ने ले ली। हाजी इब्राहिम, बिजू कक्कूर ने 40 रु. स्क्वायर यार्ड से ले ली जबकि 400) रु., 600) पर स्क्वा. यार्ड की जमीन है। 400–600 रुपये की जमीन एक नहीं सारे के सारे प्लाट्स में जिस प्रकार धान्धली हुई है मैं निवेदन करना चाहता हूं नगर के विकास पर बहुत बड़ा कलंक है। मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं जयपुर का उदाहरण देना चाहूंगा, जयपुर में भी और वह इस प्रकार की गड़बड़ इसलिये की जाती है कि मंत्रीजी का इन्टेरेस्ट होता है, कहीं भूतपूर्व मन्त्री का इन्टरेस्ट होता है, कहीं उनके रिश्तेदार का इन्टेरेस्ट होता है और कहीं उनके चमचों का इन्टेरेस्ट होता है और उपाध्यक्ष महोदय चमचे भी कई प्रकार के होते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके सामने एक नहीं पर मण्डावा हाऊस स्कीम संसार चन्द्र रोड पर है उसमें भूतपूर्व उपमंत्री रह चुके हैं श्री भीमसिंहजी, टाऊन प्लानिंग ने स्पष्ट लिखा था कि यह कार्मशियल साइट नहीं है इसलिये दुकानें गोदाम नहीं बन सकते हैं। उसमें लिखा है

'I have examined the complete case and I am of the view that no commercial use may be permitted on these plots as these are on a minor road which leads to a residential colony.'

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद में मैं यह जानना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय आये और उन्होंने उसको रैगूलराईज कर दिया और इजाजत दे दी। क्या कारण हैं, इसके पहले वहां काफी एक्सीडेन्ट हो चुके हैं पूरा रेजिडेन्सियल ऐरिया है। आपने 19-10-74 को एक आज्ञा प्रसारित करवा दी न्यू मण्डावा हाऊस स्कीम में यू.आई.टी. एवं नगर परिषद् द्वारा व्यवसायिक कार्यों के रूप में भवन निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है उसको ध्यान में रखते हुये संसारचन्द्र रोड से जालूपुरा बस्ती को जाने वाली रोड व गुलाब पथ पर हैवी व्हीकल्स के आवागमन पर पूर्ण पाबन्दी न लगाकर ऐसे भारी वाहनों के आवागमन के लिये समय व गति निश्चित करते हुये, आवागमन की छूट देती है। समय व गति प्रशासक, नगर परिषद्, जयपुर ट्रैफिक पुलिस के परामर्श से निश्चित् करेंगे।

नगर परिषद् जयपुर के नोटिफिकेशन राजस्थान राज-पत्र दि. 6–1–72 को निरस्त किया जाता है।

न्यू मण्डावा हाउस स्कीम में जो भी अनियमित निर्माण कार्य हुये हैं उनको नियमानुसार नियमित करने के आदेश देती है और इसके साथ में नगर परिषद् के नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया। अब मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा यह क्यों किया गया आखिर योजना विकास करते हैं तो कहीं रैजिडेन्सियल रखते है, कहीं कार्मशियल रखते हैं, कहीं एन्टरटेन्मेंट के लिये अलाट करना पड़ता है। इस

(श्री गुमान मल लोढ़ा)

संसार चन्द्र रोड पर भूतपूर्व उप मंत्री के लिये रेजिडेन्सियल से कामर्शियल किया, क्या कारण थे, आप बतायेंगे मैं साथ में यह जानना चाहता हूं 68 से 74 तक जब स्पष्ट रूप से कहा गया यह कामर्शियल ऐरिया नहीं है यहां दुकानें नहीं बन सकतीं, यहां गोदाम नहीं बन सकते तो मंत्री महोदय को यह कौनसा प्रगतिशील कदम लगा, कौनसे समाजवाद की बात इसमें है। यह आपका अंगद का कदम है या रावण का कदम है।

उपाध्यक्ष महोदय, मयहावा हाऊस में कामर्शियल प्लाट्स की इजाजत देकर योजनाबद्ध विकास का सत्यानाश कर दिया। इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहता हूं नगर परिषद् में पक्षपात किया जाता है चाहे वह दबाव के कारण किया जाता हो या और किसी कारण से किया जाता हो लेकिन राजस्थान के योजनाबद्ध विकास के लिये घातक है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यू.आई.टी. और म्यूनिसिपल बोर्ड इस बात के लिये बिलकुल सतर्क नहीं हैं कि योजनाबद्ध विकास कैसे हो।

अब मैं एक जोधपुर का प्रमाण देना चाहता हूं दीवानजी गेट के बाहर दोनों ओर नाजायज कब्जा किया जा रहा है, नाजायज कब्जा किस नाम से श्मशान के नाम से। श्मशान की जो जमीन पड़ी हुई है उसके चारों ओर अहाता बनाकर दीवार बनाकर रातों रात 500-500 आदमी काम करते हैं और अब स्थिति यह है कि गेट पर जाय अर्थी को लेकर तो वह भी मुश्किल हो गया। दोनों तरफ कब्जा करके रातों रात असंवैधानिक तरीके से दीवार बना दी इसी प्रकार मण्डोर रोड पर एक तरफ की दीवार बना दी गई है और कब्जा कर लिया गया है।

फिर होता क्या है उपाध्यक्ष महोदय चुनाव के समय कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नेता, आज कोई विशिष्ट नेता आने वाले हैं, मैं किसी पर्टीक्यूलर विधायक के लिये नहीं कहता मैं जनरल बात कहता हूं रेगूलराईज कर देते हैं। वोट लेने के लिये जितना कब्जा उन्होंने किया उसको रेगूलराईज कर देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सब जगह ऐसे उदाहरण हैं।

दूसरी जगह का उदाहरण दूं जयपुर में मधुबन कालोनी है उस मधुबन आबादी की कालोनी में नगर विकास ने श्मशान बना दिया। भोपालपुरा में श्मशान की जमीन सुरक्षित कर दी थी लेकिन आपने मधुबन कालोनी में श्मशान बनाकर इस प्रकार बरबाद किया है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। इसी प्रकार दूसरे स्थानों में भी अन्धाधुन्ध काम किया है। हम उपाध्यक्ष महोदय, यह कह सकते है कि योजनाबद्ध विकास के लिए हमारी राजस्थान सरकार का मानस नहीं है, हमारे अधिकारियों का मानस नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर में निगम बनना चाहिये था, एक मसूदा स्कीम चल रही थी, 10-12 लाख के खर्च की योजना थी लेकिन जैसे ही माथुर साहब गये उसको रोक दिया। जो अन्य डवलपमेंट की स्कीम थी उनको रोक दिया। आज पोलो ग्राउण्ड पर जो सड़क जाती है 20-20 साल हो गये वहां सड़क की मांग को, आज भी

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

वहाँ डामर की कोई सड़क नहीं है रेत में होकर जाना पड़ता है। उस जनता की मांग को आज तक राजस्थान सरकार ने लटका रखा है। हां, यह अवश्य है किसी विधायक के यहां शादी हो, या मुख्य मंत्री आने वाले हों या अन्य मंत्री महोदय आने वाले हों तो रातों रात रोलर फिर जाता है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय इसके साथ दूसरे लोगों पर यह भावना आती है कि आखिर कौनसा जन कल्याणकारी कार्य इस सरकार द्वारा किये जा रहे हैं··

श्री ओंकार लाल चौहान : कुछ तो होता ही है।

श्री उपाध्यक्ष : पुराना तजुर्बा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप शादी में गये होंगे क्योंकि आपके साथी थे। नाम तो मैं नहीं लेना चाहता हूं और मुझे उससे कोई रंज नहीं है। मैंने स्वयं ने कहा है जनता को बनने दीजिये, इतना तो बनेगा लेकिन दुःख यह है उपाध्यक्ष महोदय जो पीछे के लोग है वे कहते हैं हमने कौनसा जुर्म किया है क्या कांग्रेस के विधायक होंगे तो ही उनके यहां काम होगा बाकी के सदियों तक इसी तरह रहेंगे।

इसी तरह निवेदन करना चाहता हूं नगर विकास को गरीब बस्तियों के लिए झुग्गी झोपड़ियों के लिए विशेष अलाटमेंट करना चाहिये। सेन्ट्रल से गन्दी बस्तियां मिटाने के लिये प्रयत्न किया जाता है लेकिन क्या राज्य सरकार का कर्तव्य नहीं है कि गन्दी बस्तियों में बसने वाले और नारकीय जीवन बिताने वाले हजारों लोगों को किसी प्रकार जीवन बिताने को कहा जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान सरकार गन्दी बस्तियां हटाये और इन गन्दी बस्तियों का सुन्दर ढंग से निर्माण करे। सारे राजस्थान में ऐसी बहुत सी बस्तियां हैं जहां पर भिष्टा बहता है, नारकीय जीवन है दूसरा इन्सान शर्मिन्दा होता है, वहां खड़ा रहना पसन्द नहीं करता वहां वे लोग रहते है, वहीं खाते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं पीते हैं, वहीं उनके बच्चे खेलते हैं और वहीं उनके बच्चे होते हैं क्या यह हमारे लिये शर्मनाक बात नहीं है।

इस नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाने के लिये राज्य सरकार को चाहिये बहुत बड़ी तादाद में फन्ड्स अलाट करे। बड़े-बड़े होटल्स की बिल्डिगें बनाई जायें। लेकिन जो सड़कों पर नारकीय जीवन बिता रहा है उसको निकालना होगा। बाद में जब वह इन्सान बगावत लेकर खड़ा हो जाता है फिर न उसको आपका आदेश रोक सकता है न उसको लाठी रोक सकती है और न आपकी गोली उसको रोक सकती है और नतीजा यह होता है कन्फ्रन्टेशन होता है। वे चाहते हैं उनके रहने के स्थानों की सफाई हो, गन्दगी हटाने का अभियान चलाया जाय, जोधपुर नगर की गन्दगी को दूर किया जाय और उपाध्यक्ष महोदय फिर जब आन्दोलन होता है तो हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमा चलाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं राज्य सरकार से कि उनका जुल्म क्या था, केवल यह कहना कि गन्दगी हटाई जाय एक जुल्म हो गया उपाध्यक्ष महोदय ? सफाई अभियान के अन्तर्गत आन्दोलन कारियों ने नगर परिषद् के कार्यालय में घुसकर उनकी टेबिल पर खड़े होकर यह कहा जोधपुर नगर की

(श्री गुमान मल लोढ़ा)

सफाई नहीं करेंगे तब तक काम नहीं करने देंगे। अच्छा होता वह 6 महीने की सजा देते लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चहता हूं कि आज के युग में गन्दगी मिटाने के लिए हमको जेलों में जाना पड़े....

श्री रामकिशन : आप टेबल पर खड़े हो गए थे ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं टेबल पर खड़ा हो गया। उस समय हमारे माथुर साहब के रिश्तेदार श्री रामचन्द्र जी माथुर वहां के कमिश्नर थे। मैंने कहा कि यह नगरपालिका नहीं है बल्कि नरकपालिका बनी हुई है और यहां से गन्दगी को हटाओ तो उन्होंने गन्दगी हटाने के बजाय पुलिस को बुला लिया और मुझे हटा दिया। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं....

श्री शंकरलाल : आप टेबल पर खड़े हो गए और टेबल टूटी नहीं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपकी टेबल इतनी मजबूत है कि वह टूटी नहीं लेकिन मुझे जेल के सींखचों में डाल दिया गया। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि आज ऐसी स्थिति है जिसके अन्दर हमारे मंत्री महोदय को सोचना चाहिये, उनको विचार करना चाहिए। यह जयपुर शहर जिसके लिए कहा जाता है कि गुलाबी नगर है और यहां दुनियां के पर्यटक आते हैं और यदि वह बाहर की सड़कों को छोड़कर शहर के अन्दर चले जायें तो क्या मिलता है? केवल नारकीय जीवन। माननीय श्री श्रीराम जी गोटेवाला ने तो कह दिया कि मैंने यहां जयपुर शहर में 80–90 परसेन्ट काम करवा लिया है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय यह इस तरह घोषणायें करने से काम नहीं चलता है। वहां देखिये कि क्या स्थिति है? क्या सड़कों के आसपास किलबिलाते हुए कीड़े जहां आप दो मिनट खड़े नहीं रह सकते वहां क्या आपको कूड़ा करकट का ढेर नहीं मिलता है? आपने आज तक नगरपालिका के अन्दर लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं दिये। जितने भी शहर हैं उपाध्यक्ष महोदय उनके अन्दर क्या हमारे हरिजन भाई सिर के ऊपर भिष्टा लेकर नहीं चलते हैं? सिर के ऊपर क्या महिलायें भिष्टा लेकर नहीं चलती हैं? और इस तरह से वह सारे के सारे शहर में घूमते हैं और इतने समय के बाद भी नगरपालिका की तरफ से इसका प्रबंध नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शहर के अन्दर ऐसे ऐसे स्थान हैं जैसे जोधपुर शहर में सिटी पुलिस के पास हनुमान जी का मन्दिर है जहां रास्ता जाता है। उस बीच में सारे ऐरिया का मलमूत्र डम्प होता है और वहां इतनी दुर्गन्ध आती है कि हर आदमी को नाक बन्द करके जाना पड़ता है। हम उसको वहां से हटा नहीं सकते। हम केवल घोषणायें कर देते हैं कि योजनाबद्ध विकास के लिए इतनी मांग पास कर दी जाये, इतना अलाटमेंट कर रहे हैं, हमने गरीबों के लिए और गरीबी मिटाने के लिए और हरिजनों के लिए और झुग्गी झोंपड़ी को हटाने के लिए, कच्ची बस्तियों में सुधार करने के लिए इतना रुपया खर्च कर दिया है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

हूं कि इसका एक ब्लू प्रिन्ट बनाना चाहिए सारे राजस्थान में झुग्गी झोंपड़ी हटाओ अभियान चलाना चाहिए और उसमें सेन्टर का अलाटमेन्ट, राज्य का अलाटमेन्ट, यू. आई.टी. का अलाटमेन्ट और म्यूनिसिपैलिटी का अलाटमेन्ट होना चाहिए और एक टाइम बाउन्ड प्रोग्राम होना चाहिए कि इतने समय में हम यत्न करके यह काम कर देंगे। अगर हम इतना नहीं कर सकते तो यह शर्म की बात है। उपाध्यक्ष महोदय मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि नगर विकास के लिए हमें भागीरथ प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हमारे नगरों का ह्रास हो रहा है। पुराने समय में हमारे यहां रजवाड़ा था और उस समय राजाओं का राज्य था उस समय की स्थिति जो थी सफाई की उससे ज्यादा अच्छी स्थिति आज हमको नहीं लगती। रोड की स्थिति इम्प्रूव्ड नहीं है। इसलिए हम बुरे की ओर गये हैं। बात हम विकास की ओर आगे जाने की करते हैं लेकिन हमें चाहिए हम मूलभूत परिवर्तन करें और एक आयोग बनाकर इसके बारे में विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं के अन्दर और यू.आई.टी. के अन्दर जिस प्रकार से प्रावीजन है वहां इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव्ज को रखने का, यद्यपि हमने कानून के अन्दर अमेन्डमेन्ट किया और पहले भी प्रावधान था लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर बाकर जो लोग इसको धन्धा बनाना चाहते हैं उनको वहां पर लगाया जाता हैं। आपने यू. आई. टी. के कानून में अमेन्डमेन्ट करने की बात की और जोधपुर के लोगों ने मंत्रियों के चक्कर काटने शुरू कर दिये। वह चाहते हैं कि पट्टा देने का अधिकार उनको मिल जाये। वह प्लाट दे दें, जमीनें दे दें, और उनके पट्टे दे दें–इस प्रकार का धन्धा वह वहां पर करना चाहते हैं वहां पर आकर तो माननीय मंत्री महोदय हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय घोषणा करें कि इस पर डिस्क्रिशन नहीं होगा। जहां नामीनेशन के द्वारा इलेक्टेड लोगों को रखने का या जनता के लोगों को रखने का अधिकार दिया गया है, यदि मंत्री महोदय में प्रमाणिकता हो तो वह घोषणा करें कि इसके लिए यह क्राइटेरिया होगा। इसमें डिस्क्रिशन नहीं होगा या जो उनके नजदीक आने का प्रयत्न करें और यू. आई. टी. को धन्धा बनाना चाहें। जैसे पहले प्लाट बेचे गये हैं, अजमेर में बेचे गये हैं, जोधपुर में बेचे गये हैं और जयपुर में बेचे गये हैं और भांति-भांति से लोगों को लूटा गया है। इसमें या तो आफीसर्स ने खुद प्लाट ले लिये हैं और या फिर और दूसरे प्रभावशील लोगों ने प्लाट ले लिये। "ननिहाल में जीमन और मां परोसने वाली।" यह शिकायतें हैं। मेरा यह निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय कि उसके बारे में क्राइटेरिया की स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए थी कि यू. आई. टी. में मेम्बर इसको रखेंगे और चेयरमैन इसको रखेंगे और राजस्थान भर के लिए एक यूनिफार्मिटी होगी। उसमें अपवाद नहीं होगा कि यह इलेक्शन में नहीं जीता है इसलिए इसको वहां पर रख दिया जावे। इसके लिए एक रिहेबिलीटेशन डिपार्टमेन्ट के नाते इनको लाने के लिए छूट दे दी जाये, ऐसा नहीं होगा इस सम्बन्ध में मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है।

(श्री गुमान मल लोढ़ा)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं दो शब्द सहकारिता के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। हमारी सहकारिता आज राजस्थान के अन्दर गबन और घोटालों की सहकारिता बनी हुई है और गबन घोटालों की सहकारिता के लिए कभी कोई लिखना चाहे तो पांच, दस स्कालर्स चाहिए। उसके लिए पूरा का पूरा बोर्ड बनाना पड़ेगा लेकिन आज स्थान स्थान पर ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी कुछ दिन पहले शाहबाद गया था और वहां पर मैंने सहरियों की भी स्थिति देखी और उन्होंने बताया और जो मेरे साथ दूसरे विधायक थे उनको भी बताया कि कोआपरेटिव के नाम पर जो काश्त की जमीन है, जो बहुत फर्टीलाइज जमीन है, जो सोना उगलती है, उन्होंने बताया कि सहकारी समितियां बनी हुई हैं और सहरियों को लातें मारकर बाहर निकाल दिया है। कहीं प्रधान है या सरपंच है या पंच है, पंजाब से आये हुए सरदार स्वर्णसिंह हैं उन्होंने एक एक भूपतियों के साथ तीस, तीस हजार स्क्वायर एकड़ जमीन दे दी है और सहकारी समितियां भ्रष्टाचार के अड्डे बन गये हैं। चाहे वे सुपर मार्केट हों चाहे दूसरी सहकारी समिति हों या गांवों के अन्दर सहकारी बैंक हो। आप स्वयं उपाध्यक्ष महोदय देखते हैं कि हर रोज कोई न कोई प्रश्न हमारी विधान सभा में सहकारी बैंकों के गबन और घोटालों के आते हैं और मुझे खेद है कि माननीय सहकारी मंत्री इस मामले में जहां एक क्लर्क हो या चपरासी हो उसको आप दो रुपये के लिए पकड़ लेंगे, उसका चालान हो जायेगा; उसके ऊपर 409 लगा दी जायेगी, उसका परिवार बरबाद हो जायेगा और वह जेल में भेज दिया जायेगा लेकिन सहकारी क्षेत्र में काम करने वाले राजनेता और दूसरे कार्यकर्ता हजारों रुपये के घोटाले कर दें तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आज ही बतलाया गया है कि 80 हजार का घोटाला किया गया और आज तक उनके खिलाफ केस रजिस्टर नहीं किया गया। क्या कारण है? 8 रुपये रिश्वत के कोई छोटा कर्मचारी ले ले उसको नौकरी से निकाल देंगे और यह बैंकों के अध्यक्ष 80 हजार का घोटाला करें और उनको व्हाइट कालर क्राइम की छूट मिले और वह पकड़ा भी जाये आज आप उसको जेल के सींखचों में क्यों नहीं डालते हैं? क्यों बचाते हैं? अगर बचाते हैं तो आप भी अबेटमेन्ट करते हैं, आप भी उतने ही अपराधी हैं जितने कि वह है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि अभियुक्त नम्बर दो वह है तो पहले अभियुक्त आप होंगे। कानून आप के हाथ में है। हो सकता है आप उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलायें लेकिन जनता बकसने वाली नहीं है। जनता किसी को नहीं बकसती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपको प्योरिटी लानी है सहकारी क्षेत्र में प्रशासन को ठीक करना है तो आपको सख्ती से काम लेना पड़ेगा। यह हमारा तालुक नहीं है कि आप कह दें कि उनकी जांच हो रही है, प्रिलिमिनरी जांच हो रही है, सेकेण्डरी जांच हो रही है और जांच होगी उसके अन्दर चार-पांच साल निकल जायेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह निश्चित रूप से पालिटिकल प्रोटेक्शन देना होगा। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
चाहता हूं कि सहकारी क्षेत्र "अवर को-आपरेटिव आर डेन्स आफ स्कैन्डल, डेन्स आफ करप्शन, डेन्स आफ फेवरैटिज्म एण्ड नेपोटिज्म" यदि इसको हटाना है तो आपको सख्ती से काम लेना पड़ेगा। यदि ऐसा हो जाता है तो ठीक है वरना सारा का सारा राजस्थान आज भ्रष्टाचार के अड्डे में परिणित हो चुका है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मांगे तो पारित हो जायेंगी इस प्रचण्ड बहुमत के कारण इस सत्यानाशी बहुमत के कारण और इन तरीकों से, लेकिन इसका सही उपयोग हो सकेगा यह प्रश्न-वाचक है ?

श्री शंकरलाल : यह आपने प्रचण्ड बहुमत कहा सो तो ठीक परन्तु सत्यानाशी बहुमत कैसे कहा, यह अनुचित है। यह गलत है यह आप कैसे कहते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह इसलिए कि आप राजस्थान का सत्यानाश ही तो कर रहे हैं, राजस्थान का विनाश···

श्री दीपंकर : सत्यानाशी कहकर तो आपने महात्मा गांधी की जो मनोवृत्ति थी उसकी हत्या कर दी।

(व्यवधान)

श्री राम किशन : सत्यानाशी तो, उपाध्यक्ष महोदय, नारी की गाली है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह नारी की ओर से तो नहीं थी।

श्री रामकिशन : यह नरकार गाली है।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री दीपंकर की ओर इशारा करते हुए) यदि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य की भाषा आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे ?

श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सहकारिता और नगरों का विकास ये दो इस प्रकार के सवाल हैं जिसके साथ हिन्दुस्तान की अर्थ-व्यवस्था और हिन्दुस्तान का विकास जुड़ा हुआ है। सहकारी आन्दोलन की जो खामियां हैं, सहकारिता की जो कमजोरियां हैं अगर उनको दूर नहीं किया जाय तो आपने जो देश को समाजवाद का स्वप्न दिखाया है वह कभी साकार नहीं हो पायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की अर्थ व्यवस्था और विशेष तौर से राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था पर नजर डालेंगे तो हम पायेंगे कि समाज का जो गरीब तबका है, समाज के जो शोषित लोग हैं उनको अगर ऊपर उठाना है, उनका उत्थान करना है तो उनको सहारा देने का एक मात्र आंदोलन जो है वह है सहकारी आन्दोलन। लेकिन अफसोस है कि यह आंदोलन भी, जिस प्रकार से कि हिन्दुस्तान में कई अच्छी प्रकार के आन्दोलन दूषित होते गये सरकार की गलत नीतियों के कारण, उसी प्रकार से यह आन्दोलन दूषित होता गया है इसलिए राज्य सरकार को यह सोचना चाहिए कि किस प्रकार से इस आन्दोलन को सुधारा जा सकता है, किस प्रकार से उसको सही दिशा दी जाय, और समाज का जो कमजोर वर्ग है उसको किस प्रकार से ऊपर उठाया जाय। सदन के सभी माननीय सदस्य इस सम्बन्ध

(श्री रामकिशन)

में एक मत के हैं कि समाज का जो कमजोर तबका है, उसको किस प्रकार से शोषण से निकाला जाय, उसकी दशा सुधारी जाय इस बारे में मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी वालों में और जो लोग प्रतिपक्ष में बैठे हैं उनके अन्दर इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। लेकिन सहकारिता के बारे में जो राज्य सरकार की नीति है वह ठीक नहीं है जो कि गरीब लोगों को सही दिशा दे सके, उनकी एक कमजोर नीति है और जो बात जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि भ्रष्टाचार के मामलों में भाई-भतीजों को सुरक्षा मिल जाय तो इसी नीति के आधार पर इस आन्दोलन का विस्तार हुआ है। माननीय मन्त्रीजी बोलेंगे, जब अपना जवाब देंगे तो मैं जानता हूं, उनका वही पुराना ढर्रा है इनके बोलने का, कितनी सहकारी समितियां हैं, इतनी सदस्य संख्या हो गई है, इतने परिवारों को सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत ले लिया गया है, इतना इसका विस्तार और विकास हुआ है, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो लक्ष्य रखे गये हैं वह हमारी नजर में हैं लेकिन अफसोस इस बात का है कि सहकारी आन्दोलन एक ऐसा आन्दोलन होना चाहिए था जो गरीबों के लिए वरदान साबित हो, जो समाज के शोषित लोगों का जो शोषण किया जाता है, उससे बचने के लिए एक हथियार के रूप में उसका बचाव करे, मैं समझता हूं वह इस प्रकार की दिशा उनको नहीं दे रहा है और इसके विपरीत दिशा में जा रहा है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानकारी लेना चाहता हूं कि आपकी पूंजी, आपकी हिस्सा-पूंजी जिन-जिन सहकारी समितियों में लगी हुई है उसकी देखभाल के लिए आप क्या कार्यवाही करते हैं, जो पूंजी आपने लगा रखी है उसके क्या नतीजे आपके सामने आ रहे हैं, माननीय मन्त्रीजी जब अपना जवाब प्रस्तुत करें तो मैं उनका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। इस पर वह यह भी सोचें कि उस हिस्सा-पूंजी पर और सहकारी समितियों पर विभाग का कितना नियन्त्रण है, मेरा खयाल है, कर्जे की बात तो मैं बाद में करूंगा, सबसे पहले यह बताने की कृपा करें कि 31-1-75 को आपकी पूंजी की लागत क्या है, भिन्न भिन्न संगठनों में आपने कितनी पूंजी लगा रखी है और कितना-कितना आपको लाभांश प्राप्त हो रहा है, इस बात का अगर मन्त्री महोदय ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी अर्थ-व्यवस्था बिगड़ती चली जायगी और उसमें गिरावट आती चली जायगी, और जो सहकारिता का असली लक्ष्य है वह समाप्त होता चला जायगा। मैं माननीय मन्त्री महोदय, आपको कहना चाहूंगा कि आपने किस प्रकार का ऋण सहकारी समितियों को कितना दिया है, आपकी हिस्सा-पूंजी कितनी है, सहकारी कताई मिलों में कितनी हिस्सा पूंजी है, सहकारी चीनी मिलों में कितनी हिस्सा पूंजी है, सहकारी आवासीय समितियों में कितना रुपया आपका है, सहकारी कृषि समितियों में कितनी लागत पूंजी है, डेयरी की सहकारी समितियों में आपने कितना पैसा लगाया है, सामान्य सहकारी समितियों में कितनी है, उपभोक्ता भंडारों में कितनी हिस्सा पूंजी है, औद्योगिक सहकारी समितियों में और अन्य सहकारी समितियों में आपका कितना पैसा लगा हुआ है, इन सब का अगर अलग अलग बतायें तो काफी देर लगेगी लेकिन

(श्री रामकिशन)

इतना जरूर समझा हूं कि कुल नियोजन जो आपने कर रखा है वह 14 करोड़ 65 लाख 67 हजार के करीब है। सबसे पहले मैं मन्त्री महोदय, आपसे यह जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा कि इस पूंजी पर आपको लाभांश कितना मिल रहा है। तो उपाध्यक्ष महोदय, यह ध्यान में मन्त्री महोदय को रखना जरूरी है कि एक तरफ तो सारे देश में वित्तीय संगठन को सहकारिता के जरिये एक आधार बनाकर आमदनी का जरिया बढ़ाने के लिये सहकारिता को प्लान का एक अनिवार्य अंग माना गया है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमारी जो सामान्य पूंजी है जो विभिन्न सहकारी समितियों में हमारी लागत लगी हुई वह तो बढ़ती जा रही है और यह जो सूचना दी है, 31–1–75 की पूंजी की सूचना है, उसको देखते हुए लाभांश घटता जा रहा है। तो माननीय मन्त्रीजी इस बात का जवाब देंगे कि वह किस कारण से लाभांश कम होता जा रहा है। इसका क्या कारण है, आपकी सहकारिता में जो व्यवस्था की स्थिति है वह बिल्कुल साफ है लेकिन बजट को देखने से बहुत निराशा हुई है, इसको देखने से पता चलता है कि 73–74 में यह रकम 12 लाख 65 हजार थी, 74–75 में यह 19 लाख हुई और 75–76 में केवल 6 लाख के एस्टीमेट बनाये गये हैं। तो सबसे पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि इसके घटने के क्या कारण हैं क्योंकि बजट का मामला है इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या है, लेकिन जब आपकी हिस्सा-पूंजी बढ़ी है तो लाभांश किस प्रकार से घटता जा रहा है, यह समझ में नहीं आता। उपाध्यक्ष महोदय, यदि देखा जाय तो जहां–जहां नजर डाली जाय, वहीं पर सरकार की उपेक्षा की वजह से आज यह आन्दोलन कमजोर होता नजर आ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के अन्तर्गत चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य अन्त तक कम से कम 100 में से 100 का था जिससे कि गांवों में सहकारी आन्दोलन पूर्ण रूप से पहुंच जाय, परन्तु 50 प्रतिशत भी सदस्य बन जाय और आज इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें इसकी कोई आशा नहीं है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे, यह हो सकता है लेकिन इस वक्त जो स्थिति है उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि वे इस लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। आज सारे राज्य में सहकारी समितियों की संख्या, अभी हमको सहकारी विभाग की प्रगति रिपोर्ट हमारे लिये मिली नहीं है, इसलिए नहीं कह सकता कि आज की स्थिति क्या है लेकिन 73-74 में कुल सहकारी समितियों की संख्या 19247 थी और इनकी सदस्यों की संख्या 23,46,000 बताई गई है इससे हमको तो सन्तोष नहीं हो सकता। इसको हम सन्तोषजनक प्रगति नहीं कह सकते। आज ग्रामीणों को कर्ज देने की बात भी कही जाती है, उनका सर्वे देखने के बाद किसानों की कितनी संख्या है जिनको कर्ज दिया गया और फिर यह देखना है कि कुल कितनी राशि उनको ऋण के रूप में दी गई है। सन् 1972 की क्रेडिट रिपोर्ट को देखने से पता लगता है किसानों के लिए 18 अरब रुपये की सारे देश में जरूरत है और राजस्थान में अगर छोटे किसानों को, मार्जिनल किसानों को भी लें तो 300 करोड़ रुपये की जरूरत है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इसके अनुपात में

(श्री रामकिशन)

अगर हम सारे लक्ष्यों को देखें तो इस प्रकार से राजस्थान का सहकारी आन्दोलन हमें निराशा देता है। कहीं कोई बहुत बड़ा चमत्कार या आशा की किरण नहीं देता है। आखिर इसका कारण क्या है ? मैं राज्य सरकार की मंशा पर कोई शक करने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं मानता हूं कि सहकारी आन्दोलन के बारे में कोई भी सिद्धान्त हो, चाहे कोई समाजवादी मुल्क हो या पूंजीवादी मुल्क हो, दोनों के अन्दर ही समान रूप से काम होता है। इसलिए आन्दोलन के पीछे जो सिद्धान्त है वह कोई सिद्धान्त नहीं है और मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस बिना सिद्धान्त की बात को तत्काल स्वीकार कर लेती है। जिन बातों पर कोई विशेष सवाल पैदा नहीं होता कांग्रेस सरकार उनको मान लेती है। यह दुनियां के पूंजीवादी और साम्यवादी मुल्कों में भी सहकारी आन्दोलन एक तरह से ही चलता है। अगर पूर्वी जर्मनी के सहकारी आन्दोलन को देखें जो एक साम्यवादी मुल्क है और चाहे यूरोप के अन्य मुल्क हों सहकारी आन्दोलन की जो उपलब्धियां हैं चाहे मकान बनाने के लिए या दूसरे मामलों में, सभी देशों की परिपाटी एक सी है। छोटे छोटे यूरोप के मुल्कों के अन्दर ही हम किस तरह से सहकारी आन्दोलन के मार्फत आगे जा रहे हैं उसके मुकाबले में राजस्थान में यह आन्दोलन केवल विभागीय दायरे में घूमने वाला या निहित स्वार्थी तत्वों का आन्दोलन बन कर रह गया है। यहां पर इसके विकास की कोई क्रान्तिकारी विकास की सम्भावनायें नजर नहीं आती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से चाहूंगा कि इस सारे मामले पर सरकार क्या करना चाहती है, आप सारे ग्रामीण क्षेत्रों का सम्मेलन कर लेंगे, आप मध्यकालीन, अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋणों का वितरण भी कर देंगे। मैं मानता हूं कि आपकी स्थितियां ऐसी हैं, आप कर सकते हैं लेकिन इस आन्दोलन की जो विकृतियां हैं, जो इस आन्दोलन में खराबियां आ गई हैं उसके लिये आप क्या करना चाहते हैं।

माननीय लोढ़ा साहब जो जोधपुर से आये हैं उन्होंने जनरल बात कही आपके इस सहकारी आन्दोलन के बारे में और मैं मानता हूं कि अन्य माननीय सदस्य भी जब बोलेंगे तो करीब करीब यही बातें कहेंगे लेकिन असल में जो सहकारी आन्दोलन में जो विकृतियां हैं, जो खराबियां हैं, उनको यथा साध्य सुधारना चाहते हैं तो मैं आपसे चाहूंगा कि अगर ऐसी चीजें आती हैं तो उन पर आप जरा सोचिये। शायद आप बोलते वक्त कह देंगे कि हमने शोभारामजी कमेटी बना दी है। पंचायत समितियों के लिए एक गिरधारीलाल व्यास कमेटी बना दी और जिसको मंत्रीमंडल में नहीं रख सके उसको एक कमेटी दे दी। अब कहां शोभारामजी की बुढ़ापे में कमेटी की रिपोर्ट आयेगी। रिपोर्ट तैयार होगी उससे पहले चुनाव आ जाएगा और चुनाव में टिकिट नहीं मिला तो उनकी भी छुट्टी और रिपोर्ट की भी छुट्टी। इसलिए इधर उनका टिकिट कटा उधर रिपोर्ट का टिकट कटा....

श्री दिनेश राय डांगी : टिकिट कट जाएगा यह आपको कैसे पता है?

श्री रामकिशन : कौन साहब बोल रहे हैं ?

श्री मीठालाल : बैठे 2 बोल रहे हैं।

श्री रामकिशन : यह तो आप ज्यादा मयोरिटी में हैं, मैं तो अन्दाज से कह रहा हूं।

मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आपने कमेटी बनाई, किस बात की कमेटी बनाई, क्या सुधार लाना चाहते हैं। पांच सात सवाल ऐसे हैं जिनके बारे में आपकी कोई मानसिक तैयारी नहीं है। उनमें सुधार करने की आपकी स्थिति नहीं है। सबसे बड़ा सवाल इसमें चुनाव की व्यवस्था का है। आप जानते हैं कि चुनावों की आज क्या हालत है। गलत चुनाव होते हैं, सही लोग चुनाव में आते नहीं हैं और किसी को मौका देंगे नहीं। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी चुनाव की पद्धति सही है। इन सहकारी समितियों का समय आप एक साल से बढ़ा कर दो साल, तीन साल कर दीजिए, आप इस पर विचार करें और जो सुझाव आपके सामने दिए गये हैं मैं समझता हूं कि यह सर्वोत्तम सुझाव हैं लेकिन इसका समय बढा कर ये चुनाव किसी दूसरी एजेंसी के मार्फत करायें। जैसे पंचायतों के चुनाव कराते हैं, सहकारी समितियों के चुनाव भी विभाग या उसमें काम करने वालों के मार्फत नहीं होने चाहिए। इस बात को आप भी स्वीकार करते हैं कि यह निश्चित रूप से, यह आन्दोलन पंचायतों से बड़ा आन्दोलन बन चुका है। इसका प्रसार गांव 2 में हो चुका है। जो चुनावों की शिकायतें आती हैं, उपाध्यक्ष महोदय, चुनावों का मतलब क्या है? एक साल में चुनाव होते हैं दूसरे लोग रजिस्टर वगैरह उठाकर ले जाते हैं और चार्ज नहीं देंगे, आपस में झगड़े होंगे और दुबारा चुनाव आ जाएगा। तो इस काम के लिए कमेटी की क्या जरूरत है। राज्य सरकार यह निर्णय क्यों नहीं लेना चाहती कि हम चुनाव निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा करायेंगे और विभाग स्वयं यह चुनाव करा सकता है। एक दो छोटे–मोटे सुझाव मैं और आपको सामने रखता हूं।

दूसरी जो इस आन्दोलन में खराबी है वह खराबी है डिफाल्टर्स की पैसा नहीं देते हैं लोग। मैं यह नहीं मान सकता कि इसकी माननीय मन्त्रीजी को जानकारी नहीं है। क्योंकि सहकारी आन्दोलन में कांग्रेस के अधिकांश माननीय सदस्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते रहे हैं और और रूप में भी लाभान्वित होते रहते हैं। आज डिफाल्टर्स की स्थिति यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि जिस तरह से सारे पैसे का दुरुपयोग करते रहते हैं और जिस तरह की व्यवस्था है वसूली हो नहीं पाती। एक सुझाव इस सम्बन्ध में रखना चाहूंगा कि जब तक कोई अकाल का इलाका नहीं हो, बाढ का इलाका नहीं हो या राजस्थान में कोई विशेष परिस्थिति जब तक नहीं हो और आपका पैसा वसूल होना है तो उसके लिए आप कानून में प्रावधान इस तरह का कर दीजिए कि दो साल का जिस पर पैसा नहीं आएगा निश्चित रूप से कुर्की की जाएगी और पैसा वसूल किया जाएगा। आप कहेंगे कि छोटे किसानों का मामला है इसलिए वसूली नहीं हो पाती, लेकिन मैं आपको निश्चित तौर पर कहता हूं कि छोटे किसानों में जो बकाया है वह तो

(श्री रामकिशन)

समय पर जमा करा देते हैं लेकिन जो बड़े लोग है, दूसरे प्रभावशाली लोग हैं वही लोग पैसे को दबाते हैं। वही लोग सारी सहूलियतों का फायदा उठाते हैं और निहित स्वार्थी लोग ही पैसा नहीं देते है। सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकती, आप भी कार्यवाही नहीं कर सकेंगे सम्भवतः क्योंकि आपकी भी मर्यादा होती है। सब इस तरह के नहीं हैं कि कार्यवाही कर सकें क्योंकि आप जानते हैं कि आपका निर्णय होगा तो आपके खिलाफ बगावत होगी, आपके खिलाफ विद्रोह होगा और अगर आप विद्रोह को दबा सकते हैं, विद्रोह का मुकाबला कर सकते हैं तो निश्चित रूप से सहकारी आन्दोलन को बल मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक निर्णय ले लिया कि जो छः साल रह गया उसको मौका नहीं देंगे लेकिन कहां चला गया आपका वह निर्णय। चाहे हाई कोर्ट की वजह से हो या और कोई वजह से हो लेकिन यह बात निश्चित है कि दिल्ली के दरबार में इस मामले में गड़बड़ हुई और यह राज्य सरकार तो क्या है एक सूबे हैं, दिल्ली के बड़े दरबार के छोटे-छोटे सूबेदार हैं। वहां से हुक्म मिल गया और मामला साफ कर दिया गया है। मैं आपको एक सुझाव देता हूं, आपने छः साल वाला जो कदम उठाया सराहनीय कदम था और हमारा उसमें समर्थन है। उपाध्यक्ष महोदय, केवल संशोधन उसमें कर दीजिए कि जो छः साल तक रह गया वह आदमी छः साल के बाद तीन साल से पहले दुबारा न आवे। लेकिन होता क्या है कि आपने छः साल का कर दिया, उस बार वह नहीं आये तो अपने लड़के भतीजे को करा दिया और फिर 15 दिन बाद इस्तीफा दिला कर फिर खुद आ गए। आप कानून बनाते हैं, मैं समझता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप माफ करें मुझे, मैं आपको कहता हूं और स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि या तो मंत्री लोग समझते नहीं हैं और या अधिकारी लोग आपको यस सर यस सर करके इस तरह से आपको बना जाते हैं कि आपको यस सर यस सर तो समझ में आता है लेकिन दूसरी बात समझ में नहीं आती है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो छः साल का कानून बनाया था, कैसे हो गया उसका दुरुपयोग, क्या उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि इन सारे मामलों में सोभाराम कमेटी तो क्या जानकारी करके सुझाव देगी लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि सदन में आज ही आप यह घोषणा करें कि यह सुझाव जो इस प्रकार के हैं कि जिनके ऊपर आप अमेंडमेंट लाकर, बिल लाकर और इसी सदन में, 15 दिन बाद या अगले सदन में आप संशोधन कर सकते हैं। अगर आपने यह काम नहीं किया तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आपका यह सहकारी आन्दोलन बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है।

एक सुझाव और दूंगा। आज सहकारी संस्थाओं में कर्मचारियों की संख्या काफी है। आज से बीस साल पहले दो क्लर्क होते थे, चार क्लर्क होते थे लेकिन आज एक एक जिले में हजारों की संख्या में कर्मचारी हैं, कोई सेक्रेट्री हैं तो कोई बैंक का स्टाफ है। इनकी भर्ती का जो तरीका वह भी बहुत रही है, गलत है। न इसमें शिड्यूल्ड कास्ट का खयाल रखा जाता है, न शिड्यूल्ड

(श्री रामकिशन)

ट्राइब्स का खयाल रखा जाता है। यहां तो जिस बात का खयाल रखा जाता है, वह है कि चेयरमैन का रिश्तेदार हो, साला हो तो पहले साले को नहीं तो बहनोई को रखा जाय। इस तरह से भर्ती की जाती है। वहां पर करप्शन के मामले में ऊपर से नीचे तक सभी लिप्त हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को सुझाव दूंगा कि जैसे जिला-परिषद् और पंचायत सर्विस कमीशन है, जैसे नगरपालिका सेवाओं के लिए कमीशन है, मैं इनकी योग्यता के बारे में भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि ये भी सब ठीक ही है लेकिन इन कमीशन्स के द्वारा जिस प्रकार चयन का, तरीका है वही तरीका आप यहां पर भी लागू कर सकते हैं। जहां तक पंचायत समिति सर्विस कमीशन का सम्बन्ध है, यहां पर इसका प्रसंग तो नहीं है लेकिन प्रसंगवश मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इन सर्विस में भी जो आपने अभी नियुक्ति की है, नियुक्ति में आपने रखा कि गैर–सरकारी सदस्य वह होगा जो एमीनेंट हो और पचास साल से कम उम्र का नहीं हो, वह गैर-सरकारी मेम्बर बनाया जाएगा। अब एमीनेंट परसन की परिभाषा क्या? जो विधायिका का पति होगा अगर वही एमीनेंट परसन है तो आपके लिए संकट पैदा हो जाएगा क्योंकि विधायिकायें भी यहां पर 15 हैं। सबके पति यह मांग करने लग गए कि हमें मेम्बर बनाओ तो संकट खड़ा हो जाएगा। मैं समझना चाहता हूं कि राज्य सरकार जब कोई काम करे तो गंभीरता से करे तो ऐसे कार्य न करें जिससे आपकी शकल धूमिल हो···

श्री गुमानमल लोढ़ा : हुआ क्या ?

श्री रामकिशन : सब माननीय सदस्य समझते हैं। पंचायत मंत्री जानते हैं। एक श्री प्रकाश चन्द बंसल हैं कांग्रेस दफ्तर के कर्मचारी रह चुके हैं। मुख्य मंत्री के थोड़े नजदीक हैं, एक विधायिका के पति भी हैं। उनको कमीशन का मेम्बर बनाया गया है, अमेन्डमेन्ट करके। यह तो मैं प्रसंगवश कह गया हूं। यह जो आपके गबन के मामले हैं–बैंकों के जो कर्मचारी हैं उनका चयन ठीक से होना चाहिये। यह बैंकों के डाइरेक्टर की मर्जी पर नहीं होना चाहिये। इनके चयन के लिए भी कमीशन का गठन होना चाहिये। ये जो 5–6 सुझाव मैंने यहां पर दिये हैं, इनको आप करेंगे तो सहकारी आन्दोलन से समाज का भला होगा वरना इन सहकारी आन्दोलन का भी भविष्य अन्धकारमय मुझे नजर आ रहा है। आपके पास आडिट रिपोर्ट है। सहकारी आन्दोलन को चलाने वाले, उसमें रहने वाले आज जिस ठाट बाट से रहते हैं शायद मंत्रीजी भी उस ठाट बाट से नहीं रह पाते हैं। उनके पास बीसों जीपें हैं, कारें हैं। ये कारें उनके बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं। लोन इन्सपेक्टर जीप को किराये पर लेकर घूमता रहता है। वे इस प्रकार सहकारी धन को व्यय कर रहे हैं–यह गलत है। यह सरकार की पूंजी है। इसमें मंत्री महोदय आपकी पूंजी है, आपका रुपया है तो इस पूंजी पर आपका नियन्त्रण सख्ती से होना चाहिये। यह कहा जाता रहा है कि इसका सरकारीकरण किया जा रहा है। सरकारीकरण की प्रवृत्ति का मैं समर्थक नहीं हूं परन्तु यदि कोई गलत काम करते हैं तो इसकी रुकावट के लिए सरकार को आगे

(श्री रामकिशन)

आना चाहिए। अगर इन गलत कार्यों को नहीं रोकती है तो फिर इस आन्दोलन का भविष्य अन्धकारमय है।

खास तौर से उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह यह जो कि इसमें हरिजनों का प्रतिनिधित्व नहीं है। औंकारलालजी आज कांग्रेस में बैठे हैं, साल दो साल में उनको मंत्री पद मिल जाये, इस आशा में चुप हैं, अपनी जुबान को बंद कर रखा है। यह आन्दोलन शोषित वर्ग के लिए है। इसलिए माननीय सदस्य चुप बैठे हैं, साल दो साल में नहीं तो चुनावों के 15 दिन पहले ही मंत्री पद मिल जाये ताकि झंडी लगी मोटर लेकर वे चुनाव प्रचार कर सकें....

श्री उपाध्यक्ष : आपसे प्रेरणा लेकर अब बोलेंगे।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज सबसे ज्यादा जरूरत इस आन्दोलन की हरिजनों को, भूमिहीन किसानों को और अन्य शोषित वर्ग को है लेकिन आज उठा कर देखें तो मालूम होगा पैसा किसको मिलता है। यह जो दीर्घकालीन, मध्यमकालीन ऋण दिया गया है, उसके आंकड़े देखें तो मालूम होगा कि इन लोगों को 7 परसेन्ट से भी कम कर्जा मिला है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस आन्दोलन में कौन कौन लोग हैं। वे आम लोग हैं जो अपने पैसे का चार परसेन्ट सूद वसूल करते हैं। ये ही लोग आज सरपंच बन गये हैं, इन बैंकों के खजान्ची बन गये हैं। यह एक दुर्भाग्य की बात है। आपको फाश्ति करना है, इन लोगों की स्थिति को सुधारना है तो इन लोगों को को–आपरेटिव आन्दोलन से अलग करना होगा। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि बोर्ड आफ डाइरेक्टरर्स में एक हरिजनों का भी प्रतिनिधि होना चाहिये। इनमें महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व हो। पिछड़े वर्गों का भी प्रतिनिधित्व हो। यह कोई मैं जातीय दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। जो गरीब लोग हैं, जिनको इस आन्दोलन से सहायता लाभ मिलना चाहिए आज इस आन्दोलन के जरिए उनकी उपेक्षा हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार आप जरा वसूलियों पर नजर डालें। कितना किन किन में बकाया है, कौन कौन डिफाल्टर्स हैं। आपने यह 73–74 का विवरण देखा होगा। इस बजट में भी प्रावधान हो। प्रगति वाली पुस्तिका मुझे पता नहीं बंटी है या नहीं–परन्तु इसको हम देखते हैं तो स्थिति निराशाजनक लगती है। हमारी जो बकाया है वह करीब 14,188 लाख है। आखिर मंत्री महोदय इस पर तवोज्जह क्यों नहीं देते हैं। यह कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो अकाल से पीड़ित हो। जो नहीं देने वाले हैं, उनको बकाया को टाला जा सकता है। लेकिन अगर आप इसकी जांच करें तो इसमें 70/80 परसेन्ट वे लोग पाए जाएंगे जो कि सम्पन्न हैं। जो इस सहकारी आन्दोलन की मार्फत आज नये पूंजीपति बन गये हैं। यह बकाया उन पर है। क्या मंत्री महोदय साहस करेंगे इसको वसूल करने का। अगर आपने डिफाल्टर्स से वसूली नहीं की तो आपको बैंक से लोन नहीं मिलेगा, रिजर्व बैंक इन्कार कर देगा–तब इसका भविष्य क्या होगा? दीर्घकालीन ऋण, मध्यमकालीन ऋण की जो योजनाएं आपने

(श्री रामकिशन)

बनायी है, सहकारी आन्दोलन के जरिए आपने कृषि ऋणदात्री समितियां बनायी हैं, इन सबको हम देख चुके हैं। कृषि सहकारी समितियों को देखें, आज कृषि में यह फेल हो गई हैं। यह ठीक ही हुआ। जितनी भी सहकारी समितियां बनी हैं, उनमें आप देखें, उसमें भूमिहीन किसान कम हैं, जो जमीन वाले लोग हैं, गंगानगर में जिनकी जमीन है, झूंझुनूं में जमीन हैं, चूरू में जमीन है, उन्होंने सहकारी समितियां बना कर जमीनें एलाट करायी है एक सहकारी समिति की विशेष रूप से चर्चा करूंगा। यह है—झोटवाड़ा कृषि सहकारी समिति—इसको सरकार ने 700 बीघा जमीन एलाट की है। इसके मेम्बर कौन कौन हैं। मंत्री महोदय जब बोलें तब इसका साफ साफ जवाब देंगे—जिन्होंने जमीन ली है, उनके लिए यह लाजमी प्रावधान है कि वे भूमिहीन हों, उनके पास जमीन न हो। जितने भी इसके मेम्बर हैं, उनके पास पहले से दस—दस; पांच—पांच, तीन—तीन मुरब्बे जमीन हैं, इतनी जमीन के वे मालिक हैं। राज्य सरकार जहां कहीं भी हाथ डाले, चाहे वह ऋणदात्री समिति हो, कृषि सहकारी समिति हो, बैंक की सहकारी समिति हो, जहां भी हाथ डाले, निगाह डालें, आपको बुराई नजर आएगी, जो सहकारिता की विरोधी है। राज्य सरकार जान-बूझ कर सहकारी विरोधी वातावरण पैदा करना चाहती है। इसी प्रकार से यह क्रय-विक्रय संघ है। इसका 1971—72 का आडिट नहीं हुआ। यह क्यों नहीं हुआ। इसका बहुत बड़ा कार्य है। इसका आडिट होना चाहिए था। रजिस्ट्रार महोदय ने आडिटर को आदेश दे दिये किन्तु आज तक आडिट नहीं हो पाया है। आखिर यह स्थिति क्यों आ रही है।

इसके साथ साथ मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, इसका यह एक पक्ष है जिसमें आपको खराबियां ही खराबियां नजर आएंगी। मुझे इसका उज्ज्वल पक्ष भी मालूम है। इसको बताना यहां समय बर्बाद करना होगा। इसको आप भी जानते हैं—परन्तु काले पक्ष की ओर आपको ध्यान देना चाहिए तभी इसका उज्ज्वल पक्ष बचा रहेगा। आप अपने जवाब में बताएंगे इतनी ऋणदात्री समितियां गठन करने का हमारा लक्ष्य है, इतना लोन देने का प्रावधान है, पंचवर्षीय योजना में यह प्रावधान किया गया है, यह सब जानकारी आप देंगे और यह आपने अपनी पुस्तिकाओं में भी दे दिया है, जिनको हमने पढ़ लिया है। परन्तु इस आन्दोलन के अन्दर जो विकृतियां प्रवेश कर गई हैं, उनको मैं यहां पर बताना चाहता हूं और यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है।

एक बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं उपभोक्ता भण्डार के सम्बन्ध मे कहना चाहता हूं। आपने ये उपभोक्ता किस लिए बनाये—इसलिए ये उपभोक्ता भंडार कीमतों पर असर डालें और इनको सामान्य रखें। क्या इसके चलने से कीमतों पर असर पड़ा है। मंत्री महोदय, जानते होंगे कि उपभोक्ता भण्डार में जो चीजें आती हैं वे साधारण उपभोक्ताओं को, जो इसके मेम्बर हैं, उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। इम्पोर्टेड कपड़ा आता है, वह पहले आई. ए. एस. लोगों

(श्री रामकिशन)

को मिलता है, मन्त्रियों को मिल जाता है और कुछ दो-चार एम.एल.एज. को मिल जाता है। इस प्रकार यह एक विशिष्ट वर्ग बनता जा रहा है। इन उपभोक्ता भंडारों की चीजें सामान्य सदस्यों को नहीं मिल रही हैं। इस प्रकार हमारा उपभोक्ता भंडार वाला आन्दोलन भी असफल रहा अपने उद्देश्य में। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस सहकारी आन्दोलन में जो खराबियां आ गई हैं, उनको दूर करें। आप इसको नहीं मानते हैं, इसलिए कि आपका मंत्री पद बना रहे। अगर इन खराबियों को आप मिटाओगे तो आपका मंत्री पद आपसे छिन जाएगा। आप इसी लिए मना कर रहे हैं। आप स्वयं इस बात को जानते हैं। बाहर चल कर यह आप कहेंगे और यहां पर मना करेंगे। आप जानते हैं आप सम्पूर्ण रूप से इन बुराइयों को समझते हैं। आपके पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप इन खराबियों से इन्कार करेंगे। आपकी इनको सुधारने की इच्छा नहीं है। अगर आप बुराई स्वीकार नहीं करेंगे तो सुधार कैसे करेंगे। इसकी सारी बुराइयों का जिक्र करूंगा तो इतना समय मेरे पास नहीं है। सभी माननीय सदस्य इनको जानते हैं, इसलिए उचित नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना है।

अब दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप नगर विकास न्यास और नगरपालिकाओं के भी मंत्री हैं और इन सब बातों को आप छोड़ दें।

श्री रामनारायण चौधरी : भरतपुर की सीमा बढ़ा दी है।

श्री राम किशन : आपने भरतपुर की सीमा बढ़ा दी। मैं सोचता हूं कि देश में और राजस्थान में आप ही एक ऐसे मंत्री हैं जिसने यह साहस किया है। आपने पूंजीपतियों के चंगुल से निकल कर रेकार्ड स्थापित किया है। मैं सदन में आपको बधाई देता हूं और आप चाहें तो आपकी पत्नी और आपके बच्चों के सामने बधाई दे दूं। यह सच बात है कि आपने बढ़िया काम किया है।

सोजत की क्या बात है, क्या किस्सा है? मेरे पास बड़ा रेकार्ड आया है उसको ट्रेनिंग इस बात की दी गई थी कि जो कार्यक्रम जैसे इम्प्लीमेन्ट होता है उसको न करे। उपाध्यक्ष महोदय, सोजत के क्षेत्र को चार बार नगरपालिका घोषित कर दिया और वहां पर प्रशासक पहुंच गया और नगरपालिका बन गई और फिर वापिस बुला लिया। आपको मन्शा का कौन विश्वास करेगा। मुझे शंका है कि आप दबाव में आकर काम करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको दबाव से मुक्त होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप साहस करके दबाव से मुक्त हो जायं। क्योंकि इसका जिक्र पहले हो चुका है इसको छोड़ देता हूं।

नगरपालिकाओं की व्यवस्था, नगरपालिकाओं की आमदनी, नगरपालिकाओं के फण्ड और नगरपालिकाओं की अन्य योजनाओं के सम्बन्ध में कुछ चर्चा करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, नगर विकास

(श्री रामकिशन)

न्यास और नगरपालिकाओं का जो दोहरा प्रबन्ध आपने कर रखा है तो आखिर इसका मतलब क्या निकलता है ? यह किस लिए किया है ? पहले तो आपके सामने यह था कि नगर विकास न्यास आपने इसलिए बना दिये कि जिनको टिकट नहीं मिले उनको वहां पर आप भेज दें। लेकिन आज तो वह भी भंग हो गये और जिलाधीशों के पास आ गये हैं। इन दोनों में सामन्जस्य होना चाहिए। आपको इन सारे मामलों को एक नये ढंग से सोचना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं के संबंध में सबसे पहला सवाल तो माननीय मंत्री महोदय से यह करना चाहूंगा कि आप बाकी का चुनाव कब कराने जा रहे हैं ? खास तौर से आप यह बतायें कि नगरपालिकाओं के, जिनके चुनाव नहीं हुए हैं चुनाव कब कराने जा रहे हैं ? यह कहा जाता है कि कुछ दल वाले लोकतन्त्र को समाप्त करना चाहते है। वह हिन्दुस्तान की स्थिति को समझते नहीं हैं और वह इस सवाल को इसके साथ में जोड़ देते हैं कि जयप्रकाश नारायण लोकतन्त्र को समाप्त कर रहे हैं। जयप्रकाश नारायण की क्या हिम्मत हो सकती है कि वह लोकतन्त्र को समाप्त करें.....

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड हाकी कप हिन्दुस्तान जीत गया है इसलिए बधाई देता हूं।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हू कि ग्राम पंचायतों के चुनाव आप करायें नहीं। ग्राम पंचायतों के चुनाव का वायदा किया था उससे मुकर गये। लोकतन्त्र की प्राथमिक श्रेणियां ग्राम पंचायतें और नगरपालिकाएं हैं उनके चुनाव कराने की स्थिति में आप नहीं हैं..

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य/नेता महोदय।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, कितना वाजिब है यह मैं नहीं बता सकता फिर भी भारत हाकी में जीत गया है पाकिस्तान से।

श्री केदारनाथ : हाउस की तरफ से बधाई दी जाय।

श्री मीठालाल मीणा : आपकी मुख्य मंत्री की तरफ से प्रस्ताव के तौर पर आ जाय।

कई माननीय सदस्य : बधाई का प्रस्ताव होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी भी आ गये हैं ..

श्री हरिदेव जोशी : मैं चला जाऊं ?

श्री रामकिशन : मुख्य मंत्रीजी आप सदन को छोड़कर भागेंगे तो सारा देश आपके पीछे लग जायेगा।

आप नगरपालिकाओं के चुनाव करायेंगे या नहीं कराना चाहते हैं। मैं ने

(श्री रामकिशन)
समझता हूं कि निरन्तर आपकी वाणी बदलती रहती है तो निश्चित घोषणा करें कि बची हुई नगरपालिकाओं के चुनाव कब करा रहे हैं ? अगर नहीं कराते हैं तो आज की स्थिति में लोकतन्त्र के प्रति विश्वास है वह धीरे-धीरे समाप्त होता चला जायगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में कुछ जिक्र आपसे करना चाहूंगा दो-तीन बातों के मामले में । जितनी भी नगर-पालिकाएं हैं और हमारे नगर राजस्थान में है उनकी विशेषकर स्थिति यह है कि वह पुरानी रियासतों के थे । उस समय आबादी कम थी । विकास नगरों का हुआ है । आबादी बढ़ने के कारण से और शहरीकरण के कारण से नगरों का विकास होता चला जा रहा है, लेकिन 27 साल के बाद भी आज एक शहर ऐसा नहीं बना पाये जिसको हम आदर्श शहर कह सकें । जिस शहर के निवासियों को पानी से लेकर आवास की कोई कठिनाई नहीं हो । मैं नहीं कहता कि आप भरतपुर को बनायें । अगर बन सकता है तो झुंझुनूं को बनायें, लेकिन कम से कम एक आदर्श शहर तो बनायें जिसमें पानी की दिक्कत नहीं हो, बिजली की दिक्कत न हो, सड़क की दिक्कत न हो, शौचालयों की दिक्कत न हो । माननीय मंत्री महोदय, भरतपुर में बहुत रहे हैं । महीना भर रहे हैं और वहां पर इनका हर तरह से हर मोहल्ले से संपर्क था । आपने शहर को सारे को देखा है । आज कोई भी स्वाभिमानी आदमी, कोई भी स्वाभिमानी, जो कि राज्य सरकार के मंत्री के पद पर बैठा है, उसको देखकर मैं तो बनना पसन्द करेगा ? आप देख लें कि उनकी स्थिति क्या है । भरतपुर की आबादी जहां पर 15–16 हजार थी आज एक लाख से ज्यादा चली गई है । सबसे बड़ा कष्ट नगर के विस्तार के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, शहर में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण है । आज गरीब लोगों के मोहल्लों की हालत को देखें तो आप वहां पर जा नहीं सकते । महिलाएं सुबह बहुत जल्दी शौच के लिए पहुंच जायेंगी या रात को जायेंगी । शौच के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है । आप नहीं तो दूसरे मंत्री महोदय, समाज कल्याण मंत्री इसको करें । श्री छंगाणीजी आज सदन से चले गये । आज मैं उनको पकड़ता वे वायदा करके आये थे कि कांग्रेस को वोट दे दो तो शौचालय बन जायेंगे । मैं नहीं कहता कि सब ने कांग्रेस को वोट दिये हैं, लेकिन जिनसे वायदा किया था उन्होंने आपको वोट दिये हैं लेकिन शौचालय कहीं नहीं बने । यह तत्कालिक लाभ की घोषणा नहीं होनी चाहिये । इससे सरकार की प्रतिष्ठा नहीं रहेगी । अगर सरकार की प्रतिष्ठा नहीं रहेगी तो देश में लोकतन्त्र नहीं रहेगा । सरकार की प्रतिष्ठा को रखना आवश्यक है । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि और क्षेत्रों के साथ साथ हमारे यहां कोई बड़ा काम करें या न करें, लेकिन एक बड़ा काम यह जरूर कर दें और खास तौर से हमारे जो भरतपुर में हरिजनों के मोहल्ले हैं उनमें पानी पहुंचा दें, हरिजनों के मोहल्लों में बिजली पहुंचा दें और खास तौर से शहर के बीच में जहां ऐसे मोहल्ले हैं जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, उनमें शौचालयों की व्यवस्था आपको तुरन्त करनी चाहिए । उनके लिए

(श्री रामकिशन)
किसी तरह का भी प्रावधान आपको करके वहां करना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैं दो-तीन सवाल सारे राजस्थान के सम्बन्ध में करना चाहूंगा । नगर विकास न्यास और नगरपालिकाओं में जिस प्रकार की दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को कानून के द्वारा दूर करना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, कहीं पर ड्रेनेज का सवाल है । अब ड्रेनेज के लिए राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है । जो वित्तीय संस्थान हैं वे ड्रेनेज के लिए कर्जा नहीं देते हैं । भरतपुर में ड्रेनेज की बहुत बड़ी जरूरत है सारे शहर में । राज्य सरकार के प्रतिनिधि वहां निरन्तर आते रहते हैं और कहते रहते हैं कि ड्रेनेज बन जायगी । बीमा निगम या दूसरी वित्तीय संस्थाएं उसके लिए कर्जा नहीं दे सकती हैं और दूसरी और व्यवस्था नहीं हो सकती है । मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की दिक्कत सामने आ रही है तो इसके लिए कोई नई व्यवस्था करनी चाहिए । जो वित्तीय संस्थाएं इस काम के लिए कर्जा नहीं देना चाहें तो भरतपुर नगरपालिका अब सीमा बढ़ने के कारण कर्जा लेकर उसको बनवा सकती है । उसके लिए 20 साल की किश्तों में कर्जा दिलाने का इन्तजाम हो जाय । लेकिन वह दिक्कत आ रही है । जब तक सरकार बीच में नहीं आयेगी तब तक दिक्कत दूर नहीं होगी ।

सहकारी आन्दोलन और नगर विकास न्यास की जो स्थितियां हैं उनके बारे में सरकार से कहना चाहता हूं कि इन मामलों में माननीय मंत्री महोदय, उत्तर देते वक्त कटौती प्रस्तावों का जवाब भुगताते हैं उस ढंग से वह नहीं भुगताएं, लेकिन जो नीति सम्बन्धी मुद्दे हैं उन पर सरकार को ज्यादा जिक्र करना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार इस सदन में सहकारिता पर बहस हो रही थी तो सहकारी बाजार के सम्बन्ध में रामनारायण जी की स्थिति बड़ी दयनीय लगती थी । शायद माननीय मंत्रीजी की दयनीय स्थिति इसलिए बनाई गई कि सुमित्राजी को प्रसन्न करना चाहते थे । इससे एक बात कहला दी जाती है और उसके बाद उसका पालन नहीं होता है । पंचायतों के चुनावों के बारे में घोषणा करवा दी और पंचायतों के चुनाव नहीं करवाये · · ·

श्रीमती सुमित्रा सिंह : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य आपके भाषण में मेरा नाम आना आवश्यक है क्या ?

श्री रामकिशन : आपका नाम आने से मुझे कोई नुकसान नहीं है और न आपका नुकसान है । मुझे फायदा यह होता है · · ·

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने अनेक बार देखा है । आपके हर भाषण में मेरा नाम आये यह आवश्यक भी नहीं है ।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि आपने चुनाव का वायदा किया कि चुनाव करायेंगे लेकिन चुनाव नहीं हुए । सहकारी बाजार के संबंध में आपने वायदा किया था कि सहकारी बाजार बन्द नहीं किया जायगा । इधर यहां आप सदन में बयान देते हैं और दूसरे दिन ही सहकारी बाजार बन्द हो जाता है । मैं कहता हूं कि इसमे

(श्री रामकिशन)

आपकी प्रतिष्ठा गिरी है। सहकारी बाजार बन्द हो गया। उसके कर्मचारी बेकार हो गये और वह श्रमिक अदालत में गये और श्रमिक अदालत ने उनके पक्ष में फैसला कर दिया कि उनको वेतन दिया जाय। उनको वेतन नहीं दिया गया तो श्रम मंत्री के यहां धरना कर दिया जैसा कि माननीय हाण्डा साहब ने फरमाया था। मंत्रीजी ने वायदा किया था तो थोड़ा-बहुत उसको पूरा करना चाहिए था। उपाध्यक्ष महोदय, यह सहकारी आन्दोलन एक दृष्टि से ही नहीं कई दृष्टियों से दोषपूर्ण हो चुका है। एक दौसा की सहकारी समिति है, जिसकी बहुत चर्चा है। उसमें 7 हजार का गबन है। आडिट होता नहीं है। सभी प्रकार की चर्चा कर ली है। सरकार को भी ख्याल है तो उसे दौसा के मामले में निर्णय लेना चाहिए। उसमें एक मन्त्री भी इन्वाल्वड है। उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए इस सहकारिता का सारे क्षेत्रों में दुरुपयोग हो रहा है। एक पत्रकारों की सहकारी समिति उन्होंने बना रखी है। राजस्थान समाचार समिति। मुझे पता नहीं है, वह कहां है। अगर पत्रकारों की संस्था है तो निश्चित रूप से उसका विकास होना चाहिए। डेमोक्रेसी में समाचार संस्थाओं का बहुत महत्व है। लेकिन अगर साल में एक दो समाचार प्रकाशित हो गये या एक दो स्मारिका निकल जायेगी जिसमें मन्त्रियों के फोटो होते हैं, उनको आप 15 सौ रुपया माहवार देते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं। मन्त्रियों के बढ़िया फोटो होते हैं, बड़े आकर्षक और उत्तेजक हैं तो 1500 रु. माहवार आप उस समाचार समिति को देते हैं। वह कितने तो समाचार देते हैं, क्या उनके पास में टेलीप्रिण्टर है? इन सब बातों पर आप नजर नहीं डालें तो लोगों की मान्यता इस सब के खिलाफ बनती जा रही है। अन्त में मैंने जो दो चार सुझाव दिये हैं, उनको स्पष्ट बतायेंगे तो सदन सहमत होगा। सहकारी क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन होगा और जो दुरुपयोग कर रहे हैं, वह अप्रोत्साहित होंगे। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय जब भरतपुर में आये थे तो वहां की नगरपालिका के लोग उन से मिलने के लिए आये थे। मन्त्री महोदय जानते हैं कि किसकी क्या गड़बड़ी रही है। लेकिन वहां का चुनाव समाप्त हो गया। नगरपालिका भी भंग हो गई है। चूंकि वह एक राजनैतिक दल के सदस्य हैं। इसीलिए वह नहीं हो रहा है। सदन में माननीय मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि मुझे जानकारी है। भूतपूर्व नगरपालिका सदस्य ने जमीन बेचान में गडबड़ियां की हैं, उसकी जांच की जा रही है। तो मैं यह कैसे मान लूं? आप एक स्थिति को स्पष्ट करें इससे राजस्थान की जनता को विश्वास मिलेगा और जो मैंने कटौती प्रस्तावों के द्वारा सुझाव रखे हैं सदन उनको स्वीकार करे।

एक माननीय सदस्य : कटौती प्रस्ताव?

श्री रामकिशन : मैंने कहा है, जो सुझाव रखे हैं।

मैं आशा करता हूं कि आप स्वीकार करेंगे और स्वीकार करके स्पष्ट जवाब देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओंकार लाल चौहान।

श्री मीठालाल : जो कुछ कहूंगा, सच सच कहूंगा ।

श्री रामकिशन : जो सच्चाई है, वह ढंग से कहेंगे ।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : बहुत बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सहकारिता और नगर विकास के सम्बन्ध में मांगों पर चर्चा हो रही है । समय कम है । सबसे पहले मैं माननीय सदस्य रामकिशन जी द्वारा उठाये गये कुछ मुद्दों के बारे में निवेदन करूंगा । जैसा कि उन्होंने कहा है कि सहकारिता के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों को कोई फायदा नहीं हुआ है । मैं इससे सहमत नहीं हूं । मैं यह कहूंगा कि राज्य सरकार ने जो यह हाउस अलाटमेण्ट का आन्दोलन चलाया है....

श्री रामकिशन : वह तो झुंझुनूं में रह गया है ।

श्री ओंकारलाल चौहान : झुंझुनूं भी राजस्थान का हिस्सा है । आपको यह मानना चाहिए । माननीय सदस्य को अहसास होगा कि इसमें सन्तोषजनक प्रगति हुई है । राज्य सरकार की यह बड़ी उपलब्धि है जिसका मैं स्वागत करता हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से हम चल रहे हैं, वह वास्तव में विचारणीय है । सहकारिता के आधार से जो हम हिन्दुस्तान में और राजस्थान में लाना चाहते थे क्या वह वैसा हुआ है ? जहां तक उपलब्धियों का सवाल है, उनका स्वागत है । जैसा कि इसकी प्रगति रिपोर्ट देखने से ऐसा लगता है "30 जून, 1974 तक समाप्त हुये सहकारी वर्ष तक राज्य के 95% ग्राम एवं 41% कृषक परिवार सहकारिता के अन्तर्गत लाये जा चुके हैं ।" इसमें कोई शक नहीं है कि जिस मात्रा में किया गया है, वह हुआ है । लेकिन जिस मात्रा में प्रगति करनी चाहिए थी, वह प्रगति वैसी नहीं हुई है । प्रगति की रफ्तार धीमी रही है । इसके अन्दर दुबारा गति हम क्यों नहीं कर सके हैं । उनके कारणों का पता लगाने की आवश्यकता है । मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन चीजों का हम जिक्र करना चाहते हैं जिससे कि हम प्रगति नहीं कर सके हैं । यह सही है कि जो सहकारी संस्थाओं के चुनाव होते हैं, वह दोषपूर्ण हैं । इसमें शक नहीं है कि इसमें सुधार होना चाहिए । इसमें कोई दो राय नहीं है इसलिए यह प्रयत्न करना चाहिए कि यह दोषपूर्ण नहीं हो । दूसरा यह है कि इसमें पार्टी पोलिटिक्स इतनी घुस गई है कि कदम कदम पर वह हो गई है । इससे कई जटिल समस्याएं खड़ी हो जाती हैं । इसके कारण हम कोई परिवर्तन कर नहीं पाते हैं । इस कारण जो प्रगति और विकास होना चाहिए वह हो नहीं पाता है । दूसरे समय पर चुनाव नहीं हो पाते हैं । चुनाव हो भी जाते हैं तो इलेक्टेड बाडी को काम नहीं करने दिया जाता है । ट्रिब्युनल में मामले आ जाते हैं । उनमें काफी समय लग जाता है । इससे जो आधार लेकर हम कुछ करना चाहते थे, वह नहीं हो पाता है । इसके मैं एक दो उदाहरण पेश करूंगा । एक सोसायटी का चुनाव हुआ । वह आगे इलेक्ट हुई । आपके कुछ वोट हैं तो उनको काम नहीं करने

(श्री ओंकारलाल चौहान)

दिया जाता है। अजमेर की बैंक की बड़ी दयनीय दशा है। तो इस प्रकार से पोलिटिकल इण्टरफोयरेंस और इण्टरवेंशन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको मुझे सोचना पड़ेगा। आखिर यह कांग्रेस या पक्ष और विपक्ष का ही सवाल नहीं है। देश का वह तबका, उसका सर्वांगीण विकास हम कैसे कर सकते हैं। इस कारण, अगर हम कार्य प्रणाली को सुधार नहीं सकते या सुधारना नहीं चाहते, यह व्यवधान आता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को हिचकिचाहट छोड़नी पड़ेगी और ठोस कदम लेकर आगे आना पड़ेगा और मजबूत बनाने के लिए कुछ न कुछ प्रभावशाली कदम उठाना पड़ेगा जिससे जो रूप रेखा बन गई, या तस्वीर बन गई है, या इमेज गिर गई है सहकारी आन्दोलन की उसको किस प्रकार सम्भाला जाय, किस प्रकार अच्छा किया जाय। यह विचारने का प्रश्न है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भू-खण्ड आपके आवंटित हुए हैं, एक सराहनीय कदम है। इसी प्रकार से शहरों में भी भू-खण्ड आवंटित होने चाहिए और उनके मार्फत अधिक कर्ज दिया जाना चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं, बेसहारा हैं, असहाय हैं, वह बस्ती बना सकें और दूसरों के साथ उनको भी जीने का अधिकार मिल सके।

यह भी सही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रकार से एक अजीब स्थिति आज के दिन है कि जिस प्रकार हम इसमें गति देने की बात करते हैं, और दूसरी ओर हम ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जिससे निकल नहीं पाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे मैं निवेदन करूंगा कि प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षण किस प्रकार दिया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री से मैं पूछना चाहूंगा, आखिर सरकारी मशीनरी जो कार्य कर रही है, आज उसकी सारी जगह चर्चा है, डेमोक्रेसी वर्सेस ब्यूरोक्रेसी। यह अहम प्रश्न है, क्या डेमोक्रेसी सुप्रीम है या ब्यूरोक्रेसी सुप्रीम है? यह कोई हंसने या किसी पर लांछन लगाने से काम नहीं चलेगा। यह गम्भीर प्रश्न है, आखिर हम इस देश को बनाना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, डेमोक्रेसी में कुछ चीजें ऐसी आती हैं जिनसे डेमोक्रेटिक सेट अप में जो व्यक्ति काम करता है, उस पर पोलिटिकल प्रेशर पड़ता है। जो पोलिटिकल प्रेशर पड़ता है, उसमें देखना पड़ेगा, जो पोलिटिकल प्रेशर पड़ रहा है, उससे हमारी कार्य प्रणाली तो नहीं बिगड़ रही है, क्या इमेज तो नहीं बिगड़ी है, क्या राजस्थान में ऐसी कोई स्थिति तो नहीं हो रही है जिसमें यह काम करने से दूसरा काम बिगड़ रहा हो? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल खड़ा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी एक हो गई है, ब्यूरोक्रेसी मिल गई है, और फर्म हो गई है एक चीज पर, वह किसी प्रकार से डेमोक्रेसी को सफल नहीं होने देना चाहती है। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि सभी लोग उस प्रकार के हैं। मैं कहना चाहता हूं, हम लोग भी इसमें शामिल हैं। हम जरूरत से ज्यादा इन्टरफियरेन्स करते हैं पालिटिकली, हमारे अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए। तो हमें भी

(श्री ओंकारलाल चौहान)

सोचना पड़ेगा और हमारा व्यवहार इसके प्रति ठीक करना पड़ेगा। जहां यह बात कहते हैं, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं डेमोक्रेसी को सफल और सक्षम बनाना चाहते हैं तो हमको भी इसके अनुरूप काम करना पड़ेगा। आज स्थिति चल रही है, इसमें सुधार लाना पड़ेगा। मंत्री महोदय, इसको ठण्डे दिल से सोचें, राजस्थान को किस प्रकार से आगे लाया जाय जिससे इस सहकारिता को किस प्रकार गति दी जाय। सहकारिता का उन्नत स्वरूप था जब शुरू हुआ, ऐसी तस्वीर थी, लेकिन आज देखते हैं, निष्प्राण, निष्क्रिय, निर्जीव जैसी स्थिति हो गई है। क्यों हो गई ? यह आपके सोचने का प्रश्न है। मैं अधिक समय इसमें नहीं लेना चाहूंगा, इन मांगों के साथ-साथ कि समय पर चुनाव होना चाहिए, करप्शन दूर होना चाहिए। इनको अगर मैं डिटेल्स में जाऊंगा तो काफी समय लगेगा। काफी घोटाले भी हैं, कई जगहों पर, जयपुर सहकारी भण्डार, अजमेर वाला केस है, कई चीजें इस प्रकार की हैं, जिन पर माननीय मंत्री को मजबूत होकर कुछ निर्णय लेना पड़ेगा, ठोस निर्णय चाहे वह किसी के विपरीत जाता हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नगर विकास न्यास और म्युनीसिपैलिटी, नगरपालिकाओं के बारे में कुछ बातें दो मिनिट में निवेदन करना चाहूंगा। पहले तो मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा, कई नगर परिषद् के सम्बन्ध में जो विधेयक यहां स्वीकार हुआ है, वास्तव में उन्होंने ऐसा काम किया है, जिससे नगर परिषद् की मान्यता बढ़ी है, कोटा के नागरिकों का जीवन ठीक हुआ है, और जिस प्रकार काम चल रहा था उस काम में सुधार हुआ है। जो इन्डस्ट्री उस जगह हैं जिनके माल पर चुंगी ली जाती थी या एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी, या आक्ट्राय ली जाती थी उसमें वृद्धि हुई है और वहां की स्थिति ठीक हुई है, मजबूत हुई है। ऐसा लगता है कि यह ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया है, जो सराहनीय है। लेकिन आज इसमें भी दिक्कत पैदा हो गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न म्यूनीसिपैलिटी वर्सेज यू.आई.टी. का है। यह दोहरा प्रबन्ध है, इसको देखना पड़ेगा। कई झगड़े हैं, आपस में झगड़े हैं, कभी यू.आई.टी. म्यूनीसिपैलिटी पर डालती है तो कभी म्युनीसिपैलिटी यू.आई. टी. पर डालती है। इन दोनों में झगड़े के कारण नगर का विकास रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। यह कह सकते हैं कि आफिसर काम नहीं करते हैं। आफिसरों की धारणा बन जाती है, उनको बहाना मिल जाता है, मौका मिल जाता है और यू. आई. टी. की जिम्मेदारी म्यूनीसिपैलिटी पर डाल देते हैं और म्यूनीसिपैलिटी की जिम्मेदारी यू.आई. टी. पर डाल देते हैं। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, जब हम कहते हैं, यह हमारी स्वायत्त संस्थायें हैं, स्वायत्त शासन के अन्दर काम करने वाली संस्थायें हैं, इन स्वायत्त संस्थाओं को मजबूत करना चाहते हैं। जैसे आपने 73 के चुनाव कराने में विशेष दिलचस्पी दिखाई है उसी प्रकार दूसरी नगरपालिकाओं के चुनाव भी कराये जाने चाहिए ताकि जनता का उसमें विश्वास बढ़े और राज्य सरकार की गरिमा बढ़ सके। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा, इस ओर विशेष ध्यान दें।

(श्री ओंकारलाल चौहान)
इसी तरह से कोटा नगरपालिका के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान की रकम दी जाती है, वह बहुत कम है इसलिए आज विकास नहीं हो रहा है और निरन्तर हरिजन बस्तियों, हरिजन मोहल्लों में ऐसी गन्दगी रहती है कि उन जगहों पर रहने वाले लोगों का जीवन है, वह नारकीय कहना चाहिये। उसमें सुधार होना चाहिये। इसके लिए अधिक रकम, मैं कहना चाहूंगा, मंत्री महोदय आवंटित करेंगे, देंगे जिससे उनका विकास हो सके और वह इलाका ठीक हो सके और उनकी स्थिति मजबूत हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, यू. आई. टी. के सम्बन्ध में एक और निवेदन करना चाहूंगा। अभी यू. आई. टी. को हमने बिल्कुल शिथिल कर रखा है। मेरा निवेदन है कि नगर विकास न्यास इलेक्टेड बोर्ड होना चाहिये। आज उसका कलेक्टर चेयरमैन है, उस कलेक्टर साहब को इतनी फुर्सत कहां है कि वह सारा काम देख सके। जिले का जिलाधीश होता है, वह ओवर बर्डन होता है, हजारों काम उसके पास होते हैं, डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास होता है। उसको फुर्सत नहीं होती है, इसका काम देखने की ताकि ठीक प्रकार से उसका काम देख सके। अगर नान-आफिसियल चेयरमैन हो, तो मैं समझ सकता हूं, वह जनता की भावनाओं को देखते हुए सारा काम देख सकता है, (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) काम कर सकता है और विकास में जो तेजी आनी चाहिये, मैं समझता हूं वह तेजी आ सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, नगर विकास न्यास का गठन जल्दी से जल्दी करायें जिससे जनता में विश्वास फैले, जनता में विश्वास पैदा हो और हमारा जो लक्ष्य है, स्वायत्त शासन जो आधार है जीवन का, या शासन का, वह सक्षम बन सके, मजबूत बन सके और हम आगे प्रगति कर सकें। इन शब्दों के साथ जो मांगें रखी हैं उनसे...

श्री मीठालाल : असहमत हूं।

श्री ओंकारलाल चौहान : उनसे सहमत हूं। मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हो सकता क्योंकि उनके विचार और मेरे विचार में रात दिन का अन्तर है, हालांकि बोलते हैं कांग्रेस की बोली, मित्र हैं, हमें उनके विचारों से ऐतराज नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि भविष्य में ठीक तरह से राशि का सरकार उपयोग करे।

श्री मीठालाल : आज सुबह क्या कहा था बाहर। अब दूसरी बात कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : **श्री** किशन मोटवानी!

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, आज को दोनों मांगें हैं, सहकारिता और नगर विकास की, सहकारिता के माध्यम से, नगर विकास के माध्यम से हम नागरिक जीवन को, जन जीवन को सुविधा पहुंचा सकते है, जन जीवन को उन्नत कर सकते हैं। यही उद्देश्य लेकर सहकारिता का मूवमेंट चालू किया ताकि बापू का जो उद्देश्य था वह पूरा हो सके। सहकारिता के माध्यम से हम काटेज इन्डस्ट्री लगाना चाहते हैं, सहकारिता के माध्यम से हम कृषि का विकास करना चाहते हैं। इन स्वप्नों को

Page No 106

(106)

(श्री किशन मोटवानी)

पूरा करने के लिए सहकारिता का मूवमेंट हमने चालू किया। आज हमें मूल्यांकन करना चाहिए कि वाकई हम इन दोनों चीजों के माध्यम से उस उद्देश्य की पूर्ति कर पाये हैं या नहीं। इसका मूल्यांकन करना अत्यावश्यक है। मुझे थोड़ा इसमें एक्सपीरियेन्स हुआ। मेरी मान्यता है, यह मूवमेंट है, यह बहुत अच्छा है, उद्देश्य है और इससे हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर पायेंगे। इस नजरिये से अजमेर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के चुनाव हुए, उसमें हिस्सा लिया हमने सोचा कि हम इस एजेन्सी के माध्यम से बहुत से जन जीवन की मदद कर सकते हैं और लाभ दे सकते हैं। वहां चुने हुए प्रतिनिधि थे, जो पुराना बोर्ड था, वह पराजित हो गया, सिर्फ दो पुराने सदस्य चुन पाए, 7 नए सदस्य चुन गए और उनकी पहली बैठक 10–9–74 को नियत की गई और उस बैठक में दो कार्यक्रम थे चेयरमैन व वाइस चेयरमैन का चुनाव व अन्य कार्यक्रम। एक पराजित कैंडिडेट ट्रिब्यूनल में आया, उसने वहां से निषेध आज्ञा प्राप्त की निषेध आज्ञा थी कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव को रोक दिया जाता है न कि अन्य कार्यवाही रोक दी जाती है। जब चुने हुए प्रतिनिधि मिले, उन्होंने बैठक को आगे चलकर अवैध करार दे दिया गया। यह किन कारणों से अवैध करार दिया मगर आप ईमानदारी से इन मूवमेंट के माध्यम से जन जीवन को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो ऐसी कार्यवाही नहीं करनी चाहिए···

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य : चलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : तशरीफ रखें If there is objection, I must respond.

(गणपूर्ति सूचक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री किशन मोटवानी : मैं निवेदन कर रहा था कि निषेधाज्ञा को हमें स्पष्ट पढ़ना पड़ेगा, उससे हमें कोई अन्य माइने नहीं निकालनी पड़ेगी। उसमें यह नहीं था कि चुने हुए जो सदस्य हैं उनका चुनाव अवैध है वे कार्य नहीं कर सकते हैं। यह कतई उसमें नहीं था लेकिन जो पुराने बोर्ड के सदस्य थे और व्यवस्थापक था और अन्य कुछ लोग चाहते थे कि जो पुराने बोर्ड के जमाने में अनियमिततायें हुई और फिजूलखर्ची हुई उस पर पर्दा लगा रहे इसलिए उस व्यवस्थापक ने जो जनरल मैनेजर बैंक का था, गलत तार देकर उस मीटिंग को स्थगित कराना चाहा तो चुने हुए सदस्यों को अपने अधिकारों की जानकारी थी, उन्होंने तार वापस देकर स्पष्ट लिखा कि यह निषेधाज्ञा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव को रोकने की थी न कि अन्य कार्यवाही पर। इस तरीके से वह मीटिंग उन चुने हुए लोगों ने की। उसके बाद दूसरी मीटिंग भी की। उसके बाद राज्य सरकार ने कानून में संशोधन किया। मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी क्या परिस्थितियां थीं कि उस कानून में संशोधन किया जिसमें उन्होंने सिर्फ अजमेर सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक में कलेक्टर को नामीनेटेड सदस्य मानकर उसको चेयरमैन के पद पर बिठाया ?

श्री रामनारायण चौधरी (सहकारिता मंत्री) : कब तक ?

श्री किशन मोटवानी : यही तो कहता हूं कि निषेधाज्ञा को स्पष्ट पढ़ें। बोर्ड के गठन

(श्री किशन मोटवानी)

पर कोई निषेधाज्ञा नहीं है, वह सुचारु रूप से कार्य करके अपना प्रबंध चलाए, उसको खतम करने की नियत से कलक्टर को वहां बिठाया जो मैं समझता हूं कांस्टीट्यूशनली इल्लीगल है। आपने यह कार्य अच्छे स्वप्न को तोड़ने का प्रयास किया। मेरी मान्यता है कि आपके पास कोई जवाब नहीं है। आज कलेक्टर महोदय जो चेयरमैन के पद पर पदासीन हैं, उनकी क्या कार्यवाही है? जो चुने हुए सदस्य हैं उनको धीरे धीरे करके उनकी मैजोरिटी को खतम करने जा रहे हैं। 4 को तो नोटिस दे दिया कि आप सदस्य नहीं रह सकते जिसका कोई कारण उनके पास नहीं है। सोसाइटी जिस पर ऋण ड्यू है उसका जो सदस्य चुना गया है वह खतम नहीं हो सकता, यह कानून की मान्यता है। इस तरीके से आप इस सहकारिता के मूवमेंट को शिथिल कर रहे हैं, आप इस पर पुन: विचार करें, निषेधाज्ञा का पुन: अवलोकन करें और गलतियों को रेक्टीफाई करें। आज जो सारी परिस्थिति अजमेर की सी. सी. बी. में बनी है, उसका कारण यह है कि वहां के जो चेयरमैन और दूसरे सरकारी मनोनीत सदस्य हैं मैं नाम लूं तो बुरा नहीं होगा एक तो रणजीत सिंह है जो चेयरमैन के पद पर काम कर रहे हैं, दूसरा नवरतन सहायक रजिस्ट्रार, उत्तर, तीसरा हरीसिंह सहायक रजिस्ट्रार दक्षिण और चौथा है आर. एस. गोयल व्यवस्थापक। ये चारों अजमेर जिले के रहने वाले हैं। आज राजस्व मंत्री ने कहा even upto the cadre of gazetted officers वे उस जिले के हैं तो नहीं रह सकते। आज अगर आप कहेंगे कि कलक्टर मेरी परव्यू में, नहीं आता तो मैंने जो 2 से 4 नाम बताए वे तो आपकी परव्यू में हैं। आप क्यों नहीं हटाकर उनको बाहर भेजते हैं यह पोलिटिकली मोटीवेटेड और दूसरे तरीकों से पुरानी अनियमितताओं को दबाने का प्रयास है। आप जानते हैं कि वहां पुराने बोर्ड की अनियमिततायें साफ हो जायेंगी और लाखों रुपए का गबन का पैसा मिल जाएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब चुनाव हो रहा था तो सी.सी. बी. में तो आप पैट्रोल का व्यय देखें एक महीने का तो आपको स्पष्ट हो जायगा कि रिकवरी के नाम से कितना पैट्रोल पर व्यय हुआ है, और आपने क्या रिकवरी की? आपके पास समय समय पर एप्लीकेशन आई कि इस तरीके के पद का दुरुपयोग हो रहा है और पैसे का भी दुरुपयोग हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस बात से सहमत होंगे कि इस बात की एन्क्वारी करें कि इसमें मेरा जो कथन है वह सत्य हैं या नहीं।

इसके अलावा ट्रिब्यूनल का मसला है। ट्रिब्यूनल का एक्सटेन्शन सरकार दो दो सालों का करती है। वह एक ही जज क्यों है? इस ट्रिब्यूनल के यहां आपको निषेधाज्ञा मिल सकती है, आपको टैम्परेरी इन्जेक्शन मिल सकता है, उनको न तो परपीचूएल किया जा सकता है, न वेकेट किया जा सकता है न उसका कोई निर्णय हो सकता है न समाप्त हो सकती है। आप फाइलें देखें, हर फाइल में आप देखेंगे कि इन्टेरिम स्टे मिला हुआ है न तो स्टे परमानेन्ट किया जाता है ताकि जिसने रिलीफ मांगा है उनको रिलीफ मिले, न स्टे वेकेट होता है। वहां 3-4 वकील ऐसे हैं जिनके माध्यम से कोई भी निषेधाज्ञा ले

(श्री किशन मोटवानी)

सकता है। तो मंत्री महोदय विचार करें और इस किस्म का जज बैठायें जो निष्पक्ष हो, उनको निर्णय लिखाने के लिए वकील जाते हैं I can prove इस किस्म के ट्रिब्यूनल से हम क्या जनता की सेवा कर सकते हैं। इसके कार्यकाल बढ़ाने का सवाल है तो मूल्यांकन करें और क्या आधार है आपके पास उसका कार्यकाल बढ़ाने का, उस पर भी आप सीरियसली विचार करें।

उसके बाद नगर विकास की मांग पर बोलना चाहूंगा कि नगरीय विकास हम दो माध्यम से करते हैं एक म्यूनिसपल काऊंसिल और दूसरा यू.आई.टी.। सभी तो नहीं बल्कि अजमेर म्यूनिसिपल काऊंसिल की हालत यह है कि उसको आय का 85 प्रतिशत तो तनख्वाहों में देना पड़ता है। 15 परसेन्ट आपने रखा है सिर्फ नगर के सुधार नगर के विकास के लिये। अब आप नगरपालिका के माध्यम से उसकी आय का सिर्फ 15 प्रतिशत ही जनता के विकास कार्य के लिए खर्च करना चाहते हैं। आज हम जनता से आक्ट्राय लेते हैं, हाउस टैक्स लेते हैं लेकिन उसके बदले में जनता को कुछ नहीं देते। सिर्फ उस पैसे को हम कर्मचारियों और अधिकारियों की तनख्वाह में बांट देते हैं। यह आप फिजूल खर्च कर रहे हैं। क्योंकि इससे वहां का विकास पूरा नहीं हो सकता है। मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि आप चाहे कर्मचारियों को कम तनख्वाह दें लेकिन आप उसके लिये नगरपालिका को अनुदान दीजिये। उसको और किसी रास्ते धनराशि दीजिये ताकि नगरपालिका वहां का विकास कर सके। आज हम जनता को सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दे रहे हैं। आज अजमेर की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। जगह-जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। मैं जयपुर की बात नहीं करता उपाध्यक्ष महोदय लेकिन अजमेर की हालत आप जाकर देखिये। हो सकता है आपने जयपुर को और किसी माध्यम से साफ सुथरा और वहां की सड़कों का ठीक तरह से विकास किया है। लेकिन अजमेर शहर में और आस पास वहां सड़कों की हालत खराब है, यही हालत जोधपुर की सड़कों की है। अब वहां पर सड़कें नहीं रह गयी है बल्कि सड़कों के नाम पर गड्ढे रह गये हैं। आज पिछले 25 वर्षों से अजमेर शहर की सडक की हालतों में कोई सुधार नहीं हुआ है। वहां न लाइटों का प्रबन्ध है और न ही सड़क की व्यवस्था है। सड़कों पर गड्ढे हैं और गलियों में अन्धेरा है। वहां पर महीनों गुजर जाता है नगरपालिका की तरफ से लट्टू नहीं लगते हैं वहां पर कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। आप आज अजमेर की जनता से हाउस टैक्स लेते आक्ट्राय टैक्स लेते हैं लेकिन वहां पर कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं अजमेर की नगरपालिका का एडमिनिस्ट्रेटर वहां की कच्ची बस्ती में जो लोग रहते हैं वहां की झुग्गी झौंपड़ियों में भी लोग रहते थे उनसे हाउस टैक्स वसूल करने के नोटिसेज निकाले हैं। एरियर्स का नोटिस निकाला है उपाध्यक्ष महोदय जो टैक्स हमने पिछड़े वर्ग के लोगों के झुग्गी झौंपड़ियों में रहने वाले लोगों के आज से दो ढाई साल पहले माफ कर दिये थे उनके एरियर्स निकाले हैं। आज डी.एल.बी. को लिखा गया पर कोई जवाब नहीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको क्या हक था जब कि पहले की म्यूनिसपेलिटीज ने उन्हें माफ कर दिया तो आप उनसे किस बात का टैक्स ले रहे हैं।

(श्री किशन मोटवानी)

आज हम सुविधा के नाम पर जनता को कुछ नहीं देते हैं और उन लोगों से टैक्स मांगते हैं। आज उनके इलाके में पानी के नल नहीं, बिजली नहीं, स्कूल नहीं और किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं बड़े शर्म की बात है। तो मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस ओर जब अपना जवाब दें तो इस ओर क्या ठोस कदम उठाने जा रहे हैं अपना जवाब दें उपाध्यक्ष महोदय अब एक बात और निवेदन करना चाहूंगा वह यह है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम की कुछ धनराशि भारत सरकार ने राज्य सरकार को अनुदान, किन्हीं खास जगहों के लिये दी थी। इसमें मैं कोई शिकायत नहीं करता। लेकिन मैं यह चाहूंगा कि आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन धनराशि का किया है वह किस बेसिस पर किया है। उसका आपने क्या आधार बनाया था। उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने राजस्थान में तीन जगह अजमेर, जोधपुर और जयपुर में स्लम्स क्लियरेंस और पिछड़े वर्ग के विकास के लिये दिया था। लेकिन मुझे कहते हुए दुख होता है कि उस अनुदान का सबसे कम पैसा अजमेर में खर्च किया गया था। जोधपुर में भी कम खर्च हुआ तो आपने जयपुर में ज्यादा पैसा खर्च किया वह किस प्रणाली के आधार पर किया ? कोई आबादी का बेसिस आपने माना या शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब ज्यादा आबादी का बेस माना आखिर आपने क्या आधार बनाया था जिससे कि राज्य सरकार ने जो भारत सरकार ने अनुदान तीन जगहों के लिये दिया था वह तो आपको बराबर खर्च करना चाहिये था। आपने उसका सही रूप से डिस्ट्रिब्यूशन क्यों नहीं किया ? तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो प्रणाली अपनायी उसके अनुसार अजमेर को बहुत कम राशि मिली।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अब हमने ऐसा सुना है कि उसमें कुछ धनराशि बच गयी है और वह लेप्स होने जा रही है तो मैं चाहूंगा कि मानवीय दृष्टि-कोण अपनाते हुए राज्य सरकार एक अच्छी बात यह कर सकती है कि बची हुई राशि को अजमेर और जोधपुर में काम में ले। और वहां पर जो सेक्शन वर्क्स है उनको जल्दी पूरे करने के प्रयास किये जाय। बस मैं इतना ही निवेदन करते हुए मन्त्री महोदय से चाहूंगा कि जब अपना जवाब दें तो जो मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जवाब दें। बस धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतिराम !

श्री रतिराम यादव (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने जिस उद्देश्य को लेकर सहकारी समितियों की स्थापना की थी वह उद्देश्य हमारा धूमिल होता जा रहा है। इसके अनेक कारण हैं। बहुत थोड़े में, यह प्रयत्न करूंगा, ऐसे मामलों में प्रकाश डाल कर सहकारी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूं कि वे उन कारणों को जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करें जिससे हमारा सहकारी आन्दोलन, जिसको केवल इस लक्ष्य को लेकर शुरू किया था कि गांव अथवा शहर के अन्दर जो कमजोर वर्ग है, जो शोषित हैं, ऐसों की सामाजिक और आर्थिक अवस्था सुधरे और उनको जीवन यापन के तरीकों की ओर लाया जा सके।

(श्री रतिराम यादव)
ऐसे ही मुद्दे आपके माध्यम से यहां रख रहा हूं।

(3.5 म.प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पोठासोन)

सभापति महोदय, सबसे बड़ी गड़बड़ सहकारी आन्दोलन में ऐसे लोगों के द्वारा पैदा की गई है जो उन सोसायटीज के अन्दर घुसे बैठे हैं गुप्त रूप से। गांव के ऐसे सूद खोर लोग, जो केवल सोसायटीज से सस्ते ब्याज पर जो पैसा मिलता है कर्ज का वे लेते हैं, अशिक्षित और अनपढ़ लोग गांव में रहते हैं, उनके अंगूठे किसी रूप में लगवा लेते हैं, उदाहरण तो यहां तक मिलते हैं कि हाथ से ही नहीं पैरों के अंगूठे तक लगा लेते हैं स्वयम् और यहां तक कि सारी अंगुलियों के निशान लगवा लेते हैं और इस पर ये लोग सारे पैसे को हड़प जाते हैं और उन सदस्यों का पता ही नहीं लगता है कि हमारे नाम पर पैसा कोआपरेटिव बैंक से मिला है और वही पैसे उन्हीं लोगों को दुगुने, तिगुने ब्याज पर दे देते हैं और उन गरीब लोगों का वे लोग शोषण करते हैं। यही कारण है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज में घोटाले हैं और गबन हैं। अनियमिततायें मिलती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण भी वह ही सूदखोर लोग हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत इस तरह के नियम सख्ती के साथ बनाये जायं और उनको लागू किये जायं कि ऐसे सूद खोर लोग, अथवा जिनकी आमदनी बहुत अच्छी है, ऐसे लोग, कोआपरेटिव सोसाइटीज के सदस्य न हो सके जिससे कि कोआपरेटिव मूवमेन्ट को धक्का न पहुंच सके।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने यह आदेश दिये हुये हैं सब जगह सरकारी अधिकारियों को कि जो भी आवश्यक वस्तुओं का वितरण हो उनमें कोआपरेटिव सोसाइटीज को प्राथमिकता दी जाय। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि इसका उल्लंघन हो रहा है। जहां तहां हम देखते हैं, कितनी ही मिसालें दे सकता हूं, कोआपरेटिव सोसाइटी को किसी न किसी बहाने से यह नौकरशाही द्वारा उस पर किसी न किसी प्रकार के लांछन लगा कर उसको इस अवसर का लाभ उठाने से वंचित कर दिया जाता है और उसके मुकाबले उनके वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोगों को, प्राइवेट डीलर्स को आवश्यक वस्तुओं के वितरण का लाइसेन्स दे दिया जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि इस बात की जांच की जाय, तमाम प्रान्त में जिलेवार जांच की जाय, ऐसे कितने ही मामले हैं, कितनी सोसाइटीज के खिलाफ इस तरह के दोषारोपण उन अधिकारियों के द्वारा किये हुए हैं और उनकी क्या स्थिति है, किस स्टेज पर उनके मामले पेन्डिग में पड़े हुए हैं। मैं मानता हूं कि कुछ सोसाइटीज ऐसी हो सकती हैं और इस वजह से हो सकती है जैसा मैंने पहले कहा कि ऐसे लोग हैं जो उन सोसाइटीज में घुसे बैठे हैं, जिनकी वजह से यह होता है, मान लीजिये, गड़बड़ भी किसी सोसाइटी में है तो ऐसी सोसाइटीज के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये, केवल यह नहीं कि दोषी करार देकर पेन्डिग में डाल दें और सचमुच में जो दोष है और निजी स्वार्थ के रूप में दोषी घोषित किया गया है, उन दोनों को एक केटेगरी में रख कर वैसा कर दिया।

(श्री रतिराम यादव)

इसके अतिरिक्त, सभापति महोदय, मैं यह भी देखता हूं कि नौकरशाही का अनुचित हस्तक्षेप कोओपरेटिव मूवमेन्ट में हो रहा है। कोओपरेटिव सोसाइटी में सरकारी अधिकारियों को मनोनीत किया जाता है और यह अधिकार भी उनको दिया जाता है कि चुनाव में वोट दे सकें, लेकिन असल में यह दिखायी पड़ता है कि उस कोओपरेटिव सोसाइटी को अपने पक्ष पात का अड्डा बनाते हैं, उसमें राजनीति प्रवेश कराते हैं और राजनैतिक दबाव के कारण उन सोसाइटीज की स्थिति को खराब करते हैं; इसलिये सहकारी मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन सरकारी पदाधिकारियों, सरकारी अधिकारियों को कोओपरेटिव सोसाइटीज में वे चाहे मनोनीत रहें लेकिन उनको चुनाव के अन्दर मताधिकार से वंचित किया जाना चाहिये ताकि वास्तव में जो सोसाइटी के सदस्य हैं, गांव और शहर के गरीब लोग हैं, वे स्वतन्त्रता पूर्वक सोसाइटीज का चुनाव करवा सकें और राज्याधिकारियों के निहित स्वार्थों के अनुसार प्रभावित न हो सकें और उससे सोसाइटी का हानि न हो सके।

सभापति महोदय, किस प्रकार नौकरशाही राजनैतिक दबाव के कारण अथवा निजी स्वार्थ के कारण कोओपरेटिव सोसाइटीज में हस्तक्षेप करती है। अलवर जिले की एक सोसाइटी है जो गरीब लोगों की सोसाइटी है, बुनकरों की सोसाइटी है, जिसका नाम शोलादपुरा बुनकर गृह निर्माण समिति है। 23-3-75 को रजिस्टर हुई है। एक महोदय के नाम से रजिस्टर हुई है। दो सदस्य हैं जो दूसरे मोहल्ले के हैं, शामिल उसमें। उन्हीं के राजनैतिक दबाव के कारण वहां के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार श्री लेहरीसिंह खण्डेलवाल हैं उन्होंने दूसरी कोओपरेटिव सोसाइटी इस तरह की रजिस्टर की और· · ·

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, कोरम का अभाव मालूम पड़ता है।

श्री रतिराम यादव : कोली गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम से, एक जाति के नाम से रजिस्टर की। पहली जो कोओपरेटिव सोसाइटी थी उसने उसके लिये एतराज किया· · ·

श्री शंकरलाल : मैंने कोरम की बात कही थी।

(गणपूर्ति सूचक घण्टी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री सभापति : (कोरम पूरा होने पर) यस प्लीज।

श्री रतिराम यादव : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि दूसरी सोसाइटी रजिस्टर की गयी जिसके विरुद्ध पहली सोसाइटी ने लिखित में असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को एतराज किया कि इस तरह की सोसाइटी जो हमारे अधिकारों का अतिक्रमण करके शहर में रजिस्टर की गयी है यह कोओपरेटिव एक्ट के खिलाफ है और इसलिये इसको रजिस्टर नहीं किया जाना चाहिये और हमारे नियमों के अतिरिक्त कोई काम होता है तो हमें संशोधन करने के लिये मिटिंग बुलाने का अधिकार दिया जाय। उन्होंने मिटिंग बुलाने के लिये उनको लिख कर भी दिया कि फलां तारीख

(श्री रतिराम यादव)

को मिटिंग बुलाना चाहते हैं ग्राम सभा की और उप नियमों में संशोधन करके इस क्षेत्र को सारे शहर का क्षेत्र बना देना चाहते हैं लेकिन ए. आर. ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, ग्राम सभा नहीं बुलाने दी गयी, और इस प्रकार दूसरी सोसाइटी को रजिस्टर कर दिया गया। उसके बाद उस सोसाइटी ने वहां के जिलाधीश को लिख कर दिया, आज तक वह पेन्डिंग पड़ा हुआ है। उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया और इस प्रकार कोआपरेटिव मूवमेन्ट के अन्दर राजनीति को प्रवेश करवा कर निज स्वार्थ को प्रवेश करवा कर, मान लीजिये कि कोई झगड़ा भी उपस्थित होता है, तो स्पष्ट है एक्ट में कि उसको पंच फैसले से तय करना चाहिये, न कि अदालत में एक मेज से दूसरी मेज पर घुमाया जाय, इस प्रकार से कोआपरेटिव मूवमेन्ट को धक्का पहुंचाया गया है। वहां की स्थिति विस्फोटक है। असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार ने पैदा कर रखी है। सहकारी मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस सारे मामले की जांच करायें कि किसका इसमें दोष है। दोषी अधिकारी को सख्त से सख्त सजा दी जाय जिससे कोआपरेटिव सोसाइटी के आपसी झगड़े न हों।

मूवमेन्ट अच्छा है, जिसके प्रति सद्भावना होनी चाहिये, न केवल सहकारी समितियों के सदस्यों अपितु बाहरी जनता में अच्छी भावना होनी चाहिये, वह दूसरे रूप में परिणत न हो सके उसके लिये जल्दी से जल्दी इन्क्वायरी करें और जो भी उचित कार्यवाही हो वह की जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, एक बात और आपके माध्यम से मंत्रीजी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि हमने यह नियम बनाया हुआ है कि हम राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, किया जाना चाहिये, लेकिन राष्ट्रीयकरण करते समय हम प्राइवेट गाड़ियों को आल्टरनेटिव रूट दे रहे हैं। देखने में यह आया है कि जहां पर कोआपरेटिव ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज बनी हुई हैं वहां प्राइवेट बनी हुई सोसाइटी में कोई फर्क नहीं है। मोटर व्हीकल्स एक्ट में स्पष्ट निर्देश है कि कोआपरेटिव ट्रान्सपोर्ट सोसाइटी को प्रायोरिटी देना चाहिये। मैं एक स्पष्ट मिसाल देना चाहता हूं। अलवर जिले में एक आदर्श सोसाइटी है "अलवर मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स कोआपरेटिव सोसाइटी।" सन् 1956 में रजिस्टर हुई। मोटर मजदूरों ने मालिकों के शोषण से बचने के लिये 1956 में बनायी थी और संकट कालीन दिनों से गुजर कर यह सोसाइटी लाभ में चल रही है और उसके प्रति कोई आज तक डिपार्टमेन्ट को शिकायत नहीं है, और ऐसी बढ़िया सोसाइटी शायद राजस्थान में दूसरी हो। उस सोसाइटी ने कितनी ही बार कोआपरेटिव बैंक से लोन लेना चाहा लेकिन नहीं मिला। राजनैतिक कारणों के कारण उस सोसाइटी का इस प्रकार से दमन किया जाता रहा है और अभी राष्ट्रीयकरण हो रहा है, अलवर मथुरा रूट का राष्ट्रीयकरण हुआ, एक प्राईवेट गाड़ी जो खेड़ली रूट पर चल रही थी उसका राष्ट्रीयकरण किया, उसी को रूट दिया जा रहा है कोआपरेटिव सोसाइटी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। प्राइवेट सोसाइटी को और कोआपरेटिव सोसाइटी को एक स्तर पर रखा जा रहा है। इस

(श्री रतिराम यादव)

प्रकार का भेदभाव चलता रहा तो कोआपरेटिव मूवमेन्ट बरबाद हो जायगा और अच्छे लोग जो आने चाहिये वे रुक जायेंगे। इसलिये निवेदन करूंगा कि इस सोसाइटी के बारे में जो कुछ दमन और अन्याय हो रहा है उसकी निष्पक्ष जांच करवायेंगे और उस संस्था को कोआॅपरेटिव बैंक से लोन दिलवायेंगे जिससे वह आदर्श उपस्थित कर सके। राजस्थान की दूसरी कोआॅपरेटिव के सामने ···

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, समय बहुत कम है। अब मेरी पार्टी के दूसरे साथी भी बोलने वाले है। अतः मैं इतना ही बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री सभापति : श्री रणजीत सिंह।
(अनुपस्थित)

श्री शंकर लाल।

श्री शंकर लाल (पाली) : सभापति महोदय सहकारिता और नगर विकास की मांग पर मैंने भी कुछ मुद्दे उठाने के लिये कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। सहकारिता जिसका हमने नारा लगाया था कि सहकारिता समाजवाद की नींव है, सहकारिता समाजवाद की आधारशिला है और सहकारिता के आधार पर हम क्रान्ति लाकर समाज का जो पिछड़ा हुआ तबका है उसको ऊंचा उठाने में और जो उनकी अर्थ व्यवस्था है उसको तरक्की पर ले जाने में सक्रिय कदम उठायेंगे।

सभापति महोदय, जो हमें राजस्थान सहकारिता समिति का प्रगति विवरण, 1973 प्राप्त हुआ है उनके आंकड़ों को देखने से–आंकड़ों में प्रगति हुई है यह बात सही है कि सहकारी समितियों की संख्या बढ़ी है, सहकारी समितियों के सदस्यों की संख्या बढ़ी है, बैंकों में जमा पूंजी बढ़ी है, ऋण देने की क्षमता बढ़ी है, ओवर ड्यूज में कुछ प्रतिशत सुधार हुआ है। सब कुछ आंकड़े हैं सभापति महोदय लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा आज भी हम इस बात को नहीं कह सकते हैं जो आपने कहा कि राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन ने बहुमुखी प्रगति की है मैं उससे पूर्णतया सहमत नहीं हूं। सभापति महोदय कारण यह है कि हमें देखना यह है कि क्या सहकारिता के जरिये गांव के उस गरीब आदमी को महाजन के चंगुल से छुड़ा लिया? क्या आपने सहकारिता के जरिये जीवन की जो उपयोगी वस्तुयें हैं वे उपभोक्ता को उपलब्ध कराई है? क्या आपने सहकारिता के आधार पर उन ठेकेदारों को चाहे वे ठेकेदार पी. डब्लू. डी. के हों, चाहे इरीगेशन के ठेकेदार हो और चाहे किसी डिपार्टमेंट के उनकी ठेकेदारी प्रथा को चोट पहुंचा कर श्रमिकों को संगठित करके क्या उनके जीवन उपार्जन का कोई धन्धा खोलकर तरक्की की है? क्या फारेस्ट में, क्या दूसरी जगह श्रमिकों को संगठित करके सहकारिता को आगे बढ़ाया है? क्या सहकारिता के जरिये किसान की उपज को क्रय-विक्रय संघ के जरिये बेच कर उसमें सफलता प्राप्त की है? क्या आपने राजस्थान के अन्दर सहकारी शिक्षा का प्रसार करके सहकारिता को जन-आन्दोलन बनाने का कोई योगदान दिया है?

सभापति महोदय, जब हम इन मूलभूत

(श्री शंकरलाल)

बातों को देखते है, परखते हैं और मनन करते हैं तो हमें आंकड़ों से सन्तोष नहीं करना पड़ता है। सभापति महोदय, आज भी जब हम देखते हैं कि उस सहकारिता के जरिये कोई लोन प्राप्त कर लें पर जो बैंक हैं वे दूसरों को भी ऋण देते हैं जो सहकारिता के बैंक नहीं हैं ऋण तो वे भी देते हैं लेकिन प्रश्न यह है कि आपका जो ऋण है वह सहकारिता के आधार पर उन लोगों को दिया जाता है कि नहीं जिनको आवश्यकता है या नहीं?

आज गांवों में उद्योगों की बात कही है। जिस प्रकार उद्योगों में प्रगति की है वह सफल नहीं दिखाई देती है। आपने स्वयं ने इस बात को स्वीकार किया है कि 3290 सहकारी समितियां है और उनके सर्वेक्षण से पता चलता है केवल 800 सहकारी समितियां ऐसी है जो कार्यरत हैं, आप स्वयं स्वीकार करते हैं। वह औद्योगिक क्षेत्र जिनको डवलप करके श्रमिकों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सफल नहीं हुआ है। आज गांवों में काम करने वाले छोटे छोटे कुम्हार लोग हैं चाहे वह खाती हो या कोई दूसरा धन्धा करने वाला हो उनको क्या आपने सहकारी समिति बनाई है। क्या आपने उनमें इस प्रकार का कोई जन मानस तैयार किया है?

कृषि क्षेत्र में कुछ प्रगति की है और उसमें भी दूषित बातें आई हैं लेकिन आज कृषि क्षेत्र को छोड़कर केवल कृषि पर हम आधारित नहीं कर सकते है। जो बेरोजगार हैं और जो पापूलेशन शहरों की तरफ आती है उन पर क्या आपने कोई चैक किया है? आज जो छोटे छोटे धन्धे वाले हैं उनको सहकारी समिति बनाकर उनको आगे लाने की तरक्की की है? आज जो सी. सी. बैंक है केवल कृषि के लिये लोन देते है, इन उद्योगों के लिये ऋण नहीं देते है। बड़े बड़े शहरों में इन्डस्ट्रियल ऐरिया आते हैं और इन्डस्ट्रियल सैक्टर में कोआपरेटिव बैंक होता है वहां उद्योगों को पैसा मिलता होगा लेकिन आपको यह सर्वेक्षण करना होगा। जो सहकारिता के बैंक हैं उनकी क्षमता केवल कृषि क्षेत्र में ही नहीं बल्कि गांवों के दूसरे क्षेत्र में जो बेरोजगार है क्या आपने उनकी सहकारी समिति बनाकर उनको आगे कैसे बढ़ाना इस बात को सोचा है? उनकी हिस्सा पूंजी भी उनको नहीं मिलती है। सरकार उनके लिये कोई कार्य करती तो हम समझते समाजवाद की तरफ बढ़े हैं।

सभापति महोदय, मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कृषि क्षेत्र में आज जो शिकायतें आती है मैं उनका वर्णन नहीं करना चाहता हूं फिर भी जो मौजूदा प्रणाली है और मौजूदा प्रणाली के जरिये जो ओवर ड्यूज की बात करते हैं जिस प्रकार आपको बैंक थोड़े दिनों के लिये पैसा जमा करके केवल कागजों में एन्ट्री दिखा देते है, ऋण का रिकवरी नहीं होती है चाहे भूमि बन्धक बैंक हो और चाहे सी. सी. बैंक हो उनकी हालत खराब है।

सभापति महोदय, मुझे पाली जिले का अनुभव है वहां पर भूमि विकास बैंक के जरिये जो विकास करना चाहते हैं वह अगर अच्छी तरह क्षमता नहीं रखता है तो हमारी योजनायें ठप्प हो जाती है। आज जैतारण में ठप्प हो गई है क्योंकि बैंक काम नहीं कर रहा है। आज बैंकों को सक्षम बनाने के लिये आपको देखना होगा। केवल

(श्री शंकर लाल)

आपकी जो प्रायोरीटीज है उनके ऊपर ध्यान देने से काम नहीं चलेगा। सभापति महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम इसका जो चैक है वह डिपार्टमेंट के जरिये करना चाहते है, वह कभी सम्भव नहीं होगा। सहकारी क्षेत्र में जो कार्यकर्ता हैं उनको जिस प्रकार अन्य सोशलिस्ट कन्ट्रीज में जो कम्यून्स हैं जिसे हम यहां संघ कहते हैं जैसे जिला विकास सहकारी संघ, राजस्थान सहकारिता संघ लेकिन उनकी एक्टीविटीज बिल्कुल खतम कर दी गई है। आज उन संघों में काम करने वाले कार्यकर्ता अपने आपको नहीं खपायेंगे और विश्वास रखने वाले जो प्राणी हैं, वे नहीं रहेंगे तो केवल आपका इन्सपेक्सन करने से जैसा डी. आइ.जी. थाने का इन्सपेक्शन कर लें, यह सहकारिता का आधार नहीं है। फाल्ट फाईन्डिग करने से काम नहीं चलेगा। आज सहकारिता के लिये भावना पैदा करके आगे बढ़ना होगा इसलिये मैंने सहकारी शिक्षा का जो प्रस्ताव रखा है, मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय अपना गत वर्षों का अनुभव बतायें कितना सहकारी शिक्षा का प्रावधान करते थे आज यह कहा गया कि आडिटर और इन्सपेक्टर की शिक्षा होती है जहां पहले सहकारी समितियों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार कानून की जानकारी हो ये सारी बातें नहीं बतायेंगे तब तक काम नहीं चलने वाला है। आपका यह कानून किताबों में जो इस कानून को आपके बड़े बड़े अधिकारी और दूसरे लोग नहीं समझ सकते तो गांव वाले किस प्रकार समझ सकते हैं? गांव वालों से जो आप सहकारिता का आन्दोलन चलाना चाहते हैं तो उनको बिना इस प्रकार की शिक्षा दिये हुये क्या आप आशा कर सकते है कि इस आन्दोलन को चला सकेंगे? इसलिये मैं कहना चाहता हू सहकारिता के अन्दर इस सहकारी शिक्षा को जोड़ें और गांवों की सोसायटीज को और दूसरे काम करने वाले जो लोग हैं उनको शिक्षा दें। आखिर गांवों तक इसे पहुंचायेंगे नहीं कि सहकारी शिक्षा का मूलभूत सिद्धान्त क्या है और उनमें किस प्रकार काम करना पड़ता है।

वरना आज वह केवल समझते हैं कि सहकारिता में मेम्बर हो जायें और पैसे ले लें और फिर उस पैसे को चाहे अदा करें या नहीं करें लेकिन हमें पैसे लेने हैं तो सहकारी समिति बना लें। यह जो पैसा लेने वाली सहकारी समितियों का उद्देश्य है उसको जन मानस से हटाना पड़ेगा और बिना सहकारी शिक्षा के आप उसको नहीं हटा सकते। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सहकारी शिक्षा के अलावा जो अभी चुनाव हो रहे हैं, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा भी है और वास्तव में चुनाव की प्रणाली है वह बहुत दूषित है। जब हम गांवों के अन्दर इस बात के आधार को मानकर चले हैं कि सहकारी समिति, स्कूलें और पंचायतें जो यह तीन इन्स्टीट्यूसन्स हैं और यदि इन तीनों इन्स्टीट्यूशन्स को आप अच्छा इन्स्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं तो उनके चुनावों का तरीका भी आपको अच्छा बनाना पड़ेगा। आज वास्तव में चुनावों में गड़बड़ियां होती है। जो सरकारी अधिकारी है, मैं सब को दोषी नहीं ठहराता कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं कि जिनसे मेरा पाला पड़ा है और वह सहकारिता में विश्वास भी रखते हैं, जानते भी हैं लेकिन ऐसे आदमी इनेगिने हैं।

(श्री शंकरलाल)

ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो क्षेत्रों के अन्दर ग्रुपबाजी में, पार्टीबाजी में पड जाते हैं और वह चुनावों में भी वैसा ही काम करते हैं और अमूमन शिकायतें आती हैं। सहकारी समितियों में जब चुनाव ठीक नहीं हुए, जब सहकारी समितियों का गठन ही ठीक नहीं होगा तो सहकारी समिति आपकी किस प्रकार से चलेगी ? इसलिए चुनावों के लिए वास्तव में जो सुझाव दिये गये हैं, जैसे इलेक्शन डिपार्टमेन्ट से चुनाव कराये जाते हैं उसी प्रकार से

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

चुनाव कराये जायें जिससे लोगों में सहकारी समितियों के लिए आस्था हो और सहकारी संस्थाओं को आगे आकर पनपा सकें।

सभापति महोदय, मैंने मेरे क्षेत्र की बात रखी। जो हाउसिंग सोसाइटीज को ऋण देते हैं, मुझे ऐसा अनुभव है कि पता नहीं वह किस क्रोसीजर से ऋण देते हैं कि पाली जिले के अन्दर और मेरे क्षेत्र के अन्दर जितनी सहकारी समितियां बनी हैं उसमें से केवल एक सहकारी समिति को ऋण स्वीकृत हुआ और वह भी ऋण स्वीकृत हुये तीन साल हो गए लेकिन अभी तक पहली इन्सटालमेन्ट ही नहीं मिली। माननीय मंत्री महोदय जानना चाहते हैं तो वह बतायें वह पाली तहसील का गांव साकूनी है। वहां पर शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की हाउसिंग सोसाइटी बनी और ऋण अभी तक नहीं मिला और कई जगह जैसे गिरी की रायपुर तहसील में एक इन्सटालमेन्ट मिल गया और दूसरे इन्सटालमेन्ट के लिए आब्जेक्शन लगा दिया। वह आब्जेक्शन पूरा होकर आ गया तो तीसरा आब्जेक्शन्स आ गया। यह रैड टेपिज्म है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे आब्जेक्शन्स आपको एक साथ लगाने पड़ेंगे। इस प्रकार से पांच पांच दफा चक्कर लगाने से सहकारिता के प्रति और राज्य के प्रति लोगों के दिमाग में आस्था कम हो जाती है। यह आब्जेक्शन करने वाले लोग हैं उनसे आप कहें कि एक साथ आब्जेक्शन कर लें। एक दफा एक आब्जेक्शन, दूसरी दफा दूसरा और इस प्रकार चक्कर लगाने से लोगों को दिक्कत होती है और आस्था भी कम होती है। आपकी हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी जिनको ऋण दिया जाता है वह समय पर नहीं दिया जाता है और जो ऋण देने की प्रणाली है वह वास्तव में बहुत ही दूषित प्रणाली है।

सभापति महोदय, बहुत सी बातें यहां पर कही गयीं कि 6 साल का पीरियड सरकार ने किया था वह ठीक था और 6 साल के बाद आदमी को सहकारिता में काम नहीं करने देना चाहिए। मेरी जो धारणा है सभापति महोदय, वह इससे बिलकुल विपरीत है। आज सहकारिता के क्षेत्र में जिन लोगों ने अपनी जिन्दगी खपाई है और जिन लोगों ने आस्था से और सेवा भाव से आगे बढ़कर काम किया है तो क्या 6–7 साल के बाद जब आदमी अपने अनुभव से ईमानदारी से काम करता है तो फिर 6 साल के समय की पाबन्दी नहीं लग सकती। एक आदमी जुल्म करने वाला और गबन करने वाला है उसे आप चाहे एक साल के बाद निकाल दें लेकिन एक ईमानदारी से काम करने वाला है उसके

(श्री शंकरलाल)

लिए आप कैसे अवधि की सीमा लगा सकते हैं। अगर आप अवधि लगाना चाहते हैं यह सहकारिता के सिद्धान्तों के विपरीत है। वह माननीय सदस्य यहां नहीं है जो कह रहे थे। विधान सभा के लिए तो तीन बार चुनकर आ सकते हैं तो फिर सहकारिता में क्यों नहीं वह काम कर सकते ? यदि खराब आदमी को आप नहीं रखना चाहते हैं तो उस आदमी के खिलाफ आप एक्शन लें लेकिन टाइम लगने से वह आदमी अच्छा तो नहीं हो सकेगा। वह तभी अच्छा होगा जब कि आप ठीक तरह से चलायेंगे।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं दो मिनट में ही समाप्त कर देता हूं, सभापति महोदय।

सभापति महोदय, मैंने नगर विकास के संबंध में अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है। उससे मेरा तात्पर्य यह है कि आज नगरों के अन्दर योजनाबद्ध विकास का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। मैं अपने क्षेत्र पाली नगर पर ही आता हूं। पाली नगर आज इतना विकसित हो रहा है कि वहां पर करीब 150 फेक्ट्रीज लग चुकी हैं। वहां ड्रेनेज की समस्या है, वहां सौ नहीं बल्कि हजारों आदमी ऐसे हैं जो कि राजकीय भूमि पर अनधिकृत कब्जे करके बैठे हैं और इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि वास्तव में जिनके पास मकान नहीं हैं, जो गरीब हैं लेकिन आज उनको नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। आपका नया कानून बना है अर्बन प्लाट के अलाटमेन्ट के, अभी जो आपने बनाया है उसके अन्दर ऐसे आदमी जिन्होंने शहरों में मकान बना लिये हैं, जिनको स्वीकृति नहीं है लेकिन वह ऐसे लोग हैं कि गरीब होने से आपने उनके रेगुलेराइजेशन का कोई कानून नहीं बनाया है। अगर वह नहीं बनता है तो लोग और आगे बढ़ते जायेंगे। इसलिए आप कानून बनाइये। दूसरे लोगों को आगे बढ़ने से रोकिये और जिस प्रकार से आप मास्टर प्लान बनाने की बात करते हैं, हमारे यहां मुख्य मंत्री जी आये थे और उन्होंने मास्टर प्लान की बात कही थी मैं पूछना चाहूंगा कि पाली के मास्टर प्लान के बारे में आपने क्या प्रगति की है ? आज जब तक हम योजनाबद्ध तरीके से शहरों के विकास की योजना नहीं बनाते तब तक हमारी समस्यायें दिनों दिन बढ़ती रहेंगी – चाहे यू. आई. टी. हो या नहीं हो उनसे हल निकलने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, मैं कह देता हूं कि जिस प्रकार से सहकारिता के अन्दर कहा कि नॉन-ऑफिशियल्स काम करने वाले आस्था के लोग होंगे उसी प्रकार से स्वायत्त संस्थाओं में हों। आज आपका कलेक्टर चाहे यू. आई. टी. का चेयरमैन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो ठीक से लोग जिस आस्था से काम करने वाले कार्यकर्ता काम करते हैं, उनकी कई ड्यूटीज होती हैं और वह इतना समय नहीं दे पाते हैं। आज दिन भर काम करने वाला आदमी म्युनिसिपैलिटी में घन्टे दो घन्टे बैठे तो काम नहीं हो सकता। अगर आपको यू. आई. टी. को रिव्यू करना है और उनका पुनर्गठन करना है तो जो उनके हैड हैं, जो उनके चेयरमैन हैं वहां पर ऐसे नॉन-ऑफिशियल्स को बैठाना पड़ेगा जो कि स्वायत्त शासन संस्थाओं में काम करने का सेवा भाव रखते हों, लगन

(श्री शंकरलाल)

रहते हों और काम कर सकते हों वरना मंत्री महोदय केवल अधिकारियों को लगाने से यह संस्थायें नहीं पनप सकती हैं। इसलिए मैं सभापति महोदय, यह नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों के अन्दर बहुत ही गम्भीरता से बात सोचने की है और जो शोभाराम कमेटी की रिपोर्ट की बात कही जाती है हमने पढ़ा है कि अन्तरिम रिपोर्ट आ चुकी है। तो उसके ऊपर आपने क्या कार्यवाही की है और वह रिपोर्ट कब तक आ जायेगी ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्री विजय सिंह !

(अनुपस्थित)

श्री किशोरी लाल शर्मा।

श्री किशोरीलाल शर्मा (सलुम्बर) : माननीय सभापत्ति महोदय, मैंने सहकारिता पर कटौती प्रस्ताव रखा है जिस पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। सहकारिता का अभियान शुरू किया उसके पीछे हमारे नेताओं की और देश को बहुत बड़ी सम्भावनायें रही हैं। मैं यह मानता हूं कि पंचायती राज्य की जब स्थापना हुई उसका जो खास मुख्य अंग है वह पंचायत, सहकारिता और शिक्षा है जिसको कि हम लक्ष्मी, सरस्वती और काली के नाम से कहते हैं तो हमारी बहुत कमियां हैं जिसका कि आज हम इस पर विचार कर रहे हैं, यों मैंने सहकारिता के बारे में जो आंकड़े देखे हैं, उन आंकड़ों के रूप में तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ तरक्की की है, लेकिन आज जिस भावना को लेकर सहकारिता का निर्माण हुआ था और जो उद्देश्य इसके लिये रखे गये थे कि सहकारिता को पनपाकर देश में खुशहाली लायेंगे, उस भावना के निर्माण में यदि हम गहराई से विचार करें तो मैं समझता हूं कि हम गतिशील नहीं होकर जहां के तहां हैं, कोई प्रगति नहीं कर पाये हैं। गांवों में आज हम देखें तो पायेंगे कि वे दोषित अधिकारी और लोग बैठे हुए हैं, वे ही शासक वर्ग हैं उनमें कोई फर्क आज भी नहीं है। मैं मानकर चलता हूं कि हमारे विभाग ने कुछ लोगों को कुछ कर्मचारियों को वहां बैठा रखा है जो एक ग्राम सेवक के केडर के लोग हैं। वह सिर्फ लोन फार्म भरने का और कर्जा दिलाने का काम करते रहते हैं। लेकिन वे जब लोन फार्म भरते हैं जबकि किसान खेती कर चुकता है, बुआई का समय निकल जाता है, फसल काटने का समय आ जाता है तो वह लोन फार्म पर दस्तखत करवाते हैं और फिर उनको नगद के रूप में दिया जाता है तो वह लेकर सीधा महाजन को चुका आता है, उसके पास जमा करा देता है, उसका कोई सही उपयोग जो होना चाहिये और जिस प्रयोजन के लिये वह लोन दिया जाता है उसका उपयोग नहीं होता है और वह कर्जा चुकाने के लिये उसको काम में लेता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि केवल कर्जा दे दिये जाने से और वह भी टाइम पर नहीं दिये जाने से कोई तरक्की नहीं हो सकती और न ही गरीब किसानों को समय पर कोई राहत मिल पाती है। इसलिये इन सारी बातों पर गम्भीरता से विचार करना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आज देश में सहकारिता को हमारी अर्थ व्यवस्था का मूल आधार माना गया है। यह हमारी

(श्री किशोरीलाल शर्मा)

तरक्की का प्रतीक है। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे और कुछ छोटे-मोटे कर्मचारियों के भरोसे पर यह और लोगों के भरोसे इसको छोड़ दें तो मैं यह मान कर चलता हूं कि हमारे देश को जिसकी काफी तरक्की करनी है और हम जो गरीब किसानों को और शोषित लोगों को राहत पहुंचाना चाहते हैं, इस लक्ष्य में हमको सफलता नहीं मिल सकेगी।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो हम किसानों को सहकारिता के माध्यम से, इस गरीब तबके को, इन असहाय लोगों को, इन शोषित वर्ग को राहत पहुंचाना चाहते हैं तो केवल कर्जा ही बांट देने से और लोन देने मात्र से ही इसको पर्याप्त नहीं मान लेना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि समाज के अन्दर गरीब और अनपढ़ लोग, कम पढ़े-लिखे लोग हैं, जिनके पास न कोई काम है, न उनके पास कोई धन्धा है, वे खाली बैठे रहते हैं न उनके पास कोई उद्योग ही है जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें उनको हम सहकारिता के माध्यम से काफी काम दे सकते हैं। अगर हम गहराई से देखें तो जैसा कि माननीय सदस्य श्री शंकर-लालजी ने कहा था कि आज राज्य में कृषि के ठेकेदारों का और और लोगों का जाल सा बिछा हुआ है वे लोग गरीबों का और मजदूरों का शोषण करते हैं और उनको पनपने नहीं देते हैं। चाहे पी. डब्लू. डी. हो, चाहे इर्रीगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे किसी भवन का निर्माण करना हो, वे सब जगहों पर पहले की तरह से ही छाये हुए हैं। ये लोग कई तरह की गड़बड़ियां पैदा कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं इसी कारण से आज सहकारिता में कई प्रकार की कमियां देखने में आती है, कई प्रकार की खामियां नजर आती हैं। इसलिए हमको देखना है कि जो गरीब वर्ग है जिन लोगों का शोषण किया जाता है जिन आदमियों के द्वारा शोषण होता उनके स्थान पर हमको देखना होगा कि सरकार उनके हितों का खयाल रखें, उनको पूरा-पूरा काम मिले और वे अपने पैरों पर खड़े होकर आत्म-निर्भर बन सकें और जो छाये हुए लोग हैं जिनकी ठेकेदारी है उस ठेकेदारी प्रथा को हमको निर्मूल करना है। नहीं तो मैं समझता हूं कि सहकारिता को हम सही मायनों में आगे नहीं बढ़ा सकते। अब मैं जंगलों के मामलों में, वहां जो वन श्रमिक सहकारी समितियां हैं, किन्तु वहां पर व्यापार मण्डल कायम हो चुके हैं, उन का बोलबाला है और व्यापार मण्डल के द्वारा जंगल के जंगल बरबाद किये जा रहे हैं। आज वहां पर जो आदिवासियों का जीवन यापन का एक मात्र सहारा है, जिसको उन्होंने चोपट कर दिया है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन जंगलों में रहने वाले आदिवासियों की सहकारी समितियां बनाई जायं, उन लोगों को कर्जा दिलाया जाय और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारते हुए जो वहां पर व्यापार मण्डल हैं उसको निर्मूल किया जाय वे बेचारे जंगलों में ही रहते हैं और उनके पास कोई भी दूसरा जीविका का साधन नहीं है, इसलिए उनको पनपाने की और कोशिश करनी चाहिए। इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पी.डब्लू.डी. और इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट में भी, पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी बनाई जावे

(श्री किशोरीलाल शर्मा)

ताकि सहकारिता में जो भ्रष्टाचार की बात है वह निर्मूल हो सके। एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जयसमुद्र झील की मछलियों का ठेका दिया जा रहा है वह कई वर्षों से कपूर साहब को ही दिया जा रहा है। कपूर साहब कई वर्षों से बैठे हैं, जो लाखों रुपया कमा रहे है, वहां पर आदिवासी लोग बहुत गरीब हैं, बहुत भोले लोग हैं सारी रात और दिन कड़ी मेहनत करते हैं, सर्दी और गरमी में मेहनत करते हैं उनको कुछ नहीं मिलता और ठेकेदारी कपूर साहब की बराबर चलती जा रही है। वे लाखों रुपये बनाते जा रहे हैं, वहां पर कपूर साहब को बैठा रखा है और बेचारे भील लोग जो हैं उनको पूरा पैसा नहीं मिलता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भील लोगों की सोसायटी बनाकर उनको ठेका दिया जाय और टेक्निकल लोग जो प्रशिक्षित हैं उनको वहां रखा जाय ताकि उस तालाब से जो एक अकेला व्यक्ति लाभ उठा रहा है, उसकी अपेक्षा गरीबों को भी कुछ राहत मिल सके। इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज गांवों में जो हम लोगों को सहकारिता के माध्यम से लाभ पहुंचाना चाहते हैं और सहकारिता के जरिये गांवों की तरक्की करना चाहते हैं, परन्तु आपके जो सहायक इन्स्पेक्टर वगैरह हैं वे भी उन्हीं का काम करते हैं जहां उनको अच्छा खाना मिलता है, उनकी अच्छी सेवा होती है और जहां उनकी अच्छी व्यवस्था हो पाती है और जो लोग उनका मान करते हैं। मैं इसको कोई स्वस्थ परंपरा नहीं मानता हूं इसको हमको बदलना चाहिए। आज हम यह देखते हैं कि सोसायटी के फायदे के बहाने से वे लोगों को धोखा देते हैं, इससे समाज को भारी धक्का लगता है, भ्रष्टाचारी लोग सोसायटियों में घुसे पड़े हैं और वे ही नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इसलिए सोसायटी में अच्छे और ईमानदार आदमियों का चयन करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इंतखाब के लिए शुद्ध तरीके से चुनाव प्रणाली को तैयार करना पड़ेगा ताकि अच्छे लोगों को उसमें लाया जा सके और सहकारिता को पनपाया जा सके। सहकारिता के पीछे जो देश की भावना है कि गरीब तबके को राहत पहुंचाने की, जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल असहाय हैं और जिनके पास कोई काम नहीं है उनको काम मिल सके, इसको ध्यान में रखना है तो हमको सहकारिता के आन्दोलन को एक सही दिशा की तरफ चलाना पड़ेगा और इसी प्रकार की भावना के साथ यदि हमको आन्दोलन चलाना है तो मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हम अभी हमारे लक्ष्य में सफल नहीं हुए हैं यह हम अच्छी तरह से जानते हैं और यह हमारा अनुभव रहा है कि पंचायती राज में हम कितना आगे बढ़ पाये है, इसमें सफलता प्राप्त कितनी कर पाये हैं उसी प्रकार से सहकारिता में हम कितने सफल हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि पंचायती राज को हम सफल बनाना चाहते हैं तो हमको सहकारिता को भी मजबूत करना पड़ेगा और शोषण को समाप्त करना पड़ेगा। यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामप्रसाद बोहरा !

श्री मीठालाल : सभापति महोदय, क्या आप इस तरह से हमको बोलने का मौका··

श्री सभापति : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस क्रम में लेना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को समय दिया है उसी अनुपात में अपोजीशन वालों को भी समय दिया गया है। अब आप पहले बोलना चाहते हो, यह कैसे संभव है।

श्री मीठालाल : सभापति महोदय, हमने कटौती प्रस्ताव दिये हैं।....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आपको यह तो नहीं कहा गया कि आपको समय नहीं मिलेगा, आप चाहें तभी समय दिया जाय यह नहीं हो सकता।

श्री मीठालाल : सभापति महोदय उनको पहले क्यों मिल गया और हमको क्यों नहीं ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री रामप्रसाद बोहरा।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : माननीय सभापति जी, मेरे भी सहकारिता और नगर विकास के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि विकास बैंकों के जरिये करोड़ों रुपया माइनर इर्रीगेशन के लिये और भूमि सुधार के लिये बांटा जाना है। आज कल किसानों को कुओं के लिये बिजली आदि उपलब्ध कराने के लिये भी एक अभियान चलाया जा रहा है, परन्तु इस धन को बांटने में और किसानों को लोन देने में बहुत देरी की जा रही है इसका एक कारण यह है कि भूमि विकास बैंक का ऋण देने का लक्ष्य करोड़ 80 लाख का है जिसमें से केवल अभी 15–16 लाख रुपये ही एडवान्स कर पाये हैं उसका एक कारण झालावाड़ भूमि विकास बैंक की क्रेडिट लिमिट स्वीकृत नहीं होना बताया जाता है। मैं निवेदन करूंगा मन्त्री महोदय से कि गर्मियों के दिन हैं, कुए खोदने के लिये और कहीं बेचारे किसान फसलों से महरूम नहीं रह जायं इसलिए उसको क्रेडिट लिमिट शीघ्र मन्जूर की जानी चाहिए। ताकि उनको आसानी से ऋण प्राप्त होने की व्यवस्था हो सके एक तो आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा यह कि झालावाड़ में लगभग 215 सहकारी सभायें हैं उनमें से अधिकांश की हालत कई सहकारी सभाओं की बड़ी दयनीय हालत है। उनके अन्दर घोटाले हैं, गबन हैं और आडिट रिपोर्ट के अनुसार गत वर्ष 65 सहकारी सभाओं में आडिट रिपोर्ट ने ऐसा गबन और घोटाला बताया है। और उनकी जांच की जा रही है परन्तु मैं निवेदन करूंगा कि आज तक भी उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। कितने ही आदमी, सचिव और दूसरे कर्मचारी वगैरा इन घोटालों में हैं और कितने ही अध्यक्ष, मेम्बर और मंत्री द्वारा घोटाले हुए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सहकारी सभाओं की हालत यह रही तो आगे क्या होगा ? यह मूवमेंट कहां जाएगा ? लाखों रुपयों का गबन है इस कारण जून का महीना आया, अपना पैसा इकट्ठा किया और उन काश्तकारों के नाम पर जिनको यह भी पता नहीं है कि हमारे खाते में कितना लोन है, कितना देना है कितना लेना है, उनको दस साल से पता नहीं है और वह रुपया खुद जमा करा देते हैं और खुद ही वापस बरामद करते हैं। इसलिए केवल एडजस्टमेंट के लिए पच्चीस प्रतिशत सहकारी समितियों के अन्दर इनका पन्द्रह साल से

(श्री राम प्रसाद मोहरा)

पैसा बकाया है। यह कागजों में वापिस जमा हो जाता है और वास्तव में उन काश्तकारों को जिनके नाम पर यह कर्जा है उनको कोई फायदा नहीं होता है और जिस काम के लिए आपने यह पैसा रखा है उस काम का काश्तकारों को कोई फायदा नहीं होता, वे इस सुविधा से महरूम रहते हैं। इस तरह से रकम बाकी रहती है तो इससे काश्तकारों को जो सुविधा प्राप्त होनी चाहिए वह नहीं हो पाती।

इसी प्रकार अभी-अभी करीब दो महीने में, दो सहकारी समितियां सालोतिया और गरनावद में साठ साठ हजार का गबन पाया लेकिन उनकी जांच नहीं हो पा रही है। जो लोग वास्तव में कर्जा लेना चाहते हैं, कर्जा जमा कराना चाहते हैं, उनका न तो कर्जा जमा होता है और न ऋण प्राप्त होता है और कुछ ही आदमियों ने कब्जा कर रखा है। अब मैं निवेदन करूंगा कि सहकारी सभाओं के चुनाव पद्धति के बारे में कई माननीय सदस्यों ने निवेदन किया है परन्तु मैं भी कहता हूं कि एक अलग एजेंसी के द्वारा चुनाव होने चाहिए। आज तो उन्हीं के द्वारा चुनाव होते हैं जो राज्य के सहकारिता कर्मचारी हैं और वे लोग उन्हीं उन्हीं लोगों को पन्द्रह साल से बिठाते आ रहे हैं। उनको महन्त की तरह से एक जगह पर बिठा रखा है। वे लोग जगह छोड़ना भी नहीं चाहते हैं इसलिए कि जो उनके घपले हैं, गबन हैं वे सामने आ सकते हैं और उन पर केस चल सकते हैं। मेरा निवेदन करना है इस बारे में आपको व्यवस्था करनी चाहिए और सहकारी कमीशन बिठा कर इनकी जांच करायें यह मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी को निवेदन करूंगा। कमीशन बना कर इनकी जांच की जाय और उन लोगों को राहत पहुंचा कर सहकारिता का मेम्बर बनना चाहिए जो वास्तव में इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं।

अब मैं थोड़ा नगरपालिकाओं के बारे में निवेदन करूंगा। झालावाड़ नगरपालिका की आर्थिक हालत बड़ी दयनीय है। न वहां प्रकाश मिलता है, न पानी की सही व्यवस्था है और वहां पर आज कल प्रशासक महोदय हैं उनका कतई ध्यान नहीं है क्योंकि नगरपालिका की आर्थिक स्थिति खराब है। वहां पर जो कचरा है, मैला इकट्ठा होता है, दयनीय प्रकार की हालत है। जिस स्थान पर नगरपालिका है, जिले का सदर मुकाम होते हुए भी वहां की सड़कों की दुर्दशा है। मेरा निवेदन है कि उनको अनुदान भी बहुत कम दिया जाता है और अनुदान भी इस नाते नहीं मिलता कि हाऊसटैक्स वहां की नगरपालिका नहीं लगा रही है वहां की जनता की भावना को देखते हुए। तो ऐसी स्थिति में उनको काफी अनुदान दिया जाना चाहिए और एक नाला वहां के अनुसूचित जाति के मोहल्ले में है। वहां ऐसा नाला है कि जहां पर इतना पानी आता है कि हर साल मकानों में पानी भर जाता है और हर वक्त पानी भरा रहता है जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं, गन्दगी फैलती है, रास्ता बन्द हो जाता है। उस नाले के लिए एस्टीमेट बना कर प्रशासक महोदय ने भिजवाये हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए निवेदन है कि झालावाड़ के लिए यह करने की चीज है। वैसे तो शहर की हालत अच्छी है, शहरों में काफी रुपया आप लोग देते हैं परन्तु एक वह छोटा सा कस्बा झालावाड़ जो जिले का सदरमुकाम है, निवेदन है कि वहां की हालत

(श्री राम प्रसाद बोहरा)

सुधारने के लिए अनुदान की रकम बढ़ाई जाना चाहिए।

दूसरा इसके विपरीत मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो अधिकारी लोगों कि हालत है, इस वक्त जो हालत चल रही है कि एक कागज मेरे पास है और जनवरी महीने में झालरापाटन नगरपालिका के पास एक लाख रुपया जमा है और उस एक लाख रुपये के विकास के कार्यों के लिए वहां के उच्च पदाधिकारियों को बराबर प्रशासक महोदय ने लिखा है। सड़कें खराब हैं, सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं बड़ी खराब हालत है और विकास कार्यों का एस्टीमेट पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा बना कर भेजा है लेकिन आज तक मार्च का महीना खत्म होने वाला है परन्तु उसकी मंजूरी नहीं दी गई है। यह पैसा लेप्स हो जाता है और वह हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। 74-75 का बजट लेप्स हो जाएगा और आगे अनुदान मिल नहीं सकेगा क्योंकि इसका रुपया खर्च नहीं कर सकेंगे। तो मेरा खास कर मंत्री महोदय से निवेदन करना है कि कम से कम उन अधिकारियों को कहिये। जब हम अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं, अगर आप हमें नहीं देना चाहते हैं तो मत दो लेकिन हमारे पैसे का उपयोग तो करने दीजिए। इसी प्रकार से चुंगी की दरों में बढ़ोतरी की गई झालरापाटन और झालावाड़ में। अधिकारी लोग या तो काम नहीं करेंगे और अगर करेंगे तो उल्टा करेंगे। चार-चार महीने से व्यापारी लोग परेशान हैं, आज तक शुद्धि-पत्र जारी नहीं हुआ है। जनवरी माह से प्रशासक महोदय लिख रहे हैं। चुंगी लगाई तो किस तरह से कि मशीन पर भी क्विन्टल के हिसाब से और दूसरी चीजों पर भी क्विन्टल के हिसाब से। इस तरह से लोगों को परेशान करने की कोशिश की गई है। चार-चार गुना फरक है जिससे इस प्रकार भ्रष्टाचार होता है। इसी प्रकार लोहे का, दीगर सामान का है जिसके बारे में शुद्धि-पत्र जारी होना था लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है और न ही यहां पर कोई कार्यवाही की है ऐसा मुझे मालूम हुआ है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का अगर अधिकारियों का तरीका रहा, इस प्रकार असहयोग रहेगा यह म्युनिसिपैलिटी अपना पैसा खर्च करना चाहती है वह भी उपयोग नहीं कर सकेगी। आप पैसा दें या न दें कम से कम जो म्युनिसिपैलिटीज इस किस्म की हैं जो पैसा खर्च करना चाहती हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी उनको आज्ञा दी जाय।

इसी प्रकार से दशहरा झालरापाटन में होता है जिसे नगरपालिका भराती आ रही है। यह एक धार्मिक त्योहार है और राष्ट्रीय त्योहार है। यह नमूना अधिकारियों का देखिए कि यह घोषणा लिख कर भेज दी कि आयन्दा से दशहरे का पर्व नहीं मनाया जाएगा। यह देखिए, जनता की भावना है, एक राष्ट्रीय पर्व है जिसके लिए लोकल बोडीज ने ऐसे आदेश कर दिए कि दशहरा भरवाने का हम रुपया मंजूर नहीं करेंगे, इसके लिए हम मंजूरी नहीं देंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह जनता की भावना का प्रश्न है, हमेशा से दशहरा जो भरता आ रहा है, राष्ट्रीय पर्व है कोई व्यक्ति विशेष का किसी का काम नहीं है उसके लिए भी इस तरह का आदेश जारी होना

(श्री राम प्रसाद बोहरा)

कहां तक उचित है। मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह से अगर इन लोगों का असहयोग रहेगा तो मैं समझता हूं कि सहकारी मूवमेंट, नगरपालिकाओं के जो विकास के कार्य हैं किसी सूरत में नहीं हो सकेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पर कोई भी जो वहां का कर्मचारी कागज लेकर आता है पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक लोकल बोडीज में चक्कर लगाता रहता है। हम लोगों का भी इस प्रकार का अनुभव है। भालावाड़ को चुंगी का मामला सामने आया था उसमें अमेंडमेंट करना था, मंत्री महोदय उसके लिए एक महीने तक चक्कर लगाना पड़ा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो यह हालत है यहां की। मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप इस मामले में मजबूत नहीं होंगे तो यह काम नहीं हो सकेंगे इतना ही कह कर मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

(अनुपस्थित)

श्री झाबरमल सूंडा।

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : माननीय सभापति महोदय, जिस सहकारिता आन्दोलन के विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं वास्तव में, सभापति महोदय, यह आन्दोलन पसमादा लोगों के लिए है और जो बैकवर्ड और दूसरे लोग जो गरीब हैं वे दिक्कत में फंसे हुए हैं। उनके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए एक बड़ा उपयोगी रास्ता है यह सभापति महोदय, हमें इस नतीजे पर पहुंचना पड़ रहा है कि जिस मकसद के लिए हमने सहकारिता आन्दोलन को शुरू किया था उसमें सफलीभूत नहीं हो रहे हैं। वह आन्दोलन आखिर जा करके अव्यवस्था के कारण से, भ्रष्टाचार के दलदल में फंस रहा है। शुरू से लेकर आखिर तक बनावट से लेकर कर्जा वापसी तक जितने भी कार्य हैं सब डिफेक्टिव हैं। शुरू-शुरू में जो बनावट होती है सहकारी समितियों की उस वक्त हमें बहुत ध्यान से आगे कदम रखना चाहिए। जिस श्रेणी के लिए इस सहकारी आन्दोलन को हम चलाना चाहते हैं, इसके काम में उस श्रेणी के पदाधिकारी सहकारी समिति में आने चाहिए। असल में यह सहकारिता गरीबों को अपलिफ्ट करने का माध्यम है। हमारा नजरिया ठीक हो, समाजवादी दृष्टिकोण को हम इस्तेमाल करें। इस दृष्टि से इसमें काम करें तो यह समाज के अपलिफ्ट का साधन होगा। यह गरीबों को प्रोग्रेस का साधन बन सकता है। गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का साधन बन सकता है लेकिन अगर नजरिया हमारा गैर-समाजवादी हो या पूंजीवादी ढंग का हो तो हम इसके जरिए फायदा नहीं उठा सकते। सभापति महोदय, सहकारी आन्दोलन की तुलना मैं अक्सर शरीर के अन्दर की वायु से करता हूं। वायु जिस प्रकार गर्मी के साथ मिल कर गर्म वायु हो जाती है, सर्दी के अन्दर मिलकर सर्द वायु बन जाती है उस तरह से हमारा यह सहकारी आन्दोलन है। अगर हमारी नुक्ते निगाह समाजवाद की तरफ है तो गरीबों का इससे उत्थान होगा, उन्नति होगी, अगर हमारी नुक्ते निगाह पूंजीवादी व्यवस्था की है, तो यह सहकारी

(श्री मोहरसिंह)
आन्दोलन वहीं तक रह जायेगा और यह गरीबों के लिए लाभप्रद नहीं होगा।

वास्तव में, सभापति महोदय, हमें इसकी बनावट के ऊपर दृष्टि डालनी होगी। अगर बनावट सही ढंग की नहीं होगी तो यह सहकारी आन्दोलन सफलीभूत नहीं होगा। इस सहकारी आन्दोलन से मेरा पिछले दो वर्षों से वास्ता पड़ा है। इन सहकारी समितियों को मैंने देखा है। पिछले साल ग्राम सहकारी समिति द्वारा कर्जा देने की बात आयी। पहले इसकी बनावट की ओर ध्यान दिया जाए। कुछ लोग इन सहकारी समितियों पर कुण्डली मार कर बैठे हैं। वर्षों निकल गये, वे इन समितियों पर बैठे हुए हैं। एक पंचायत में 400.500 घर होते हैं। पचास, साठ घरों में दो-दो तीन-तीन मेम्बर इसके सदस्य हैं और इस तरह एक छोटी सी जे.बी. सहकारी समिति बना रखी है। मेरा निवेदन है कि इस आन्दोलन को विस्तृत बनाया जाना चाहिए। अगर वास्तव में आपको गरीबों की जिन्दगी में सुधार लाना है, उनको आगे बढ़ाना है तो इस आन्दोलन की बनावट की ओर आपको ध्यान देना होगा। थोड़े दिन पहले चूरू में ए. आर. महोदय मिले थे। उन्होंने बताया कि वे सहकारी समिति के चुनाव करा रहे हैं। सही ढंग से चुनाव हों उसके पहले इसकी बनावट को आप ठीक करो, यह मैंने कहा। वे कहने लगे मोहरसिंहजी अब यह मौका नहीं है। अगर चुनाव सही कराने हैं तो बनावट ठीक करनी होगी वरना आपके चुनाव सही नहीं होंगे और आपकी सहकारी समिति और आपका सहकारी आन्दोलन सफल नहीं होगा। आप शासन वितरण करना चाहते हैं इनके जरिये इसके लिए चाहे एक-दो महीना लग जाए एक अभियान के तौर पर इसकी मेम्बरशिप के लिए आप घर-घर जायें। पंचायत के अन्दर को-आपरेटिव सोसाइटी के उसूल को समझायें। इस आन्दोलन को घर-घर में फैलावें। सिद्धान्त के अन्दर यह कितना सुन्दर सहकारी आन्दोलन है तो लोगों के दिलों के अन्दर इस सुन्दर सहकारी आन्दोलन को फैलावें तो यह सुन्दर साबित होगा। घर-घर जाकर मेम्बरशिप भरती की जाए, लोगों को समझाया जाये तो सहकारिता की आवाज फैलेगी मेम्बरशिप भी सही होगी और इसकी बनावट भी आप सही ढंग से कर पायेंगे और फिर चुनाव भी सही होंगे। चुनाव का क्या तरीका हो। पंचायतों के जिस तरह से चुनाव होते हैं, चुनाव के लिए अलग से ऑफिसर हैं, उनके अन्दर में इसके चुनाव होने चाहिए। अगर चुनाव आफिसर अलग नहीं होगा, कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट अपने अन्दर में चुनाव करायेगा तो सहकारी समितियों के चुनाव में आपका विभाग पक्षपात करेगा। जो साधन-सम्पन्न आदमी हैं, वे पहले ही कुण्डली मार कर बैठे हैं और फिर बैठे रहेंगे। ए.आर. कहने लगे मेरे पास चुनाव का आर्डर है इसलिए जल्दी ही चुनाव करवाऊंगा। इसलिए मेरा कहना है कि बनावट ठीक नहीं है इसलिए यह आन्दोलन सफल नहीं होगा। इसके सफल नहीं होने का दूसरा कारण इसका गलत फंक्शनिंग है। हमारा एक मकसद है जिसको लेकर हम चल रहे हैं लेकिन पहली बात तो यह है कि इसकी बनावट डिफेक्टिव है। यह एक छोटी-सी जेबी संस्था हो गई है। जहां तक इसके चुनाव का सवाल है चुनाव

(श्री मोहरसिंह)

सही ढंग से नहीं होते हैं। जहां तक पैसा वितरण का सवाल है, पैसा भी टाइम पर वितरित नहीं होता है। खाद और बीज के वितरण का सवाल है वह भी सही ढंग से समय पर वितरित नहीं होता है। जब सदस्य किसान आकर कहते हैं उनको खाद, बीज के लिए पैसे की जरूरत है, उनको महीने, दो महीने तक पैसा नहीं मिलता है और वह वक्त निकल जाता है। जरूरत के बाद उनको पैसा मिलता है। जो पैसा, कर्जा दिया जाता है उसका सही ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं होता है। पैसा लिया जाता है हाउसिंग के लिए और खर्च किया जाता है शादी, ब्याह में। पैसा होता है खाद, बीज के लिए और खर्च होता है शादी, विवाह में। आज जो पैसा, कर्जा इन सहकारी समितियों के माध्यम से दिया जा रहा है उनका ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। उस पर ध्यान दिया जाना चाहिये। पहली बात है बनावट कैसी है? साथ ही इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेसी का इन्टरफियरेन्स इसमें कम से कम हो। इसको सफल बनाने के लिए हमको यह देखना होगा इसका फंक्शनिंग कैसा हो रहा है। इसके लिए चैकिंग सख्ती से हो। पैसा जिस काम के लिए दिया गया हो, उसी काम में लाया जाये, सही ढंग से उसका इस्तेमाल हो। गलत ढंग से मिसयूज हो रहा है तो उसको चैक करना होगा। इसके बाद मैं सभापति महोदय, पैसे की, कर्जे की वसूली होती है, वह समय पर नहीं हो पाती है। उस समय होती है जब किसान के पास पैसा नहीं होता है, उसका अनाज बिक जाता है, बाजार में चला जाता है। वसूली उस समय होती है जब उसके पास पैसा नहीं होता है। इस तरह किसान कैसे फ्लोरिश होगा? यह सारा अभियान डिफेक्टिव ढंग से चल रहा है इसलिए हमारा सहकारी आन्दोलन सफल नहीं हो पाता है।

सभापति महोदय, शहरों के अन्दर हाऊसिंग को आपरेटिव सोसाइटीज हैं, उपभोक्ता भंडार हैं। जयपुर के अन्दर मुझे बताया गया है सभापति महोदय, दो संस्थाएं हैं। इन दोनों का काम कितने गलत तरीके से हो रहा है। जयपुर के सहकारी उपभोक्ता भंडार में करीब पच्चीस हजार शेयर होल्डर्स हैं। तीन, चार लाख की शेयर मनी है लेकिन यह किस तरह से चल रहा है इसको मिनिस्टर महोदय भी जानते हैं। मैं इसके सारे कन्टेन्ट्स बताऊं तो इस समय यह मौजूद नहीं होगा समय की कीमत को देखते हुए। उपभोक्ता भंडार जयपुर का गलत तरीके से चल रहा है। इसी प्रकार से यूनियन कोआपरेटिव बैंक हैं आपका चौड़े रास्ते में बरसों से एक ही आदमी इस पर कब्जा कर के बैठा है। यहां तक भी सुना है कि इसमें काम करने वाली स[...]यों को परेशान किया जाता है ऐसी ऐसी संस्थाओं को आपने बनाकर छोड़ दिया है जिन पर आपका किसी प्रकार का चैकिंग नहीं है। कोई आडिट रिपोर्ट पर ध्यान नहीं देता है। कोई कार्यवाही नहीं होती है। यह हमारा आखिरकार सुन्दर संकल्प है, यह एक हमारा सुन्दर नक्शा है, यह किस प्रकार सफल होगा? सभापति महोदय मैं समझ रहा हूं कि इस प्रकार से हर कदम-कदम पर हमारी कोशिश होनी चाहिए, देश की मनी का यूटिलाइजेशन ठीक हो, पांच रुपये से पच्चीस का काम हो, बीज से अधिक

(श्री मोहरसिंह)

पैदावार हो, किस तरह से देश को फ्लोरिश करें, आन्दोलन को सही ढंग से चलावें, तो यह सफल होगा। इसकी वसूली का तरीका ठीक नहीं है। इसमें चेन्ज होना चाहिए। इसकी चैकिंग होनी चाहिए। एक सुझाव दूंगा, माननीय सदस्यों की तीन, या पांच की एक कमेटी बनाई जाये जो इस आन्दोलन की कार्यपद्धति, बनावट आदि की चैक करें, इसमें सुझाव दें कि कहां-कहां क्या गड़बड़ी है। हमें इस आन्दोलन को सफल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कटिबद्ध होना पड़ेगा। ज्यादातर सोसाइटीज में भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है, गबन हो रहा है। इससे कोआपरेटिव आन्दोलन कैसे आगे बढ़ेगा। कदम कदम पर इसकी चैकिंग होनी चाहिए। सभापति महोदय, सहकारी आन्दोलन पर छोटे रूप से इतना ही कह कर एक और मुद्दा है नगर विकास का— चंद शब्द इस पर भी कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, नाम बढ़िया है नगर विकास। विकास हो। विकास के लिए हमारी जिन्दगी है। आगे बढ़ना है। शहरों का विकास हो, गांवों का विकास हो, नगर के विकास का प्रश्न है। इस विकास के नाम पर, जयपुर शहर के अन्दर एक बात यह देखने में आ रही है, नगर को सुन्दरता के नाम पर, शहर को खुशनुमा बनाने के लिए गरीब आदमियों की जयपुर शहर में बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं जयपुर के अन्दर कच्ची बस्तियां बढ़ रही हैं। सदन में, सभापति महोदय, इस प्रकार की बातें आई। यहां पर यह भी बड़े ढंग से बताया गया है और इस चीज को बड़े विस्तार से बताया गया है कि किस तरह से यहां जयपुर की कच्ची बस्तियों का सत्यानाश किया जा रहा है। एक चीज को खुशनुमा बनाने के लिए दूसरे की शकल को बिगाड़ा जा रहा है। एक चीज में गुलछर्रे उड़ाये जा रहे हैं तो दूसरे को दो हाथ जगह रहने को नहीं है। यही समाजवाद की तरफ बढ़ने का रास्ता है? समाजवाद की तरफ बढ़ने का यह रास्ता नहीं है। समाजवाद में गरीबों को दबाना और अमीरों को और ऊपर उठाना, ऊपर उठे हुए हैं उनको हर चीज में तरजीह मिले और गरीबों को दबाया जाय, और भी जमींदोज किया जाय, यह समाजवाद का रास्ता नहीं है। सभापति महोदय, इस तरह से कच्ची बस्तियों का नजारा सामने आया है।

यहां पर बरकतुल्ला साहब जो कि पुराने मुख्य मंत्री थे उन्होंने घोषणा की थी, और उन्होंने यह बताया था यहां पर 21-8-71 को कि जो ऐसी बस्तियां हैं चाहे पूरी नहीं बन पाई हैं उनको रेग्युलेराइज कर दिया जायगा। इस प्रकार की तब के मुख्य मंत्री का घोषणा थी, और उसके बाद में हुआ क्या? उसके बाद आज चलते-चलते 15-2-75 तक की लिस्ट बन चुकी है। उसके अन्दर भी हम देखते हैं कि उन लोगों को बिखेरने की कोशिश की जा रही है। 23-2-73 को सूरजनगर में राष्ट्रपति वी. वी. गिरी द्वारा पट्टे दिये गये और बस्तियों का बसाना दर्ज किया गया। आज कहते हैं कि पट्टे गलती से दिये गये हैं। 163 पट्टे दिये गये थे। उसके बाद 113 हुए और वह भी नहीं दिये गये। इस प्रकार से जो बस्तियां हैं उनको बिखेरा जा रहा है शहर को खुशनुमा बनाने के नाम से। माननीय मुख्य मंत्री के एलान को चैलेन्ज किया जाता है अदालत

(श्री मोहरसिंह)

में और अदालत में यह कहा जाता है कि यह जो घोषणा है कागज का एक टुकड़ा है। उसके पीछे कोई नियमावली नहीं बनी है। मुख्य मंत्री की घोषणा को स्थिति यह बनी कि यू. आई. टी. उसको चैलेन्ज करे। यह बड़ी हास्यास्पद बात है।

सभापति महोदय, इस तरह से आज उन बस्तियों को जाकर देखें जिनमें लाखों आदमी रहते हैं। कौन-सा इस बात का हक हमारे पास है कि उनको बिखेर दिया जाय और फुटपाथ पर डाल दिया जाए, और वहां पर अच्छे मकान बनाने की शुरूआत करें और उनके लिए कोई किसी प्रकार का प्रबन्ध न हो? जब तक उनके मकान नहीं बन जाते, उनको जगह एलाट नहीं कर दी जाय, पक्के पुख्ता उनको नहीं दे दिये जायं और अच्छी तरह से नामान्तरकरण नहीं कराया जाय, उनको बिखेरना का कौन-सा हक दिया गया है? पूंजीवादी कानून में ऐसा हक हो सकता है, लेकिन समाजवाद में कानून ऐसा नहीं है कि गरीबों को दबाया जाय और जो साधन-सम्पन्न हैं, जो वहां पर वेस्टेड इन्ट्रेस्ट वाले हैं उनको और भी ज्यादा फ्लोरिश करें (समय—समाप्ति—सूचक घंटी) : सभापति महोदय, अच्छी तरह से आप जाकर देखिये जयपुर के अन्दर तो आपको मालूम होगा और पता लगाने से अच्छी तरह से पता लगेगा। एक बस्ती है, उसमें 24 नवम्बर 74 को मकान तोड़े गये हैं। अल्पसंख्यकों के 61 परिवार थे। उन हरिजनों को तुरन्त बसाने की योजना बनाना चाहिए थी। इस प्रकार की योजना कुछ नहीं बनाई। यू. आई. टी. लोगों से जो लोग मिलने गये पत्रकार वगैरहा उनको भी पीटा गया। एक लड़की यन्दरकौर थी उसकी पसली की हड्डी टूट गई। इस प्रकार के अत्याचार आज बढ़ रहे हैं। अभी भी वह अफसर यहां है और शायद कुछ आफिसर हैं, लेकिन दिल के अन्दर दर्द पैदा करके उनको महसूस करना चाहिए। गरीब के लिए क्या करने जा रहे हैं। क्या यही हमारे समाजवाद का नक्शा था? क्या यही नक्शा देना चाहते हैं समाजवाद का कि गरीबों को बाहर निकालो और उनकी झोपड़ियों को बुलडोजर से गिरा दो, शहर को खुशनुमा बनाने के नाम पर उनकी जिन्दगी को बेहाल कर दो? यह समाजवाद का नजरिया नहीं है। इस तरह से जयपुर के अन्दर कच्ची बस्तियों के लोगों के साथ हो रहा है। उनके मकान तुड़वाने से पहले उनको बराबर की भूमि कहीं पर दी जानी चाहिए, और सब तरह से वह आधार दिया जाना चाहिए तब जाकर उनको हटाया जाय। उनके मकानों को इस तरह से नहीं तोड़ा जाय। यह वास्तव में हमारे सोचने की चीज है, विचारने की चीज है।

सभापति महोदय, इस तरह से नगर विकास न्यास और सहकारिता है इनको समाजवाद में गरीबों के लिए इस्तेमाल करना है। आज जो मजे में हैं उनको ज्यादा मजे देने के लिए समाजवाद नहीं। समाजवाद छोटे और गरीब लोगों को उठाने के लिए है। हर तरह से जो परेशान हैं उनकी जिन्दगी को खुशहाल बनाया जाय। खुशहाल हैं यह तो हैं ही, लेकिन गरीबों को ऊंचा उठाने की नियत से हमारा हर कदम होना चाहिए। सहकारिता भी उसी चीज के लिए है और नगर विकास न्यास में भी यही नजरिया हमारे सामने रखना

(श्री सज्जनसिंह)

चाहिए। यही शब्द जो दो कटौती प्रस्ताव मैंने रखे हैं उनके लिए अर्ज करना जरूरी समझा है।

श्री सभापति : श्री श्रीनिवास शारदा।

श्री मीठालाल : सभापति महोदय...

श्री सभापति : श्रीनिवास शारदा।

श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या..

श्री मीठालाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था का विरोध प्रकट करने के लिए बहिर्गमन करता हूं।

(श्री मीठालाल द्वारा बहिर्गमन)

श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, मेरा जो कट मोशन है उसके सुझाव के रूप में निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी के बाद हमारे देश की अवस्था कुछ इस प्रकार की थी कि इस पिछड़े हुए मुल्क को किस प्रकार से आगे लाया जाय, और कौन-सा ऐसा रास्ता अख्तियार किया जाय कि जिसके जरिये से हम मुल्क में डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकें और दरिद्रनारायण की कुछ सेवा कर सकें, कुछ उसके अपलिफ्ट का सोच सकें। तत्कालीन स्वर्गीय प्रधान मन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सहकारिता का दर्शन दिया और कहा कि इसी को एक माध्यम मुल्क को आगे ले जाने के लिए बनाया जाय। बात दरअसल यह है कि आज की तारीख में इतने साल गुजर जाने के बाद भी हम अगर मूल्यांकन करें कि दरअसल हमारी डेमोक्रेसी के लिए या गरीबी को दूर करने के लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट ने किस सीमा तक अपना रोल अदा किया? यह दरअसल में जितने भी विचारक हैं, जितने भी विद्वान हैं, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनके सभी के सोचने और समझने की बात है। जहां तक मैं सोच पाया हूं अन्य राज्यों के मुकाबले में हमारा प्रदेश इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में समझता हूं अब भी काफी पीछे है। हम कुछ बढ़े हैं। सहकारिता के आधार पर हमने बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज लगाने के लिए सोचा है और शुरुआत की, लेकिन उनकी तादाद में जहां प्राईवेट सेक्टर जितना फ्लोरिश हो रहा है उसके मुकाबले में हमें पब्लिक सेक्टर में या कोऑपरेटिव सेक्टर में जो उपलब्धि होनी चाहिए थी या जितनी अपेक्षा है वह नहीं हो पाई है। इस सबकी पृष्ठभूमि यह है कि दरअसल आज तक इस मूवमेंट को चलाने की जिम्मेदारी कुल मिलाकर सरकारी मशीनरी और सरकारी अधिकारियों पर रहती है, और यही एकमात्र कारण है कि जो आन्दोलन एक जन आन्दोलन की शक्ल में होना चाहिये था वह उससे महरूम रहा। अभी तक जो सहकारी आन्दोलन का स्वरूप दिग्दर्शन में आता है वह केवलमात्र इतना ही है कि सहकारी संस्थाओं में लोग या तो पदाधिकारी बनने के लिए प्रवेश करते हैं, या वेस्टेड इन्ट्रेस्ट को सेफगार्ड करने के दृष्टिकोण से प्रवेश लेते हैं, या कर्जा लेने के उद्देश्य से उसमें प्रवेश लेते हैं, या बहुत से लोग बोहरगत यानि मनी-लेंडिंग जिसको कहते हैं उसको स्कीम बनाकर उसमें प्रवेश करते हैं। कुल मिलाकर तात्पर्य यह रहा कि हम इसका दोष किस पर डालें? यह मूवमेंट सुदृढ़ नहीं हो पाया। दरअसल हमारे सोचने और

(श्री श्रीनिवास शारदा)

समझने का एगल बदल गया। विभाग इसलिए कायम हुआ कि वह जाकर सहकारी समितियों का आडिट करले, कुछ लेन-देन करने वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन कर दे, लाइसेन्स दे दे, सहकारी समितियों को रजिस्टर्ड कर दे या ऊपर से थोड़ा बहुत दबाव हो तो उसके आधार पर काम करे।

सही बात यह है कि मंशा में जितनी ईमानदारी और सचाई होनी चाहिये वह नहीं है। इसका एक कारण यह भी रहा है सभापति महोदय, दरअसल यह विभाग परीक्षण का विभाग रहा है। इस विभाग में जितने भी विभागीय अधिकारी रहे हैं, वह परीक्षण के लिए रहे हैं। दो-चार महीने काम किया। कहीं ताल-मेल नहीं बैठा तो अन्य विभाग में विदा लेकर चले गये। इस विभाग की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है कि विभाग में काम करने वालों की जो स्टेबिलिटी रहनी चाहिये, वह नहीं रही है। यह बहुत बड़ी कमी रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सहकारिता मन्त्री महोदय से कि आप सारे राजस्थान से सेलेक्शन करा दीजिए कि कौन अधिकारी इसकी जिम्मेदारी वहन करने के लिए तैयार है और वर्षों तक महरबानी करके आप उसको छुयें नहीं। उनको काम करने दीजिए। उनका इम्पलीमेंटेशन सही दिशा में होता है या नहीं। मैं दरअसल में आशावादी हूं, निराशावादी नहीं हूं। जो को-ऑपरेटिव सोसाइटीज की दिशा में गड़बड़ी घोटाले की बात करते हैं, मैं मानता हूं कि गड़बड़ है, घोटाले हैं। लेकिन कोऑपरेटिव के लाइम लाइट में आ जाते हैं। लेकिन जो और कन्सर्न हैं, वहां कितनी गड़बड़ियां करते हैं, कितने घोटाले करते हैं, वह जनता के समक्ष नहीं आते हैं। गड़बड़-घोटाले करते हैं तो सोचने और समझने की बात यह है कि ऐसा करने वालों को प्रश्रय दिया जाता है या नहीं? मैंने समय-समय पर ऐसा अनुभव किया है कि गड़बड़-घोटाले या ओवरड्यू की रकम के मामले में अगर कहीं लोगों ने दिलचस्पी ली है तो रास्ते में हर्ड्ल्स आ गये हैं। कानूनी संरक्षण के कारण स्टे आ गया। स्टे नहीं आया तो विभिन्न और तरीकों से हुआ है। इसका फैसला 3,4,5 साल तक नहीं हुआ। इसका परिणाम यह होता है कि इस प्रकार का दुरुपयोग करने वाले, गबन करने वाले आदमी को कई सुनहरे मौके मिल जाते हैं। उसके पास जितने असेट्स हैं, उनकी शक्ल वह बदल देते हैं। कुल मिलाकर इस तथ्य को लेकर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके डिपार्टमेन्ट का जो आडिटर है तो थोड़ा आप अपने आडिटर महोदय को ऊंचा देखने की कोशिश कीजिए। किस प्रकार का आडिट मैंटेन करना है। जो पहले ही गरीब हैं, सोसाइटी वाले पहले ही अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन अकारण ही आडिट आब्जेक्शन रेज कर देंगे। एक तो यह सोचिए कि आडिट भी किस प्रकार से सुधारें उनको आडिट थोड़ा शिक्षण के तरीके का हो। जितनी कोऑपरेटिव हैं, कहीं कोई मन्त्री है, कोई अध्यक्ष है। और जो पिछड़े इलाकों में काम करते हैं। वहां व्यवस्थापक भी काम करते हैं। उनकी जो गड़बड़ियां होती हैं, वह व्यवस्थापक के जरिये से होती हैं या उनकी लापरवाही से हैं। आपकी आडिट रिपोर्ट्स भी आती हैं। वर्षों तक पड़ी रहने के बाद में उनके बारे में चिन्तन करते हैं। उनको फायल करने के बारे में सोचते हैं। दफा 74, 17 या 18

(श्री श्रीनिवास शारदा)

की कार्यवाही क्यों नहीं की है? या तो आप यह कहिये, आपके चीफ आडिटर या जो भी हैं, यह नोट्स बनाकर सामने रखें। आम तौर से यह जो आडिटर जाते हैं वह खुदा बनकर जाते हैं। काफी इण्टरटेन करने के बावजूद भी उन्हें थोड़ी अपनी परफार्मेंस का ज्यादा ख्याल रहता है। कुछ ऐसी अनावश्यक आडिट आब्जेक्शन कर देते हैं कि सही बात तो यह है कि पदाधिकारियों को थोड़ी मंहगी फीस देकर अपना गला बचाना पड़ता है। अगर गड़बड़-घोटाले हैं तो दूसरी तरफ यह स्थिति भी है। आप ऐसा करें कि आपके जो भी आडिट इन्सपेक्टर्स हैं, वह जो भी रिपोर्ट प्राप्त करें, उनकी फाइण्डिग्स को बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के सामने लाना चाहिए। उनकी मिनिट्स हों, नोट्स हों ताकि बहुत से आब्जेक्शन्स वहीं ड्राप हो जायें। इससे जो बहुत सी अकारण बिना वजह इतनी लम्बी-चौड़ी रिपोर्ट प्राप्त होती है, वह जरा कम हो जाएगी

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय...

श्री सभापति : दो मिनिट में बोल दें।

श्री श्रीनिवास शारदा : फिर तो हुक्म दीजिये मैं बैठ ही जाऊं।

श्री सभापति : आप दो मिनिट में कह दें।

श्री श्रीनिवास शारदा : जैसा कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बाबू शोभारामजी की अध्यक्षता में कमेटी बनी इसको लेडडाउन करने के लिए। असल में किसी भी लॉजिक के साथ वह अपना लॉजिक दे सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर 5 डेमोक्रेटिक बार्डों में यह सोचा जाये तो मैं समझता हूं कि वह अनडेमोक्रेटिक होगा। जिन लोगों ने गड़बड़-घोटाले किये हैं, अनियमितताएं की हैं, उनको डिसक्वालिफाई किया जाये। यह प्रोविजन है। यह आसान हो जाय कोई इन्हीं लोगों से अगर पिण्ड छुड़ाये। तो ऐसी दफा को लाकर रख दें। मैं समझता हूं कि इसके लागू होने के बाद हमारी मंशा पूरी हो सकेगी, यह सम्भावना कतई नहीं है। दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता था, जैसा कि मनी लाइसेंसिग का एन्फोर्स किया है। मेरा अनुभव ऐसा है कि जिसके कारण खराबी होती जा रही है। आपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आर.सी.एस. के पावर्स दे दिये हैं। यह पावर कलेक्टर में वेस्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि एक डिपार्टमेण्टल मूवमेण्ट लाये जाने की अपेक्षा है। वह गलत तरीके से नहीं सोचें। विभाग के अधिकारी इसकी माइन्यूटली स्टडी करना चाहें तो मेरे पास आ जायें। मैं बड़ी अच्छी स्टडी करवा दूंगा। दरअसल आपके टूल, जिसको सही काम करना चाहिए वह आटोमेटिकली मिस फिट हो जाते हैं और यह डेपूटेशन की पालिसी है, सभापति महोदय, यह बहुत बड़ी डिफेक्टिव है, या लादने वाली पालिसी है। आज की डेमोक्रेसी के युग में इसको सिद्धान्त रूप में सरकार स्वीकार नहीं करती है, तो मान कर चलता हूं कि वह निश्चित ही ब्यूरोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना चाहती है। आम तौर पर आज से तीन साल पहले यह प्रक्रिया रही है कि डेपूटेशन के अन्दर जो स्टाफ जाता था, with the consultation of Board

(श्री श्रीनिवास शारदा)

जाया करता था। अब हम जिससे राजी हैं, जिसने खुशामद कर ली है या कुछ कर लिया, वह आपके डेपूटेशन के आधार पर ठीक हो सकता है। हमारी दिमाग गलत हो सकती है। यह आपकी खोपड़ी में भ्रम कब पैदा हो गया। आप पैनल मांगिये, जिस प्रकार पहले मांगा करते थे। परिणाम यह होता है कि इस प्रकार लादे हुए बैंक के स्टाफ से बोर्ड के मेम्बर का तालमेल नहीं होता है, उसका नतीजा यह कि काम रुकता है। मैं इस मत का हूं, कहीं सोसाइटी के इनएफीसियेन्ट हैं संचालक, वह न दें तो मरने दीजिये। यह तो मौका न देवें कि आपने हलाक किया। कह सकते हैं, तुम मरो तो अपनी मर्जी से मरो, हमने हलाक नहीं किया। इस विषय में सरकार को विचार करना चाहिए।

आपकी बहुत सी संस्थायें घाटे में चल रही हैं। निश्चित रूप से चल रही हैं। कभी इसके कारण में भी विभाग ने जाने का प्रयत्न किया है। मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि अगर कोआॅपरेटिव बिजनैस में एन्टम्गल्ड हैं तो उसका बेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, उसका बेस थोड़ा बहुत कामर्शियल होना चाहिए। सर्विस कोई कामर्शियल घाटे में निरन्तर जाये, निरन्तर घाटे में जा जाकर एक दिन अन्त हो जायगा और हम सर्विस रेन्डर नहीं कर पायेंगे। तो मैं कहता हूं कि एक फाल्स सर्विस के प्रचार-प्रसार में क्या मिलने वाला है। यह एक दिन समाप्त होने वाला है। एक सब के लिए और सब एक के लिए–यह आपका नारा है। कभी उस सोसाइटी, कभी बिजनैस इन्स्टीट्यूशन में काम करने वाला सोचे, मैं सबके लिए काम करता हूं। वह अपने लिए करता है, वह सबके लिए काम नहीं करता है, तो ही इज मिसफिट फार देट सोसाइटी। आधार उसका तय कीजिये, 10 पर्सेन्ट प्राफिट तो शेयर होल्डर को दिलवा दीजिये। बहुत सी इन्स्टीट्यूशन्स आगे पीछे जाकर ऐसी हो जायं, जो घाटे में हों। आज कोआॅपरेटिव बैंक्स की बात करते हैं। कोआॅपरेटिव बैंक के ऊपर आज खुशकिस्मती है कि व्यवस्थापकों की यूनियन नहीं बन पायी है; जिस दिन यह यूनियन होगी, या बहुत बड़ा संघ और इन पर अवार्ड लागू हो गया तो कोआॅपरेटिव बैंक्स की स्थिति क्या होगी। वह आपको लागू करना पड़ेगा (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) आप कहां नहीं करते हैं इस बात को, उस दिन आपकी कोआॅपरेटिव बैंक की हालत यह होगी, आज यह कोआपरेटिव बैंक की इन्कम में 2 लाख का प्राफिट है, एक्चुअली वह प्राफिट है नहीं। इन्ट्रेस्ट भी उसमें जुड़ा हुआ है। इन्ट्रेस्ट रिकवरेबल। उनकी पूरी की पूरी की, पहले के मुकाबले में हर एक बैंक की स्थिति की समीक्षा कराइये, क्योंकि प्राफिट गिरा है, लोनिंग बढ़ा है। लोनिंग के आधार पर कैटेगराइजेशन करें। 10 करोड़ का लोन दें और 1 लाख प्राफिट करें। इससे तो वह बैंक अच्छी जो दस लाख का लोन देकर 1 लाख प्राफिट अर्न करती है। आपने अभी जो कैटेगराइजेशन का आधार तय कर रखा है, उसको बदल दीजिये। महरबानी करके इसका प्रास्पेक्ट रखिये, कैटेगराइजेशन का, प्राफिट जिसका कम है, लोनिंग बढ़ रहा है, प्राफिट कम हो रहा है, इसका मतलब है डूबने वाला है। आप भले ही ए क्लास, बी क्लास कर दीजिये··

श्री सभापति : प्लीज सम अप नाऊ।

श्री श्रीनिवास शारदा : मुझे खुशी है, डिफाल्टिंग सोसाइटी के रिप्रेजेन्टेटिव को आपने चुनाव में खड़े होने से तो डिबार किया है, लेकिन वोट देने से आपने डिबार नहीं किया है। और उसूल यह है, जिसको वोट देने का राइट है, उसको कन्टेस्ट करने का राइट है यह फण्डामेंटल प्रिन्सिपल है।

जब आपने वोट देने का राइट दिया, एक कागज से, सरक्यूलर से, या धांधली वाले कानून के जरिये आपने डिफाल्टर, डिफाल्टिंग सोसायटी के रिप्रेजेन्टेटिव को कन्टेस्ट करने से डिबार किया है। मैं चाहता हूं उसको वोट से भी डिबार करें। इससे कुछ परिणाम निकलेगा—ऐसी मेरी धारणा है।

सभापति महोदय, यह चन्द सुझाव थे कि जो शार्ट में मुझे निवेदन करने पड़े। जहां गड़बड़-घोटाले की बात है, मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं गड़बड़ घोटाले की बात के सिलसिले में। हिन्दुस्तान के अन्दर, राजस्थान के अन्दर कोआपरेटिव सोसायटी ऐसी इन्स्टीट्यूशन्स हैं जो शोर्ट टर्म लोन के रूप में फाइनेन्स कर रही हैं। शार्ट टर्म लोन की रिकवरी सबसे ज्यादा मुश्किल है, जो कोई बैंक नहीं करती है। आज लोन लीजिये, तीन महीने बाद रिकवरी, चौथे महीने में ओवर ड्यू—यह आप बदल नहीं सकते। गवर्नमेंट आफ इण्डिया, रिजर्व बैंक की पालिसी है, उस तरह से हो। जो कोआपरेटिव सोसायटी है यह डिफाल्ट में क्यों आती है? कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं नीयत में फर्क पड़ जाता है। यह भी सही है, एक सोसाइटी के अन्दर 20 शेयर होल्डर ने 50 परसेन्ट पैसा यूटिलाइज कर रखा है, बाकी 80 परसेन्ट ने भी 50 परसेन्ट यूटिलाइज कर रखा है। यह स्थिति है, बड़े आदमियों को बड़ा कर्ज और छोटे आदमियों को छोटा कर्ज। यह जो नार्म्स हैं इन नार्म्स में परिवर्तन करना पड़ेगा और छोटे वर्ग के लिए नाम को बढ़ाना पड़ेगा। इस पर विचार किया जाना चाहिए

(समय—समाप्ति—सूचक घण्टी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। आप काफी समय ले चुके हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : बहुत उपयोगी सुझाव हैं, कहने दीजिये।

श्री शंकरलाल : बहुत लहजे से कह रहे हैं।

श्री श्री निवास शारदा : मांग संख्या 29 के बारे में मेरा सुझाव है, वह मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। नगरों के विकास की बात कही जाती है। सरकार का ध्यान नगरों के विकास पर है, क्योंकि बड़े शहर जिसको बी क्लास मान लिया है, वहां पर जनता काफी रहती है, और उनका होल्ड भी काफी होता है विकास के नाम पर बहुत कुछ करा सकते हैं और आज तक का अनुभव है, सबसे ज्यादा शहरों के विकास पर खर्च होता है। वहां पर पर्यटन के नाम पर खर्च होता है, होटल कोरपोरेशन अलग व्यय करता है, कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्सिंग सोसाइटी अपना मेजर पोर्शन वहां खर्च करती हैं। सभापति महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं आखिर राजस्थान रूपी किश्ती में नगर वाले भी तो

(श्री श्रीनिवास शारदा)

बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या पाप किया है माइट इज राइट। जो वीकर हैं उनको भी कुछ चिन्ता करिये और इस प्रकार से दिया जाने वाला पैसा है उन्हें भी दीजिये। अन्यथा नहीं देना है तो हर एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से यह कह दीजिये, अपने सोर्सेज खुद जुटा लें, चाहे अजमेर वाले हों, जयपुर वाले हों, कोटा वाले हों, वह अपने रिसोर्सेज खुद जुटायें। आपने रूल्स बना कर दे रखे हैं, पावर दे रखी हैं। आप उन्हें अनुदान देने वाली बात भी करिये।

पालिसी में यूनिफार्मिटी की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिस प्रकार से आपने देहातों के अन्दर भूमि आवंटन का काम चलाया, प्लाट्स दिए, देहातों में तो थोड़े धर्मात्मा लोग बसते हैं कि रास्ते में पड़ा हुआ आदमी नजर नहीं आता और कोई भी पटेल काश्तकार किसी को सुला देता है जिसको अपना मकान नहीं है किन्तु शहरों में, बड़े-बड़े महलों में रहने वालों के नखरे हैं, अनजान आदमी को कैसे पनाह दें? जो शहरों और नगरों में रहने वाले वीकर सेक्शन्स, शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग, माइनोरिटी के लोग, जिनकी हैसियत कम है, हैसियत का आधार आप कुछ भी तय करें जो उसमें आता है उनको प्लाटों का एलाटमेंट होना चाहिए, चाहे स्टेन्डर्ड साइज न हो, हाफ स्टेण्डर्ड साइज अपनी झोपड़ी बना दें अन्यथा यह दयनीय स्थिति है कि शहरों में फुटपाथ पर सोते हों और हम यहां बैठकर कल्याणकारी राज्य की बात कर लेते हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : मैं आपको बहुत समय दे चुका हूं, आपके मूल्यवान सुझाव हैं परन्तु आप समाप्त करें।

श्री श्रीनिवास शारदा : जस्ट ए मिनट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने तो कई नगरपालिकाओं में फिक्सेशन केसेज तय कर लिए हैं लेकिन State on the whole कोई यूनीफार्मिटी मेन्टेन नहीं करती है। कई नगरपालिकाओं के कर्मचारियों ने राणावत आयोग की सिफारिशों के आधार पर लाभ उठा लिया जब कि मैजोरिटी में ऐसी नगरपालिकायें हैं जिनकी वित्तीय स्थिति भी ठीक नहीं है। आप वहां पर औरों के लिए नहीं तो कम से कम क्लास फोर, हरिजन कर्मचारी, चपरासी उनके लिए तो एलान करें और तय करें कि इन कर्मचारियों का राणावत आयोग की सिफारिशों के आधार पर फिक्सेशन किया जाय। इसमें क्या दिक्कत है? आज जगह-जगह नगरपालिकाओं में बैठकर उदाहरण देते हैं कि फलां जगह यह राइट है यह नहीं है। लेकिन जिन नगरपालिकाओं की हालत खस्ता है उनसे कह दें कि अपने सोर्सेज से तय करें, उनके स्टाफ में कटौती के लिए निर्देश दें।

इन सुझावों के साथ मैं आपका आभार मानते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार, जयपुर) : मैं सीमित दायरे में अपने सुझाव रखना चाहता हूं। शहर जयपुर के विकास के दो माध्यम हैं : (1) अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, (2) म्यूनिसिपल काऊंसिल्स। म्यूनिसिपल काऊंसिल में जो पहले चुनाव हुए थे

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
यह समाप्त हो चुके और नगर विकास में जो पहले हुए थे वे भी समाप्त हो चुके। जहां तक जनता के पार्टीसिपेशन, हिस्सा लेने का सवाल है या उन्हें भागीदार बनाने का सवाल है, वह तो समाप्त हो चुका। अब जो दोनों आर्गनाइजेशन्स चल रही हैं वे अधिकारियों के बलबूते पर चल रही हैं। मुझे यह शिकवा नहीं है कि उनका काम खराब है परंतु काम कितना ही अच्छा हो लेकिन हम चुनाव की परम्परा को छोड़ते हैं फिर उसका मतलब यह होगा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसी चीज खतम हो जाएगी। यह तो टिप्पणी के तौर पर मैंने निवेदन किया और मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस तरफ तवज्जह फर्मा कर यह तय करें कि उनको यह रूप और शक्ल दोनों माध्यमों की कब बदलनी है और किस तरह से बदलनी है। जहां तक म्यूनिसिपल कमेटी का सवाल है, हमने पिछले चुनाव में एक प्रगतिशील नागरिक मोर्चा बनाया था और उसने एक मेनीफेस्टो प्रकाशित किया था। उसमें कुछ सुझाव थे। मुझे अफसोस है कि उन सुझावों को सही मानते हुए भी उस पर आज तक अमल नहीं किया गया। इस कारण से नगरपालिकाओं की जो फाइनेन्शल पोजीशन है वह दयनीय है। मैं उन सुझावों को दोहराऊंगा और चाहूंगा कि मंत्री महोदय उन पर विचार करें।

मिसाल के लिए एक सुझाव रखा था कि एन्टरटेनमेंट कर जो वसूल किया जाता है उसकी काफी मात्रा जयपुर में जमा होती है, वह करोड़ों की राशि होती है लेकिन उसमें थोड़ी सी राशि नगरपालिकाओं को मिलती है। हम मांग करते रहे हैं कि यहां पर कारपोरेशन होना चाहिए ताकि उसके जरिए आमदनी बढ़ाई जा सके। दूसरे कारपोरेशन्स के अन्दर वाटर वर्क्स, पावर हाउस और एन्टरटेनमेंट टैक्स इस तरह की जितनी चीजें हैं, सब की आमदनी उन कारपोरेशन्स में जमा होती है। यह दुर्भाग्य है कि यहां की 6 लाख से भी ज्यादा आबादी है उसके बावजूद उसको कारपोरेशन नहीं बनाया जाता। मत बनाओ, पर राज्य सरकार को बेइन्साफी नहीं करनी चाहिए। जो भी एन्टरटेनमेंट टैक्स वसूल होता है कम से कम उसका 50 पर्सेंट हर जगह नगरपालिका को मिलना चाहिए।

दूसरी चीज जो सुझाव के रूप में रखना चाहता हूं वह है आक्ट्राई के बारे में। हमने कहा था कि आक्ट्राई सिस्टम जो इस समय व्याप्त है, वह गलत कानून है, दूषित है इसलिए कि आप वजन पर आक्ट्राई लेते हैं, इसमें बेइन्साफी होती है। जहां खाद्य पदार्थ हो वह एग्जेम्पटेड हों बाकी और जो चीजें हैं, जो खाने-पीने के काम में नहीं आती हैं और एग्जेम्पटेड नहीं हैं और ऐसी चीजें जो फैशनेबल औरतें इस्तेमाल करती हैं जैसे पाऊडर, लिपिस्टिक, घड़ियां, सब पर एक रेट मुकर्रर कर रखा है। हमने उस समय सुझाव पेश किया था कि आपको कीमत पर आक्ट्राई कायम करनी चाहिए। इससे आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और जो लोगों की इस्तेमाल की चीजें हैं, उन पर आक्ट्राई रेट बढ़ावें, जो फैशन के काम में आती हैं या ऐसी चीजें हैं जिनका मालदार ही उपयोग कर सकते हैं। ये तो ऐसे सुझाव हैं जिनको मान लेना चाहिए। मुझे हैरत है कि जब हम लोगों के सुझाव आते हैं तो क्या वे सुझाव चिकने घड़े की तरह फिसल

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
जाते हैं या उनका मंत्रियों या मंत्रिमंडल के दिमाग पर असर कायम रहता है ?

तीसरा सुझाव मैंने पहले भी दिया था कि आज आपका जो हाउस टैक्स है और उससे जो आपकी आमदनी है, उससे यह हो रहा है कि बड़े-बड़े मकानों में रहने वाले हैं उन पर करोड़ों रुपए बाकी हैं। गरीबों पर उसका...

(4.47 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

बोझ है। मैंने सुझाव रखा था जिसके मकान का किराया 30) तक हो उनको हाउस टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाए और बाकी पर 6 परसेंट से 10 परसेंट तक हाउस टैक्स लगाया जाए जो स्लैब सिस्टम पर हो, वेल्युएशन कायम हो उसके हिसाब से टैक्स कायम होना चाहिए। यह स्लैब सिस्टम आप इन्ट्रोड्यूस करें। जो बड़े मकान मालिक हैं जिनके बड़े-बड़े महल हैं, राजा महाराजा हैं, पुराने जागीरदारों की इमारतें हैं उनका एसेसमेंट करके चैक करें। लेकिन आप उसको भी नहीं करना चाहते जिसका मुझे अफसोस है।

एक भंडारी कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें कुछ सिफारिशें हैं उनको हमने नहीं देखा, उनको लागू करने के कई बार वायदे किए गए लेकिन वे वायदे न मालूम कब पूरे होंगे। चौकड़ी तोपखाना हुजूरी में 50 परसेंट मकान म्यूनिसिपल अधिकारियों की साजिश से, स्टाफ की साजिश से, बने हुए हैं बगैर इजाजत के बगैर जमीन खरीदे। तो मैंने सुझाव रखा था कि इनको तोड़ो मत, उनकी रेग्यूलराइजेशन की दरख्वास्तें ली जाएं उन पर पेनल्टी लगायें, पैसा वसूल करें ताकि उस चौकड़ी का सुधार किया जा सके और उसका विकास हो सके।

ये सुझाव मैंने रखे थे, इसके अलावा जो भ्रष्ट तरीके नगरपालिका में अख्तियार किए जाते हैं उस बारे में भी मैंने सवाल दिया था जो आज सदन में नहीं आया लेकिन जवाब मेरे पास है, बहुत से पार्षद जिनकी संख्या काफी होगी वह लिस्ट मेरे पास आ गयी है। उसमें आपकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम 145 ऐसे भू-खण्ड है जो कि नगरपालिका क्षेत्र के थे उन्होंने लाखों रुपये की जमीन को कौड़ियों के भाव खरीद लिया और लोगों ने लाखों रुपये कमा लिया। आज नगरपालिका यू.आई. टी., पी.डब्ल्यू. डी. की जमीन पर नगरपालिका के पार्षदों ने अनआथोराइज्ड पजेशन्स कर रखे हैं। मुझे बड़े दुःख के साथ गुजारिश करनी पड़ती है कि म्युनिसिपल कौन्सलरों ने बेईमानी करके वहां पर जमीनों को एक्वायर करली। मेरे पास लिस्ट में मौजूद है उनके नाम। मैं नाम गिनाना नहीं चाहता लेकिन आपने यह कह दिया कि 4-3-75 को ही उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, यही सबसे बड़ी खराबी है क्योंकि जब लोग थाने वालों के पास आयेंगे तो वह यह कह देंगे कि इनके खिलाफ में कोई केस नहीं बनता है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन लोगों के नामों की फैरिस्त छाप दीजिये इनको आप नगरपालिका के मेम्बर्स को जनता के सामने कन्डेम कीजिये। उनकी आम जनता के सामने इज्जत बिगाड़िये।

(श्री मोहम्मद गफ्फार खां)
ताकि उनको और जनता को पता पड़े कि इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन रखते हुए इन लोगों ने इस तरह की धूर्ततायें की हैं। आपको उन्हें डिसक्वालीफाई करना चाहिये। आपको उनको नोटिस देने चाहिये थे पर आपने नोटिस नहीं देकर उन्हें पुलिस में दे दिया जहां सीधी रिपोर्ट आ जावेगी कि क्रिमिनल केस बनता नहीं है आप कोई और रास्ता निकालें। यह तो आप उन्हें एक तरह से संरक्षण दे रहे हैं। उसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, आज राष्ट्रीय जमीनों पर लोगों ने बेईमानी से कब्जा कर लिया है और वह बेईमानी अगर कोई साधारण व्यक्ति करे तो कोई बात नहीं वह भी इन जनता के चुने हुए नुमाइन्दों ने की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुरजोर सिफारिश करता हूं कि राज्य सरकार को चाहिये कि उनको बुरी तरह से जनता के सामने कन्डेम किया जाना चाहिये। ताकि वह लोग भविष्य में बेईमानी नहीं करें। मैंने पहले भी सदन में इस बारे में निवेदन किया था कि आप इनके खिलाफ में नोटिस निकालें, इनकी जनता में सूची निकाल कर कन्डेम करें। लेकिन राज्य सरकार के पास इनकी पहुंच है जिससे कि यह लोग बचे हुए हैं। इसमें नगरपालिका के अधिकारियो को भी साजिश है जिससे कि यह लोग आज इस तरह से लाखों रुपये की जमीन को हड़पे हुए बैठे हैं। मैंने कई बार सदन में कहा लिख-लिख कर के दिया, मंत्री महोदय को लिख करके दिया और मैं उनसे इस बात के लिये मिला भी हूं पर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मन्त्री महोदय और राज्य सरकार के अधिकारियों की कान की जूं तक नहीं रेंगी। आज जब सवाल आया तब मैं यहीं था पर, यहां पर यह कहा गया कि मैं सवाल आया जब यहां पर हाजिर नहीं था यह गलत बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बदकिस्मती यह थी कि समय नहीं रहा था। वरना मैं सदन में बताता कि जयपुर में किस-किस जगह पर लाखों रुपयों की जमीन लोगों ने दबा रखी हैं। उसके लिये मैं राज्य सरकार को गुजारिश करना चाहता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें। इसके अलावा अब मैं थोड़े दो शब्द जयपुर की यू. आई. टी. के बारे में अर्ज किया चाहता हूं। आज आप अगर जयपुर की मिर्जा इस्माईल रोड, जौहरी बाजार को ही या स्टेशन रोड की ही शानशौकत समझते हैं तो आप भूल करते हैं। यह मानता हूं मैं कि इन स्थानों पर बड़ी बड़ी ट्यूब लाइटें लगी हुई हैं और यहां पर हाई क्लास लाईटनिंग की हुई है। लेकिन आज आप कच्ची बस्तियों में जायेंगे तो आपको न सड़क मिलेगी, न बिजली मिलेगी न यहां पर पानी की कोई व्यवस्था है। आपको उनका सुधार करने की जरूरत है। आप वहां विकास कीजिये। आज उपाध्यक्ष महोदय मिर्जा इस्माइल रोड में पी. एम. अल्लाहबक्स के मकान के पीछे लाखों रुपये की जमीन एक प्रभावशाली शक्ति ने 14–15 हजार रुपये में खरीद ली वहां स्लम पड़ा हुआ है। मैंने उसकी शिकायत की थी पर मन्त्री महोदय की जूं तक नहीं रेंगी। तो कहने का मतलब यह है कि आपको सुधार करना चाहिये जहां पर कि विकास की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ यह भी गुजारिश करना चाहता हूं कि आज आपने जिस तरह जयपुर और दूसरी जगह पर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की बस्तियों में सुधार करने के लिये

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

एक प्रोग्राम बनाया था कि पर्टीक्यूलर तारीख तक हम उनका विकास कर देंगे उसे पूरा करें। आप उन लोगों को जो स्लम्स हैं उन्हें मकान दें, जमीनों के पट्टे अलाट करें। आज जो जमीन उनके पास है अगर वह कम है तो आप उनको रीहेबीलिटेट कीजियेगा। आप गरीब लोगों को बसायें तो हमें खुशी मिलेगी।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि सदन का समय सात बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय सात बजे तक के लिये बढ़ाया गया।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जिस तरह से राज्य सरकार ने अभी गांवों में लाखों लोगों को जमीन अलोट की है रिहायशी परपजेज के लिये। यह अभी-अभी पिछले माहों में हुआ था आपने दो महीने के अन्दर के निश्चित प्रोग्राम के अनुसार भूमिहीन लोगों को मकान दिये। उसके लिये मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं। इसलिये मैं मन्त्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि आप बड़े शहरों में भी पिछड़े वर्ग के लोगों को और भूमिहीन लोगों को उसी प्रकार रिहायशी भू-खण्ड अलोट करें। उन्हें प्लोट दें। दूसरी बात जो मैं गुजारिश करना चाहता हूं वह यह है कि नगर विकास न्यास के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय, नगर विकास न्यास ने जयपुर शहर के बाहर जो जमीनें बेची हैं या नीलाम की हैं वहां पर सड़कों की बिजली और पानी की बहुत ही तकलीफ है। वहां पर कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जिससे कि वहां पर पानी बह कर सड़कों पर आ जाता है जिससे सड़कें टूटती भी हैं और आपको उन्हें ठीक भी कराना पड़ता है। ऐसी समस्या खास तौर से मेरी कोन्सटीट्यूएन्सी में सेठी नगर और जनता कालोनी में है। मैंने इसके बारे में उस समय जो यू. आई. टी. के चेयरमैन श्री डोंडीयाल साहब से उन्हें निवेदन किया। और उन्हें यह सुझाव दिया कि आप हर साल जो थोड़ी बहुत भी सड़कें हैं उन्हें रिपेयर कराते हैं और हर साल यह सड़कें पानी बह कर आने की वजह से खराब हो जाती हैं तो आप यहां पर प्रोपर ड्रेनेज सिस्टम ही क्यों नहीं करा देते जिससे कि राज्य सरकार को हर साल सड़कों की रिपेयर के लिये पैसा नहीं खर्च करना पड़े और वह पैसा राज्य सरकार दूसरे विकास कार्यक्रमों में काम में ले लें। तो उन्होंने मुझे कहा कि आधा खरचा इसमें अगर वहां की जनता कर दे तो आधा खरचा हम कर देंगे। पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि वह काम भी नहीं हो सका। आज वहां की स्थिति खराब है। वैसे तो यह राज्य सरकार की यू. आई. टी. का ही काम है क्योंकि यू.आई.टी. ने ही वहां की जमीन को बेचा या नीलाम किया पैसे उन्हीं को मिले तो उसका विकास करने का काम भी तो यू. आई. टी. का ही हुआ। तो इस ओर मंत्री महोदय को ध्यान देने की बात है।

अब मैं दो शब्द इस बारे में भी गुजारिश करना चाहता हूं कि आपने यू. आई.

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
टी. का चेयरमैन फिलहाल जब तक कोई नोन ओफिशियल चेअरमैन नहीं बनायें तब तक के लिये कलेक्टर्स को यू. आई. टी. के चेअरमैन नियुक्त किये हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि पहले साहेबान ने कहा कि कलेक्टर के पास 32 पोर्टफोलियो हैं। वह 32 जगह अध्यक्ष हैं। तब आप ही सोचिये कि कलेक्टर के पास कहां समय है कि वह इन कामों को देखे। तो मेरी गुजारिश है कि जब तक आप नोन ओफिशियल चेअरमैन नहीं बनाते हैं तब तक के लिये इन यू. आई. टी. के लिये आप होल टाइम ओफिशियल चेअरमैन नियुक्त करदें ताकि वह शहरों के विकास की ओर ध्यान दे सकें। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर 16–17 कोन्स्टीट्यूएन्सी हैं वहां कलेक्टर इस काम को कब देखेंगे ? इसलिये सही इन्तजामात के लिये आपको एक ओफिशियल चेअरमैन नियुक्त कर देना चाहिये इस ओर आपको जल्दी से जल्दी कदम उठाने चाहिये। अब थोड़ा मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी समितियों के बारे में भी गुजारिश किये चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अभी जानकारी मिली है कि आज जितनी भी को-आपरेटिव सोसाइटीज हैं उनमें जो गवर्नमेन्ट का लाखों रुपया बकाया है और वसूल नहीं हो रहा है उसका कारण आपके यहां के भ्रष्ट सरकारी अधिकारी हैं। वह लोग रिश्वत लेकर वेरीफिकेशन्स कर देते हैं और इस प्रकार लाखों रुपया आज सरकार का बकाया चल रहा है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : लाखों नहीं करोड़ों रुपया कहिये।

हां वह तो एक ही बात है लाखों नहीं करोड़ों कहिये। मैं उसको तसलीम करता हूं। वृद्धिचन्द्र जी ने जो कहा उसे मैं मानता हूं। आज जो भी को-आपरेटिव सोसाइटीज में जो पैसा जमा है वह वापिस इसलिये नहीं आ रहा है कि राज्य सरकार के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वह रिश्वत लेकर झूठा वेरीफिकेशन कर देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की एक को-आपरेटिव सोसाइटी का उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे यहां पर 14 लुहारों की को-आपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई हैं वह सारी की सारी फर्जी हैं जिनमें एक सम्माननीय व्यक्ति ने इसको खुलवा रखा है जो कि सौ–सौ रुपये एक सदस्य को दे देता है और बाकी जो भी कोटा आता है उसको ब्लैक में बेच कर खुद ही पैसे हड़प लेता है। मैंने इसकी शिकायत भी की थी। उसके बारे में विधान सभा में सवाल भी उठाया लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे यह जवाब मिला कि इसका जवाब बहुत लम्बा होने की वजह से अभी उत्तर नहीं दिया जा सकता है हम इसकी छानबीन कर रहे हैं। जब वह चीज अखबारों में आ गयी, एन्फोर्समेन्ट ओफिसर ने गिरफ्तार कर लिया, आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, आप दीदोदानिस्ता जान-बूझकर प्रोत्साहन देते हैं। मैं चाहूंगा कि जिन सहकारी समितियों के अन्दर रुपया बाकी है छानबीन करके उनसे वसूल किया जाय और जो अधिकारी इस वाको होने के लिये जिम्मेदार हैं उनको उस जगह पर नहीं रहने देना चाहिये जो वहां पर काम करते चले आ रहे हैं।

दूसरी चीज मैं अर्ज करूंगा वह यह है कि सहकारी समितियों को जो कर्जा दिया

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

जाता है, बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज बन गयी हैं, उस वक्त आप यह नहीं देखते हैं कि उनको कर्जा देना जरूरी है या नहीं। हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटीज बनी हैं; उन्होंने यह किया है कि एग्रीकल्चरल लैंड लेकर उसको फरोक्त कर दिया, 12), 14) वर्ग गज में और बहुत से लोगों ने उनको खरीद लिया। चार आने की जमीन बारह रुपये लेकर वे तो चले गये। अब जिनके कब्जे हैं उनको तोड़ा-फोड़ा जा रहा है और बरबाद किया जा रहा है। जो लोग को-ओपरेटिव सोसाइटीज का दुरुपयोग करते हैं और इस तरह से पैसा खुर्द-बुर्द हो रहा है उसको कैसे रोका जाय...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो ही मिनिट में समाप्त कर रहा हूं।

उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि को-ऑपरेटिव सोसाइटी को कन्ट्रोल करने के लिये और जितनी भी अनियमिततायें हुई हैं और जो रुपया डूब रहा है गवर्नमेन्ट का उसके लिये हाई-पावर कमीशन मुकर्रर कर दीजिये कि जो पता चलावे। आज भी हजारों सोसाइटीज हैं, कितनी ही ऐसी हैं जो फिक्टीशियस और कितनी ही ऐसी गुमराह हैं और दूसरे फायदा उठा रहे हैं। वह रुपया आपको जो बाकी है, नहीं वसूल करेंगे तो उससे कोऑपरेटिव्ज का नुकसान होगा? यह चीज कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोओपरेटिव सोसाइटीज में बुराइयां होती हैं यह बुनियादी उसूल है कि इस को छोड़ नहीं सकते इस करप्शन और परेशानियों के बावजूद भी इसको लेना पड़ेगा, इसी से हमारी बहबूदी हो सकती है।

मैं, निवेदन करूंगा कि इस किस्म के अधिकारी होने चाहियें कि जिनको ईमानदार कह सकते हैं, ऐसे अधिकारियों को चुन चुन कर इसमें लेना चाहिये। यह ब्यूरो मीटर हासिल करना मुश्किल है कि कौन ईमानदार है और कौन नहीं। लेकिन जानते हैं कि कौन ईमानदार है। जो मैंने आपके सामने ये सुझाव रखे हैं, इनेसिस्टम के बारे में, रेशनेलाइजेशन के बारे में और ओक्ट्राय के बारे में, उनको आप लागू करें और भ्रष्ट पार्षद हैं उनको चार्जशीट और क्रिमिनल केस की बात की, लिस्ट लाया करें आप-उनको नोटिस दें, ताकि वे नंगे होकर जनता में जायें और आगे वे इस प्रकार की हिम्मत न कर सकें चुनाव में खड़े हों।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र भारतीय।

श्री चतुरभुंज।

श्री शंकरसिंह।

श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री सुरेशचन्द्र।

(अनुपस्थिति)

श्री मनोहर कोठारी।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस सदन में प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि जहां नगरीय विकास की बात होती है वहां हम बड़े बड़े शहरों के विकास के लिये चिन्तित होते हैं उनके लिये मिनिमम भी इस प्रोग्राम के धन का उपयोग किया

(श्री मनोहर कोठारी)

जाता और अन्य कई प्रकार के प्रोग्राम भी उन्हीं के लिये होते हैं लेकिन उन कस्बों के लिये जिन्हें नगरीय क्षेत्र तो मानते हैं उन कस्बों में, जिनमें नगरीय क्षेत्र मानकर टैक्स वसूल करते हैं, उन सब ही तरह के शहरी कानून रायज करते हैं किन्तु उनके विकास के बारे में हमारे यहां पर कोई योजना नहीं हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि करीब 3–4 वर्ष से मैं इस बात के लिये प्रयत्नशील हूं और राज्य सरकार को बराबर यह सुझाव देता रहा हूं कि नाथद्वारा जैसे धार्मिक स्थान पर, जो हिन्दुस्तान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां सारे देश विदेश के पर्यटक, दर्शनार्थी लगातार आते रहते हैं और बने रहते हैं, उन लोगों से नगरपालिका यात्रीकर वसूल करती है, लेकिन उनकी सुख-सुविधा के लिये कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

नाथद्वारा का महत्व इस बात से भी स्पष्ट है कि हमारे प्रदेश में हजारों मंदिर और मस्जिदें हैं लेकिन नाथद्वारा के लिये नाथद्वारा टैम्पल एक्ट बना कर, हमने उसके महत्व को स्वीकार किया है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य यह है कि उसके विकास के लिये कोई योजना नहीं बनायी जाती। हमारे पूरे देश में, भारत वर्ष में तिरूपति बालाजी के बाद, धार्मिक दृष्टि से, आय की दृष्टि से, आवागमन की दृष्टि से, यदि कोई स्थान आता है तो वह नाथद्वारा ही है जो हमारे प्रदेश का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। बार-बार राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता रहा हूं कि तिरूपति बालाजी के विकास पेटर्न पर नाथद्वारा के विकास की भी योजना बनाई जाय। लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने इतना सा निर्णय लिया बताते हैं कि एक वन मैन कमीशन डिप्टी सेक्रेटरी रेवेन्यू को बनाया गया है। वहां की योजना का अध्ययन करने के लिए, उनको तिसमलाई भेजा जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि एक तो टैम्पल टाउन की योजना नाथद्वारा के विकास के लिये होगी और दूसरा यह है कि यह धार्मिक नगर है, कस्बा है, उसके विकास के लिये एक महत्वपूर्ण उपलब्धी होगी। मैं राज्य सरकार को एक बात के लिये जरूर बधाई देना चाहता हूं कि नगरपालिका का निर्वाचन न होने के कारण से मंदिर मुख्य निष्पादन अधिकारी हैं, जो टेम्पल में निष्पादन अधिकारी नियुक्त हैं, राज्य सरकार ने उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर के पावर्स दिये हैं, और यह कहते हुए प्रसन्नता होती है और राज्य सरकार को सूचना देना चाहता हूं कि नाथद्वारा में लोगों ने इस बात का बहुत स्वागत किया है। नाथद्वारा के विकास के लिये उन्होंने जो भी कार्यक्रम हाथ में लिया है वह वस्तुत: सराहनीय है, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, उनकी तारीफ की जानी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि सरकार मुख्य निष्पादन अधिकारी को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देकर यह दर्शाया गया है कि विकास के लिये राज्य सरकार प्रयत्नशील है लेकिन इसके साथ साथ टेम्पल टाउन की स्कीम का भी जल्द अध्ययन करवा लीजिये और नाथद्वारा के विकास के लिये तिरुपति बालाजी के पेटर्न पर कोई योजना जो नाथद्वारा के विकास के लिये स्वीकार की जा सकती

(श्री मनोहर कोठारी)

है तो उसको स्वीकार करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक नगर विकास न्यास का प्रश्न है अभी भी ये योजनायें बड़े-बड़े शहरों के लिए बनाई जाती हैं उसका क्या औचित्य है? क्या बेसिस है इसका, यह मेरी समझ में नहीं आता हिन्डोन जैसे एक कस्बे को नगर विकास न्यास के अन्तर्गत लिया है जबकि हिन्डोन से बड़ा नाथद्वारा है और भी कस्बे हैं जिनके विकास के लिये नगर विकास न्यास बनाया जाना चाहिये। वहां उसका अभाव है। यह कहते हुये मुझे दुःख होता है कि बहुत पहले नाथद्वारा के लिये एक मास्टर प्लान बनाया गया था। हमारे माननीय मुख्य-मंत्री महोदय ने जैसलमेर के नव-निर्माण के कार्य को इसलिये रोक दिया है कि मास्टर-प्लान के बनने के बाद निर्माण होगा जो साईन्टिफिक बेसिस पर होगा।

आज नाथद्वारा में ऊट-पटांग गली-कूचे बनाये जा रहे हैं और सारे विकास को अवरुद्ध किया जा रहा है। जो योजनायें बनाई गई हैं हिमाकत की उसके लिये भी कोई योजना बनाई जानी अपेक्षित है लेकिन जब तक मास्टर' प्लान नहीं बन जाय; उसके लिये नगर विकास न्यास की स्थापना न हो, तब तक मैं समझता हूं उसके विकास की स्थिति इसी प्रकार अवरुद्ध बनी रहेगी। मैं चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि राज्य सरकार इस दृष्टि से देखे आज जयपुर शहर में कीमती जमीन है, उससे भी ज्यादा कीमती जमीन नाथद्वारा में है। आज नाथद्वारा में 182 रुपये स्क्वायर फीट और 190 स्क्वायर फीट में जमीन बिकती है और आज भी बिक रही है। नाथद्वारा की जमीन का इस प्रकार दुरुपयोग हो और साइन्टिफिक बे में उसका विकास नहीं हो तो मैं समझता हूं यह हमारा दुर्भाग्य होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं और उसमें खासकर यह निवेदन करना चाहूंगा जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं और सरकार ने इसी उद्देश्य से हर ग्राम में ग्राम सेवा सहकारी समिति के निर्माण करने का एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया है। गांव के लोग उन सोसाइटियों के सदस्य भी बने हैं, उन्हें आज शक्कर का कोटा दिया जाता है–लोगों को सप्लाई करने हेतु अनाज भी दिया जाता है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि अधिकांश सहकारी समितियां मेरे क्षेत्र में डिफेक्ट पड़ी हुई हैं। उनके नाम पर जो सप्लाई का कोटा वितरित होता है वह सहकारी समितियों के माध्यम से न होकर आज भी कुछ ठेकेदारों के माध्यम से होता है और वे उन्हें एक प्रतिशत या दो प्रतिशत देकर, पैसे भी वे खर्च करते हैं ब्लेक का धन्धा भी वे करते हैं इसका परिणाम यह होता है कि सोसाइटियां बदनाम होती हैं और दूसरी तरफ से आर्थिक दृष्टि से पंगु हो गई हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी सोसाइटीज की आप जांच करवायें और जो डिफेक्ट हो गई हैं, उन्हें समाप्त कीजिये या फिर उनको आर्थिक सहयोग देकर या किसी प्रकार का और सहयोग देकर गीयर-अप कीजिये ताकि वे सोसाइटियां अच्छा काम कर सकें।

अन्त में एक यह निवेदन करते हुए कि जहां तक नगर विकास न्यास का प्रश्न है

(श्री मनोहर कोठारी)

या अरबन इम्प्रूवमेंट का सवाल है या नगरीय क्षेत्र में मकान बनाने की योजना है उसमें कस्बों को भी सम्मिलित किया जाय। जयपुर में 8 लाख केवल इसलिये खर्च किया जाय कि सबके मकान एक रंग के हों जयपुर की शान–शौकत तड़क–भड़क बनी रहे बड़े–बड़े शहरों पर आपने काफी पैसा खर्च कर दिया है अब आप कस्बों के बारे में भी कुछ कीजिये। आप राजस्थान में शहरों के विकास की बात सोचते हैं और दूसरी तरफ गांवों की भी हमारे पास योजनायें हैं किन्तु कस्बों की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। आज कई छोटे–छोटे कस्बे सिसक रहे हैं, मर रहे हैं तो इनके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। मुझे शिकायत है कि राज्य सरकार इसके बारे में अवश्य कुछ सोचेगी और नाथद्वारा जो ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केन्द्र है उसके बारे में अवश्य कुछ निर्णय लेगी। आप तिरुपति बालाजी का जो टेम्पिल टाऊन के पेटर्न पर है, उसे देख लीजिये और उस आधार पर ही कुछ कीजिये। केवल एक डिप्टी सेक्रेटरी ही वहां जाकर कोई निर्णय दे सके, ऐसा मुझे नहीं लगता है। नाथद्वारा के लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुंचे इस दृष्टि से वहां के चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर को भी शामिल कीजिये और उसकी फिजिबिलिटी का अन्दाज लगाने के बाद नाथद्वारा के लिये जो टेम्पिल एक्ट बनाया गया है उसमें संशोधन किया जाय, पारित किया जाय या टेम्पिल टाऊन एक्ट में यदि उस की आवश्यकता है, यह कोशिश करनी चाहिये।

इन्हीं भावनाओं के साथ में माननीय मंत्री महोदय को जैसा मैं कह चुका हूं आपने वहां के चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर को जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दिये हैं वे सफल साबित हुये हैं। यदि उन्हें और पावर्स देकर नाथद्वारा को विकास की तरफ बढ़ाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं वहां की जनता आपका स्वागत करेगी और राजस्थान के लोग, नाथद्वारा के लोग इस कदम को नहीं भुला सकेंगे और उस गरिमा को नहीं भुला सकेंगे और उस गरिमा को नहीं भूल सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं मैं उनकी तरफ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं और चाहता हूं कि अनुदान की मांगे पारित हों।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हाजीजान मोहम्मद !

श्री हाजी जान महोम्मद खां (पिड़ावा): सदरे मोहतरम आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का टाइम दिया है। मैं बाहर चला गया था। मैंने अपना कटौती प्रस्ताव सहकारिता पर भेजा था, उसे मैं अर्ज करना चाहता हूं.... (अश्रव्य) .... जबसे सहकारिता लागू हुई है इसके बहुत सारे सदस्य बन गये हैं और उनके पास सोना चांदी का ढेर लग गया है। झालावाड़ जिले में लाखों रुपया जिसने देखा नहीं था उनके पास है और खूब खर्च कर रहे हैं कोई देखने वाला नहीं है। मैंने पिछले सेशन में भी कहा था आगे एन्क्वारी कराइये लेकिन मिनिस्टर साहब कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं।

मोडिया खेड़ी समिति के जो अध्यक्ष हैं जगन्नाथ पटेल और रतनपुरी मंत्री थे

(142)

(श्री हाजी जान मोहम्मद खां)

चतुर्भुज उनकी एन्क्वायरी श्री शिवराज सी.ओ. को दी गई थी न जाने क्या हुआ। 19 हजार का पहले गबन किया उसकी भी कोई एन्क्वायरी नहीं हुई 12 हजार हिम्मतगढ़ वायुजाल अध्यक्ष ने खाये। पुलिस में केस दिया, थानेदार ने केस नहीं लिया जिस पुलिस का यह हाल हो ऐसे संगीन केसेज को भी न ले, न दर्ज करे तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है राजस्थान सरकार का। मैंने सहकारिता मंत्री को लेटर लिखा भी है मेरे पास सबूत हैं और मैं एन्क्वायरी कराना चाहता हूं। मैं तो चीफ मिनिस्टर साहब से निवेदन करता हूं कि आपके मंत्री जो यहां कहते हैं करते कुछ नहीं है, उन पर कन्ट्रोल होना चाहिये, उन पर अमल करना चाहिये। गवर्नमेंट का यह हाल है यहां कहते कुछ हैं और करते कुछ नहीं हैं। ... (व्यवधान) ...

मैं निवेदन करना चाहता हूं सदरे मोतरम् सहकारी समितियां सब जगह फैली हुई हैं। हमारे यहां के डिप्टी मिनिस्टर थे पहले कन्हैया लाल पटेल पिड़ावा के जहां तक मेरी जानकारी है अगर ईमानदारी से एन्क्वायरी कराई जाय, क्यों नहीं एन्क्वायरी कराते क्योंकि हेरा-फेरी करते हैं खा गये। 12 हजार नाथूलाल अध्यक्ष ने खाये और उसने उल्टा दावा कर दिया मजिस्ट्रेट रजिस्ट्रार और दूसरे लोगों पर। इसलिये जहां सहकारिता का यह हाल है लाखों और करोड़ों रुपये जो दिये गये हैं गवर्नमेंट ने लेकिन जो काश्तकार हैं उनको तो पैसा मिलता नहीं है जो होशियार लोग हैं उनके पास पैसा आ जाता है। इसके अलावा और क्या है? गवर्नमेंट ने और पालिसी बनाई है कि जितनी सहकारी समितियां हैं इनको कपड़े का कोटा दिया जाता है और शक्कर का भी कोटा दिया जाता है और ऐसे चोरों पर एतबार किया जाता है। मैं कह सकता हूं कि यह सारे डाकू हैं। पैसा खाते हैं तो डाकू ही तो हैं और हैं क्या? इसलिए जो कपड़ा वितरण के लिए दिया जाता है और शक्कर भी इनको दी जाती है यह न दी जाये।

मैं चौधरी साहब से अर्ज करूंगा कि जो 19 हजार का घोटाला है, अध्यक्ष नाथूलाल हिम्मतगढ़ का खा गया इसकी इन्क्वायरी कौन करायेगा? यह आपकी जिम्मेदारी है। मोडियाखेड़ी के अध्यक्ष जगन्नाथ और रतनपुरी जो 12 हजार खा गया की इन्क्वायरी करवाई जाय। इन्क्वायरी आप कराना नहीं चाहते हैं। हो सकता है आप इन्क्वायरी नहीं करायेंगे तो फिर दुबारा मुझे इसके मुतल्लिक कहना पड़ेगा। आप के जो अधिकारी हैं उनको जो आप आदेश देते हैं वह उन आदेशों की पालना क्यों नहीं करते हैं? यह बात साबित हो जाये कि 19 हजार और 12 हजार नहीं खाये हैं तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं लेकिन आप इन्क्वायरी तो करें। इसके लिए वहां के लोगों में रोष है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आपने कहा कि मैं इन्क्वायरी करा रहा हूं लेकिन आप इन्क्वायरी कराते नहीं हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : करा देंगे, करा देंगे।

श्री हाजी जान मोहम्मद खां : शुक्रिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री हाजी जान मोहम्मद खां)

मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे वहां पर बहुत ज्यादा मच्छर हैं पैदा हो गये है और पिड़ावा में म्युनिसिपैलेटि है वह कुछ करती नहीं है। अगर ऐसी गंदगी रही तो वहां के लोग बीमार हो जायेंगे। पिड़ावा में अभी नयी म्युनिसिपैलिटि बनी है और वहां अभी से घोटाले शुरु कर दिये हैं। इसके अलावा, मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पिड़ावा में म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन नहीं हुए। एक ही म्युनिसिपैलिटी है और वहां के प्रशासक को कोई वहां के काम में दिलचस्पी भी नहीं है इसलिए वहां इलेक्शन जल्दी से जल्दी करायें जायें ताकि जनता को आराम मिल सके।

मैंने जो बातें अर्ज की हैं और जो घोटाले हुए है उसके लिए आप एक्शन लें। कोई 60 हजार रु. खाये बैठा है और कोई 12 हजार रु. खाये बैठा है और आप इन्क्वायरी क्यों नहीं कराते, मैं चौधरी साहब से कहूंगा कि इसकी इन्क्वारी होनी चाहिये। ऐसा वह अपने जवाबी भाषण में कहें। 12 हजार रुपया और मोदियाखेड़ी में जो अध्यक्ष और मन्त्री ने खाया था मेहरबानी करके उसकी इन्क्वायरी कराइये ताकि जनता को जो परेशानी है वह दूर हो। और दोषियों को सजा मिले।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं बोलेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आपका आदेश हो। मैंने इसलिए गुजारिश की थी कि आज कम बोलने वाले माननीय सदस्य थे और मैं दो मिनट अपनी बात कह सकूंगा। मैं तो माननीय मंत्री महोदय का दो बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज सहकारिता के बारे में काफी तरह की चर्चा हुई हैं और खास तौर से राजस्थान के अन्दर सहकारी आन्दोलन असफलता के क्या कारण रहे उसके बारे में भी हमको सोचना होगा। वैसे माननीय मंत्री जी को यह विभाग संभाले हुए एक वर्ष का समय भी नहीं हुआ है लेकिन हम कहें कि यह एक साल की बीमारी है और एक साल के अन्दर ही सहकारिता का आन्दोलन फेल हो गया मैं उससे सहमत नहीं हूं। यह तो काफी समय से जो बुनियादी ढांचे में कमजोरियां चली आ रही हैं उनके कारण ही यह सहकारिता का आन्दोलन राजस्थान में जो इस आन्दोलन को सफलता प्राप्त करनी चाहिये थी वह सफलता हम प्राप्त नहीं कर सके। अब इस दिशा के अन्दर सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है? आज मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बारे में भी कम से कम यहां पर विस्तार से चर्चा अवश्य हो और इसके साथ एक चीज की ओर प्रक्रिया अपना लें कि आजकल गबन के मामले बढ़ रहे है और उनको किस तरह से रोका जा सकता है। मैं किसी सोसायटी का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि व्यक्तिगत आक्षेप लगाऊं यहां बैठकर लेकिन मेरी जानकारी में है कि बहुत सी ग्राम सेवक सहकारी समितियों मे आज सबसे ज्यादा गड़बड़ियां होती हैं। वह यह होती है कि जो सेक्रेटरीज वहां होते हैं वह पढ़े लिखे होते हैं और जो उनके पदाधिकारी होते हैं अध्यक्ष हैं या दूसरे हैं, ट्रेजरार्स हैं अमूमन

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

वह लोग कम पढ़े लिखे होते हैं या उन्हें अनपढ़ ही कहना चाहिये और वहां पर बड़े भयंकर गबन हैं। ग्राम सेवक सहकारी समितियों का रुपया उठा कर ले गये और पता लगा कि आधे से अधिक फर्जी वाउचर बना लिए गये और लोगों के अंगूठे और दस्तखत करा लिए गये और पता चला कि सेक्रेटरी साहब, अध्यक्ष और खजांची मिलकर उस रुपये को साफ कर गये। फिर वसूली के समय पता नहीं कहां गलती है वह रुपया जो लोन इन्सपेक्टर बैठा रहता है वह रुपया जमा करा देता है उसके बाद और वह रुपया 15 दिन के बाद ही वापिस ले लिया जाता है और लोन इन्सपेक्टर खा जाता है। यह प्रक्रिया है। पता ही नहीं लगता, ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं। तो इसके लिए सुझाव देना चाहता हूं कि कम से कम आप यह प्रक्रिया अपनायें। उसमें कमी होती है और सेक्रेटरी को बैंक अपाइन्ट करता है। 70 हजार रुपया मिला पकड़े गये और नौकरी छोड़कर रवाना हो गए और फिर 409 के केसज बनते हैं। आपने कई जगह मामले पुलिस में दे रखे हैं लेकिन वह पुलिस वाले कार्यवाही नहीं करते। क्योंकि जैसी व्यवस्था है उनको दिलचस्पी नहीं है क्योंकि इसमें काफी अकल लगानी पड़ती है। तो वह दिलचस्पी लेते नहीं हैं। आपके एक्शन लेने के बाद नतीजा कुछ निकलना चाहिये लेकिन नहीं निकलता है। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपका डेपुटेशन बैंक के अन्दर है उनको रेस्पोन्सिबिल बनाना चाहिए, आज उनके सर्किल के अन्दर पंचायत समिति में सी. ई. ओ. बैठे हुए हैं, उनके सर्किल के अन्दर गबन होते हैं, कई प्रकार की गड़बड़ियां होती हैं तो वह उनकी नेग्लिजेन्स की वजह से होती हैं, उनको सस्पेन्ड कर दिया जाय क्योंकि हम इस आन्दोलन को गबन ज्यादा होने के कारण और भ्रष्टाचार ज्यादा होने से इसको रोक तो सकते नहीं, इसको तो आगे बढ़ाना बहुत आवश्यक है। लेकिन जो कमियां इसमें हमको नजर आ रहीं हैं, जो कमजोरियां इसके अन्दर घर कर गई हैं उनको रोकने के लिये जो व्यवस्था करनी चाहिए वह व्यवस्था आपके हाथ में है, आप इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिये। कहीं न कहीं तो कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। दूसरी बात माननीय मन्त्रीजी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह मैं आपको एक थोड़ा कड़वा सुझाव दे रहा हूं. और इसका काफी विरोध भी हो सकता है, लेकिन मेरी मान्यता है कि इस सब बीमारी को एक दफा आपको जड़ से खत्म करना हो पड़ेगा। मध्यप्रदेश सरकार ने भी ऐसा किया है, उन्होंने एक कलम के झटके से सहकारी बैंकों के बोर्डों को साफ कर दिया, आप भी इसी तरह से एक कलम से समाप्त कर दीजिये और तीन साल या पांच वर्ष की अवधि के लिये नोमीनेशन बोर्ड कायम कर दीजिये। यह बहुत संभव है कि उसमें अच्छे लोग भी आयेंगे, सारे जिलों में ईमानदार और भले आदमी भी मिल जायेंगे, बिल्कुल ही ऐसी बात नहीं है कि ईमानदार और अच्छे कार्यकर्ता है ही नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सहकारिता में जो बीमारी आज घुस गई है 25 वर्षों से, जो वसूलियां नहीं हो रही हैं, मेरी राय में आपको इसमें काफी कठिनाई का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक सिद्धान्त बना दें कोई फार्मूला निश्चित कर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

में और एक कलम से सीधा आदेश कर दें पुराने बोर्ड को खत्म कर दें जैसा कि मध्यप्रदेश में किया गया है, कई लोग यह भी कहेंगे कि यह तो एक अनडेमोक्रेटिक स्टेप है और इससे तो आप प्रजातन्त्र को समाप्त ही कर देना चाहते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो कैन्सर का रोग जो इसमें घुस गया है, उसको तो समाप्त करना ही पड़ेगा, एक बार तो आपको यह कदम उठाना ही पड़ेगा, और आप इसको करिये क्योंकि आप इसके लिए सक्षम हैं, मेरी आपसे बात भी हुई है, इस सदन के बाहर और भार। इसको करना भी चाहते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : तब तो आपको आश्वासन भी जरूर देंगे, आपसे बात हुई है तो।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आश्वासन देंगे या नहीं देंगे, यह मैं नहीं कह सकता और न मैं यह चाहता हूं लेकिन इतना जरूर चाहता हूं कि आप विचार कीजिये इस पर और मन्त्रिमन्डल में भी इस पर विचार किया जाय। यह सब व्यवस्था आप करें, ऐसा कदम उठाया जाता है तो यह एक राजस्थान में ऐतिहासिक कदम होगा। सहकारिता में बहुत से गड़बड़ घोटाले हैं इसलिए मेरा सुझाव है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भी एक नये सिरे से प्रयास की आवश्यकता है, उनमें एक नया सिस्टम लागू किया जा सके, उनमें आमूल चूल परिवर्तन किया जा सके तब तो शायद कुछ लाभ हो सकेगा और सहकारी आन्दोलन आगे बढ़ सकेगा नहीं तो जो स्टेट बैंक एडवान्स कर रहे हैं, जो रुपया सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक एडवान्स कर रहा है जो हमको नहीं मिल पा रहा है और हमारे टारजेट भी उचीव नहीं हो पा रहे हैं इसलिए इस ओर प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका एक मुख्य कारण यह भी है। इसको करने में कई प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं कई बाधायें आ सकती हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, इन्हीं दो बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रणजीतसिंह।

श्री रणजीतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो सहकारिता की बात है, सहकारिता हिन्दुस्तान में किस कारण से आई, जब तक इस पहलू को नहीं समझा जाता, तब तक सहकारिता आगे नहीं बढ़ सकती। सहकारिता के जरिये हम गरीब तबके को जिसको पैसे की जरूरत है, उसको पैसा मुहय्या करके उसको ऊपर उठाना चाहते हैं। गरीब जन्मा गरीबी में, मरा गरीबी में। किसान जन्मा गरीबी में और मरा गरीबी में। उसके बाद में परिस्थितियां बदलीं, जब आदमी यह कहकर बात टालता गया, इतने वर्षों तक कि किसी के करम ही ऐसे होते हैं। कर्ज करने के नाम पर गरीब किसान पिसता रहा और उसको राहत नहीं मिली। गरीब को पहले भी कर्ज दिया जाता था, पहले कर्ज वो देते थे कि जिनका वह शिकार था। जागीरदारी प्रथा थी, राजाशाही थी, जागीरदारी प्रथा की पीढ़ियां पहले जब यह प्रथा बनी थी उस वक्त चलन अच्छा था और अच्छे चलन के कारण गरीब तबके को जिसको शादी ब्याह और खेती करने के लिये पैसे की जरूरत थी, जागीरदार लोग पैसों के लेन-देन का काम

(श्री रणजीत सिंह)

करते थे और यह काम वे पीढ़ियों तक करते रहे। उसके बाद में आदमियों ने उन कर्ज लेने वालों के ऊपर जुल्म और ज्यादतियां की जिसका नतीजा यह निकला कि गरीब तबका तंग आ गया और बीच में आया साहूकार और आया महाजन-बनिया आया उनको बजाय कि जो पैसा लेते हैं उस वक्त नहीं करके लेने के वक्त तंग किया करते थे इस तरह से यह धन्धा जागीरदारों से बनियों के पास आया। बनिये ने भी इस धन्धे को कुछ वर्षों तक तो अच्छी तरह से निभाया और इससे गरीबों को राहत भी मिली। उसके बाद में ज्यों-ज्यों समय निकलता गया, कुछ पीढ़ियां चलती गयी तो महाजन ने भी गरीबों का शोषण करना शुरू कर दिया और शोषण ही नहीं जिस लैंग्वेज के अन्दर, जिस भाषा के अन्दर जिस चीज में वह फायदा कर सकता था, हमारे मारवाड़ी के अन्दर नारियल को खोपरा कहते हैं। अगर वह खोपरा देता और वापिस हिसाब करता जब बनिया उनको टोपा बनाकर पैसा वसूल करता यानि दो आने की चीज के कई रुपये 30–40 रुपये तक, दो आने की चीज के 50 रुपये तक वसूल कर लेता और जब यह हालत हो गई और गरीबों का अधिक शोषण होने लगा तो उसको रोकने के लिए महात्मा गांधी ने जो चीज उनके ध्यान में आई है और वे गांवों को स्वावलम्बी बनाना चाहते थे, उस किसानों को राहत मिले, इनके लिए सहकारिता आई। महाजनों के वर्ग से जो गरीब किसान दुःखी था उसी से छुटकारा दिलाने के लिए सहकारिता हमारे देश में आई परन्तु आज इसका क्या स्वरूप हमारे देश में हो गया है। जिस तरह से, जिस उद्देश्य से सहकारिता लायी गई थी वह तो बहुत अच्छा है और इसके नतीजे भी अच्छे निकलने चाहिए, कुछ नतीजे इसके अच्छे भी निकले हैं, कुछ अच्छे प्रयास भी किये गये हैं उनके परिणाम भी अच्छे आये हैं, लेकिन जो बुराइयां इसके अन्दर घुस गई हैं मैं उनकी तरफ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिस प्रकार से हम बनियों के चंगुल से किसानों को छुटकारा दिलाना चाहते हैं सहकारिता के माध्यम से उसी तरह से आज हम देख रहे हैं कि कुछ लोग सहकारिता में आज हावी हो रहे हैं। पहले यहां से पंचायत राज की एक कमेटी बनी थी जिसमें गिरधारीलाल व्यास भी थे·······

श्री रामनारायण चौधरी (सहकारिता मंत्री) : आज तो पंचायत राज नहीं है।

श्री रणजीत सिंह : जो उस वक्त भ्रमण करने गई थी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मन्त्री जी भी मेम्बर थे उसके।

श्री रणजीत सिंह : तो दिल्ली पहुंचने के ऊपर उन्होंने पंचायती राजतंत्र और सहकारिता के ऊपर प्रधान मंत्री ने विचार प्रगट किए थे। उनसे पूछा था कि आपके विचार क्या हैं तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि पंचायती राज और सहकारिता का राज्य है क्या हिन्दुस्तान के अन्दर। यानि जिस रूप में सहकारिता आनी चाहिए थी वह सही रूप·······

श्री रामनारायण चौधरी : यह आप अपनी तो नहीं कह रहे हैं।

श्री रणजीत सिंह : नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है जिस रूप में आज सहकारिता की तरफ आगे अगर बढ़ सकते हैं तो सहकारिता को जो कर्जा आज मिल रहा है वह कर्जा तीन तरह से मिलता है काश्तकार को । सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक है जो जिले के ऊपर कायम किया हुआ है और दूसरा अपेक्स बैंक है जो जयपुर लेवल पर है और तीसरा रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक से यह तीनों जगह चल कर चौथी जगह ग्राम सेवा सहकारी समिति है उसके माध्यम से काश्तकार को ऋण मिलता है। पर आज की हालत यह है कि जो बड़े 2 शुरू से मठाधीश थे उन्होंने सहकारिता पर, ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर कब्जा कर रखा है और कब्जा करने के बारे में अभी कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि कुछ आदमियों को पता ही नहीं है कि हम सहकारी समिति के मेम्बर हैं या नहीं और उनके नाम से पैसा उठाता है और वापस बैंक में जमा भी हो गया क्योंकि वही पदाधिकारी कई वर्षों से चले आ रहे हैं। तो वहां पर जो गड़बड़ है, उसका कारण यही है कि वही लोग वहां पर हैं और यही कारण है कि आज जगह जगह सेंट्रल को–आपरेटिव बैंक्स डिफाल्टर होते जाते हैं, अपेक्स बैंक की वजह से हो रहे हैं, रिजर्व बैंक को डिफाल्टर होते हैं और वहां का सारा मामला ठप्प हो जाता मैं एक बात और निवेदन करता हूं कि जहां कहीं गरीब तबके को पैसा मिला हैं आप कोई कमेटी बना कर पता लगा लीजिए या आप अपने लेवल से लगा लीजिए गरीबों में कोई पांच पर्सेंट रह गए हों तो रहे हों, मैं नहीं कह सकता लेकिन अधिकतर जो डिफाल्टर हैं वह सब के सब बड़े आदमी हैं। उनको कोई कहने वाला नहीं, इसलिए इस बात पर अंकुश लगाया जा सके तो इन बैंकों की हालत सुधर सकती है, वरना दिनों दिन बैंकों की हालत खराब हो रही है। कुछ हमने ठेकेदारी प्रथा थी उसको समाप्त करने के लिए हमने कहा कि श्रमिक सहकारी समितियां बना लीजिए जिनके मार्फत काम किया जावे। जैसे ही यह सुझाव आया सबसे पहले ठेका सहकारी समितियां बनाई तो इन बड़े-बड़े ठेकेदारों ने बनाई जो ठेके का काम करते थे और फर्जी नामों को लिख कर, फर्जी नामों से रजिस्टर्ड करवा कर और आज उसी रूप में वह श्रमिक ठेका सहकारी समितियां जगह-जगह पर चल रही हैं जिनका स्वरूप दूसरा है, काम करने का तरीका दूसरा है। यानि जो स्वरूप हम सहकारी समितियों को देना चाहते थे वह श्रमिकों को नहीं मिल पाता। आज राजस्थान में करीब 8–9 इस तरह की सहकारी समितियां हैं। जिस जिस सोगे में ये घुसना चाहते हैं उसमें बड़े-बड़े आदमी अपनी सहकारी समितियों के नाम से घुस जाते हैं। अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि आज गांवों में गरीब तबकों को भू-खण्ड मुहैय्या किया गया है, यह एक अच्छी प्रथा है। अच्छी चीज निकाली गई है और उसके ऊपर गृह निर्माण सहकारी समिति बना करके उनको मकान बनाने के लिए कर्जा मिलेगा। यह बात करीब दो साल पहले आई थी और दो साल पहले हमने जोधपुर जिले के अन्दर काफी सहकारी समितियां रजिस्टर्ड करवाई और उनकी फार्मेलिटिज के लिए कागज तैयार करवाते करवाते बड़ी मुश्किल से कोई चार-पांच सहकारी समितियां, गृह निर्माण सहकारी समितियों को पैसा मिला है क्योंकि लोगों का बड़ा योगदान रहा है।

(श्री रणजीत सिंह)

सौ रुपया वह मेम्बर देगा और तीन सौ रुपया समाज कल्याण विभाग की तरफ से उनके शेयर में शेयर मनी दी गई है। चार सौ रुपये के शेयर पर चार हजार रुपया कर्जा मिलेगा और उसका ईंटरेस्ट राजस्थान पे करेगा, वह गरीब आदमी पे नहीं करेगा बल्कि राजस्थान की जनता पे करेगी और उसमें भी आज किस तरह से हालत बन रही है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं खत्म कर रहा हूं साहब दो तीन मिनिट में। तो जब वह फार्मलिटिज पूरी हुई तो आज पूरे के पूरे कागजात देखे जायं तो कम से कम एक आदमी से उठ नहीं सकते, इतनी फार्मलिटिज थीं। अब करीब 15 दिनों पहले बैंक ने एक अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट इस बात का किया है कि उसी सहकारी समिति के सदस्य को जो मकान बनाने जा रहा है. गरीब आदमी, दलित वर्ग का आदमी जिसकी साल की साढ़े तीन हजार की इन्कम नहीं होगी उसको ऋण नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए वह गांव का वाशिन्दा है, खेतिहर मजदूर है और उसकी जमीन इतनी नहीं हैं कि जिससे साढ़े तीन हजार रुपया साल की इन्कम हो सके, जो डेजर्ट का रहने वाला है तो कैसे उसकी साढे तीन हजार की इन्कम होगी और उसको ऋण नहीं मिलेगा। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय कि यह अभी जो हुआ है और उसके जरिये से एक भी गृह निर्माण सहकारी समिति के जो लोग हैं, दलित वर्ग हैं उनमें किसी को कर्जा नहीं मिल सकेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें कुछ आप पुनर्विचार करके अगर इनको कर्जा दिलवाना है, आपको सहकारिता के माध्यम से गरीबों को राहत दिलवानी है जब तो उस अमेंडमेंट को आप अमेंड करके इस बात को चेंज कीजिए वरना यह जितने पांच लाख दिये हैं यहां हाउस में तालियां बजाते हैं. गांवों में प्रचार भी करते हैं लेकिन एक दिन यही हालत होगी जैसी बनियों की हालत हुई है, वही हालत सहकारी समितियों की जनता कर देगी। क्योंकि जनता के पास पहुंचाने का सहकारी समिति एक साधन है जिसका सदुपयोग नहीं कर सकेंगे।

एक मेरा निवेदन करना है कि आज जगह-जगह डेजर्ट में और दूसरी जगह डेरीज की होड़ लगी है, दुग्ध सहकारी समितियों की होड़ लगी है। दूध उत्पादन सहकारी समितियों में भी वहां पर गरीब तबके के लोगों को शामिल नहीं किया जाता है। बड़े-बड़े आदमियों ने सोसायटियां बना ली और उसके अन्दर उन गरीबों को घुसने नहीं दिया जाता है। सहकारी समितियों के अन्दर गरीब आदमियों को आगे नहीं आने दिया जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मेम्बरशिप के अन्दर भी कुछ आप ऐसा कर दीजिए कि इतने आदमियों में इतने शिड्यूल्ड कास्ट के होंगे वरना आप रजिस्टर नहीं करेंगे।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि जो मनीलैंडिंग का काम है, अभी शारदाजी ने कहा कि मनीलैंडिंग का यह लाइसेंस का काम दिया हुआ है, अभी आप ताज्जुब करेंगे कि आज गांवों की क्या हालत है। क्योंकि राजस्थान की अलग-अलग भौगोलिक स्थिति है, अलग-अलग गांवों की

(श्री रणजीत सिंह)

हालत है। मैं तो वहां की हालत कहता हूं जो डेजर्ट की है। वहां पर राजस्थान के कोपरेटिव डिपार्टमेंट का आदमी गया और उसकी खातिर तवज्जोह में कमी रह गई जो चाहे वह खेती करने वाला हो चाहे भेड़ चराने वाला हो, चाहे गाय चराने वाला हो, चाहे सुनार का काम करता हो और चाहे लुहार का काम करता हो, आते ही एक नोटिस देता है कि तुम तुम्हारा रिकार्ड लेन देन का धन्धा करते हो, वह रिकार्ड लाओ। अब वह लेन देन का धन्धा करता ही नहीं हो, जो गरीब मजदूरी कर रहा है वह क्या लेन-देन करेगा। लेकिन यह हालत है कोपरेटिव डिपार्टमेंट की, क्योंकि उन आदमियों की सूझबूझ नहीं होकर मनीलैंडिंग का लाईसेंस देने का ठेका है वह ऐसे आदमियों के हाथों में दे दिया गया है जिन आदमियों का नीचे के तबके से लेकर ऊपर लेवल तक, ए.आर. से लेकर असिस्टेंट इंस्पेक्टर और कोपरेटिव के मैनेजर तक यह लिंक बंधा हुआ है जो भ्रष्टता का अड्डा बना हुआ है। इसलिए इन आदमियों के हाथ से लेकर अगर कलेक्टर के हाथ में रहता तो बहुत अच्छा रहता। अगर कलेक्टर के नीचे होता, डिप्टी रजिस्टार के लेवल पर होता तो जगह-जगह यह परेशान नहीं करते। दूसरा निवेदन है कि यह जो डिपार्टमेंट के अन्दर जो आदमी बैठे हुए हैं वह जिम्मेदारी कोई नहीं लेते। अगर जिम्मेदारी लें तो इतना बकाया रहने का सवाल नहीं है, इतना घपला होने का सवाल पैदा नहीं होता। आज रजिस्ट्रार कोपरेटिव सोसायटी का है अगर वही आदमी परमानेंट रहता है कुछ वर्षों तक तो वह उसमें दिलचस्पी लेगा लेकिन उनके दिमाग में तो यह रहता है कि समय पास करके जाना है इसलिए दिलचस्पी में जाने का सवाल नहीं है। इसलिए सरकार का दिमाग यह होना चाहिए कि यहां पर रजिस्ट्रार रखेंगे तो वह इतने साल तक रहेगा, परमानेंटली इतने समय तक रहेगा, उसको बाहर भेज कर ट्रेनिंग दिला कर माहिर होकर आए कि कोपरेटिव मूवमेन्ट को कैसे आगे बढ़ायें तो वह दिलचस्पी से काम कर सकता है। वरना साल छः महीने में वह भी भागने की कोशिश करता है, उसको भी यह डर रहता है कि कहीं मैं भी इस उलझन में नहीं फंस जाऊं। इसमें बहुत उलझनें हैं इसलिए उस जाल से निकलने के लिए जो भी कोई आता है वह जाने की कोशिश करता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी हैड आफ दी डिपार्टमेंट हो वह आदमी इसी बात के लिए ट्रेनिंग शुदा होना चाहिए, उसको आप बाहर भेजें, रशिया भेजें और कहीं भेजें जहां कोआपरेटिव मूवमेन्ट ठीक से चलता है वहां भेज कर ट्रेनिंग लेकर कोआपरेटिव मूवमेंट को जिम्मेदारी से चलाये। इसलिए मेरा निवेदन करना है।

एक मिनिट थोड़ा सा नगर न्यास के मामले में भी निवेदन कर दूं। नगर न्यास का मामला नगरों से सम्बन्धित है लेकिन हमारे वहां तो नगरपालिका भी नहीं है। मेरा ज्यादा नगरपालिकाओं से सम्बन्ध नहीं है क्योंकि मेरा इससे वास्ता नहीं है; पर मैं कह सकता हूं कि जगह 2 देखते हैं नगर न्यासों के अन्दर जो नगर सुधार बोर्ड थे उसके अन्दर पहले नोन आफिशियल चेयरमेन था। नोन आफिशियल चेयरमेन की वजह से कॉफी जगह शिकायतें आईं, काफी-

Page No 152

(152)

(श्री रणजीत सिंह)
जगह आपाधापी हुई थी उन्होंने जमीनें ले ली उसकी वजह से वह चीज खत्म करनी पड़ी। हो सकता है चन्द आदमी खराब हों पर उनकी इमेज अच्छी नहीं रही इसलिए इसके बाद में कलेक्टर को लगाया था। यह भी हालत सुनो–गंगापुर सिटी की। उन्होंने क्या-क्या नहीं किया। इसलिए यह सोच लें कि कलक्टर को लगाने से मामला सुधर जाएगा, यह ठीक नहीं है। कुछ आई. ए. एस. अच्छे हैं, तो कुछ आई. ए. एस. खराब भी हैं। जहां अच्छे हैं वहां इमेज बनी है और जहां खराब रहे वहां इमेज खराब हुई है, बिगड़ी है। गरीब आदमी को भू-खण्ड देने का सवाल है। कोई भी चेयरमेन रहा हो, चाहे आफिशियल रहा हो, चाहे नोन आफिशियल रहा हो, उन्होंने खुद के नाम से न लेकर अपने भाई, भतीजे के नाम से कमाया है, भू-खंड लिये हैं और बहुत बड़ी सम्पत्ति हड़पी है। इसलिए मेरा निवेदन है, एक ही काम कर दीजिये, अगर किसी चेयरमेन के गलत कार्य आपके नोटिस में आये तो उसको आप एक ही झटके में खारिज कर दीजिये, समाप्त कर दीजिये और उस जमीन को राज्य अपने कब्जे में ले ले। जहां कलेक्टर काम कर रहे हैं वहां भी यह काम हुआ है गलत। जोधपुर का तो मुझे एक्सपीरियंस है। जो भी वहां रहा उसने प्लॉट लेकर बंगला बनाया है। बंगला भी आलीशान बनाया है। जितने भी गजेटेड आफिसर हैं वे सरकार को इनकम टैक्स देते हैं। और साथ ही अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देते हैं। इनकम टैक्स के अन्दर अन्दाज लगाइये तीस हजार की बतायी है लागत, बीस हजार लोन और दस हजार तनख्वाह से बचत बतायी है। इसके अलावा कई राज्य कर्मचारियों के मकान हैं–मैं किसी व्यक्ति विशेष में नहीं जाना चाहता। वहां पर एक शास्त्रीनगर बसा है। आप वहां पर जाएंगे तो सौ में से 95 पर्सेन्ट आदमी ऐसे हैं जो बड़े राज्य कर्मचारी हैं और बड़ी रिश्वत खाने वाले हैं। जिन्होंने तीस हजार से मकान बनाना बताया है उस मकान को आप देखेंगे तो वह मकान दो लाख का होगा। इनकम टैक्स वाले उधर नहीं जाते हैं। वे तो केवल आंकड़े देखते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय आपको मार्फत इनके ऊपर सरकार को नियन्त्रण करना चाहिये और इन्क्वायरी करा कर सरकार को इन बंगलों को अपने कब्जे में लेना चाहिये तो भविष्य में कोई मेम्बर आपाधापी नहीं करेगा। राज्य के बड़े कर्मचारियों ने जिन मकानों की तीस हजार की लागत बतायी है उनको चालीस हजार देकर मकान सरकार ले ले इससे सरकार को एक लाख साठ हजार का फायदा होगा–इन लोगों ने जनता को चूसा है। जनता का पैसा जनता के खजाने में वापिस आ जायेगा। इसलिए यह अगर आप कर देते हैं तो यह बहुत बड़ा समाजवादी कदम होगा वरना यह को-आपरेटिव डिपार्टमेन्ट एक उलझा हुआ जाल है, उससे निकलना मुश्किल होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृत लाल गहलोत।

श्री अमृतलाल गहलोत (जोधपुर-सरदारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय 15

(श्री अमृतलाल गहलोत)

मिनिट लूंगा। आपकी कृपा हो जावे तो अच्छा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले सहकारिता के अपने कटौती प्रस्ताव के बारे में विचार व्यक्त करूंगा। सहकारिता इस देश में 70 वर्ष पुराना आन्दोलन है। कानून के मुताबिक। 1905 में पहला कानून बना और एक को-आपरेटिव एक्ट बना। कुछ सहकारी संस्थाएं पुरानी हैं और वे आज भी चल रही हैं। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सहकारी आन्दोलन के बारे में बताया कि इसमें बहुत बुराइयां हैं और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी आन्दोलन केवल लोकतांत्रिक नहीं है। यह वास्तव में ईमानदार व्यक्तियों का आन्दोलन है। यह कोई पढ़े-लिखे लोगों का आन्दोलन नहीं है जैसे जोधपुर का सहकारी बाजार है, जो कि आज डेटोराइट हो चुका है, जयपुर का सहकारी बाजार है जो भी समाप्त हो गया है ये जो पढ़े-लिखे पहलवान इसमें इकट्ठे हो गये है उन्होंने ही यह बनाया है। मैं यह कह रहा था कि सन् 1905 में इस देश में सहकारी आन्दोलन का जन्म हुआ और इसके हमारे नेता थे श्री निवास शास्त्री। उन्होंने को-आपरेटिव के नाम से कन्जूमर्स की मद्रास में एक सोसाइटी कायम की। यह सोसाइटी बड़ी अच्छी संस्था है। यह एक बेस्ट कन्जूमर को-आपरेटिव स्टोर है। इसके बाद 1945 के लगभग बल्लभ भाई पटेल ने अपने गांव आनन्द में एक खेड़ा मिल्क कोआपरेटिव यूनियन बनाई इसमें 70/80 करोड़ का उत्पादन होता है। प्रथम दिन 460 किलो दूध आनन्द से बम्बई ले जाया गया था इस संस्था द्वारा। इसी तरह से महाराष्ट्र की शुगर मिल्स की तारीफ हमने सुनी है-यह अहमदनगर जिले में है। इसकी स्थापना करने वाले कोई पाटिल थे एस. के. पाटिल नहीं। कोई दूसरे पाटिल थे। वहां की मिल आज भी अपने किसानों को गन्ने का ज्यादा मूल्य देती है बजाय दूसरे निजी मिलों के, देश की दूसरी मिलों के। आज आनंद की खेडा मिल्क को-आपरेटिव यूनियन के क्षेत्र में काम करने वाले किसानों की आमदनी दुगुनी हो गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि को-आपरेटिव सोसाइटी की सफलता या असफलता निर्भर करती है व्यक्तियों पर—जो इस को-आपरेटिव के अंग हैं और जैसे इसके आफिस बियरर होंगे, आफिस बियरर जैसे बनते हैं वैसे ही यह चलती है। उन्हीं पर यह निर्भर है। इस देश में एक आई.सी.एस. अंग्रेज अफसर आये थे। उन्होंने यह जांच की कि इस देश में को-आपरेटिव मूवमेन्ट किस तरफ मोड ले रहा है। क्या मोड़ आया है। वह रिपोर्ट मैंने पढ़ी है। उसका नाम था—सर मलकम डारलिंग आई.सी.एस.। वे अनडिवाइडेड बंगाल में रजिस्ट्रार थे और उनकी किताब का नाम है—Certain Aspects of the Cooperative Movement in India उन्होंने इसमे लिखा है जिस तेज गति से इस देश में सहकारी आन्दोलन संगठित हो रहा है उसी तेज गति से क्वालिटी में डेटोरिएशन आ रहा है। और वास्तव में यह आ गया है। जब हम कोआपरेटिव सोसाइटी, कोआपरेटिव मूवमेन्ट का मूल्यांकन करते हैं, विभाग की तरफ से यह बताया जाता है कितनी कितनी समितियां पंजीकृत हुई हैं, कितने इसके सदस्य हैं और कितना उन्होंने बिजनेस

(श्री अमृत लाल गहलोत)

ट्रान्जेक्ट किया है, शार्ट टर्म, मिड टर्म लोन कितना कितना दिया है, कितना माल बेचा और कितने ठेके लिये है, यह सब उस पुस्तिका में विभाग की ओर से बताया जाता है किन्तु यह नहीं बताया जाता है कि वास्तव में क्वालिटी कैसी रही ? उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस कोआपरेटिव मूवमेन्ट से पिछले 15/16 वर्ष का अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि इस कोआपरेटिव मूवमेन्ट में ऐसे व्यक्ति अधिकतर आते है जिनका चरित्र सन्देहजनक रहा है और वे कोआपरेटिव्ज में केवल सुविधा और प्रोटेक्शन के लिए आते हैं, सबसीडी प्राप्त करने के लिए आते और उसको वे दुरुपयोग करते हैं । न तो उनका विश्वास इस कोआपरेटिव मूवमेन्ट में है और न ही जनता की सेवा करने का उनका विश्वास है । वे अपने तरीके से मेनीपुलेशन करते हैं मूवमेन्ट में और इसका नतीजा यह है कि प्रदेश में कोआपरेटिव मूवमेन्ट का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है । श्री बी. डी. पाण्डे, आई. सी. एस. डवलपमेन्ट कमिश्नर ये बिहार के अपने दल के साथ पोलेन्ड, चेकोसलाविया और इजराइल वहां के कोआपरेटिव मूवमेंट का अध्ययन करने गये, इजराइल कोआपरेटिव सोसाइटीज मूवमेन्ट है उस मूवमेन्ट के बारे में लिखते है – वहां दो–तीन तरह की खेती की सोसाइटीज है। वहां किस तरह की सोसाइटी हैं। कोई इन्डस्ट्रीज के लिए सोसाइटी बनाता है, तो उस सोसाइटी के साथ एक एक्सपीरियन्सड परसन दस साल तक रखते हैं जो सोसाइटी वालों को गाइड करता रहता है । वहां पर पूरी तरह से डिसेन्ट्रलाइजेशन है । वहां के रजिस्ट्रार के आफिस में केवल 8 व्यक्ति ही काम करते हैं जो योजना का काम करते हैं । सारे इजराइल के अन्दर कोआपरेटिव मूवमेंट इसी तरह से चल रहा है जहां, कि रजिस्ट्रार आफिस में केवल 8 व्यक्ति हैं । वे बहुत ही समझदार दिमाग वाले व्यक्ति है । यह एक बहुत बड़ा मूवमेंट है । इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोआपरेटिव मूवमेंट ईमानदार व्यक्तियों का है, यह व्यवसायिक मूवमेन्ट है व्यवसायिक सोसाइटीज है तो फिर मेनेजमेन्ट की प्राब्लम आती है । मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर में होता है, पब्लिक सेक्टर में होता है, कोआपरेटिव सेक्टर में होता है । अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो वह संस्था फेल होगी । वैसे कोआपरेटिव मूवमेंट हमारा लक्ष्य नहीं है । वह साधन है । लक्ष्य हमारा जन-कल्याण है । अगर कोआपरेटिव मूवमेंट समाज की सेवा नहीं कर पाता है वह फेल हो गया है तो उसको खत्म कर दें । उसको ठीक करने के लिए मैनेजमेंट अच्छा होना चहिए । मैनेजमेंट की परिभाषा उत्पादन अच्छा होना चाहिए, object upon in put अगर कोआपरेटिव मूवमेंट अच्छा, सस्ता और आसानी से माल उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से दे सकता है तो कोआपरेटिव मूवमेंट पनपेगा, वर्ना फेल होगा । यदि इस मूवमेंट की जड़ों को हम देखें तो जैसा क्षेत्र है वैसी ही संस्था बनेगी । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि इस कोआपरेटिव मूवमेंट में सख्ती की जरूरत है । इन्सपेक्शन और आडिट कड़ाई से होना चाहिए, और जो गुनाहगार होते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए ।

(श्री अमृतलाल गहलोत)

अब मैं आता हूं नगरपरिषदों की ओर नगर परिषदों की हालत चिन्ताजनक है पैसों के मामले में। नगरपरिषदों को साधारणतया आप एक रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1961 की आबादी के हिसाब से अनुदान देते हैं और एन्टरटेनमेन्ट टैक्स अब दूना कर दिया है वह देते हैं। 5,34,000 हजार इज हिसाब से मिलना शुरू होगा मेरी नगरपरिषद को। इसके मिलने वावजूद नगर परिषदें अपने कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं दे पा रही हैं और अब तक नहीं दे पा रही है। इस समय मेरी नगर परिषद में प्रशासक काम कर रहा है। वह ठीक आदमी हैं। चुनावों की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि डिलिमिटेशन आफ कान्स्टीटुएन्सी का काम हो रहा है। उसमें कुछ समय लगेगा। आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि प्रशासक तो ठीक काम कर रहा है लेकिन उसके नीचे ढंग का स्टाफ नहीं है। उनको इस ढंग से लिया जाय कि अगर वे हाउस टैक्स ही लें वे पूरा तो जो घाटे में चलने वाली नगरपरिषद है वह 10 लाख रु. सरप्लस दे सकती है विकास के लिए बशर्ते कि उनको फ्री हैण्ड दिया जाय और सख्ती से लागू करें। उनको पूरी छूट दें। मेरे सुनने में आया है कि उन्होंने अभी कुछ कमोडिटीज पर आक्ट्राय लगाया था वह आपने कम कर दिया। हमारी आमदनी के और भी बहुत से तरीके हैं। आक्ट्राय के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस पर एक कमेटी केसकर कमेटी बैठाई गई थी। उन्होंने कहा कि आक्ट्राय एबालिश कर दो। आन्ध्र प्रदेश में तत्काल प्रयत्न हुए। आक्ट्राय एबालिश कर दिया और टर्न ओवर टैक्स लागू कर दिया। इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद आक्ट्राय अबोलिस हो रहा है और टर्न ओवर टेक्स लगाया जा रहा है। आक्ट्राय एडवेलेरम टेक्स नहीं हैं भाव बढ़ जाते हैं तो आक्ट्राय की आमदनी नहीं बढ़ती है इसको मिटाकर अन्य राज्यों की तरह से टर्न ओवर टैक्स लगाये जायं। उनके बारे में विचार करें और एक्जामिन करें कि कास्ट आफ कलेक्शन क्या आती है ?

पेट्रोलियम प्राइस हमारे लिए तिगुनी हो गई है और दुनिया में चार गुनी हो गई है। फर्टीलाइजर के भाव भी दुगने हो गये हैं। हमारे बड़े शहरों में कचरा ढोने के लिए गाड़ियां चलती हैं। वहां पर कचरा कूड़ा-करकट बड़ी तादाद में होता है, और उसको ढंग से कम्पोस्ट करने का और उपयोग करने का कोई साधन नहीं है यदि उसको ढंग से किया जाय तो हमारे यहां बड़े शहरों में कम से कम 5 लाख टन गारबेज कम्पोस्ट तैयार किया जा सकता है जिसकी वेल्यू काफी होती है। अनाज के उत्पादन के लिए यह गारबेज कम्पोस्ट खाद की तरह काम करेगा। पिछले वर्ष स्वायत्त शासन विभाग ने दो शहरों-जोधपुर और जयपुर के लिए आल इन्डिया सेन्ट्रल पब्लिक हैल्थ रिसर्च इन्स्टीट्यूट को दो स्कीमें बनाने के लिए 10-10 हजार एडवान्स किये कि वह गारबेज कम्पोस्ट के प्लान्ट के लिए स्कीमें दें। इस तरह के मैकेनिकल गारबेज कम्पोस्टे प्लान्ट बड़े शहरों में लग जायगा तो उसके बाद तैयार होगा गारबेज कम्पोस्ट तैयार होगा वह खेती के काम में आयेगा और शहरों की सफाई भी होगी। और इन्वेस्टमेंट की बात होगी तो [वह भी कर

(श्री अमृतलाल गहलोत)

दिया जायगा। इसके लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के पास में जायं तो वह भी मदद देंगे। इससे जो आमदनी होगी वह कास्ट आफ मेन्टीनेन्स से ज्यादा आ सकती है। अतः मेरा निवेदन है कि इस पर विचार करके कार्य रूप में परिणत करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरा नगर विकास न्यास के बारे में 5 मिनिट लूंगा। नगर विकास न्यास या अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बारे में बहुत बड़ी कन्ट्रोवर्सी यह है कि उसमें आफिशियल चेयरमैन हों या नान-आफिशियल चेयरमैन हो। जिन लोगों को नगर विकास न्यास, यू. आई. टीज का अनुभव नहीं हैं वह अपने विचार इस प्रकार से प्रकट करते हैं। उनको पता नहीं कि वहां पर क्या परिस्थितियां है। मैं नान-आफिशियल और आफिशियल की बात नहीं करता हूं मैं तो कहता हूं कि वहां पर डेडीकेटेड आदमी चाहिए। ऐसा आदमी अगर फुल टाइम नहीं मिल सके तो इससे अच्छा है कि पार्ट टाइम जो कर रहे हैं वह ठीक है। पहले जो नान-आफिशियल चेयरमैन थे उनकी अपेक्षा जब से कलेक्टर चेयरमैन हुए है ज्यादा विकास का काम हुआ है, ज्यादा प्लाट्स दिये गये। जिस वक्त में यह मालूम पड़ता तो 5-4 बड़े बड़े राजनीतिज्ञ उनके चक्कर कहने शुरू हो गये आपके पास।

एक चीज मैं यह कहूंगा कि यू. आई. टी. के बारे में कि मेरे शहर में पिछले 10 वर्षों से माननीय लोढ़ा साहब मेरे शहर से आये है वे जानते है एक घंटाघर ओवरब्रिज रोड बन रही है उस पर 22 लाख खर्च हो चुके हैं उसके रास्ते में 55-56 मकान आते है। अगर एक होल टाइम सीनियर स्केल के आर. ए. एस. आफिसर को एडिशनल कलेक्टर के पावर्स देकर भेज दें तो दो महीनों में वह सारे मकानों को देख सकता है। उसका मुश्किल से दो महीने का खर्चा 4 हजार होगा। 22 लाख रुपयों का ब्याज एक महीने का हो जाता है 22000 रुपये। वह पूरी नहीं हो रही है और दुनिया हमारा मजाक बना रही हैं कि सड़क नहीं बन रही है। अतः अगर वह सड़क बनेगी और प्लाट बिकेंगे तो उससे 50 लाख रुपया आयेगा। तो मेरा आपसे यह नम्र निवेदन है मंत्री महोदय से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि इस पर शीघ्रातिशीघ्र सोच कर आफिसर भेज दें। यू. आई. टी. तनख्वाह देने को तैयार है। रोड पूरी करने पर 22 लाख और 5-7 लाख रुपया और देंगे, मगर उससे 50 लाख आयेगा और दुनिया हमारा मजाक बनाना कम कर देगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक चीज का मैं और जिक्र करूंगा। आपने गांव वालों को 8,45,348 पट्टे दिये और हमारे शहरों में भी यह समस्या है। इसको आप ठंडे दिमाग से सोचें। आपके सचिव और अन्य परामर्शदाताओं के साथ बैठकर सोचें। शहरों के अन्दर जो कच्ची बस्तियों के रहने वाले हैं उनके अन्दर आपको प्लान करना पड़ेगा कि उनको कैसे रिसैटिल करें। समय कम है मैं और सुझाव देता, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामगोपाल : मेरा नाम दिया हुआ है। कोटा जिले से कोई बोला भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो कोई कन्सीडिरेशन नहीं है।

श्री रामगोपाल : मैंने नाम दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे पास नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन एवं सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सहकारिता और नगर विकास न्यास के सम्बन्ध में 68 माननीय सदस्यों ने सहकारिता पर 160 कटौती प्रस्ताव और नगर विकास न्यास में दिलचस्पी रखने वाले 46 माननीय सदस्यों ने 66 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करके अपनी दिलचस्पी जाहिर की है, और सदन में 16 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मान्यवर, मैंने माननीय सदस्यों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है; और जो कुछ उन्होंने फरमाया है उसको मैंने लिखने की भी चेष्टा की है।

सहकारिता के बारे में माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये और अधिकांश माननीय सदस्यों का यह मानना था कि राजस्थान के अन्दर सहकारी आन्दोलन वह रूप नहीं पा सका, उतनी मजबूत जड़ें नहीं जमा सका, उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सका जो कि वांछित थी, करना चाहिए था।

जो वांछित था, करना चाहिए था। मैं माननीय सदस्यों के इन विचारों से उपाध्यक्ष महोदय सहमत नहीं हूं। राजस्थान के अन्दर सहकारिता आन्दोलन पर विचार करते समय राजस्थान की राजनैतिक, भौगोलिक पृष्ठ भूमि जो रहो है, आजादी से पहले और उसके बाद, उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। और उसे ध्यान में रखते हुये ही सारे आन्दोलन का मूल्यांकन करना पड़ेगा। मैं बहुत पहले की पृष्ठ भूमि में नहीं जाना चाहता हूं। यह आपको पता है, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान बनने से पहले कुछ ही रियासतें थीं, जैसे भरतपुर, कोटा, अजमेर, जो सीधे अंग्रेजों के एडमिनिस्ट्रेशन में था। बाकी सम्पूर्ण राजस्थान देशी रियासतों के अन्दर था। उस समय सहकारिता आन्दोलन की तो बात ही क्या प्राथमिक शिक्षा जो नागरिक को मिलनी चाहिए थी, वह भी इस प्रदेश में उपलब्ध नहीं थी। इतने बड़े भू भाग में जहां की राजनैतिक पृष्ठभूमि यह रही हो, वहां सहकारिता आन्दोलन पहली पंचवर्षीय योजना में यहां पर शुरू हुआ है। अब इतने बड़े अरसे के अन्दर एक आन्दोलन जिसको हम मूवमेन्ट कहते हैं जो आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को बदलने वाला आन्दोलन है, वह इतनी जल्दी मजबूती पकड़ जाये। वह माननीय सदस्यों ने जो कल्पना की है, वह ठीक है, लेकिन इसमें कुछ आधारभूत चीजें हैं। वह सहकारिता के साथ-साथ डेमोक्रेटिक करेक्टर भी रखा है। तो जहां प्रजातन्त्री स्वरूप के साथ साथ सहकारी विकास किसी सरकारी कानून से नहीं हो सकता, मिनिस्टर या रजिस्ट्रार की कलम से नहीं हो सकता है। यह एक बड़ा आन्दोलन है, मूवमेण्ट है, कार्यक्रम है। जैसा कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह

(श्री रामनारायण चौधरी)

रहे थे कि यह पढ़े लिखे लोगों का आन्दोलन नहीं है। अगर ऐसा होता तो जयपुर का सहकारी बाजार बन्द नहीं होता और जोधपुर का सहकारी बाजार भी नहीं हटाया जाता ईमानदार इस आन्दोलन में नहीं है, ऐसा कहा जाता है डेडीकेशन होता, डीवोशन होता, ईमानदारी होती तो शायद हम सब लोगों को कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं थी सम्पूर्ण समाज को बदलने का जो कदम उठाया है, उनकी भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, तो इन सब हालात के अन्दर हमारे राजस्थान के अन्दर जो सहकारी आन्दोलन पनपा है, मैं यह नहीं कह सकता हूं कि और कोई आधार नहीं है, कोई तरक्की नहीं है। यह कहा गया है कि राजस्थान में कोई विकास नहीं हुआ है। आज आजादी के बाद ठेठ गांव का वह किसान जो अपना अंगरखा पहने हुए, अपना पगड़ बांधे हुए जिसने कि बैंकों के नाम से यही जाना था कि वह बड़े बड़े सेठ साहूकरों के होते हैं। उन लोगों का बैंकों से सम्बन्ध हुआ है। वह किसान भी आज बैंक वाला हो सकता है। बैंक में हस्ताक्षर करने वाला हो सकता है। वह कम पढ़ा लिखा हो सकता है। लेकिन उसकी भावनाएं पवित्र हैं। जो कभी शोषित, पीड़ित और जर्जर था। जो अन्याय और अत्याचारों से पीड़ित था, आज वह करोड़ों का मालिक बनकर बैठा है। अब वह बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठ कर अध्यक्षता करता है तो मेरे ख्याल से जो यह समझते थे कि बैंकों की मोनोपोली बिरला, और सिंघानिया जैसे लोगों की है। उन्होंने मेरे ख्याल में यह कल्पना भी नहीं की होगी कि एक गांव का किसान अंगरखा पहने हुए और पगड़ बांधे हुए लाठी लेकर बैंक में बैठेगा और बैंक चलायेगा और, करोड़ों रुपयों का विथड्रावल उसके हस्ताक्षरों से होगा यह राजस्थान की अपेक्स बैंक है जिसने करोड़ों का अकाउण्ट जोड़ा है। क्या यह सफलता नहीं है जिसने करोड़ों लोगों तक को बैंक से जोड़ा है। कोआपरेटिव एजूकेशन और साधारण एजूकेशन से लेकर कार्यकर्ताओं में नेशनल करेक्टर बिल्डअप करना, डेडीकेशन और डिवोशन को समाज में जब तक पैदा नहीं कर दिया जावेगा तब तक वह वांछित साफ सुथरा और क्लीन मूवमेन्ट की बात आप करते हैं, वह नामुमकिन बात है। माननीय सदस्य उदाहरण दे रहे थे, इजराइल का। अभी एक माननीय सदस्य इजराइल का उदाहरण दे रहे थे। मैं उनके तर्क को इस आधार पर खण्डित नहीं करता हूं कि वह इजराइल गये हैं। वहां होकर आये हैं। उन्होंने इसका अध्ययन किया है। यह अलग बात है। लेकिन मैं यहां बैठा हुआ ही यह कल्पना करके चलता हूं कि वहां का कोआपरेटिव मूवमेंट केपिटेलिस्ट और पूंजीपतियों से घिरा हुआ है। यह लोग निश्चित रूप से उस पर हावी हैं। वहां निश्चित रूप से मनीलेण्डर्स हावी होंगे। वहां वेस्टेड इण्ट्रेस्ट काम करते होंगे। इस बारे में भारत का इजरायल के साथ में मुकाबला नहीं किया जा सकता है। भारत एक विशाल देश है। इजरायल कितना छोटा है इजरायल शायद हमारे गंगानगर जिले की आबादी से थोड़ा ही ज्यादा हो सकता है। उसका मुकाबला भारत जैसे देश के साथ में जिसके भू भाग में 58 करोड़ की जनसंख्या निवास करती है। जो इतना बड़ा डेमोक्रेटिक देश है। और ऐसा देश जिसे दूसरे

(श्री रामनारायण चौधरी)

मुल्कों का सीधा सम्पर्क और आर्थिक संरक्षण प्राप्त है। उनसे मुकाबला हम किसी भी सूरत में नहीं कर सकते हैं। तो मैं बड़े अदब से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने उन माननीय सदस्यों की बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि राजस्थान के सहकारी आन्दोलन ने कोई सफलता प्राप्त नहीं की है, जो करना चाहिए थी। लेकिन यह बात सही है कि गावों में दिलचस्पी लेने वाले, जिनको लगन है, निष्ठा है, ईमानदारी है, इस प्रकार के आदमी सामने नहीं आते हैं। फिर पुराने समय से इस देश में विश्वास एक बड़ी चीज रही है। अभी जब मैं भीलवाड़ा गया था तो वहां पंचायत समिति के तत्वाधान में एक बैठक हुई। वहां पर ग्राम सहकारी समिति के अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष भी बैठे हुए थे। वह गांव की अपनी मूल भाषा में ही बोल रहे थे। अपनी मूलवेशभूषा में बैठे थे। मैंने वहां उनसे कहा कि आप में ईमानदारी है। सचाई है। लेकिन आप बैंक से रुपया लेकर आते हैं। आपने रुपया भर पाया इसका लिखकर देते हैं। वह लिखाकर लेते हैं। आप भी उनको देते हैं, जो आपको पैसा देते। ऐसा लिखवाते हैं। लेकिन जब आपको जमा कराना होता है तो आप रास्ता चलते को दे देते हैं कि लो जमा कर लेना। या रास्ता चलते कोषाध्यक्ष को दे देते हैं। इस विश्वास पर आप जमा करने को दे देते हैं। क्योंकि हमेशा से इस देश में ऐसा विश्वास रहा है और ऐसी परम्परा रहीं है। यही आप लोग गड़बड़ करते हैं। इस देश की यह परम्परा रही है। जो बोहरे लाला जी होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वह अपनी आंख के सामने, पढ़े लिखे आदमी से, जिसका भरोसा होता है, रुपया लिखकर जमा कराते हैं। दुबारा भी वह ऐसे आदमी को ही लेकर जाते हैं, जिसने पहले लिखा था। इस प्रकार से विश्वास पर लोग जमा कराते हैं। हस्ताक्षर कराते हैं। ताकि बही का पेटा पूरा हो जाये। इस प्रकार की यह परम्परा, यह सिस्टम, हमारे समाज में रहा है। लेकिन आज लोग सोचते हैं तो रुपये का मूल्य कम सोचते हैं। जिनके पास रुपया पहुंचना चाहिए वह तो ठीक है। लेकिन जब वापिस आता है, उसी वक्त गड़बड़ी होती है। दिया जाता है उस वक्त गड़बड़ी हो जाती है। जो शुरूआत में गड़बड़ी हुई हम नहीं कह सकते कि उतनी है, उसमें कमी आ रही है, या आज कहीं नहीं है–यह बात कह कर नहीं चलता। यह कह कर भी नहीं चलता कि सारा भ्रष्टाचार, लबालब करप्शन भरा पड़ा है। यह कहना उचित नहीं है, सही नहीं है। हम देखेंगे, सारी जगह भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नजर आये तो समाज में एक कदम नहीं चल सकते, एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए विश्वास और निष्ठा के साथ जो प्रोग्राम आपके पास है वह आगे बढ़ाना पड़ेगा, और आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसमें जो रुकावट आयेगी। उसके लिए कानून कायदों में संशोधन करने की चेष्टा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने हमारी सहकारी समितियों के अन्दर चुनाव के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव दिये और अपने विचार व्यक्त किये, कई माननीय सदस्यों का सुझाव भी था, जिस प्रकार से

Page No 160

(158)

(श्री रामनारायण चौधरी)

हमारे दूसरे आम चुनाव होते हैं, उसी प्रकार से चुनाव कराने का काम अलग एजेन्सी को दे दिया जाय। जो कोआपरेटिव विभाग और उसके अधिकारी चुनाव कराते हैं, वह निष्पक्षता, ईमानदारी और सच्चाई के साथ नहीं होते हैं। जो गड़बड़ी उसमें होने की सम्भावना रहती है, वह कम होने की सम्भावना इसमें रहती है यदि चुनाव दूसरी एजेंसी कराये। माननीय सदस्यों के विचार से मैं सहमत हूं। मैं इस बात को मानता हूं, कोपरेटिव विभाग इस मूवमेंट का संचालन करता है, इस मूवमेंट को देखता है, उसके अधिकारी या कार्यकर्त्ता इस चुनाव के सिलसिले में न रहें, यह हमने सोचा है और नियमों में परिवर्तन कर रहे हैं। फिलहाल हम जिला स्तर पर जिले की बैंक, भूमि विकास बैंक मार्केटिंग सोसाइटी, सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, और जिला स्तर की इन्स्टीट्यूशन्स के चुनाव का संचालन जिलाधीश को सौंपना चाहते हैं, उसकी देख रेख में चुनाव हो, जहां तक हो वह निष्पक्ष तरीके से हों, जिससे इस वक्त लोगों को जो दिक्कत आ रही है, जो शिकायत आ रही है कि कोआपरेटिव विभाग का इन्सपेक्टर बिना गये अपने घर पर बैठ कर अथवा एक पक्ष के पास बैठ कर चुनाव परिणाम लिख देता है कि अमुक आदमी जीत गया, अमुक हार गया, यह शिकायतें हैं–इन्हें दूर करने के लिए सोचा है और बहुत जल्दी इसको लागू करेंगे।

दूसरा, मान्यवर, माननीय सदस्यों ने यह कहा, कोआपरेटिव इन्स्टीट्यूशन्स हैं, उनका लाभांश कम होता जा रहा है, वह क्यों हो रहा है? यह भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि हमारी कोआपरेटिव संस्थायें हैं वह सबकी सब घाटे में जा रही हैं, उनमें लाभांश कम हो रहा है, यह बात ठीक है। इसका सबसे बड़ा कारण है, बैंकिंग इन्स्टीट्यूशन्स हैं, उनमें वेजेज के और दूसरे बैंक अवार्ड जितने होते हैं, उस हिसाब से हमें भी पालना करनी पड़ती है और हमारी आमदनी, लेंडिंग उस स्तर तक नहीं बढ़ा है ताकि बढ़ा हुआ खर्च मीट करके लाभांश का पर्सेन्टेज मीट कर लें, या लाभ का प्रतिशत बढ़ा दें। लेकिन आधार भूत सिद्धान्त सहकारिता का है वह यह है कि लाभांश कितना हो, यह हमारा कोई मूल दृष्टिकोण भी नहीं है, यह दृष्टिकोण भी नहीं है कि हम घाटे में चले जायं लेकिन अभी हमारे राजस्थान की अपेक्स बैंक है, वह हिन्दुस्तान की अच्छी बैंक्स में से एक है। हमारी अपेक्स बैंक ने यह निर्णय किया है कि जो छोटे काश्तकार हैं उन छोटे काश्तकारों को एक प्रतिशत कम ब्याज पर लोन देंगे, ज्यादा पर्सेन्टेज छोटे काश्तकारों का है उनको एक पर्सेन्ट कम ब्याज पर देंगे, एक प्रतिशत रिबेट, कन्सेशन देकर चलते हैं। उपाध्यक्ष जी, तो एक साल के अन्दर राजस्थान कोआपरेटिव बैंक का आठ लाख का लाभांश कम हो जायेगा। यह आठ लाख, एक प्रतिशत कम करते हैं, वह भी उन पर, जो छोटे काश्तकार हैं, उन पर कम करते हैं तो आठ लाख कम होता है। वैसे आठ लाख बैंक के लिए काफी है, और एक प्रतिशत से फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा दृष्टिकोण है वह यह है कि छोटे

(श्री रामनारायण चौधरी)

काश्तकार हैं उन्हें 11 पर्सेन्ट पर दें और बड़े काश्तकारों को भी 11 पर्सेन्ट पर दें, इस भेद को मिटाने के लिए या कमजोर तबका है समाज का, उसको रियायत देने के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन उस तबके के प्रति हमारे दृष्टिकोण में तब्दीली का प्रश्न है, वह इनमें है। इस हिसाब से सहकारी बैंक के दायरे में लाभांश प्राप्त करते हुए हमारा जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने में, जो मंजिल है उसकी दूरी को पूरा करने में समय लगेगा।

दूसरे हमारे सहकारी सेक्टर में हमारी केशोरायपाटन में शुगर फैक्ट्री है वह पहले घाटे में चलती थी। पिछले साल वह ठीक स्थिति में आयी। इस साल मान कर चलते हैं, वह लाभ में रहेगी।

गुलाबपुरा काटन मिल है, वह पिछली बार मुनाफे के अन्दर थी और इस वर्ष स्लम्प आने के बाद इस काम में, वह घाटे में नहीं है।

हमारी मार्केटिंग सोसाइटी है, राजस्थान क्रय विक्रय सहकारी संघ है, जो पूरे राजस्थान में क्रय-विक्रय करता है, फर्टीलाइजर का, शुगर का और दूसरा कारोबार कर रहा है। दो साल में ऐसी स्थिति है कि वह अच्छे मुनाफे के अन्दर है। यह नहीं कि मुनाफा कमाना मकसद हो गया हो, इसलिए हो गया लेकिन अपने दायरे में रह कर, लिमिट में रहते हुए अच्छा लाभ प्राप्त कर रहा है, उसको मेन्टेन करके आगे बढ़ रहा है।

हम यह नहीं कह सकते कि सहकारी क्षेत्र में जो संस्थायें काम कर रही हैं वहां लाभांश गिरता जा रहा है, या घाटे में जाती जा रही हैं, यह सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक है, सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, कुछ को छोड़ कर मेरे ख्याल में जिला सहकारी बैंक घाटे में नहीं है। उसकी अपनी जो जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है उसको वहन करते हुए अपने क्षेत्र में बढ़ रही है ठीक प्रकार से। तो माननीय सदस्यों के विचार हैं, लाभांश में कमी है, चुनाव के सम्बन्ध में जो बातें कहीं उसके बारे में मैंने अपने विचार व्यक्त किये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्यों ने अपने विचारों को व्यक्त करते समय जो वहां की, जिले की स्वयं की स्थितियां हैं, वह उनके दिमाग, उनके विचारों में रही हैं और आज सहकारी समितियों की रचना डेमोक्रेटिक होने के कारण, इसके चुनाव की प्रक्रिया होने के कारण गांवों में, कस्बों में जहां जो स्थिति है, वहां दलबन्दी होना स्वाभाविक है। हारा हुआ, पराजित पहले उस सहकारी समिति का सदस्य होते हुए, लाभ और हानि के अन्दर पूरा हिस्सेदार होते हुए जीतने वाले पक्ष को उस दृष्टिकोण से लेता है, जिस प्रकार राजनैतिक क्षेत्र, पंचायत, पंचायत समिति, विधान सभा या संसद में विचार प्रकट हुआ है। इस दृष्टि से नहीं देखता, यह ग्राम की ग्राम सेवा सहकारी समिति है, यदि मैं नहीं जीत सका तो कोई बात नहीं, दूसरे आदमी को मैं सहयोग दूं। यह भावना पनप नहीं सकी है। इसमें समय

(श्री रामनारायण चौधरी)

लगेगा। कोई कह दे कि कानून के जरिये यह कर सकते हैं तो चुनाव प्रक्रिया सहकारिता से हटा कर इसको जिलाधीश को सौंप देंगे, तो यह भावना है जो राजनैतिक दृष्टि से घर करती है, उसका उन्मूलन इस सिस्टम से नहीं हो सकेगा। अब प्रश्न उठता है, कैसा होगा? इसमें, उपाध्यक्ष महोदय, लगातार, निरन्तर इस मूवमेंट को, आन्दोलन को, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि दृष्टिकोण के अन्दर परिवर्तन समय के साथ, संघर्ष के साथ आयेगा, किसी कानून से, किसी हुकम से इस प्रकार की तब्दीली नहीं आ सकती।

माननीय सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिये हैं, एक माननीय सदस्य ने जयपुर सहकारी बाजार को बन्द करने के बारे में अपने विचार व्यक्त किये थे। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बात सही है कि सरकार नहीं चाहती थी कि सहकारी बाजार को बन्द किया जाय लेकिन बराबर इसके अन्दर घाटा होता जा रहा था, इसलिए इस बात को सोचा गया कि एक बार बन्द करके लेखा जोखा को देखा जाय कि क्या इसको चलाने की स्थिति में हैं। तो थोड़े दिन के लिए बन्द किया गया। सवाल यह उठा कि किस प्रकार बन्द कर दिया गया। लेबर लाज सामने आये, इंडस्ट्रियल एक्ट सामने आया और कहा गया कि इसको बन्द कर दिया गया तो जितने कार्यकर्त्ता हैं उनको घर बैठे तनख्वाह देनी पड़ेगी तब सरकार को फिर विचार करना पड़ा। तो सहकारी बाजार को तब ऐसी स्थिति हो गई थी कि चलाया नहीं जा सकता था किसी भी हालत में और भारी घाटे में चलाया जा रहा था। सरकारी पैसा तो उसमें लगा हुआ ही था वह तो जा ही रहा था लेकिन और भी संस्थाओं का उसमें पैसा था, शेयर होल्डर्स की अमानत उसके अंदर थी। इन सबके बावजूद बड़े दुःख के साथ निर्णय करना पड़ा कि सहकारी बाजार को इस स्थिति में नहीं चलाया जा सकता, भारी घाटा था, संभावना नहीं थी कि उसको बराबर लेविल पर ले आयेंगे, तो उसको लिक्विडेट करने का निर्णय लेना पड़े।

माननीय श्री ओंकारलाल चौहान ने राजस्थान हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी द्वारा किए जा रहे कामों के बारे में जिक्र किया। मेरा निवेदन है कि राजस्थान में यह संस्था अपने पहले कदम की है, भारतवर्ष में इसके मुकाबले की दूसरी ऐसी संस्थायें नहीं है जिससे समाज के उस वर्ग का जो लास्ट मैन है शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स और दूसरे तबके के लोगों का मकान निर्माण में मदद दी है, उनके बारे में उन्होंने विचार व्यक्त किए और माननीय सदस्य ने बैंकों के चुनावों के बारे में भी जिक्र किया है। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य श्री किशन मोटवानी ने केन्द्रीय सहकारी बैंक के चुनावों के बारे में विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से चुनाव हुए। वस्तुस्थिति यह है कि वहां पर चुनाव हुआ, चुनाव में एक पक्ष भारी बहुमत से जीता, दूसरे पक्ष के कुछ लोग ही निर्वाचन के अन्दर आए। एक पक्ष ने को-ऑपरेटिव ट्राइब्यूनल के अन्दर आकर चेयरमेन व वाइस चेयरमेन के जो चुनाव होने वाले थे उन पर स्टे आर्डर प्राप्त किया इसलिए चेयरमेन व वाइस चेयरमेन के चुनाव को

—

(श्री रामनारायण चौधरी)

रोका गया। इसलिए राज्य सरकार को राजस्थान को-आपरेटिव एक्ट की धारा 39 के तहत यह आदेश देना पड़ा कि चूंकि ट्रीब्यूनल के आदेश की वजह से आगे चुनाव नहीं हो सकते और बैंक को रबी क्राप सामने आ रहा था, लगभग दो करोड़ का किसानों को लोन और फर्टीलाइजर्स बांटना था तो अस्थाई तौर से जब तक ट्रीब्यूनल का फैसला हो जाए तब तक जिलाधीश को उसका अध्यक्ष नामीनेट किया गया। यह एक व्यवस्था थी जो लीगल थी, विधि विभाग की राय से, सहकारी विभाग की राय से, यह व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था के खिलाफ माननीय सदस्य विचार व्यक्त कर रहे थे। बाकी सब जगह इस व्यवस्था को चुनौती दी गई और जहां तक मेरी जानकारी है, कोर्ट्स आफ ला ने माना है कि राज्य सरकार ने जो व्यवस्था की है, उस संबंध में वे राय व्यक्त नहीं करना चाहते, वह व्यवस्था ठीक है। बैंक ठीक प्रकार से काम कर रहा है, जब तक इसका फैसला न हो जाए...

श्री राम गोपाल : छीपा बड़ोद मार्केटिंग सोसाइटी के बारे में भी कहा था।

श्री राम नारायण चौधरी : इसी तरह से दूसरे माननीय सदस्यों ने भी अपने यहां पर ऐसी संस्थाओं के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। सब बातों में एक बात है जो सब माननीय सदस्यों को मीट करनी है वह है चुनाव की व्यवस्था। आशा है माननीय सदस्यों को मेरे कथन से संतोष होगा।

सहकारिता पर माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किए हैं उसके बाद अर्बन इम्प्रूवमेंट के संबंध में भी माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए हैं, उनके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। अपने कटौती प्रस्तावों द्वारा माननीय सदस्यों ने इस बात को उठाया है कि राज्य सरकार नगरपालिकाओं, नगर परिषदों और नगर विकास न्यासों को अनुदान देने में भेदभाव बरतती है। जहां तक नगर विकास न्यास का संबंध है, सरकार न्यासों को कोई अनुदान नहीं देती है, इसलिए भेदभाव का प्रश्न नहीं होता है। जहां तक नगरपालिकाओं और नगरपरिषदों का सवाल है, पहले सरकार नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के लिए प्रति व्यक्ति 50 पैसे के हिसाब से अनुदान के रूप में देती थी लेकिन चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने 50 पैसा प्रति व्यक्ति के बजाए एक रुपया प्रति व्यक्ति अनुदान देना तय किया। वह यूनीफार्म पेटर्न है। नगरपालिका छोटी है या बड़ी है, जैसे जयपुर में 6 लाख और कुछ हजार आबादी है इसलिए जयपुर नगरपालिका को 6 लाख कुछ हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। इसको न सरकार घटा सकती है न प्रश्न ही पैदा होता है। हाजी जान मोहम्मद खान ने सुनेल और पिड़ावा के अनुदान के बारे में कहा। वहां भी 1971 की मर्दुमशुमारी के हिसाब से एक रुपया प्रति व्यक्ति अनुदान दिया जाएगा। यहां माननीय सदस्यों ने जो अपनी धारणा व्यक्त की, वह शायद पूरी जानकारी उनके पास न होने के कारण कटौती प्रस्तावों के द्वारा की है।

जयपुर, जोधपुर व अजमेर से आने वाले माननीय सदस्यों ने वहां के नगर

(श्री रामनारायण चौधरी)

विकास न्यासों का जिक्र किया। 1975-76 के लिए एन्वायरनमेंट इम्प्रूवमेंट योजना के अंतर्गत कुल 30 लाख का प्रावधान था जिसमें से जोधपुर को 12 लाख देने का प्रावधान किया है, जयपुर को 10 लाख व अजमेर को 8 लाख रुपए देने का प्रावधान है। स्पष्ट है कि जोधपुर को वांछित हिस्सा दिया गया है और कोई अवहेलना नहीं की गई है। 1974-75 में 54 लाख रुपये में से जोधपुर को 15 लाख जबकि जयपुर को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत कमिटेड लाइबिल्टी को छोड़कर सिर्फ 12.76) लाख दिए गए हैं। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस वर्ष अजमेर में बहुत कम दिया गया है। संपूर्ण राजस्थान में 30 लाख का प्रावधान था जिसमें से जोधपुर और अजमेर की जनसंख्या दोनों को मिलाकर जयपुर की आबादी के बराबर बैठती है। फिर जहां स्लम ज्यादा हैं, कच्ची बस्तियों में रहने वाले निवासियों की संख्या ज्यादा है वहां पर भी वही दृष्टिकोण रखा है। फिर भी अजमेर की योजना देर से पहुंचने के कारण और जो हमने 8 लाख रुपये चालू वित्त वर्ष में देने का प्रावधान रखा था, उसकी योजना ठीक समय पर नहीं आ सकी इसलिए हमने सोचा कि ये 8 लाख नहीं खर्च कर सकते तो इस वर्ष 4 लाख का फैसला किया 31 मार्च तक। अगले वर्ष के बजट में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अजमेर को जो हमने इस वर्ष कम दिया है वह और आगे आने वाले वर्ष में वांछित हिस्सा, वह मिले। सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखेगी। यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति के बारे में जिक्र किया और यह भी कहा कि आज नगरपालिकाओं की आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन क्षीण हो रही है। और इसलिये राज्य सरकार को इन नगरपालिकाओं की मदद करनी चाहिये। मान्यवर नगरपालिकाओं और नगरपरिषदों के मंत्री होने के नाते मुझे उनसे सहानुभूति है और उनको जितनी जल्दी से जल्दी इमदाद दी जाए और जितनी ज्यादा से ज्यादा इमदाद उनको दी जाय इसका मैं हामी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के अन्दर डेमोक्रेटिक सेट अप काम कर रहे हैं उसके अनुसार नगरपालिकाओं, नगरपरिषदों, जिला परिषदों, ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों को अपने अपने क्षेत्र और राज्य सरकार को अपने क्षेत्र में अपने अपने साधन जुटा कर काम करना चाहिये। वहां पर जितने भी प्रकार के रिसोर्सेज बढ़ाये जा सकते हों वह बढ़ाये जाने चाहियें। उपाध्यक्ष महोदय इसमें कोई सन्देह नहीं है कि राज्य सरकार को इनको आर्थिक मदद करनी चाहिये। लेकिन राज्य सरकार भी इन संस्थाओं को अपने सीमित साधनों से जितनी भी मदद कर सकती है करती है लेकिन नगरपालिकाओं को, नगरपरिषदों को, ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों को जिलापरिषदों को राज्य सरकार के ऊपर ही पूर्णतया निर्भर नहीं रहना चाहिये और न ही रहा जा सकता है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार व्यक्त किये उनके लिये एक हद्-तक मैं उनके विचार से इस बात तक सहमत हूं कि राजस्थान बनने के पहले भरतपुर की आबादी 15 हजार थी और अब एक लाख से उपर हो गयी है और इसलिये वहां की नगरपालिका की सीमा को बढ़ाया

(श्री रामनारायण चौधरी)
जाय। तो उनकी नगर परिषद् की सीमा बढ़ाने की जो मांग थी वह राज्य सरकार ने कर दिया है। भरतपुर नगरपालिका की सीमा का एक्सटेन्शन हो गया है। अब मैं समझता हूं कि भरतपुर की नगरपालिका अपने साधनों को बढ़ायेगी और अपने खर्च को वहन करने की कैपैसिटी में आ जायेगी। ऐसा मानकर मैं चलता हूं और मुझे विश्वास है कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य भी इस बात को जान गये होंगे।

श्री रामकिशन : इसलिये तो सबसे पहला धन्यवाद आपको मैंने दिया है।

श्री प्रद्युमन सिंह : चलो अच्छा हुआ कि पन्डितजी को धन्यवाद देना तो सीख लिया।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्षजी माननीय सदस्य जोधपुर से आने वाले श्री गुमानमल लोढा ने अपने भाषण में कहा था। अभी वह यहां पर हाजिर नहीं है....

एक माननीय सदस्य : जो हाजिर नहीं उनको जवाब देना नहीं चाहिये।

श्री रामनारायण चौधरी : वैसे तो मुझे उनको बात का उत्तर नहीं देना चाहिये। क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय जब माननीय सदस्य यह सदन में बोल रहे थे तो मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक उनके भाषण को सुन रहा था और उनकी बातें नोट कर रहा था। और अब मैं चूंकि उनकी बातों का उत्तर देना चाहता हूं तब उन बातों का उत्तर सुनने को माननीय सदस्यों को यहां हाजिर रहना चाहिये। यह उनकी जिम्मेदारी थी ऐसा मैं मानकर चलता हूं। क्योंकि यह संसदीय परम्परायें हैं कि जो माननीय सदस्य कुछ सदन में कहता है तो वह यह मानकर चलता है कि उसको उसका जवाब मिलेगा और जब तक उसको अपनी बात का उत्तर नहीं मिलेगा वह माननीय सदस्य अपने उत्तर के लिये दुविधा स्थिति में रहेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि संसदीय परम्पराओं के अनुसार उन्हें अपना उत्तर सुनने को यहां रहना चाहिये था। खैर फिर भी मैं उनकी बात का जवाब सदन के माननीय सदस्यों को दे देना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि राजस्थान में आज सहकारी समितियों में खूब गबन घोटाले हैं लेकिन वहां पर आज स्थिति ऐसी है कि जो बड़े बड़े गबन सहकारी समितियों में हुए हैं उनको तो कोई देख नहीं रहा है दूसरी तरफ छोटे छोटे गबन जो छोटी छोटी सहकारी समितियों में हुए है 10 रुपये, 20 रु. और 25 रुपये के केस गबन के बना डालते हैं और लोगों को परेशान किया जाता है। जबकि बड़े बड़े गबन जिसमें खास तौर से उन्होंने राजस्थान इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक, जोधपुर के अध्यक्ष द्वारा जो गबन करीब 80 हजार रुपये से ज्यादा था उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उपाध्यक्ष महोदय आज सुबह ही इस पर एक प्रश्न सदन में आया था और मैंने उसके अन्दर जवाब दिया था और फिर अब माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष के खिलाफ तीन प्रकार की बकाया आरोप बताये गये हैं। जिसमें कुछ रुपये नकद लेने [illegible] जिब 2,500 रुपये या 2,400 रुपये है पूरी रकम

(श्री रामनारायण चौधरी)

तो मुझे याद अभी नहीं हैं पर इतनी ही है उसमें 2,400 या 2,500 रुपये तो वसूल हो गये हैं और अब चालीस हजार और चालीस हजार की कुल मिलाकर 80 हजार की बकाया चल रही है उस सम्बन्ध में राजस्थान कोआपरेटिव एक्ट की प्रक्रिया के अनुसार उनके खिलाफ में राजस्थान सहकारी समितियों के एडिशनल रजिस्ट्रार के पास यह मामला चल रहा है जो मैं समझता हूं कि नियमानुसार कार्यवाही होगी और उसमें उनके खिलाफ में अगर वह दोषी पाये जायेंगे तो कार्यवाही की जायेगी। इसमें किसी को भी बख्शने या छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसा मैं माननीय सदस्यों को साफ साफ बताना चाहता हूं।

मान्यवर, यहां पर नगरपालिकाओं के बनाने, नगरपरिषदों के बनाने और उनके समाप्त करने के बारे में यह ग्राम पंचायतों का निर्माण व ग्राम पंचायतों को नगरपालिका बनाने के लिये भी बात उठायी गयी थी। उन्होंने कहा था कि ग्राम पंचायत बिलाड़ा को नगरपालिका बनाया गया और वापिस बाद में उसे ग्राम पंचायत बना दिया गया या बनाया जा रहा है। तो उसके लिए मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह कहना चाहता हूं कि बिलाड़ा की जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 12 हजार थी और आसपास के पंचायत समिति हैडक्वार्टर होने से वह तहसील हैडक्वार्टर होने से वहां की आबादी थोड़ी इससे ज्यादा भी हो सकती है। इसलिये वहां पर अभी राज्य सरकार ने नगरपालिका गठित की है और उसे वापिस ग्राम पंचायत बनाने का कोई इरादा सरकार का नहीं है। तो मैं समझता हूं कि हालांकि यह प्रश्न उनके निर्वाचन क्षेत्र का तो नहीं है लेकिन उन्होंने किसी के कहने से ऐसा कह दिया था। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर कि यहां पर उन्होंने सोजत रोड ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाने और वापिस उसे ग्राम पंचायत बनाने के लिये तीन बार आदेश करने की बात कही थी। मान्यवर सोजतरोड की आबादी 1961 की जनगणना के अनुसार 5200 के करीब थी और उसके नगरपालिका बनाने का सवाल ही नहीं उठ रहा इसलिये कि उस जगह की पापूलेशन जब तक 8 हजार नहीं हो वहां नगरपालिका नहीं बन सकती। जहां तक उन्होंने यह कहा कि वहां पर कृषि उपज मण्डी और हिन्दुस्तान लाइम स्टोन के भट्टे हैं तो वह तो वहां से दूर है वह उस क्षेत्र में ही नहीं आते हैं इसलिये किसी का राजनैतिक दबाब की वजह से उसे नगरपालिका बनाना या उसे वापिस ग्राम पंचायत बनाने का जो इलजाम लगाया वह लागू नहीं होता। क्योंकि चूने के भट्टे वगैरह उसके पास के गांव में हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि उनके किसी मित्र के कहने के कारण उन्होंने ऐसा शायद कह दिया होगा और उन्हें इस बात की पूरी जानकारी नहीं थी।

एक माननीय सदस्य : आप वेरीफाई करालें।

श्री रामकिशन : उन्होंने कहा कि उसे तीन बार नगरपालिका से ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत से नगरपालिका से

(श्री रामकिशन)
वापिस ग्राम पंचायत बना दिया गया। इसलिये।

श्री रामनारायण चौधरी : अब सोजत रोड ग्राम पंचायत को पंचायत समिति क्षेत्र बनाने की बात है या नगरपालिका बनाने के लिये तो वहां क्षेत्र के एम.एल.ए. और प्रधान व जिला परिषद् के प्रमुख और वहां के मान्य व्यक्तियों से आज के डेमोक्रेसी के अन्दर राय तो लेनी ही पड़ती है। जैसे कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद् के बारे में कहा उसके लिये थोड़ा बहुत ध्यान तो रखना ही पड़ता है। जो उचित बात होती है उसे डेमोक्रेसी में मानना पड़ता है। अब राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के लिमिट्स के बारे में राज्य सरकार परिस्थिति के अनुसार विचार करेगी।

श्री केदार नाथ : प्लेबीसाइट किया जायेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : दूसरे माननीय सदस्यों, श्री गुमानमलजी लोढ़ा ने तथा श्री भानुकुमार शास्त्री ने जो कहा था...

श्री प्रद्युम्नसिंह : वह तो है ही नहीं आप किसे कह रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं उनकी पार्टी का सदस्य यहां बैठा हूं मैं आपका जवाब उन तक पहुंचा दूंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप उनकी क्या स्टेपनी हैं या आप उनके पोस्टमैन है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : स्टेपनी की बात नहीं है। मैं तो जो मन्त्री महोदय जवाब देंगे वह उन तक पहुंचा दूंगा। पोस्टमैन की बात नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : यहां पर उपाध्यक्ष महोदय न्यू मंडावा हाउस स्कीम के बारे में भी उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री भानुकुमार शास्त्री ने अपने विचार व्यक्त करते समय एक पासिंग रेफरेन्स दिया था। उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि श्री भीमसिंह ने न्यू मंडावा हाउस स्कीम के नक्शे की स्वीकृति हेतु विकास न्यास में पेश किये जिसकी तकनीकी स्वीकृति के लिये नक्शा चीफ टाऊन प्लानर को भेजा गया। चीफ टाऊन प्लानर के अनुमोदन के पश्चात् विकास न्यास ने अपनी बैठक दिनांक 16-11-64 में उक्त ले आउट प्लॉन को मन्जूर कर दिया। श्री भीमसिंह मन्डावा ने इस स्कीम के तहत 8 प्लॉट अपनी भूमि के बनाये और एक एग्रीमेन्ट तारीख 9-2-65 को हुआ इसमें से प्लॉट नम्बर 1, 2, 7, 8 व्यवसायिक कार्य के लिये अनुमोदित हुए।

निम्नलिखित व्यक्तियों को प्लॉट्स का बेचान किया गया:—

प्लॉट नम्बर 1 श्री श्यामलाल
" " 2 श्रीमती उमादेवी पत्नी श्री रामचन्द्र
" " 3 श्री श्यामलाल
" " 4 मिसेस श्री चम्पालाल

(श्री रामनारायण चौधरी)

प्लॉट नम्बर 5 बसन्तीदेवी

,, ,, 6 श्री बी.सी. जैन

,, ,, 7 श्री रामस्वरूप

,, ,, 8 श्री जगदीशप्रसाद

बाद मे चीफ टाउन प्लॉनर ने कुछ व्यक्तियों के ऐतराज करने पर यह लिखा कि यह कालोनी रिहायशी भवनों के लिये है। अतः व्यवसायिक कार्य के लिय भवन निर्माण की इजाजत न दी जाय। परन्तु तब तक शो रूम बन चुके थे और नगर न्यास ने श्री श्यामलाल से 251) रु. लेकर प्लॉट नं. 1 के निर्माण कार्य को कम्पाउन्ड कर दिया, प्लॉट नं. 2 में श्रीमती गोमा देवी से 301) रु. लेकर कम्पाउन्ड कर दिया, प्लॉट नं. 7 में श्री रामस्वरूप से 251 रुपये लेकर ता. 9-1-69 को कम्पाउन्ड किया गया तथा प्लॉट न. 8 में नियमित स्वीकृति दे दी गयी।

अध्यक्ष, नगर परिषद्, जयपुर ने अपने नोटिफिकेशन दिनांक 27-12-71 को जारी किया जिसमें संसारचन्द्र रोड़ से जालूपुरा को जाने वाली सड़क पर बापू आश्रम तक एवं अनाज मंडी से जालूपुरा रोड़ पर बापू आश्रम तक भारी वाहनों के आने पर रोक लगादी। जयपुर नगर परिषद् द्वारा बनाये गये बाईलॉज के अनुसार ऐसी रोक नगर परिषद् प्रस्ताव पास करके ही लगा सकती थी। अध्यक्ष, नगर परिषद्, जयपुर को ऐसे अधिकार नहीं थे कि वह इस प्रकार की रोक लगा सके। अध्यक्ष को इस बात का ध्यान कराया जो आदेश दिये हैं, भारी वाहनों के ना प्रवेश का जो बोर्ड लगा है संसारचन्द्र रोड़ पर वह हटा लिया जाये।

प्रशासक, नगर परिषद्, जयपुर ने यह समस्त मामले समस्त हालात देते हुए राज्य सरकार को भेजे। इस मामले में पूर्ण विचार करके एवं श्री भीमसिंह व आपत्ति-कर्ता श्री पी. सी. पाटनी को सुन कर जांच कराने व राज्य सरकार ने आदेश दिये कि न्यू मंडावा हाऊस स्कीम में यू. आई. टी. से नगर परिषद् द्वारा व्यवसायिक कार्य के रूप में भवन निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है उनको ध्यान में रखते हुए संसारचन्द्र रोड़ से जालूपुरा बस्ती को जाने वाली रोड़ व अन्य मंडावा हाउस एप्रोच रोड़ पर भारी वाहनों के आवागमन के लिये समय व गति निश्चित करते हुए आवागमन की छूट देती है। समय व गति नगर परिषद् जयपुर ट्रैफिक पुलिस के परामर्श से निश्चित करेगी। नगर परिषद् जयपुर के नोटिफिकेशन दिनांक 27-12-71 जो राजस्थान राज-पत्र में दिनांक 6-1-72 को प्रकाशित हुआ हैं को निरस्त किया गया। न्यू मंडावा हाउस स्कीम में जो निर्माण कार्य हुए उनको नियमानुसार नियमित करने के भी आदेश दिये गये।

इस आधार पर माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी वह माननीय सदस्य की स्वयम् की जानकारी नहीं थी, जो उन्हें मिली थी उसी आधार पर माननीय सदस्य ने यहां फरमाया होगा।

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो कटौती प्रस्ताव सदन में रखे और जो मुद्दे उठाये मैंने आपके द्वारा उनका उत्तर देने की चेष्टा की है। जब माननीय सदस्य ने एक्सटेन्शन आफिसर के खिलाफ फरमाया था, उनके खिलाफ बड़ी शिकायतें थीं, मेरे

(श्री रामनारायण चौधरी)
को भी शिकायत की, जांच करवाने को कहा था, मैं आपके द्वारा, श्रीमन्, उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी शिकायतों की जांच करायी जायगी और सही पाया गया तो कानूनी कार्यवाही निश्चित रूप से की जायगी।

श्री हाजी जान मोहम्मद खां : 12 हजार वाले का क्या हुआ ?

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे यहां उठाये हैं, उनका उत्तर देते हुए अपना कथन सदन के सामने रखा है अतः वे अपने कटौती प्रस्तावों को वापिस लेने की कृपा करें और जो मांगें प्रस्तुत की गयी हैं उनको स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,05,33,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 49,59,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

सदन की कार्यवाही दिनांक 17 मार्च, 1975 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(स्थगित)

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.55 बजे सोमवार दिनांक 17 मार्च, 1975 के म. पू. 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

(168)

परिशिष्ट-1

(ता. प्र. सं. 512 को सूची)

विवरण प्रश्न संख्या-2

विभाग में श्री हरिनारायण राठी के खिलाफ अनियमितताओं के दो मामले राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत दर्ज हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

(1) मैसर्स डी. आर. काटेज इण्डस्ट्रीज जिसके श्री हरिनारायण राठी प्रोपराइटर थे, को 40,000 रु. की क्रेडिट लिमिट स्वीकृत श्री राठी ने माल की ऊंची कीमत दिखाकर ऋण प्राप्त किया जिससे बैंक को 40,000 रु. का ऋण अभी तक वसूल नहीं होने से इस राशि की हानि हुई।

(2) मैसर्स जयपुर आर्ट पोटरीज को 40,000 रु. की क्रेडिट लिमिट स्वीकृत कर ऋण दिलाया इस फर्म के प्रोपाइटर श्री राठी थे परन्तु श्री रघुनाथ प्रसाद महेश्वरी को प्रोपराइटर बताया जाकर ऋण प्राप्त किया। ऋण प्राप्त करते समय माल की ऊंची कीमत दिखाकर ऋण प्राप्त किया जिससे बैंक को 40,000 रु. का नुकसान हुआ।

विवरण वास्ते प्रश्न संख्या-4

मामलों में बैंक से शिकायत प्राप्त होने पर राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत जांच कराई गई जांच में श्री राठी को दोषी पाये जाने पर इनके खिलाफ धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई। श्री राठी के जयपुर से बाहर चले जाने के कारण एवं नोटिसों की तामीलें नहीं हो पाने के कारण राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम व उसके अन्तर्गत बने नियमों में वर्जित प्रक्रिया पूर्व नहीं हो पाई। आगामी तिथि दिनांक 3-4-75 निश्चित की गई है।

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं पूछे गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

भवानी मण्डी में एस. डी. एम. का कार्यालय

527. श्री ओंकारलाल चौहान (डग): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार जिला झालावाड़ में न्यायालय एस. डी. एम. भवानी मण्डी में कायम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि डग गंगधर पिड़ावा क्षेत्र के लिए जनता को मुकदमा सम्बन्धी कार्यों में झालावाड़ में एस. डी. एम. की कोर्ट होने से सुविधा नहीं मिलती है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

प्रश्न पैदा नहीं होता।

(2) एस. डी. एम. की कोर्ट झालावाड़ में है वहीं पूरे सब-डिविजन के लिये मुकदमों सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध है।

ग्राम पंचायत सांचोर को नगरपालिका में परिवर्तन करने का मामला

528. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत सांचोर को नगरपालिका क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष भेजा गया है? अगर हां, तो कब?

(2) उक्त पंचायत क्षेत्र को नगर-पालिका क्षेत्र कब तक घोषित कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिलाधीश जालोर ने ग्राम पंचायत सांचोर एवं ग्राम पंचायत आहोर को। नगरपालिका में परिवर्तित करने के लिए सिफारिश दिनांक 26-3-74 को इस विभाग को भेजी।

(2) जिलाधीश जालोर को लिखा गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव इस विभाग को भेजा जावे और जिलाधीश का उत्तर आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम बरावदापार की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

529. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बरावदापार तहसील छबड़ा में सार्वजनिक तालाब पर श्री रामसिंह निवासी बरावदापार ने अनधिकृत कब्जा कर काश्त की हुई है?

(श्री जगमोहन सिंह)
यदि हां, तो कब से कब्जा किया हुआ है और अभी इसमें क्या फसल खड़ी हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि इस नाजायज कब्जे को हटाने के लिए स्थानीय ग्राम पंचायत गोड़िया मेहर ग्रामवासियों द्वारा समय समय पर कई प्रार्थना-पत्र अधिकारियों को पेश किये गये ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी और इस अनधिकृत कब्जे को हटाने बाबत सरकार कब तक कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

श्री रामसिंह निवासी बरावदापार ने तालाब ग्राम बरावदा की आराजी खसरा नं. 165 की 2 बीघा भूमि पर फसल खरीफ के समय अनधिकृत कब्जा कर फसल ज्वार बोई थी और इस समय भूमि में फसल अलसी खड़ी हुई है।

(2) जी हां।

इस नाजायज कब्जे को हटाने के लिए तहसीलदार छबड़ा के द्वारा अतिक्रमणी के खिलाफ भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91-के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर दिनांक 22-7-74 को अतिक्रमणी को बेदखली के आदेश दिये गये थे और नायब तहसीलदार द्वारा फसल ज्वार को नष्ट करवादी गई थी और अतिक्रमण समाप्त कर दिया गया था परन्तु अतिक्रमणी पुनः इस आराजी को रबी में काश्त कर फसल अलसी बोदी है। अब पटवारी व पंचायत की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अतिक्रमणी के विरुद्ध धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर नोटिस जारी किये गये हैं।

ग्राम पंचायत आवली कलां के सरपंच के विरुद्ध जांच

530. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत आवली कलां, पंचायत समिति झालरापाटन, जिला झालावाड़ के सरपंच के खिलाफ अनियमितताओं की शिकायत मंत्री महोदय एवं उच्च अधिकारियों को की गई ? यदि हां, तो कब कब ?

(2) उक्त शिकायतों की जांच कब की गई और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 21-6-74 व 30-8-74।

(2) दिनांक 21-6-74 की शिकायत की जांच करली गई है जो राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। दि. 30-8-74 की शिकायत की जांच सरपंच के न मिलने व रेकार्ड उपलब्ध न होने से अभी तक पूर्ण नहीं हुई है।

ग्राम नासिरदा में भूमि का आवंटन

531. श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक में

(श्री चतुर्भुज)
गरीबों को अलाट करने वास्ते सन् 1966 में करीबन 600 बीघा भूमि चरागाह से सिचाई चक में कन्वर्ट करवाई गई थी? क्या यह भी सही है कि इस जमीन का भूमिहीनों को लाभ नहीं होकर भूमिपतियों को लाभ हो रहा है?

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में गत साल ही उक्त भूमि को भूमिहीनों को अलाट किये जाने का सरकार ने वायदा किया था? यदि हां, तो क्या अलाट हो गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। परन्तु परिवर्तन सन् 1966 में न होकर सन् 1969 में हुआ था। पूर्व में इस भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। फलस्वरूप आर. एल. एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। अब भूमि पड़त पड़ी हुई है।

(2) जी नहीं। अभी तक भूमि अलाट नहीं की गई है। जिलाधीश द्वारा चरागाह भूमि को भूमिहीनों को आवंटन हेतु परिवर्तन सम्बन्ध के जो आदेश जारी किये गये थे उसके विरुद्ध ग्रामवासियों द्वारा राजस्व मण्डल में अपील दायर कर दी गई थी और उस पर राजस्व मण्डल द्वारा स्थगन आदेश पारित कर दिये जाने के कारण भूमिहीनों को आवंटन करने का कार्य रुका हुआ है।

ग्राम पंचायत बासणी कलां का ट्यूब वेल

532. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली):–क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र बासणी कलां (मावली पंचायत समिति क्षेत्र) में पोषाहार कार्यालय के अन्तर्गत एक ट्यूब वेल अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा बनाया गया था?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ट्यूब वेल पर संजोवन क्रय-विक्रय समिति फतहनगर द्वारा संचालित सालवेन्ट प्लान्ट फतहनगर उद्योग ट्यूब वेल पर नाजायज कब्जा कर उसके पानी का उपयोग कर रहा है? यदि हां, तो कब से?

(3) क्या यह सच है कि पंचायत समिति मावली एवं ग्राम पंचायत बासणी कलां के बार-बार कलेक्टर महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करने पर इस मामले पर कोई निर्णय अब तक नहीं लिया गया है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

पाली नगर के पास की कृषि भूमि के प्लाट

533. **श्री शंकरलाल** (पाली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पाली नगर के भीतर और आसपास कृषि भूमि के कई खातेदारों द्वारा कृषि भूमि को बिना आबादी में परिवर्तन कराये प्लाट बना कर बेचे गये हैं और बेचे जा रहे हैं जिनमें कइयों में

(172)

(श्री शंकरलाल)
मकान बन गये हैं और कइयों में मकान बनाये जा रहे हैं ?

(2) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और क्या कार्यवाही की जा रही है ? प्रत्येक मामले का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। बेचान किया है इनमें से कुछ ने मकान भी बना लिये हैं।

(2) तहसील कार्यालय में धारा 90-अ व 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है। जिन खातेदारान द्वारा कृषि भूमि बेची गई उनकी सूची परिशिष्ट 'क' में एवं जिनके द्वारा मकान बनाये गये उनकी सूची परिशिष्ट 'ख' में संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई).

नगर परिषद् जयपुर द्वारा भूमि का बेचान

534. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार) :—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर परिषद् ने पिछले 5 वर्षों में किन-किन व्यक्तियों को कितनी धनराशि में कब-कब किन नियमों के अन्तर्गत भूमि विक्रय की ? सम्पूर्ण विवरण सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि बहुत से भूतपूर्व नगर पार्षद व अधिकारियों का अनियमित बिक्री में हाथ रहा है ? यदि हां, तो किन किन का और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि संबन्धित अधिकारियों और भूतपूर्व पार्षदों के विरुद्ध जांच कमेटी नियुक्त की गई थी ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या सरकार भ्रष्ट भूतपूर्व नगर पार्षदों और अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत 5 वर्षों में नगर परिषद्, जयपुर द्वारा बेची गई भूमि का विवरण संलग्न है। इस विवरण पत्र में जिन-जिन व्यक्तियों को कब-कब कितनी कितनी धनराशि से किस-किस चौकड़ी में भूमि बेची गई है अंकित कर दिया गया है।

(2) जी हां। दोषी पार्षदों के विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज कराये जाने के लिए दिनांक 4-3-74 को पुलिस अधीक्षक जयपुर को लिखा गया है।

(3) जी हां। जांच अधिकारी के जांच प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) इसका उत्तर भाग 2 में अंकित है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों की जमीन पर नाजायज कब्जे

535. श्री चेतराम (टोडाभीम)–क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों की कृषि भूमि पर अन्य लोगों ने जबरन (नाजायज) कब्जे कर रखे हैं जब कि राजस्व रिकार्ड में भूमियों का नाम इन लोगों के नाम हैं ? यदि हां, तो जिलेवार कितने मामले हैं ?

(2) क्या सरकार ऐसे नाजायज कब्जों को हटा कर इन लोगों की भूमि इन्हें सुपुर्द करने का प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार कोई विशेष प्रभावशाली कानून बना कर ऐसे अतिक्रमणियों के खिलाफ सख्त कदम उठायेगी जिससे ऐसे अतिक्रमण नाजायज कब्जे न हो सकें ? यदि हां, तो किस प्रकार एवं कब तक ?

(स्थगित किया गया।)

अलवर जिला को-आपरेटिव बैंक, लैण्ड मोरगेज बैंक एवं होलसेल भण्डार के चुनाव

536. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर):– क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

क्या यह सही है कि अलवर जिले में सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, लैण्ड मोरगेज बैंक व होलसेल भन्डार के चुनाव अपेक्षित हैं ? यदि हां, तो अब चुनाव कब तक करा दिये जावेंगे ? कृपया पिछले चुनावों की तारीखें बतलाने की कृपा करें और अब तक चुनाव न होने के कारण भी बताने का कष्ट करें।

उत्तर

अलवर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के चुनाव 7-3-75 को हो चुके हैं। अलवर होलसेल भंडार के चुनाव कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। व अलवर लैण्ड मोरगेज बैंक के संचालक मंडल के चुनावों की राजस्थान उच्च न्यायालय के जारी स्थगन आदेश हट जाने पर ही चुनाव कराये जा सकेंगे। अलवर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक का पिछला चुनाव 13-5-72 को, लैण्ड मोरगेज बैंक का 2-6-69 को तथा होलसेल भंडार के चुनाव 12-11-71 को हुए।

तहसील प्रतापगढ़ क्षेत्र में काबिल काश्त भूमि

537. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौडगढ़ तहसील प्रतापगढ़ क्षेत्र की रेन्ज देवगढ़ और प्रतापगढ़ में काश्त काबिल भूमि पड़त है जिसमें इमारती लकड़ी नहीं है ? यदि हां, तो कितनी ? क्या कभी ऐसी फ़ोरेस्ट एरिया की जमीन का विभाग ने सर्वे करवाया है ?

(2) क्या यह सही है कि इसी पहाड़ी एरिया के रहने वाले गरीब आदिवासियों में से कई लोगों के पास काश्त की जमीनें नहीं हैं और वे भूमिहीन हैं ? यदि हां, तो काश्त काबिल जमीन फोरेस्ट विभाग को अलाट करने में क्या दिक्कत है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

वन विभाग द्वारा इस प्रकार का कोई सर्वे नहीं कराया गया।

(2) यह जानकारी वन विभाग को नहीं है।

आमेर में चुंगी से आय

538. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आमेर चुंगी से सालाना कितनी आय होती है ? पिछले पांच वर्षों की आय बताने का कष्ट करें।

(2) क्या राज्य सरकार इसको पर्याप्त समझती है ? यदि नहीं, तो इसको बढ़ाने और चोरी न होने देने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार इस बात से आश्वस्त है कि इस चुंगी पर कोई टैक्स की चोरी नहीं होती है ? यदि हां, तो किस कारण से ?

उत्तर

(1) आमेर नगरपालिका की चुंगी से वर्ष 1973–74 में 69,470/- की आय हुई। पिछले पांच वर्षों की आय निम्न प्रकार है:—

वर्ष	राशि	कुल आय
1969–70	19894–00)	
1970–71	28963–00)	211125–00
1971–72	40516–00)	
1972–73	52282–00)	
1973–74	69470–00)	

(2) जी हां।

(3) सतर्कता से वसूली की जाने के कारण चोरी नहीं हो पाती।

राजस्व सम्बन्धी मामले

539. श्रीमती प्रभा मिश्रा (पुष्कर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सितम्बर, 73 में राजस्व सम्बन्धी मामलों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा 15 मासिक कार्यक्रम बनाया गया था ? यदि हां, तो किस जिले में क्या प्रगति हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिन जिलाधीशों ने इस कार्य को नहीं किया क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ?

(स्थगित किया गया।)

नगरपालिका आबूरोड द्वारा भूमि का बेचान

540. श्री जेठमल आर्य (रेवदर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले में आबू रोड नगरपालिका की ओर

(श्री जेठमल आर्य)
से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आवास हेतु भूमि 3/- रु. प्रति वर्गगज से देना तय किया है जिसके कारण वे गरीब परिवार पैसा चुकाने में असमर्थ हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन गरीब परिवारों को भी निःशुल्क पट्टे देने की व्यवस्था कर रही है ?

(2) क्या यह सही है कि आबूरोड नगरपालिका क्षेत्र में हरिजनों को नगरपालिका ने शहर के मध्य में (हरिजन वास में) 17 परिवारों को पूरी कीमत लेकर पट्टे दे दिये थे और यह पट्टे आबूरोड तहसील द्वारा रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं किन्तु अभी तक उस जमीन का उन्हें कब्जा न देकर शहर से बाहर उन्हें भेजने का प्रयत्न किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों तथा यह पट्टे किस किस को दिये गये थे ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि आबूरोड नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जाति के परिवारों को पट्टे नहीं दिये जाने के कारण उनमें असन्तोष है ? यदि हां, तो उन्हें कब तक पट्टे उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

उत्तर

1—जी हां ।

भूमि 3/- रु. प्रति वर्गगज की दर से नियमानुसार आवंटन करने का निर्णय नजूल भूमि समिति ने 1—1—75 को लिया है । परन्तु किसी भी परिवार ने इस दर पर भूमि नहीं लेने का कोई प्रार्थना—पत्र नहीं दिया है इस लिए यह नहीं कहा जा सकता कि इस दर पर पैसे चुकाने में असमर्थ है । वर्तमान नियमों में निःशुल्क भूमि आवंटन का प्रावधान नहीं है ।

2-जी हां ।

परन्तु जिस स्थान पर इन 17 परिवारों को बसाने के लिए कीमत जमा की गई थी उक्त स्थान पर पहले से ही भीलों व कुम्हारों के कच्चे मकान बने हुए थे । इसलिए पूर्व स्थान की सीमा से लगता हुआ आबादी क्षेत्र में भी भूमि आवंटन करने का नजूल कमेटी ने निर्णय लिया एवं 12 व्यक्तियों को नए स्थान पर पट्टे देकर कब्जा दे दिया गया है शेष 5 व्यक्तियों की सहमति प्राप्त होने पर उन्हें भी इसी योजना में जो शहर के मध्य में ही है भूमि नियमानुसार दी जावेगी जिन व्यक्तियों को पट्टे दिए गए हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

3—जी नहीं ।

असन्तोष जैसी भावना ····हुई है । रियायती दर से सन् 1969-70 से अब तक 52 परिवारों को आवासीय पट्टे दिये गए हैं एवं अब केवल 10 प्रार्थना—पत्र विचाराधीन है जिनमें सूचनायें प्राप्त होने पर शीघ्र निर्णय लिया जा सकेगा ।

सूची जिन व्यक्तियों को पट्टे दिये गये

1. हरिजन लखमा कल्ला जी
2. ,, शंकर लाल रामचन्द्र

3. हरिजन मंगलदास रामचन्द्र
4. ,, चतुर माघा
5. ,, शिवचन्द लखमा
6. ,, कालू बजा
7. ,, मफतलाल नाथालाल
8. ,, लक्ष्मण मल्ला
9. ,, उमाराम माघाजी
10. ,, पन्ना बेचर
11. ,, भगवान लल्लू
12. ,, हीरा अमरा
13. ,, दुल्ली सम्पत
14. ,, धरमा अम्बा
15. ,, ग्यारसा नन्दा
16. ,, असलीया गेना
17. ,, धरमा राम लखमाराम

1. असलीया गेना
2. लक्ष्मण मल्ला
3. ग्यारसा नन्दा जी
4. कालू बजाजी
5. दुल्ली सम्पत जी
6. धर्मा ग्राम्बाजी
7. चतरा मघाजी
8. पन्ना बेचर जी
9. भगवान लल्लू जी
10 उमाराम माधा जी

झुन्झुनू जिले में लगान की छूट

541. श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि झुन्झुनू जिला में दो आना प्रति रुपया लगान की छूट दी गई थी ? यदि हां, तो इसके अनुसार कितने गांवों को छूट दी गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उस समय कुछ गांवों को छोड़ दिया गया था ? यदि हां तो क्या राज्य सरकार ने जिन ग्रामों को वंचित कर दिया था उनको भी छूट देने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। शेखावाटी इलाके के ग्रामों में सिवाय सोकर ठीकाने के ग्रामों के

(राजस्व मंत्री)
राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 26-3-1962 द्वारा इस प्रकार की छूट दी थी।

(2) जी हां। ऐसे गांवों का सेटलमेन्ट सं. 2012 से 2031 तक प्रभावशाली था अत: उपरोक्त आदेश से लागू नहीं हुआ। इन गांवों में छूट देने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

ग्राम पंचायत छोटी उदेई के निलम्बित सरपंच

542. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम पंचायत छोटी उदेई तहसील गंगापुर के सरपंच श्री शिवलाल मीणा को राज्य सरकार ने कब निलम्बित किया था ?

(2) क्या यह सत्य है कि निलम्बन के आदेश के साथ ही उप सरपंच को ग्राम पंचायत का चार्ज दिलवाने के आदेश दिये गये थे ?

(3) क्या निलम्बित सरपंच ने उप सरपंच को अब तक चार्ज दे दिया है ? अगर नहीं, तो राज्य सरकार ने सरपंच के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) दिनांक 24-3-73 को

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। तहसीलदार गंगापुर-सिटी द्वारा चार्ज दिलाने की कार्यवाही जारी है।

नीम-का-थाना क्षेत्र में कुओं पर बिजली

543. श्री मालाराम (नीम का थाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सब-डिवीजन नीम-का थाना में कुओं पर बिजली लगाने हेतु तहसील के राजस्व अधिकारियों द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों और क्या राज्य सरकार इस समस्या के समाधान का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी नहीं।

सहकारी विभाग के अधिकारियों की होम जिले में नियुक्ति

544. श्री शंकर सिंह रावत (नसीराबाद) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उसी जिले के निवासी सहकारी निरीक्षकों का अपने जिले में स्थानान्तरण नहीं किया जाता है और इसके लिए राज्य सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सहकारी निरीक्षकों से आगे के उच्चाधिकारियों के लिये यह नियम लागू नहीं है ?

(3) यदि यह नियम लागू नहीं है तो क्यों नहीं ? और यदि है तो समस्त उच्चाधिकारियों का तुरन्त जिले से बाहर स्थानान्तरण क्यों नहीं किया जाता ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2 व 3) आमतौर से सहायक रजिस्ट्रारों को अपने जिलों में नहीं रखा जाता।

(178)

परिशिष्ट 3

(ता. सं. 519 की सूची)

राजस्थान में अब तक लगाए गए गोबर गैस संयंत्रों की जिलेवार सूची

क्रमांक	नाम जिला	संख्या
1.	जयपुर	13
2.	भीलवाड़ा	29
3.	सीकर	4
4.	श्रीगंगानगर	21
5.	अजमेर	3
6	पाली	1
7.	बीकानेर	7
8.	सवाई माधोपुर	1
9.	नागौर	3
10.	जोधपुर	1
11.	उदयपुर	1
12.	भरतपुर	3
13.	झुंझुनू	1
14.	सिरोही	1
	कुल योग–	89

(179)

परिशिष्ट–4

(स्थगित प्रश्न संख्या 280 की सूची)

परिशिष्ट 'क'

DISTRICTWISE REPORT FOR CRASH SCHEME FOR RURAL EMPLOYMENT FOR THE YEAR 1971-72, 1972-73, 1973-74 & 1974-75

S. No.	Name of Distt.	Expenditure incurred (Rs. in Lacs)			
		1971-72	1972-73	1973-74	1974-75
		Expenditure	Expenditure	Expenditure	Expenditure
1	2	3	4	5	6
1.	Ajmer	12.56	24.12	16.79	0.25
2.	Alwar	0.64	9.46	10.95	—
3.	Banswara	1.24	15.59	10.65	—
4.	Barmer	0.49	12.41	10.47	—
5.	Bharatpur	1.05	6.94	7.93	—
6.	Bhilwara	10.95	12.41	9.55	—
7.	Bikaner	1.01	11.63	12.54	—
8.	Bundi	2.26	11.92	12.43	—
9.	Chittorgarh	3.55	15.97	12.03	0.10
10.	Churu	3.25	14.51	8.82	—
11.	Dungarpur	12.50	16.54	7.50	0.66
12.	Sri Ganganagar	4.40	9.26	1.15	—
13.	Jaipur	4.64	28 08	16.05	—
14.	Jaisalmer	2.62	8.44	5.03	—
15.	Jalore	5.70	11.70	9.74	—
16.	Jhalawar	2.24	7.52	9.37	0.20
17.	Jhunjhunu	0.83	6.07	10.09	(—)0.05
18.	Jodhpur	6.57	17.85	15.25	—
19.	Kota	1.39	9.54	10.84	—
20.	Nagaur	0.17	12.53	8.60	—
21.	Pali	3.49	10.39	8.49	0.16
22.	S. Madhopur	2.28	11.26	13.44	—
23.	Sikar	2.38	12.17	11.11	—
24.	Sirohi	5.43	12.85	8.41	—
25.	Tonk	6.59	18.45	14.54	0.16
26.	Udaipur	16.29	28.88	20.68	1.60
	Total	114.64	355.83	282.45	3.08
	Allocation of Government of India	325.00	355.00	285.50	
	Funds Released	155.18	355.00	285.50	

परिशिष्ट 5

(प्रता. प्र. सं 291 की सूची)

वन क्षेत्र में पशु चराई के नियम

राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अन्तर्गत बने आरक्षित वन नियम, 1957 तथा रक्षित वन नियम 1957 के प्रावधान अनुसार।

1. कोई व्यक्ति वन के ऐसे भागों के सिवाय जिनमें समय समय पर डिविजनल अधिकारी द्वारा चराई के लिए अनुमति दी जाती है, पशुओं को नहीं चरायेगा।

2. कोई भी व्यक्ति रेन्ज आफिसर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किये गये अनुमति–पत्र में सिवाय तथा सरकार द्वारा समय–समय पर उस क्षेत्र के लिए निर्धारित चराई शुल्क के भुगतान किये बिना पशुओं को नहीं चरायेगा। विभिन्न पशुओं की चराई हेतु राजस्थान निर्माण से पूर्व की चराई–इकाईयों के लिए अलग 2 निर्धारित चराई शुल्क अब भी लागू है।

3. प्रत्येक 20 पशुओं के लिए या उनके भाग के लिए एक चरवाहा होगा।

4. पशुओं के साथ रहने वाला या उनका प्रभारी स्वामी या यूथपाल या सेवक अपने साथ हमेशा अनुमति–पत्र को रखेगा और उसको किसी भी वन अधिकारी के समक्ष मांगे जाने पर निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करेगा।

5. यदि कोई चरवाहा वृक्षों को हानि पहुंचाता है तो उसका अनुमति-पत्र निरस्तीकरण के योग्य होगा।

6. कोई भी पशु डिविजनल वन अधिकारी की लिखित अनुमति के अतिरिक्त वन के भीतर किसी बाड़े में बन्द नहीं किए जायेंगे।

7. किसी भी पशु को विशेषतः रक्षित क्षेत्रों या ऐसे चराई के क्षेत्रों से जो प्राधिकार द्वारा चराई के लिए बन्द, ले जाने की अनुमति नहीं है।

8. ये नियम उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जिनको रियायतें प्राप्त हैं ऐसे व्यक्तियों का नियमन ऐसे नियमों

द्वारा होगा जो ऐसे अधिकारों तथा रियायतों का प्रयोग करने के लिए हैं।

9. नियमों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराये जाने पर ऐसी अवधि के कारावास से जो 6 मास तक की हो सकती है या ऐसे अर्थ दण्ड से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकता है या दोनों ही से दण्डनीय होगा।

राज्यादेश सं.एफ 7(37) रैवे./ए/60 दि. 24-11-60 से स्वीकृत।

10. चराई अनुमति-पत्र प्रार्थियों को सामान्य रूप से पशु चराने के स्थानों की चराई इकाई के लिए ही दिये जायेंगे।

11. छः मास के दूध पीते बछड़े चराई शुल्क से मुक्त रहेंगे।

12. विशेष स्थानों पर प्रचलित विशेष चराई शुल्क जारी रहेंगे।

13. चराई शुल्क अनुमति-पत्र देते समय वसूल किया जावेगा किन्तु अकाल के समय राज्य सरकार के निर्देश एवं नियमों के अनुसार चराई शुल्क में छूट दी जायेगी।

14. चराई वर्ष प्रति वर्ष एक जुलाई से आरम्भ होगा।

15. जहां जहां वन उपज सुविधा नियम, 1955 लागू हैं उन स्थानों पर व्यवसायिक चराई कराने वालों को 5 भैंस तक चराई शुल्क से मुक्त रखा जावेगा।

16. एक चराई इकाई से दूसरी चराई ईकाई में चराने पर राजस्थान चराई शुल्क परिशिष्ट के अनुसार चराई ली जावेगी।

17. राजस्थान से बाहर जाने वाली मवेशी तथा राजस्थान में बाहर से आने वाली मवेशियों के एक स्थान पर दो दिन से अधिक अथवा राजस्थान की सीमा में 30 दिन से अधिक रखने पर चराई शुल्क राजस्थान चराई शुल्क परिशिष्ट के अनुसार देय होगा।

(182)

परिशिष्ट 6

(अता. प्र. सं. 294 की सूची)

भूतपूर्व नरेशों से राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति (संशोधन) अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली संभावित भूमि की तालिका

क.सं.	भूतपूर्व नरेशों के नाम	संभावित प्राप्त होने वाली भूमि के आंकड़े (एकड़ों में)
1.	किशनगढ़ (अजमेर)	2,855 एकड़
2.	अलवर	2,480 ,,
3.	भरतपुर	416 ,,
4.	धौलपुर	476 ,,
5.	बांसवाड़ा	297 ,,
6.	कुशलगढ़	174-43 ,,
7.	बीकानेर	68,249 ,,
8.	बून्दी	207-48 ,,
9.	डूंगरपुर	18,374-62 ,,
10.	प्रतापगढ़	528-94 ,,
11.	जयपुर	5,335-05 ,,
12.	जैसलमेर	2,429-00 ,,
13.	जोधपुर	2,905-00 ,,
	जालोर (जोधपुर नरेश की भूमि)	69-00 ,,
	पाली (जोधपुर नरेश की भूमि)	18,788-00 ,,
14.	झालावाड़	—
15.	कोटा	277-00 ,,
16.	सिरोही	896-22 ,,
17.	टौंक	817-00 ,,
	लावासीक	487-00 ,,
18.	करौली	378-00 ,,
19.	शाहपुरा	1,624-20 ,,
20.	उदयपुर	278-95 ,,
	कुल योग :	66,902-89 एकड़

परिशिष्ट. 7

(प्रता. प्र. स. 298 की सूची)

सूची प्रतिक्रमणकारी जिन्हें नोटिस दिये गये

1.	श्रीमती मोहनी पत्नी श्री गणेशी लाल ।	17-4-74
2.	श्री रामपाल पुत्र देवा राम	"
3.	श्री रामप्रताप पुत्र श्री रामनाथ	"
4.	श्री जेलाराम पुत्र देवाराम	"
5.	श्री रामकुमार पुत्र देवाराम	"
6.	श्री सेडू पुत्र रामचन्द्र	"
7.	श्री मुरलीधर पुत्र मन्नालाल शर्मा	"
8.	श्री जगन्नाथ पुत्र गणेश	"
9.	श्री भैरू पुत्र महादेव	"
10.	श्री रमेशचन्द्र पुत्र नन्दराम	"
11.	श्री छगनलाल पुत्र मांगीलाल	"
12.	श्री सीताराम पुत्र कानाराम	"
13.	श्री रामचन्द्र पुत्र सालगराम	"
14.	श्री गाधु पुत्र पांचूराम	"
15.	श्री भैरू पुत्र महादेव	"
16.	श्री दामोदर पुत्र नारायण	"
17.	श्री चोथमल पुत्र शिव सहाय	"
18.	श्री रामकिशोर पुत्र नरसिंग राम	"
19.	श्री गजानन्द	"
20.	श्री कोरीलाल	प्रतिक्रमण हटा दिया
21.	श्री जेलाराम पुत्र भैरू	"
22.	श्री ग्यारसीलाल पत्र शिवसहाय	"

(124)

परिशिष्ट 8

(प्रता. प्र.सं. 300 की सूची)

कार्यालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी

श्री भू-प्रबन्धक आयुक्त एवं पदेन
संचालक भूमि एकीकरण,
राजस्थान, जयपुर।

25–8–67

विषय:–निगरानी सं. 81।1966 ता. 29–8–66

मूल्या आदि | किरोड़ी आदि

प्रसंग आपका पत्र संख्या एस.सी.आर. कोट्ट।67।68 दिनांक 15–7–67 उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आदेशानुसार निम्न निवेदन है :—

1. ग्राम उदई खुर्द में खसरा नं. 52 रकबा 7) 4 ता. नं. 1 श्री रामजीलाल पुत्र ज्वारा मीणा को सं. 2022 में एलोट हुआ था और वह उस नम्बर का स्तीफा दे चुका है। तथा फसल खरीफ सं. 2024 में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी खाली है।

2. खसरा नं. 148 रकबा 3) 1 बंजड़ सिवाय चक श्री राम स्वरूप पुत्र गोकल मीणा को सं. 2023 में अलोट हो चुका था जिसे वह बदस्तूर काश्त कर रहा है।

3. खसरा नं. 1065 रकबा 6।।।1 बजड़ 2 सिवाय चक ग्राम पंचायत उदई खुर्द को सं. 2022 में अलोट हुआ था सं. 2023 में ज्वार 3।।) 3) पंचायत में काश्त कराया था अब पंचायत ने उसका स्तीफा दे दिया है और रिपोर्ट पटवारी के अनुसार सं. 2024 की खरीफ में खाली जमीन पड़त है।

4. खसरा नं. 1071।1 रकबा 14) 4 संवत 2022 में ग्राम पंचायत का 8) बीघा तथा जयपूल चमार 3) गोरा चमार 3) 4 अलोटमेन्ट हुआ था जो कि संवत् 2022 व संवत् 2023 में काश्त हुआ है और ग्राम पंचायत ने मई 67 में उक्त नम्बर में से आय 8) बीघा भूमि का स्तीफा पेश कर दिया है जो मौके पर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी फसल खरीफ सं. 2024 में खाली है। अतः सूचनार्थ सेवा में अर्पित है।

तहसीलदार,
सेन्ड रिकार्ड गंगापुर,
जिला सवाई माधोपुर।

25-9-67

परिशिष्ट–9

स्थगित प्रश्न

[अता. प्र. सं. 142 (दिनांक 3-3-75) की सूची]

निजी पंचायत भवन बने हुये हैं या नहीं ?

नाम जिला	निजी भवन बने हुये हैं	निजी भवन नहीं हैं	योग
1	2	3	4
1. अजमेर	204	68	272
2. अलवर	121	317	438
3. बांसवाड़ा	51	139	190
4. बाड़मेर	71	182	253
5. भरतपुर	88	364	452
6. भीलवाड़ा	116	226	342
7. बीकानेर	69	54	123
8. बूंदी	63	74	137
9. चित्तौड़	120	187	307
10. चूरू	78	124	202
11. डूंगरपुर	24	149	173
12. गंगानगर	193	152	345
13. जयपुर	236	357	593
14. जैसलमेर	24	69	93
15. जालौर	39	177	216
16. झालावाड़	50	160	20
17. झुंझुनू	67	160	227
18. जोधपुर	68	178	246
19. कोटा	136	166	302
20. नागौर	130	230	360
21. पाली	146	152	298
22. सवाई माधोपुर	195	192	387
23. सीकर	64	223	287
24. सिरोही	58	73	131
25. टोंक	97	96	193
26. उदयपुर	177	374	551
योग	2685	4643	7328

(188)

परिशिष्ट–10

स्थगित प्रश्न

[अता. प्र. सं 157 (दिनांक 4-3-75) की सूची]

जीर्णावस्था में प्राथमिक पाठशालाओं की सूची पंचायत समिति सांचोर

1. रा.प्रा.वि. गरडाली
2. ,, अचलपुर
3. ,, सूंथड़ी
4. ,, पमाणा
5. ,, सेवाड़ा
6. ,, पहाड़पुरा
7. ,, मीरपुरा ढाणी
8. ,, धनेरिया
9. ,, सिलू
10. ,, माटकी
11. ,, चोरा ढाणी
12. ,, जेलातरा
13. ,, शैली
14. ,, कूडा
15. ,, वना की ढाणी

---

(187)

शुद्धि-पत्र

दिनांक 15 मार्च, 1975

क्रम संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
37	ऊपर से पहली	योग्द्रगेनाथ	योगेन्द्रनाथ
43	नीचे ले चौथी	अन्डर	अण्डर
69	नीचे से प्रथम	—	करें।
74	नीचे से चौथी	का	कल
83	ऊपर से चौथी	प्रतिदेदन	प्रतिवेदन
98	ऊपर से छठी	ले	के
100	नीचे से बारहवीं	को संघर्ष	से संघर्ष
108	नीचे से छठी	सैन्चुअरी	सैंक्चुअरी
159	ऊपर से आठवीं	हमारे	हमारी
185	नीचे से पहली	—	को
187	नीचे से दूसरी	तो	और
196	नीचे से प्रथम	ने	—
208	नीचे से बारहवीं	निदवेन	निवेदन
216	नीचे से सत्रहवीं	—	हैं
227	नीचे से चौथी	कर	रह
245	नीचे से बारहवीं	चाहे	चाहते
257	ऊपर से प्रथम	श्री सज्जनसिंह	श्री मोहरसिंह
277	नीचे से प्रथम	—	श्री मोहम्मद गफ्फार अली
279	ऊपर से सातवीं	फरोम्त	फरोख्त
280	ऊपर से आठवीं	स्लेसिस्टम	स्लेवसिस्टम
281	ऊपर से द्वितीय	—	है
281	ऊपर से छठी	—	पर
281	ऊपर से सातवीं	रायज	आयद
284	नीचे से चौदहवीं	वे	—

(188)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
287	ऊपर से छठी	वायुजाल	माथूलाल
287	नीचे से छठी	जो	—
289	नीचे से तेरहवीं	इन्क्वारी	इन्क्वायरी
316	नीचे से चौथी	भार	भारत
329	नीचे से अठारहवीं	को	ने
354	नीचे से प्रथम	पत्र	पुत्र